VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जून 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS

(GS + ESSAY + OPTIONAL)

MOCK TEST (OFFLINE)

OFFLINE IN 40+ CITIES

PAPER DATES

GS - I & II	GS - III & IV	ESSAY	OPTIONAL - I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Scan to Know More and Register

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP)
COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR
GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI
KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE
RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA
VISAKHAPATNAM

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4

1.1. गठबंधन सरकार ____ 4

1.2. नए राज्यों की मांग ____ 5

1.3. आंतरिक आपातकाल ____ 7

1.4. आनुपातिक प्रतिनिधित्व ____ 10

1.5. मिशन कर्मयोगी ____ 11

1.6. ऑनलाइन गलत सूचना ____ 14

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 16

1.7.1. नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू ____ 16

1.7.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 ____ 17

1.7.3. डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हुआ ____ 17

1.7.4. 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद ____ 18

1.7.5. सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ____ 18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 20

2.1. भारत: वैश्विक शांति निर्माता के रूप में ____ 20

2.2. मिनीलैटरल का उदय ____ 22

2.3. भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध ____ 25

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन ____ 27

2.5. भारत-फ्रांस संबंध ____ 30

2.6. भारत-यूरेशिया संबंध ____ 32

2.7. भारत- जापान संबंध ____ 34

2.8. परमाणु हथियार शस्त्रागार ____ 36

2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 40

2.9.1. भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी ____ 40

2.9.2. INDUS-X पहल का एक वर्ष पूरा हुआ ____ 40

2.9.3. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी 41

2.9.4. कोलंबो प्रोसेस ____ 42

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 43

3.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन ____ 43

3.2. फिनफ्लुएंसर्स ____ 46

3.3. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना ____ 48

3.4. भारत का व्यापार घाटा ____ 50

3.5. कृषि विस्तार प्रणाली ____ 51

3.6. तकनीकी वस्त्र ____ 53

3.7.भारतीय रेलवे की सुरक्षा ____ 56

3.8. भारत में अपतटीय खनिज ____ 58

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 60

3.9.1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ____ 60

3.9.2. भारत का आउटलुक "स्टेबल" से "पॉजिटिव" की ओर60

3.9.3. वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ____ 61

3.9.4. बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर UNCTAD की रिपोर्ट ____ 61

3.9.5. विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: मई 2024 अपडेट ____ 62

3.9.6. प्रेस्टन वक्र ____ 62

3.9.7. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) "प्रोजेक्ट नेक्सस" में शामिल हुआ ____ 63

3.9.8. RBI ने कई पहलें लांच की ____ 63

3.9.9. परिवर्तनीय रेपो दर ____ 64

3.9.10. सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट ____ 64

3.9.11. पंप और डंप स्कीम ____ 64

3.9.12. सेबी (SEBI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs/ इनविट्स) विनियम, 2024 में संशोधन किया ____ 65

3.9.13. समाशोधन निगम ____ 65

3.9.14. डेरिवेटिव ट्रेडिंग ____ 65

3.9.15. फ्रंट रनिंग ____ 66

3.9.16. विश्व मात्स्यिकी और जलीय कृषि की स्थिति 202466

3.9.17. ICRIER ने भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान (PHL) पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया ____ 67

3.9.18. कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक ____ 68

4. सुरक्षा (Security) ____ 69

4.1. कारगिल युद्ध के 25 साल ____ 69

4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ____ 72

4.3. साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त डॉक्ट्रिन ____ 73

4.4. विमान वाहक पोत ____ 75

4.5. फोरेंसिक विज्ञान ____ 77

4.6. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल ____ 78

4.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 81

4.7.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ____ 81

4.7.2. बहुपक्षीय शांति अभियान ____ 81

4.7.3. प्रोजेक्ट 28 (P28) ____ 81

4.7.4. नागास्त्र-1 ____ 82

4.7.5. रुद्रम-II ____ 82
4.7.6. माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेक्ट ____ 82
4.7.7. जैवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली ____ 83
4.7.8. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ____ 83
5. पर्यावरण (Environment) ____ 84
5.1. लघु द्वीपीय विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन ____ 84
5.2. भारतीय हिमालयी क्षेत्र ____ 87
5.3. ग्रेट निकोबार द्वीप ____ 90
5.4. भूमिगत कोयला गैसीकरण ____ 93
5.5. अपतटीय पवन ऊर्जा ____ 94
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 97
5.6.1. नई रामसर साइट्स ____ 97
5.6.2. बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ ____ 97
5.6.3. 67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक हुई ____ 98
5.6.4. UNCCD के 30 वर्ष पूरे हुए ____ 98
5.6.5. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ____ 99
5.6.6. अंटार्कटिक ट्रीटी ____ 100
5.6.7. सामूहिक बुद्धिमत्ता पहल ____ 101
5.6.8. यूनेस्को ने “महासागर की स्थिति रिपोर्ट, 2024” जारी की ____ 101
5.6.9. कार्बन प्राइसिंग ____ 102
5.6.10. वाटर क्रेडिट ____ 103
5.6.11. नासा का प्रीफायर मिशन ____ 104
5.6.12. सतत विकास रिपोर्ट, 2024 ____ 104
5.6.13. यूनेस्को की ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप ____ 105
5.6.14. यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापन योजना ____ 106
5.6.15. वैश्विक मृदा भागीदारी ____ 106
5.6.16. भारत की ‘मगरमच्छ संरक्षण परियोजना’ के 50 वर्ष पूरे हुए ____ 106
5.6.17. सूक्ष्म शैवाल ____ 107
5.6.18. आइबेरियन लिंक्स/ वनबिलाव ____ 108
5.6.19. पेंच टाइगर रिजर्व ____ 108
5.6.20. भुवन पंचायत और NDEM 5.0 ____ 108
5.6.21. हीट डोम ____ 108
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 110
6.1. विफल होती लोक परीक्षा प्रणाली ____ 110
6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 112
6.2.1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 ____ 112
6.2.2. यूनिसेफ ने "बाल पोषण रिपोर्ट ____ 113
6.2.3. बाल श्रम ____ 113
6.2.4. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 ____ 114
6.2.5. माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, 2024 ____ 114
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) _ 116
7.1. क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी ____ 116
7.2. आउटर स्पेस गवर्नेंस ____ 118
7.3. ट्रांस-फैट उन्मूलन ____ 121
7.4. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ____ 126
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 129
7.5.1. नया CRISPR/Cas9 जीन-एडिटिंग प्लेटफॉर्म 129
7.5.2. भारत में डीपटेक स्टार्ट-अप्स ____ 129
7.5.3. अल्फ़ाफोल्ड-3 ____ 130
7.5.4. खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां ____ 130
7.5.5. दक्ष परियोजना ____ 131
7.5.6. तृष्णा: इंडो-फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन ____ 132
7.5.7. अर्थकेयर मिशन ____ 132
7.5.8. सिम्बिओटिक सिस्टम ____ 133
7.5.9. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 में संशोधन ____ 133
7.5.10. WHO ने पहला निवेश राउंड शुरू किया ____ 134
7.5.11. बायोफार्मास्युटिकल एलायंस ____ 135
7.5.12. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ____ 135
7.5.13. जंपिंग जींस ____ 135
8. संस्कृति (Culture) ____ 137
8.1. देवी अहिल्याबाई होल्कर ____ 137
8.2. नालंदा विश्वविद्यालय ____ 138
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 141
8.3.1. श्री जगन्नाथ मंदिर ____ 141
8.3.2. ज्योतिर्मठ या जोशीमठ ____ 142
8.3.3. स्वामी विवेकानंद ____ 142
8.3.4. बाविकोंडा मठ ____ 142
8.3.5. कोझिकोड: भारत का पहला ‘सिटी ऑफ लिटरेचर’ 143
8.3.6. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ____ 144
8.3.7. यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, 2023 ____ 144

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____________________________ 146
9.1. व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता____________________ 146
9.2. सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी _______________ 148
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _____ 151
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ___________ 153
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ___ 154

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
QUIZ	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
NEWS	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

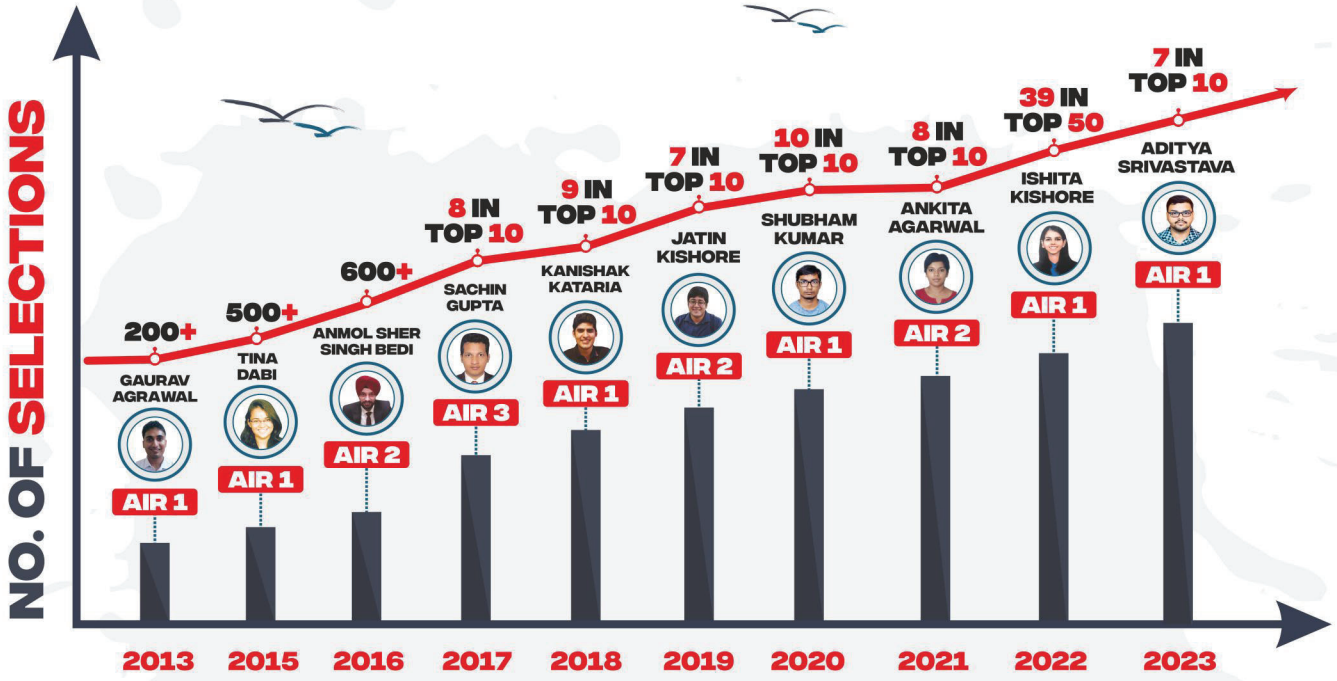

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 12 & 18 JULY | BHOPAL: 18 JULY | CHANDIGARH: 18 JULY

HYDERABAD: 12 AUG | JAIPUR: 6 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 17 JULY | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 16 अगस्त | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. गठबंधन सरकार (Coalition Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2024 के लोक सभा आम चुनाव संपन्न हुए हैं। **चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार बनी है।** ऐसा संसद के निचले सदन यानी लोक सभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण हुआ है।

गठबंधन सरकार के बारे में

- यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में जब **किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग** करते हैं।
- भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं- **बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय, सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक,** आदि।
- **भारत में गठबंधन सरकार दो तरीकों से बनती है:**
  - **चुनाव-पूर्व गठबंधन:** कई दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं तथा मतदाताओं के सामने संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं।
  - **चुनाव-पश्चात गठबंधन:** यदि चुनाव-पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तब राजनीतिक दल चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन हेतु दूसरी पार्टियों के साथ वार्ता करते हैं।

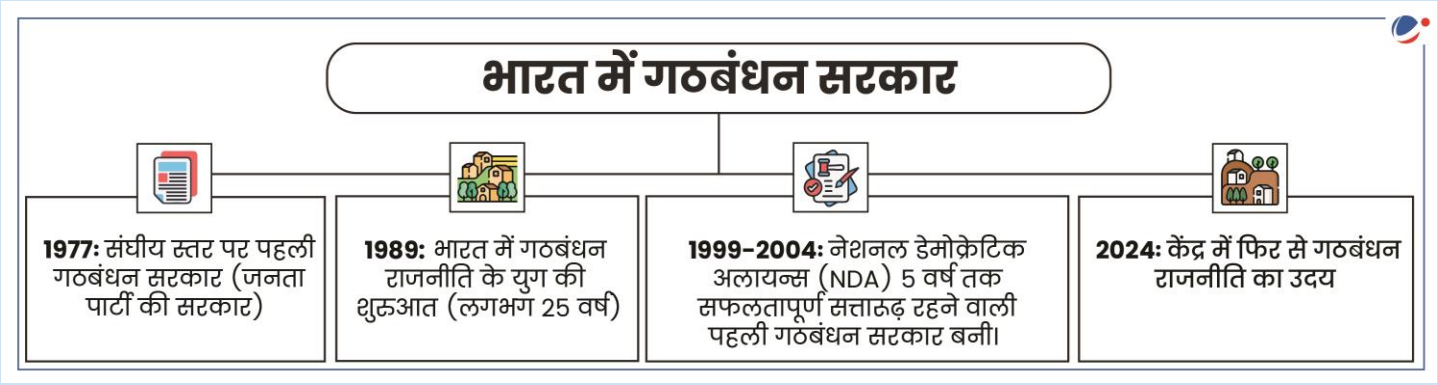

गठबंधन सरकार का महत्त्व

- **व्यापक प्रतिनिधित्व:** गठबंधन सरकार आमतौर पर अलग-अलग हितों और व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने से संभावित रूप से अधिक समावेशी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
- **नियंत्रण और संतुलन:** गठबंधन सरकार में शामिल भागीदार एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इससे संभावित रूप से सत्तावाद एवं जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय लेने का जोखिम कम होता है।
- **आम सहमति बनाना:** गठबंधन सरकार के लिए वार्ता और समझौते की आवश्यकता होती है, जिससे संभवत: अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियां बनाई जा सकती हैं।
- **लोक सभा की भूमिका:** अब तक बनी गठबंधन सरकारों के परिणामस्वरूप लोक सभा में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस देखने को मिली है। इस तरह की बहस से सरकार की जवाबदेही में बढ़ोतरी होती है।
- **सहकारी संघवाद:** गठबंधन सरकारों में अक्सर क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा, शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है।

गठबंधन सरकार से संबंधित चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता:** गठबंधन सहयोगियों के अलग-अलग हितों के कारण बार-बार असहमति और सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1998 में केवल 13 माह के बाद ही पहली NDA सरकार गिर गई थी।
- **नीतिगत अस्थिरता:** गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए, 2008 में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर UPA-1 सरकार से वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।

- **अदूरदर्शी निर्णय-प्रक्रिया:** गठबंधन सरकार में प्रशासनिक/ गवर्नेंस व्यवस्था में बार-बार बदलाव के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए, 2004-2014 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बार-बार बदलाव के कारण शिक्षा क्षेत्रक के लिए बेहतर नीतियां नहीं बन पाई थी।
- **विचारधाराओं से समझौता:** गठबंधन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधाराओं से समझौता करना पड़ सकता है।
- **क्षेत्रवाद:** गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य-विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों के आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं।
- **विदेश नीति:** गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों के व्यक्तिगत हित विशेषकर क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में विदेश नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए, 2011 में तीस्ता जल समझौते पर रुका हुआ निर्णय।

आगे की राह

- **राजनीतिक स्थिरता:** अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान की प्रणाली अपनाने के लिए विधान-मंडलों के प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए (NCRWC)[1]।
    - अविश्वास प्रस्ताव पर **रचनात्मक मतदान** का अर्थ है कि **अविश्वास प्रस्ताव के साथ-साथ वैकल्पिक नेता के प्रस्ताव** पर भी मतदान होना चाहिए।
    - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** के अनुसार, यदि गठबंधन में शामिल एक या एक से अधिक दल, गठबंधन से बाहर के एक या अधिक दलों के साथ मिलकर फिर से गठबंधन कर लेते हैं, तो उस दल/ दलों के सदस्यों को फिर से चुनाव जीतना होगा।
- **प्रधान मंत्री का चयन:** NCRWC के अनुसार, संसद के प्रक्रिया के नियमों के तहत लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ लोक सभा के नेता (प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति) के चुनाव के लिए एक तंत्र होना चाहिए।
- **गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता:** न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर अनिवार्य रूप से नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए 'गठबंधन प्रभाव आकलन' आरंभ किया जा सकता है।
- **दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियां:** राष्ट्रीय नीति निर्माण में **अंतर्राज्यीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों और नीति आयोग जैसे गैर-पक्षपातपूर्ण निकायों का उपयोग** करना चाहिए। ऐसा इस कारण, क्योंकि ये संस्थाएं गठबंधन राजनीति से बाहर होती हैं।

1.2. नए राज्यों की मांग (Demand For New States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **2 जून को तेलंगाना राज्य के गठन के दस साल पूरे** हुए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014,** के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर **तेलंगाना** नामक एक अलग राज्य बनाया गया था। **हैदराबाद** को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया।
- विकास में कथित **क्षेत्रीय असमानता** को देखते हुए अलग तेलंगाना राज्य के गठन का कदम उठाया गया था।

क्या आप जानते हैं?

> स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य **आंध्र प्रदेश** था। स्वतंत्रता सेनानी **पोट्टि श्रीरामुलु** के लंबे संघर्ष और आमरण अनशन से उनके निधन के बाद **1953** में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था।

- हाल ही में, भील जनजाति ने अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य **'भील प्रदेश'** की मांग की है। इस प्रस्तावित भील प्रदेश में **राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्से शामिल** करने की मांग की जा रही है।

नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया

- **संविधान का अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत-

[1] संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग/ National Commission to Review the Working of the Constitution

- **शक्ति:** संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।
- **राष्ट्रपति की सिफारिश:** नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में** पेश किया जाएगा।
- **राज्य विधान-मंडलों के साथ परामर्श:** किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति **विधेयक को उस राज्य विधान-मंडल को निर्धारित समय के भीतर** अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके **क्षेत्र, सीमा या नाम** प्रभावित हो रहे हों।
- संसद एक **साधारण विधेयक पारित करके** एक नए राज्य का गठन कर सकती है।
  - साधारण विधेयक संसद में **साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से** पारित किया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों की मांग को प्रेरित करने वाले कारक

- **भाषाई विविधता:** भाषा नए राज्यों के गठन की मांग को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रही है।
  - उदाहरण के लिए- 1960 में भाषाई विविधता के आधार पर **महाराष्ट्र और गुजरात** राज्यों का गठन किया गया था।
- **विकास संबंधी असमानता:** कुछ क्षेत्रों में विकास संबंधी असमानता विद्यमान है, जो अलग राज्य के गठन की मांग को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिए- **महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र** विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, यही कारण है कि यहां के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक पहचान:** विविध नृजातीय समूह अपनी **नृजातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान, जैसे- भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज आदि का संरक्षण** करने का प्रयास करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए- असम से अलग बोडोलैंड राज्य** की मांग का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है, जो राज्य के बाकी हिस्सों से अलग है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** ऐसा माना जाता है कि छोटे राज्यों में शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- उत्तर प्रदेश से अलग **हरित प्रदेश** की मांग इसी आधार पर की जा रही है।

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय

बेरुबारी संघ वाद (1960): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3, संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है।

- किसी भारतीय क्षेत्र को **संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा** जा सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप, कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु **9वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960** पारित किया गया था।

राज्य पुनर्गठन आयोग/ समितियां

- **एस.के. धर आयोग, 1948:** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय **प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** की सिफारिश की थी।
- **जे.वी.पी. समिति, 1948: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया** इस समिति के सदस्य थे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जे.वी.पी. रखा गया था। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- **फजल अली आयोग, 1953:** आयोग ने **राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित चार कारकों** की पहचान की थी:
  - देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एवं मजबूत करना;
  - भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्त्व देना;
  - वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना; तथा
  - राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए।
- **फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन** की सिफारिश की थी।
  - संसद ने आयोग की सिफारिशों को **7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956** के माध्यम से लागू किया था।

नये राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क	नए राज्यों के गठन के विरोध में तर्क
• **प्रभावी प्रशासनिक दक्षता:** इससे **संसाधनों का उचित उपयोग** होता है। ○ उदाहरण के लिए- तेलंगाना अपने जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, तेलंगाना में **धान का उत्पादन 2015 के 4.57 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2023 में 20 MMT से अधिक** हो गया था। • **नवाचार:** छोटे राज्यों में शासन और सेवा वितरण में **नवाचारों का आसानी से उपयोग** किया जा सकता है। इन नवाचारों के सफल होने पर अन्य राज्यों द्वारा भी इन्हें अपनाने की पूरी-पूरी संभावना होती है। ○ उदाहरण के लिए- **सिक्किम में जैविक खेती की सफलता के बाद, केरल सरकार ने राज्य को जैविक खेती केंद्र में बदलने के लिए 'जैविक कृषि मिशन' (2023)** की शुरुआत की है। • **व्यापार:** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे छोटे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार** करते हैं। • **बेहतर विकास:** इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं। ○ नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार, **उत्तराखंड में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67%** रह गई है।	• **आर्थिक तनाव:** एक नए राज्य के प्रशासनिक तंत्र, अवसंरचना और संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ○ उदाहरण के लिए- एक अनुमान के अनुसार, **तेलंगाना की नई राजधानी (अमरावती) में बुनियादी ढांचे और विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये** की आवश्यकता होगी। • **संसाधन आवंटन:** नए राज्य और मूल राज्य के बीच पानी, बिजली या खनिज संपदा जैसे संसाधनों का बंटवारा अंतर्राज्यीय विवादों को जन्म दे सकता है। ○ उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** के विभाजन के परिणामस्वरूप **कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।** • **सीमा विवाद:** नवीन राज्य की सीमाएं खींचने से पड़ोसी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ये विवाद लंबे समय तक चल सकते हैं और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। ○ उदाहरण के लिए- **कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी विवाद।** • **पेंडोरा बॉक्स:** नए राज्यों के निर्माण से अन्य नए राज्यों की मांग और निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह

- **विकास:** मौजूदा राज्यों में उनके **सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।** साथ ही, उन आर्थिक असमानताओं और शिकायतों का समाधान करना भी जरूरी है, जिनके कारण नए राज्यों के गठन की मांग उठती है।
- **विशेषज्ञ समिति:** नए राज्यों के गठन की मांग/ प्रभाव की जांच के लिए **सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति** बनाई जानी चाहिए।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** किसी भी नए राज्य का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास **नए राज्य के रूप में स्थापित होने पर अपने खर्च का कम-से-कम 60% संसाधन या राजस्व न हो।**
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश:** नए राज्यों के निर्माण के लिए **राजनीतिक विचारों की बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित** करते हुए स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

1.3. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के **50 वर्ष पूरे** हुए हैं। ज्ञातव्य है कि **25 जून, 1975** को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर, तत्कालीन प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने **राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)** की घोषणा की थी।

आपातकाल क्या है?

- आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, जिसमें **लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित** कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है।
- भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादातर **मौलिक अधिकारों को निलंबित** कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान **जर्मनी के वाइमर संविधान** से लिया गया है।

- भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के **भाग XVIII के तहत अनुच्छेद 352 से 360** में उल्लिखित हैं।
- इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की **संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा** करना है।

आपातकाल के प्रकार

- **राष्ट्रीय आपातकाल: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह** के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। **"युद्ध या बाहरी आक्रमण"** के आधार पर लगे आपातकाल को **"बाह्य आपातकाल" और "सशस्त्र विद्रोह"** के आधार पर लगे आपातकाल को **"आंतरिक आपातकाल"** कहा जाता है। राष्ट्रपति **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह** पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 352** में किया गया है।
    - अब तक, भारत में **तीन बार** राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। **25 जून, 1975 को आंतरिक अशांति** के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ज्ञातव्य है कि **1962 में चीन के साथ युद्ध** और **1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण भी दो बार राष्ट्रीय आपातकाल** की घोषणा की गई थी।

*नोट: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978** के माध्यम से **"आंतरिक अशांति (Internal disturbance)"** शब्दावली को **"सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion)"** से बदल दिया गया था।*

- **राष्ट्रपति शासन (राज्य या संवैधानिक आपातकाल):** यह तब लागू होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 356** में किया गया है।
- **वित्तीय आपातकाल:** इसका प्रावधान भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 360** में किया गया है। यह तब घोषित किया जाता है, जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय (Credit) के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है।

आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया

- **उद्घोषणा:** संविधान के **अनुच्छेद 352** के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के **लिखित अनुरोध** पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती है। लिखित अनुरोध को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- **अनुमोदन:** आपातकाल की उद्घोषणा को **1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित** होना आवश्यक है।
- **अवधि:** राष्ट्रीय आपातकाल, उद्घोषणा जारी होने की तिथि से **6 महीनों** तक लागू रहता है। इसे संसद के **दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को **अनिश्चित समय तक बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रावधान को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
    - यदि **छः माह की अवधि के दौरान लोक सभा भंग** हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो इस उद्घोषणा की वैधता **लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक** बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच **राज्य सभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी** दे दी हो।
- आपातकाल की उद्घोषणा या उसे जारी रखने से संबंधित प्रत्येक संकल्प को **संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 'विशेष बहुमत' से अनुमोदन** प्राप्त होना आवश्यक है। इस प्रावधान को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

आपातकाल का निरसन (Revocation)

- **राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से** आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए **संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं** होती है।
- आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को **लोक सभा द्वारा 'साधारण बहुमत' से अनुमोदन** प्राप्त होना आवश्यक है।

आंतरिक आपातकाल (1975-77) लगाने के लिए जिम्मेदार कारक:

- **आर्थिक संदर्भ:** 1973 में वस्तुओं की कीमतों में 23 प्रतिशत और 1974 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

- **गुजरात व बिहार आंदोलन:** गुजरात और बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का दोनों राज्यों की राजनीति एवं राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था।
- **न्यायपालिका के साथ टकराव:** इस अवधि के दौरान, सरकार और सत्तारूढ़ दल के न्यायपालिका के साथ कई मतभेद थे जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में **न्यायमूर्ति ए. एन. रे** की नियुक्ति।

आंतरिक आपातकाल (1975-77) लागू करने के प्रभाव/ आलोचना

- **राजनीतिक प्रभाव:**
  - **नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन:** आपातकाल के दौरान सरकार को सभी या किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई।
    - **सेंसरशिप:** समाचार-पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई, **प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया** तथा कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।
  - **सत्ता का केंद्रीकरण:** शक्तियों का संघीय वितरण व्यावहारिक रूप से निलंबित कर दिया गया और सभी शक्तियां संघ सरकार (प्रधान मंत्री कार्यालय) के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार, राज्यों की विधायी शक्ति में परिवर्तन हुआ।
    - **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) 1976** द्वारा लोक सभा की अवधि **पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष** कर दी गई।
  - **असहमति पर कार्रवाई:** विपक्षी नेताओं को **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (MISA/ मीसा)** जैसे कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - **सत्ता का दुरुपयोग:** आपातकाल के दौरान **बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, हिरासत में मौतें हुईं और प्रमुख शहरों में उचित पुनर्वास योजनाओं के बिना झुग्गी-झोपड़ी हटाने के आधिकारिक अभियान** चलाए गए, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए।
  - **संगठनों पर प्रभाव:** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), जमात-ए-इस्लामी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर **सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका के कारण प्रतिबंध** लगा दिया गया था।
  - **जबरन नसबंदी:** जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी। इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी।
- **संस्थागत प्रभाव:**
  - **न्यायिक स्वतंत्रता:** न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया, जिन न्यायाधीशों को सरकार का समर्थन न करने वाला माना गया, उन्हें स्थानांतरित या दरकिनार कर दिया गया।
    - सरकार ने न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने के उद्देश्य से **42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** पारित किया था।
  - **विश्वास का क्षरण:** आपातकाल के दौरान शक्तियों के मनमाने उपयोग ने सरकारी संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को खत्म कर दिया था।

क्या आप जानते हैं?

> मई, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने **जस्टिस जे.सी. शाह आयोग** का गठन किया था। इस आयोग का कार्य जून, 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान **सत्ता के दुरुपयोग, की गई ज्यादतियों और कदाचार के आरोपों के कई पहलुओं की जांच** करना था।

आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन

- **लिखित अनुमोदन:** आपातकाल की घोषणा केवल **मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह** के आधार पर ही की जा सकती है।
- **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359** का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20)** तथा **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)** आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे।
  - इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 300A के तहत इसे संवैधानिक अधिकार** बना दिया।
- **लोक सभा का कार्यकाल:** अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके **लोक सभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष** कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 275A को हटाना:** यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता था।
- **न्यायिक समीक्षा:** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।

निष्कर्ष

आपातकाल के दौरान असहमति का दमन और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करती है। इसके अलावा, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियंत्रण एवं संतुलन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.4. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में कई विशेषज्ञों ने लोक सभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) चुनावी प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) पर विचार करने का मत प्रकट किया है।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बीच अंतर

	फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (साधारण बहुमत प्रणाली)	**आनुपातिक प्रतिनिधित्व**
भौगोलिक इकाई	• देश को **छोटी भौगोलिक इकाइयों** में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।	• **बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित** किया जाता है। पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।
प्रतिनिधित्व	• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।	• एक **निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि** चुने जा सकते हैं।
मतदान प्रक्रिया	• मतदाता किसी भी **उम्मीदवार** को मत दे सकते हैं।	• मतदाता किसी भी **दल** को वोट दे सकते हैं।
सीट वितरण	• किसी दल को **विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल** सकती हैं। • जीतने वाले उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि बहुमत (50%+1) में वोट मिले।	• प्रत्येक दल को **प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती** हैं।
उदाहरण	• **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत** (लोक सभा और राज्य विधान सभाएं)।	• **इजरायल, नीदरलैंड** आदि।
लाभ	• आम मतदाताओं के लिए **समझना आसान है।** • एक **स्थिर सरकार के गठन** को सुगम बनाती है। • किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए **अलग-अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित** करती है।	• **सभी दलों का उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करती है। • **अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों** के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। • **कम वोट बर्बाद होते हैं,** क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है।
चिंताएं	• राजनीतिक दलों का उनके **वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व।** • अल्पसंख्यकों (छोटे समूहों)/ छोटे दलों के लिए **पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं** करती है।	• कई छोटे दलों के साथ **खंडित विधायिका को जन्म** दे सकती है। • संसदीय लोकतंत्र में **कम स्थिर गठबंधन सरकारें** हो सकती हैं।

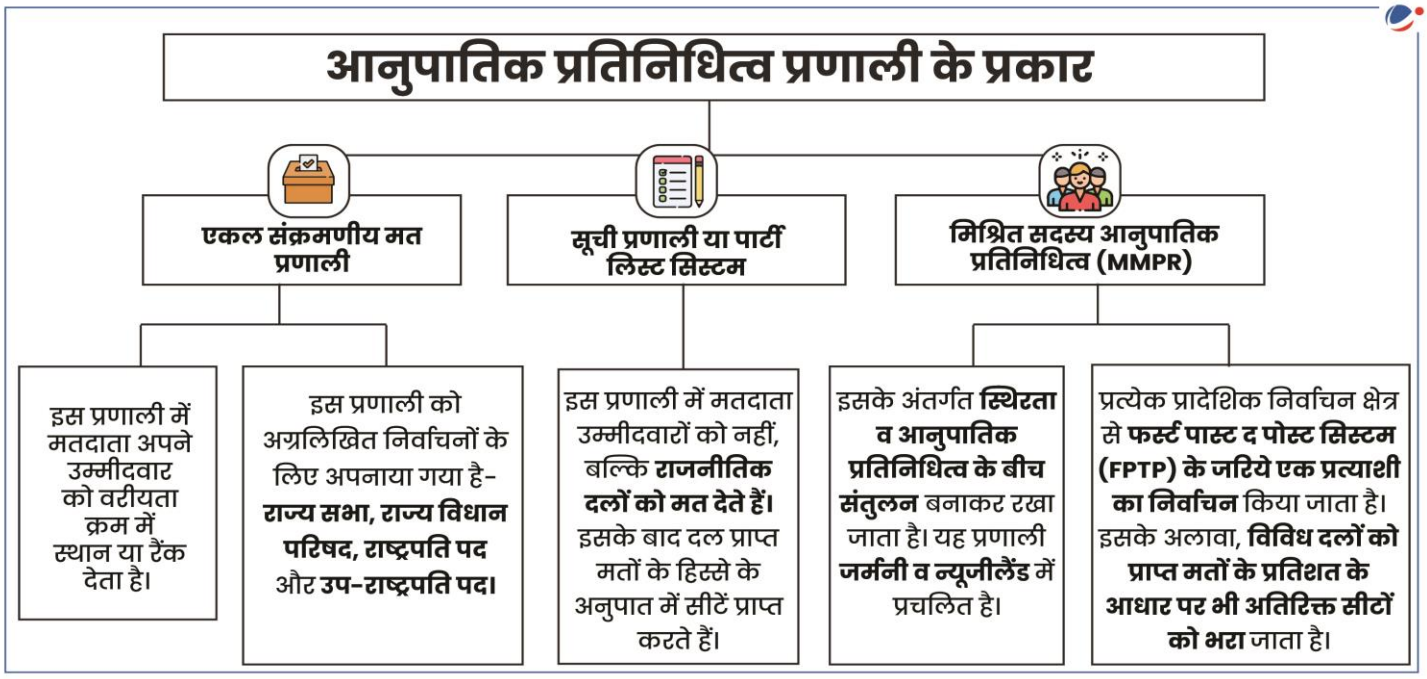

भारतीय संविधान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को न अपनाने के लिए जिम्मेदार कारण

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की **जटिलता के कारण मतदाताओं के लिए इसे समझना कठिन है।**
- इस प्रणाली की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों को बढ़ाने की है, जिससे सरकार में अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए, यह **संसदीय सरकार के लिए अनुपयुक्त है।**
- यह **अत्यधिक खर्चीली** व्यवस्था है। साथ ही, इसमें उप-चुनाव आयोजित करने की भी कोई संभावना नहीं होती है।
- मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच **घनिष्ठ संपर्क समाप्त** हो जाता है।
- इससे **राजनीतिक दलीय व्यवस्थता का महत्त्व बढ़** जाता है और मतदाता का महत्त्व कम हो जाता है।

आगे की राह

- **विधि आयोग की सिफारिश (170वीं रिपोर्ट):** इस रिपोर्ट में प्रायोगिक आधार पर **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMPR) प्रणाली** को लागू करने की सिफारिश की गई थी। इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि लोक सभा की कुल सीटों की संख्या में वृद्धि करके **25% सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भरी** जा सकती हैं।
    - यदि बढ़ाई गई सीटों के लिए या प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश से संयुक्त रूप से कम-से-कम 25% सीटें जोड़ने के लिए MMPR प्रणाली को अपनाया जाता है, तो मेघालय जैसे छोटे राज्यों की इस शंका को दूर करने में मदद मिलेगी कि FPTP प्रणाली पर बड़े राज्यों का प्रभुत्व है।
- **2026 के परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि:** पिछले पांच दशकों में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **असमान जनसंख्या वृद्धि ने केवल जनसंख्या के आधार पर लोक सभा सीटों को आवंटित करना जटिल** बना दिया है। यह संभावित रूप से संघीय सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है और राज्यों में असंतोष पैदा कर सकता है। इसलिए, **2026 के परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि करना फायदेमंद होगा।**

1.5. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[2] की स्थापना के तीन वर्ष पूरे** हुए। इसका गठन **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)[3]- मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

[2] Capacity Building Commission

[3] National Programme for Civil Services Capacity Building

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी के बारे में

- NPCSCB का उद्देश्य एक ऐसी **पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना** है जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो।
- इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवक (अनुबंधित कर्मचारियों सहित) शामिल हैं।**
  - इच्छुक राज्य सरकारें भी अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं को इसी तर्ज पर संरेखित कर सकती हैं।
- **मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत**
  - **नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ओर बदलाव:** इसमें नियम-आधारित एवं आपूर्ति-संचालित क्षमता निर्माण से हटकर भूमिका-आधारित व मांग-संचालित क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना शामिल है।
  - **क्षमता विकास के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना:** योग्यताओं को व्यवहार, कौशल और ज्ञान (ASK) के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह संयोजन किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य या गतिविधि को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम बनाता है।

  - **70-20-10 अधिदेश:** मिशन कर्मयोगी जीवन भर सीखने के 70:20:10 मॉडल का प्रस्ताव करता है। यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि 70 प्रतिशत सीखना नौकरी के अनुभवों और चिंतन से आता है; 20 प्रतिशत सीखना दूसरों के साथ काम करने से आता है; और 10 प्रतिशत नियोजित प्रशिक्षण से आता है।
  - **लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण और उपलब्धि को आपस में जोड़ना:** मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सीखने और क्षमता निर्माण को संगठनात्मक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत अधिकारियों के करियर लक्ष्यों व प्रदर्शन मापन के साथ संरेखित करना है।
  - **निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना:** मिशन कर्मयोगी के तहत, प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे।
  - **लोकतांत्रिक बनाना और निरंतर व आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम बनाना:** मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी भूमिकाओं के लिए आवश्यक दक्षताओं का लगातार विकास करने और मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराना है।
  - **सरकार में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना।**
- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)[4] कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है।
  - यह एक **व्यापक ऑनलाइन मंच** है। यह सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी **क्षमता-निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन** प्रदान करता है।
  - iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के **प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार** पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी का महत्त्व:

- **पेशेवर विकास:** सिविल सेवकों की बदलती भूमिकाएं **अधिकारियों के लिए अपनी व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन संबंधी दक्षताओं के निर्माण तथा उन्हें मजबूत करने के अवसर** प्रस्तुत करती हैं, जिससे पेशेवर विकास में वृद्धि होती है।
- **एक समान प्रशिक्षण दृष्टिकोण:** इस पहल का उद्देश्य देश भर में **प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करना** है। साथ ही, सहयोग और साझा संसाधनों के माध्यम से **क्षमता निर्माण के प्रबंधन एवं विनियमन के लिए एक समान दृष्टिकोण** को बढ़ावा देना है।

[4] Integrated Government Online Training

- **प्रशिक्षण लागत को कम करना:** यह मिशन **केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को ऑनलाइन कोर्सेज़ को प्राथमिकता देने;** सीखने की प्रक्रियाओं के सह-निर्माण एवं साझाकरण में संसाधनों का निवेश करने तथा विदेशी प्रशिक्षण पर खर्च को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **भावी सिविल सेवकों को प्रेरित करना:** मिशन कर्मयोगी द्वारा प्रचारित मूल्य और आदर्श इच्छुक सिविल सेवकों में नैतिक आचरण को प्रेरित करेंगे। साथ ही, सिविल सेवा परीक्षाओं में बेईमानी के बढ़ते मामलों को रोकने में मदद करेंगे।
    - *नोट: सिविल सेवा परीक्षा में बेईमानी पर विस्तृत विश्लेषण के लिए आर्टिकल 9.2 देखें।*
- **व्यापार करने में सुगमता:** यह पहल आर्थिक संवृद्धि के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **नागरिक केंद्रित:** इस मिशन के माध्यम से शासन में पारंपरिक नियम आधारित दृष्टिकोण से हटकर एक अधिक गतिशील भूमिका आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस भूमिका आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य खंडित अवस्था में काम करने जैसी चुनौतियों का समाधान करना, टीम वर्क को बढ़ावा देना और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है।

सिविल सेवकों के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI)[5]:** इसे **'क्षमता निर्माण आयोग'** ने विकसित किया है। NSCSTI, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी **वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता** को बढ़ाने तथा **प्रशिक्षण के लिए मानकों में सामंजस्य बिठाने** के लिए एक आधार तैयार करेगा।
    - ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों** को सुसज्जित करेंगे।
- **आरंभ (Aarambh):** इसे **2019** में भारत सरकार ने शुरू किया था। यह सिविल सेवक प्रशिक्षण के लिए **पहला सामान्य फाउंडेशन कोर्स** है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इसे **1996** में अपनाया गया था और **2012** में इसकी समीक्षा की गई थी। इसका उद्देश्य **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों को विकसित करना है,** जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं

- **विस्तार:** विविध स्तरों पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों (1.5 करोड़) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहल को प्रभावी ढंग से बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अति-केंद्रीकरण:** प्रशिक्षण और सीखने के लिए केंद्रीकृत संस्थागत ढांचे पर जोर देने से **राज्यों की ओर से प्रतिरोध** का सामना करना पड़ सकता है। इससे मिशन का कार्यान्वयन और वांछित परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- **प्रतिरोध:** भारतीय नौकरशाही अक्सर **बदलाव के लिए प्रतिरोधी** रही है और इतने बड़े सुधार को नौकरशाही के भीतर अलग-अलग स्तर पर प्रतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्यावहारिक कार्य अनुरूप प्रशिक्षण में कठिनाई:** नागरिकों के विशिष्ट मुद्दों, जरूरतों और मांगों का समाधान करने हेतु सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
    - उदाहरण के लिए, हिमालयी राज्यों में सिविल सेवकों के सामने आने वाले मुद्दे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों से काफी अलग हैं।

निष्कर्ष

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक साहसिक पहल है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करने और मौजूदा प्रणाली में जटिलता, लालफीताशाही और खंडित रूप से कार्य करने की संस्कृति जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सिविल सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार विकसित होते प्रशिक्षण कार्यक्रम; राज्यों के साथ सहयोग आदि सिविल सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। साथ ही, सिविल सेवकों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के बारे में

- इसका गठन **2021** में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया। **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** ने यह अधिसूचना जारी की थी।
- इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। आयोग को **पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त है।
- इसका **1 अध्यक्ष और 2 सदस्य** हैं। इन्हें एक सचिव (भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी) की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिव आयोग का भी सचिव होता है।
    - सदस्यों को विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है, ताकि वे राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।

[5] National Standards for Civil Service Training Institutions

- इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नज़रिया अपनाते हुए **विश्वसनीय एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार** देना है।
- **कार्य और जिम्मेदारियां:**
  - विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों की **वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार** करने में सुविधा प्रदान करना;
  - **सिविल सेवाओं की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट** तैयार करना;
  - मिशन के **ज्ञान भागीदारों का अनुमोदन** करना; तथा
  - **सरकारी विभागों, संगठनों और एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना,** ताकि क्षमता में सुधार और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके।

1.6. ऑनलाइन गलत सूचना (Online Misinformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत **"ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी: रेकमेंडेशन्स फॉर मल्टी-स्टेकहोल्डर एक्शन"** जारी किए हैं।

ऑनलाइन गलत सूचना के बारे में

- **गलत सूचना (Misinformation)** का अर्थ वह **झूठा या भ्रामक कंटेंट है,** जिसे बिना किसी नुकसान के इरादे से साझा किया जाता है, हालांकि वह हानिकारक हो सकता है।
  - **धोखा देने अथवा आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के इरादे से फैलाई गई झूठी या भ्रामक सूचना**, जिससे जनता को नुकसान पहुंचता है, उसे **दुष्प्रचार (Disinformation)** कहा जाता है।
- **सोशल मीडिया पर पोस्ट के तीव्र और व्यापक प्रसार** ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इससे सही जानकारी प्रदान/ प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - विश्व की लगभग **आधी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा** है। इस वजह से जानकारी का सृजन, उसका आदान-प्रदान और उसका प्रसार बहुत तेजी से होता है।

ऑनलाइन गलत सूचना के संभावित नकारात्मक प्रभाव

- **अपारदर्शी एल्गोरिदम:** यह बहुत अधिक सूचनाओं को उत्पन्न करता है और नस्लवाद, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष जैसे कई पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है।
- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** गलत सूचना मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में गुमराह करके चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इससे सार्वजनिक संस्थानों और मीडिया पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल करने में कठिनाई:** ऑनलाइन गलत सूचना का प्रसार SDGs को प्राप्त करने में **मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा सकता है।** उदाहरण के लिए -
  - गलत सूचना और संचालित दुष्प्रचार अभियान 'ग्रीनवॉशिंग' जैसी गतिविधियों के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्रवाई में बाधा बन सकते हैं।
    - ग्रीनवॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं।
  - इसी प्रकार, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में **सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी जानकारी में इस टीके से प्रजनन अक्षमता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने, कैंसर की दर में वृद्धि होने और संभावित ऑटोइम्यून बीमारियां होने के दावे** शामिल हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव:** गलत सूचनाएं वित्तीय बाजारों में तनाव पैदा करके या अवास्तविक अपेक्षाओं (जैसे बहुत कम समय में अधिक वित्तीय लाभ) को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इससे अनावश्यक आर्थिक अस्थिरता और संभावित आर्थिक नुकसान हो सकता है।

ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने में चुनौतियां

- **तीव्र डिजिटल प्लेटफॉर्म:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म की अभूतपूर्व गति, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी यानी "सूचना की सत्यता" के समक्ष गंभीर खतरा पैदा करती है।
- **रीडर्स की सुदूर अवस्थिति:** तथ्य-जांचकर्ता अक्सर रीडर्स से अलग-थलग होते हैं। इसलिए, रीडर्स सूचना में किए गए किसी भी सुधार या सूचना को रद्द किए जाने से अनजान रह सकते हैं।
- **डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक:** व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना की निगरानी और उस पर प्रतिक्रिया करना मुश्किल बनाते हैं।
- **मीडिया के बारे में कम समझ और सुभेद्यता:** वृद्धजन ऑनलाइन गलत सूचना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - उदाहरण के लिए, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में युवा व्यक्तियों की तुलना में झूठी खबरें साझा करने की संभावना तीन से चार गुना अधिक होती है।
- **रोचक कंटेंट:** सरल व मनोरंजक मीम और ट्वीट एवं मल्टीमीडिया संदेश (वीडियो या ऑडियो) सभी दर्शकों के लिए आसानी से स्वीकार करने योग्य होते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बहुत अधिक टेक्स्ट वाले कंटेंट पसंद नहीं आते हैं।

ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:**
  - **सोशल मीडिया 4 पीस (Social Media 4 Peace):** इस पहल को यूनेस्को ने शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन प्रसारित संभावित हानिकारक कंटेंट, विशेष रूप से हिंसा भड़काने वाली हेट स्पीच के प्रति समाज के लचीलेपन को मजबूत करना है।
- **भारत में शुरू की गई पहलें:**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** यह मध्यवर्तीयों को किसी भी कानून के तहत निषिद्ध गैर-कानूनी जानकारी को होस्ट करने, संग्रहित करने या प्रकाशित करने से रोकता है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008:** इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से फर्जी खबरें (Fake news) फैलाने वालों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है।
  - **भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023:** इस संहिता में फर्जी खबरों (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारण सहित) से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
  - **PIB-फैक्ट चेक यूनिट (FCU):** FCU को सरकारी नीतियों, पहलों और योजनाओं पर स्वत: संज्ञान या शिकायतों के माध्यम से गलत सूचना से निपटने का कार्य सौंपा गया है।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र के **"इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए वैश्विक सिद्धांत" निम्नलिखित 5 सिद्धांतों** को रेखांकित करते हैं। इनका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना से निपटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकारों को बनाए रखना है:

- **सामाजिक विश्वास और लचीलापन:** सभी भाषाओं और संदर्भों में **मजबूत व नवीन डिजिटल विश्वास एवं सुरक्षा प्रणालियों को लागू** करना चाहिए। साथ ही महिलाओं, वृद्धों और बच्चों जैसे सुभेद्य समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सकारात्मक प्रोत्साहन:** ऐसे **व्यवसाय मॉडल्स अपनाने चाहिए, जो मानवाधिकारों को प्राथमिकता** देते हों। साथ ही, ये व्यवहारिक ट्रैकिंग और व्यक्तिगत डेटा पर आधारित व एल्गोरिदम-संचालित विज्ञापन पर निर्भर न हों।
- **लोगों का सशक्तीकरण:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को **विश्वास, सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी नीतियों और डेटा पर प्रतिक्रिया** देने में सक्षम बनाना चाहिए। साथ ही अलग-अलग प्रदाताओं की सेवाओं के साथ संगतता सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या बहुत कम पहुंच है, ऐसे लोगों के लिए **डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण** को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **स्वतंत्र, मुक्त और बहुलवादी मीडिया:** राज्यों और तकनीकी कंपनियों को प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, जनहित के लिए काम करने वाले समाचार संगठनों, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का समर्थन करना चाहिए।
- **पारदर्शिता और अनुसंधान:** सूचना प्रसार, डेटा उपयोग एवं जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए तकनीकी कंपनियों द्वारा पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।
  - **अनुसंधान अंतराल और असमानताओं** को दूर करने के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए विविध शोधकर्ताओं हेतु डेटा तक पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। साथ ही शिक्षाविदों, पत्रकारों और नागरिक समाज को भय या उत्पीड़न से बचाना चाहिए।

ऐसे समय में जब अरबों लोग भ्रामक सूचनाओं, विकृत समाचारों और झूठी खबरों के संपर्क में हैं, एक सुरक्षित एवं अधिक भरोसेमंद सूचना इकोसिस्टम को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में, **"किसी को भी ऐसे एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिसे वे नियंत्रित नहीं करते हैं, जिसे उनके हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, तथा जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उन्हें जोड़े रखने के लिए उनके व्यवहार को ट्रैक करता है।"**

संबंधित तथ्य

विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (World Summit on the Information Society: WSIS)

भारत ने **जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम, 2024** में भाग लिया।

- **WSIS+20 फोरम ने WSIS के जिनेवा (2003) और ट्यूनिस (2005)** में आयोजित सम्मेलनों के परिणामों के कार्यान्वयन में हुई 20 वर्षों की प्रगति को रेखांकित किया।

WSIS के बारे में

- WSIS फोरम का आयोजन **ITU, यूनेस्को, UNDP** और **यू.एन. ट्रेड एंड डेवलपमेंट** द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस फोरम की सह-मेजबानी **ITU और स्विस परिसंघ** करते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समावेशी एप्रोच के माध्यम से **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रकट किए गए मुद्दों को दूर करने के लिए** बहु-हितधारक मंच उपलब्ध कराना है।
- **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, इसका उपयोग और इसे साझा करने के लिए जन-केंद्रित, समावेशी एवं विकासोन्मुख सूचना समाज का निर्माण करना है।

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

1.7.1. नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू (New Criminal Laws Come into Effect From July 1)

देश के तीन नए आपराधिक कानूनों को संसद ने 2023 में पारित किया था।

- **भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2)** को अभी लागू नहीं किया गया है। यह धारा **हिट एंड रन मामले में दंड** से संबंधित है।
- **नए आपराधिक कानूनों का महत्त्व:**
  - **सुधारात्मक न्याय:** कुछ मामलों में कारावास की बजाय सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।
  - **न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण:** भारतीय दंड संहिता (1860) पुरानी हो चुकी है और आपराधिक न्यायशास्त्र के वर्तमान मानदंडों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
  - **बिना बाधा के सूचना का आदान-प्रदान:** इन्हें जांच और न्यायिक कार्यवाही में शामिल पक्षों के बीच समन्वय एवं सहयोग में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नए कानून	हटाए गए कानून	मुख्य प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता, 2023	भारतीय दंड संहिता, 1860	• छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार **सामुदायिक सेवा** कराने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए- किसी लोक सेवक द्वारा उसके कर्तव्यों के निष्पादन को बाधित करने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। • **18 वर्ष से कम** आयु की किसी लड़की के साथ **लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार** माना जाएगा। भले ही ऐसा संबंध उसकी **सहमति से ही क्यों न बनाया** गया हो। • **आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध** के रूप में परिभाषित किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	• **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले कई लंबित आरोपों को छोड़कर यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। • **हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप (फिंगरप्रिंट):** यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	• **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। • **मौखिक साक्ष्य:** मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

नोट: *3 आपराधिक कानूनों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, दिसंबर 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.1 'आपराधिक कानून सुधार अधिनियम' देखें।*

1.7.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023)

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023 के विविध प्रावधान लागू हुए।**
- इस अधिनियम का उद्देश्य **दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून में संशोधन** करना है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम **समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों** पर आधारित है।
- वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्रक और प्रौद्योगिकियों में उच्च तकनीकी प्रगति हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को निरस्त** करते हुए दूरसंचार अधिनियम, 2023 बनाया गया है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं

- दूरसंचार, स्पेक्ट्रम, उपयोगकर्ता जैसी **विविध शब्दावलियों को परिभाषित** किया गया है। इससे अनिश्चितताएं कम होंगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही, **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी बढ़ावा** मिलेगा।
- **राइट-ऑफ-वे (RoW) फ्रेमवर्क** में संशोधन किए गए हैं। दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों को "राइट-ऑफ-वे" प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही "राइट-ऑफ-वे" प्रदान करने में सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क, सुरक्षा, वितरण और दूरसंचार उपकरणों की बिक्री के लिए **मानकों एवं नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित** कर सकती है।
- **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** का नाम बदलकर **डिजिटल भारत निधि** किया गया है। यह निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। इस निधि के दायरे का विस्तार किया गया है।
  - इस निधि का **दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन** करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

अधिनियम का महत्त्व

- दूरसंचार सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी;
- उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा आदि।

1.7.3. डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हुआ (The Post Office Act 2023 Comes into Effect)

इसके पारित होने के बाद **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** निरस्त हो गया है।

- **डाकघर अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - **डाक सेवाओं के महानिदेशक (DGPS)** को भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) का **प्रमुख** नियुक्त किया जाएगा।
    - डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास **सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां** होंगी।
  - **डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्तियां:**
    - केंद्र सरकार **कुछ निर्धारित आधारों** पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है।
    - जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है, उनमें **देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा** शामिल हैं।
  - **जवाबदेही से उन्मुक्ति:** डाकघर अपने द्वारा **प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं** होगा। हालांकि, कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया है।
  - इस अधिनियम में **किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं** किया गया है।
- **अधिनियम का महत्त्व:**
  - यह अधिनियम **नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों** को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक **सरल विधायी फ्रेमवर्क** तैयार करता है।
  - यह **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस** और डाक भेजने की प्रक्रिया में सहजता को बढ़ावा देगा।

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने **1727** में अपना **पहला डाकघर** खोला था।
- गवर्नर जनरल **लॉर्ड डलहौजी** ने भारतीय डाकघरों को **राष्ट्रीय महत्त्व के एक अलग संगठन** के रूप में मान्यता दी थी।
- आज **कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस** है, वह पहले **फोर्ट विलियम** था।

1.7.4. 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद (74 Women MPs in 18th Lok Sabha)

18वीं लोक सभा के लिए 74 महिलाएं (13.6% प्रतिनिधित्व) संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। 17वीं लोक सभा के लिए 78 महिलाएं **(14.4% प्रतिनिधित्व)** संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी। इस तरह देखा जाए तो **18वीं लोक सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट** आई है।

विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

- 18वीं लोक सभा चुनाव में 797 महिला उम्मीदवारों में से **9.7%** ने जीत दर्ज की, जबकि 17वीं लोक सभा चुनाव में 726 महिला उम्मीदवारों में से 10.74% ने जीत दर्ज की।
- लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले लोक सभा में 5% था, जो **बढ़कर 17वें लोक सभा में अपने उच्चतम स्तर (14.4%) पर** पहुंच गया।
- वर्तमान में, महिला सदस्य **राज्य सभा सदस्यों का 14.05%** हैं।
- **वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 26.9%** है।

महिला प्रतिनिधित्व का महत्त्व

- महिला संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष संसद सदस्यों की तुलना में **आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन** करती हैं।
- भारत की कुल आबादी में **लगभग 50% हिस्सा महिलाओं** का है। ऐसे में, इतनी बड़ी आबादी का विधायी प्रतिनिधित्व महिलाओं के **राजनीतिक सशक्तीकरण** के लिए बेहद जरूरी है।
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में **कम आपराधिक और कम भ्रष्ट** होती हैं। वे अधिक प्रभावशाली होती हैं और उनके भीतर **राजनीतिक अवसरवाद कम** होता है।

महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियां

- सामाजिक पूर्वाग्रह, पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं, पारिवारिक दायित्व आदि प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **संरचनात्मक बाधाएं:**
  - चुनावी प्रक्रिया काफी महंगी है;
  - इसमें काफी अधिक समय लगता है;
  - कई बार अनुचित टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं;
  - चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है;
  - अपमानजनक धमकियां सुनने को मिलती हैं;
  - इसके अलावा, बाहुबल का प्रभाव भी देखा जाता है आदि।
- **पितृसत्तात्मक समाज:** महिलाएं स्वयं कई बार पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती हैं।

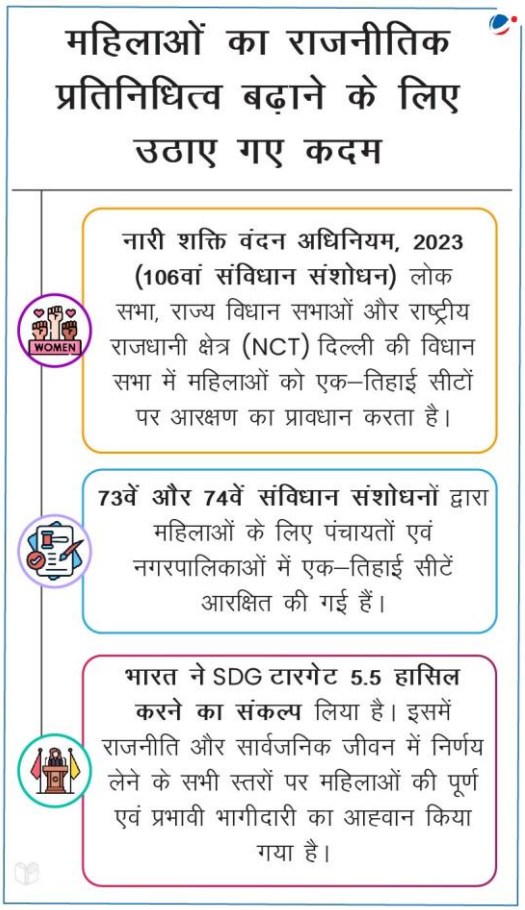

1.7.5. सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट (Self Declaration Certificates)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए "सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट (SDC)" अनिवार्य कर दिया है।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि **वैध सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट (SDC)** के बिना **टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन का प्रचार करने अनुमति नहीं** दी जाएगी।
- विज्ञापन करवाने वाले/ विज्ञापन एजेंसी के **अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित SDC** को निम्नलिखित पोर्टल पर जमा करना होगा:
  - टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए **ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल** पर
  - प्रिंट मीडिया और डिजिटल/ इंटरनेट पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए **भारतीय प्रेस परिषद** के पोर्टल पर।

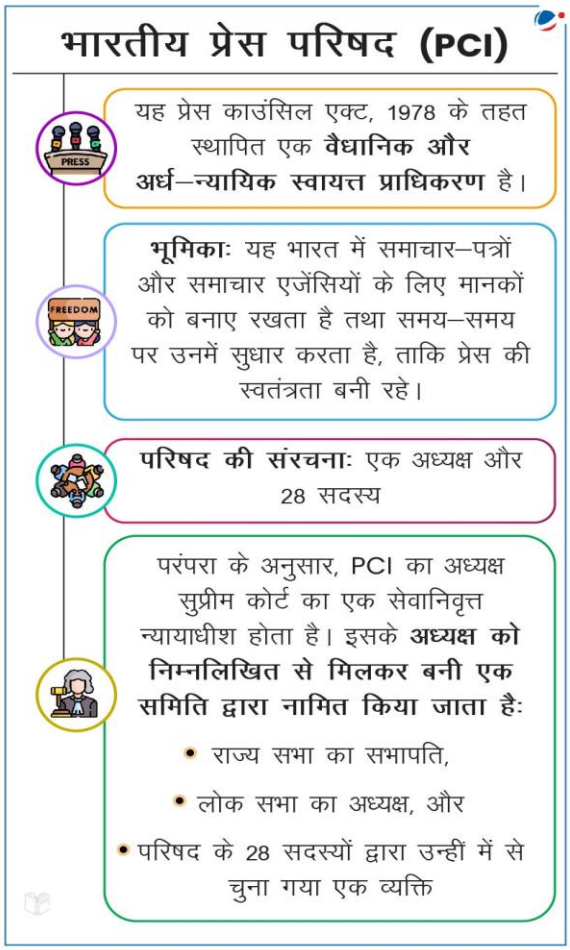

- **SDC में यह प्रमाणित किया जाएगा कि:**
  - विज्ञापन में **भ्रामक दावे नहीं किए गए** हैं।
  - विज्ञापन में **निम्नलिखित से जुड़े विनियामकिय दिशा-निर्देशों का पालन** किया गया है:
    - केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994
    - भारतीय प्रेस परिषद का **पत्रकारिता आचरण मानक**

इस कदम का महत्त्व

- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** इससे विनिर्माताओं, प्रमोटर्स और विज्ञापन करवाने वालों की ओर से बिना किसी जवाबदेही के **भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी।**
- **उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना:** इसके चलते जनता के हितों के लिए हानिकारक अनुचित व्यापार पद्धतियों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगेगी।
- **नियम और कानूनों का बेहतर तरीके से लागू होना:** जैसे कि "भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए एंडोर्समेंट मार्गदर्शक सिद्धांत, 2022" के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है।

QUIZ

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत: वैश्विक शांति निर्माता के रूप में (India: Global Peacemaker)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का शीर्षक था- **'पाथ टू पीस समिट'।**

शांति सम्मेलन के बारे में

- **उद्देश्य:** यूक्रेन में त्वरित एवं स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना।
- **भारत का प्रतिनिधित्व:** इस सम्मेलन में **भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव** ने किया था।
  - भारत की भागीदारी संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने के उसके निरंतर दृष्टिकोण पर आधारित है।
  - **भारत ने इस सम्मेलन के उपरांत जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए।** इस विज्ञप्ति में संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद के जरिए व्यावहारिक संलग्नता की वकालत की गई थी।

वैश्विक शांति स्थापना किस प्रकार भारत के हित में है?

- **हालिया वैश्विक संघर्षों का व्यापक प्रभाव:** रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध तथा ताइवान को लेकर संघर्ष की आशंका जैसे मुद्दों का वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ रहे हैं। इन प्रभावों में व्यापार में व्यवधान, मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट, खाद्य असुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आदि शामिल हैं।
  - युद्धों का वैश्विक प्रभाव, **2047 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने** के सपने को धूमिल कर सकता है।
- **अप्रभावी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) पारंपरिक रूप से वैश्विक शांति स्थापना के लिए जिम्मेदार है। हालांकि वर्तमान वैश्विक संघर्षों में UNSC के स्थायी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण **इसकी विश्वसनीयता कम** हो गई है।
- **संभावित वैश्विक भागीदार:** शांति स्थापना के लिए भारत द्वारा सफल मध्यस्थता करने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है। साथ ही, इससे भारत को एक **समग्र सुरक्षा प्रदाता**[6] बनने में भी मदद मिल सकती है।
- **बाह्य सुरक्षा: पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम** के बीच कथित संबंधों को देखते हुए, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को कम करने में भारत की प्रत्यक्ष रुचि भी है।

शब्दावली को जानें

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UN peacekeeping): संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और दीर्घकालीन शांति के लिए आधार तैयार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और दुनिया भर के देशों के सैनिकों और पुलिसकर्मियों के समन्वय से संचालित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत का योगदान/ क्षमताएं

- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** भारत **ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच एक सेतु** के रूप में कार्य करता है। यह **अफ्रीकी संघ (AU) को G-20 में शामिल** करने के उसके प्रयासों से स्पष्ट होता है। इससे भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को बढ़ावा मिल रहा है। इससे भारत के रुख का भी स्पष्ट संकेत मिलता है।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** इसने शीत युद्ध के दौरान भारत को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया था।
  - उदाहरण के लिए, भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने तटस्थ और कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करके 1953 में ऑस्ट्रिया को सोवियत कब्जे से मुक्त कराने में मदद की थी।
- **संघर्ष समाधान का अनुभव:** आंतरिक और क्षेत्रीय दोनों तरह के संघर्षों का समाधान करने में भारत का अनुभव इसे एक संभावित शांतिदूत के रूप में स्थापित करता है।
  - उदाहरण के लिए, **अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने; श्रीलंका के नागरिक संघर्ष में मध्यस्थता करने और मिजोरम जैसे घरेलू मुद्दों को हल** करने में अपनी प्रभावी क्षमता के चलते भारत ने अपनी संघर्ष समाधान क्षमताओं को प्रदर्शित किया है।

[6] Net Security Provider

- **उभरती वैश्विक व्यवस्था में बढ़ता प्रभाव:** अलग-अलग देशों के साथ भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की एक सकारात्मक छवि विकसित करने में मदद की है।
    - उदाहरण के लिए, 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर की हत्या के बाद **ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए भारत से शांति निर्माता की भूमिका निभाने का आग्रह** किया था।
- **विकास में भागीदारी के जरिए शांति स्थापना:** उदाहरण के लिए, अफ्रीका और अफगानिस्तान में ITEC (भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के जरिए अवसंरचनाओं का निर्माण करना (जैसे- अफगानिस्तान में सलमा बांध) आदि।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत के **सभ्यतागत लोकाचार** को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसका सम्मान किया जाता है। साथ ही, भारत का **'वसुधैव कुटुम्बकम'** का दर्शन भी विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होता है, जो सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **मल्टी-अलाइनमेंट या बहुसंरेखण (Multi Alignment):** एक **भरोसेमंद मध्यस्थ** के रूप में भारत की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में **शक्ति के सभी प्रमुख केंद्रों** (रूस, अमेरिका, इजरायल, ईरान, जापान आदि) को एक साथ लाने की इसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से उपजी है।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सक्रिय भागीदार:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक शांति और सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। (बॉक्स देखें)

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारत की भूमिका

भागीदारी	सैन्य भागीदारी	प्रशिक्षण
• **भारत ने अभी तक 49 शांति मिशनों** में भाग लिया है। • वर्तमान में, भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र के **शांति स्थापना अभियानों में 9 देशों में तैनात** हैं। जैसे- संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल (UNDOF) (गोलन), लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNFIL) आदि।	• शांति स्थापना अभियानों में भारत ने अन्य किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक संख्या में सैनिकों **(2, 53, 000)** का योगदान दिया है। • भारत **2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMIL) में पूर्ण महिला सैन्य टुकड़ी को तैनात करने वाला** विश्व का पहला देश था।	भारतीय सेना ने शांति स्थापना अभियानों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **नई दिल्ली में 'संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र' (CUNPK)** का गठन किया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की शांति स्थापना में भूमिका

- **मानवीय सहायता:** भारत ने यूक्रेन को कई बार मानवीय सहायता भेजी है। इस सहायता में आवश्यक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं।
- **कूटनीतिक संतुलन: भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति तथा यूक्रेन और रूस के साथ सुस्थापित कूटनीतिक संबंध** उसे इस क्षेत्र में **शांति की वकालत** करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं।
    - हालांकि, भारत ने रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की है, लेकिन उसने **बुचा नरसंहार** की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है तथा रूस द्वारा उत्पन्न किए गए **परमाणु खतरों पर भी चिंता** व्यक्त की है।
- **मध्यस्थ:** एक **विश्वसनीय भागीदार के रूप में रूस से वार्ता करने की भारत की क्षमता** का अर्थ है कि वह वर्तमान संघर्ष में **मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए विशेष स्थिति** में है।

वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में भारत के नेतृत्व के समक्ष मौजूद बाधाएं

- **क्षेत्रीय संघर्ष:** पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव और चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद भारत की निष्पक्ष शांति निर्माता की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **घरेलू चुनौतियां:** घरेलू संघर्ष, विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता जैसे आंतरिक मुद्दे भी भारत द्वारा शांति स्थापक के रूप में अपनी पहचान बनाने की उसकी क्षमता को सीमित करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय राज्य मणिपुर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता** प्रकट की है।
- **संसाधनों की कमी:** भारत को गरीबी और अवसंरचनाओं की कमी जैसी घरेलू विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ध्यान देने तथा निवेश की आवश्यकता है।
- **भू-राजनीतिक गठबंधन:** विशेष रूप से **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और क्वाड में इसकी भागीदारी, पश्चिमी हितों के अनुकूल** होने के रूप में देखी जा सकती हैं। भारत की यह कूटनीति संभावित रूप से कुछ वैश्विक संघर्षों में इसकी तटस्थ भूमिका को कमजोर कर सकती है।

- **कूटनीतिक क्षमता:** संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी स्थापित वैश्विक शक्तियों की तुलना में भारत का कूटनीतिक नेटवर्क और प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है। इससे जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों में प्रभावी ढंग से मध्यस्थता करने की इसकी क्षमता प्रभावित होती है।
- **निष्क्रिय भागीदारी:** रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका काफी हद तक निष्क्रिय रही है, जबकि चीन ने **संघर्ष को समाप्त करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट** प्रस्तावित किया है।

आगे की राह

- **विश्वबंधु (विश्व का मित्र) के रूप में भारत की भूमिका:** भारत को वैश्विक शांति स्थापना में **अधिक सक्रिय रुख अपनाना चाहिए।**
- **भागीदारी:** भारत समान विचारधारा वाले राष्ट्रों (जैसे- दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि) और पारंपरिक पश्चिमी शांति निर्माताओं (जैसे- स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आदि) के साथ मिलकर शांति स्थापना के प्रयासों में अधिक योगदान दे सकता है।
- **क्षमता निर्माण:** विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक्स के भीतर शांति दल (Peace team) का गठन करना चाहिए, ताकि वैश्विक संघर्षों का अध्ययन किया जा सके। साथ ही, **ओस्लो में नॉर्वे की शांति इकाई** के समान ही समाधान रणनीति विकसित की जा सके।

संबंधित सुर्ख़ियां

मनामा घोषणा-पत्र

- इस घोषणा-पत्र को **अरब लीग** द्वारा अपनाया गया है। इस घोषणा-पत्र में **इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के लिए द्वि-राष्ट्र (Two-state) व्यवस्था** के लागू होने तक कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में **संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों (UNPK)**[7] को तैनात करने का आह्वान किया गया है।
  - **अरब लीग की स्थापना 1945 में क्षेत्रीय सहयोग** को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इसमें **मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका** के देश शामिल हैं।

2.2. मिनीलैटरल का उदय (Rise of Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता ने **'स्क्वाड (SQUAD)'** के उद्भव को प्रेरित किया है। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **फिलीपींस** के बीच एक मिनिलेटरल समूह है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्क्वाड को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित मिनीलैटरल समूहों की श्रृंखला में किए गए एक अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित कुछ मिनीलैटरल समूह हैं- **क्वाड (QUAD); ऑकस (AUKUS); संयुक्त राज्य अमेरिका-फिलीपींस-जापान त्रिपक्षीय समूह; संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समूह** आदि।
- स्क्वाड के गठन ने वर्तमान विश्व व्यवस्था में सहयोग के साधन के रूप में **मिनीलैटरलिज्म की बढ़ती प्राथमिकता** को उजागर किया है।

मिनीलैटरल समूह क्या होते हैं?

मिनीलैटरल समूह एक प्रकार के **अनौपचारिक और लक्षित समूह** होते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या **कम (आमतौर पर 3 या 4)** होती है। ये देश समान हितों को साझा करते हैं तथा किसी विशिष्ट खतरे, आकस्मिक चुनौती अथवा सुरक्षा संबंधी खतरे को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर संयुक्त रूप से निपटाने का प्रयास करते हैं।

[7] UN Peacekeepers

मिनीलैटरल समूहों के उदय के पीछे उत्तरदायी कारण

- **बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलता:**
  - मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाओं को **जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा** जैसी नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
    - उदाहरण के लिए, **आसियान के सदस्य देश** दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा करने में विफल रहे हैं।
  - **महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता** आम सहमति को बाधित कर रही है। उदाहरण के लिए, **WTO की विवाद समाधान प्रणाली की विफलता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग** को गंभीरता से न लेना आदि।
  - **'शक्ति संतुलन' में बदलाव:** हालिया दिनों में **चीन के अधिक आक्रामक** होने के कारण **क्वाड, AUKUS** जैसे मिनीलैटरल समूहों का उदय हुआ है।
  - **कोविड-19 महामारी ने भी मिनीलैटरल समूहों के विकास को प्रेरित किया,** क्योंकि महामारी ने बहुपक्षीय संस्थाओं की कमजोरियों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, **WHO महामारी के प्रकोप से निपटने में विफल रहा था।**
  - **बहुमत द्वारा अनुचित व्यवहार:** विकसित देश, विकासशील देशों की उच्च सौदेबाजी की क्षमता को बहुमत द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश व्यापार और जलवायु संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों द्वारा 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR)[8] के सिद्धांत' की मांग से असहमत हैं।
- **मिनीलैटरलिज्म के लाभ**
  - **बहुपक्षवाद के जटिल ढांचे का व्यावहारिक विकल्प:** व्यावहारिक विकल्प के रूप में, बहुपक्षवाद का दृष्टिकोण पारंपरिक बहुपक्षवाद के कठोर ढांचे से मुक्त होता है और देशों को अधिक स्वायत्तता देता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और विभिन्न देशों के हितों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होती है।
  - **मुद्दा आधारित सहयोग** समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ आने में सक्षम बनाता है। जैसे- **ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच शुरू की गई आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन पहल।**
  - **वि-वैश्वीकरण (De-globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि** बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मुश्किल बनाती है: उदाहरण के लिए **संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच व्यापार युद्ध।**

हिंद-प्रशांत में मिनीलैटरल समूहों के उदय के लिए जिम्मेदार कारण

- अलग-अलग सदस्य देशों के विविध हितों के साथ **विस्तृत समुद्री क्षेत्र** और एक स्वतंत्र, खुली एवं समावेशी हिंद-प्रशांत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- **अलग-अलग राष्ट्रीय हित, खतरे को लेकर साझा चिंताएं और एक साथ आने की इच्छा।** उदाहरण के लिए, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और सीमा विवाद मौजूद हैं, जैसे कि **भारत-चीन सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर विवाद।**
- **चीन के उदय** और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समक्ष **उत्पन्न खतरे** के खिलाफ प्रतिक्रिया।
- **क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में विफलता।** उदाहरण के लिए कोरियाई प्रायद्वीप संबंधी समस्या, मध्य-पूर्व में उथल-पुथल आदि।
- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) जैसे **औपचारिक सैन्य गठबंधनों का हिस्सा बनने को लेकर क्षेत्र की कम रूचि (कुछ अपवादों को छोड़कर)।**

मिनीलैटरल समूहों से भारत को मिलने वाले लाभ

- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने,** बहु-ध्रुवीय विश्व की अपनी नीति को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभ प्राप्त होगा।
  - उदाहरण के लिए- **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्वाड साझेदारी** एक खुले, स्थिर एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो समावेशी तथा नियम-आधारित भी हो।
- पश्चिमी देशों के हितों को ग्लोबल साउथ के विकासात्मक एजेंडे के साथ एकीकृत करके **ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।**
  - उदाहरण के लिए, वैश्विक संस्थानों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में सुधार के लिए **भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) त्रिपक्षीय सहयोग मंच** की स्थापना।

[8] Common but differentiated responsibilities

- हिंद-प्रशांत फ्रेमवर्क में **साझा हितों वाले भागीदारों को शामिल** करने से विशिष्ट मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।
    - उदाहरण के लिए- **ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व भारत त्रिपक्षीय गठबंधन** क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी प्रकार, **भारत-ईरान-आर्मेनिया त्रिपक्षीय गुट** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग पर आधारित है।
- जल, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रकों से संबंधित **अंतर्राष्ट्रीय तथा विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में ये समूह सहायक हैं।**
    - उदाहरण के लिए **भारत-फ्रांस-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रक में त्रिपक्षीय सहयोग** कर रहे हैं।
- **ये भारत को विविध मंचों/ समूहों का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान** करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, भारत अमेरिकी गठबंधन **QUAD तथा मध्य-पूर्व में I2U2 का भागीदार** देश है।
- इन समूहों के जरिये औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से बाहर स्थानांतरित करके तथा नए गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करके **चीन-केंद्रित एशियाई एकीकरण का पुनर्गठन** करने में मदद मिल सकती है।
    - उदाहरण के लिए **जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका का "चिप 4" सेमीकंडक्टर गठबंधन।**
- **अन्य लाभ:**
    - विविध मुद्दों पर अलग-अलग देशों के साथ साझेदारी करके **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच जारी भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अधिकतम लाभ उठाना।**
    - **छोटे क्षेत्रीय गठबंधनों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शामिल** हो कर उभरते हिंद-प्रशांत रणनीतिक परिदृश्य में भारत की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने में सहायक हैं।

मिनीलैटरल समूहों से जुड़ी चुनौतियां

- **वैधता और समावेशिता:** समावेशिता की कमी ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को कमजोर कर सकती है और उनकी वैधता को प्रभावित कर सकती है।
    - उदाहरण के लिए **भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विविध देशों को गुट से बाहर करता है।
- **सीमित संसाधन और क्षमताएं:** छोटे समूहों के पास जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त सामूहिक संसाधन नहीं हैं।
- **अलग-अलग देशों के बीच तनाव और अलगाव:** विशेष रूप से रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में समावेशी राजनीति के विपरीत गुट आधारित राजनीति के बढ़ने की संभावना के कारण देशों के बीच तनाव एवं अलगाव को बढ़ावा मिल सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **चीन क्वाड को 'एशियाई NATO' के रूप में संबोधित** करता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** मिनीलैटरल समूहों में कम औपचारिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के कारण अपर्याप्त लोकतांत्रिक निगरानी संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं।
- **कम कठोर कानूनी तंत्र को बढ़ावा देना,** यानी स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना, जिससे वैश्विक गवर्नेंस में जवाबदेही कम हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) देशों (ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान)** के व्यापार एवं आर्थिक दृष्टिकोणों में अंतर है।
- इनकी प्रकृति अनौपचारिक होती है। साथ ही, केंद्रित बहस के लिए आवश्यक उचित संरचनाओं की कमी भी होती है। इस कारण वैश्विक व्यवस्था में नियम-आधारित फ्रेमवर्क के लिए देशों की नीतियों, हितों और व्यवहार को आकार देने में इनकी कम प्रभावशीलता देखने को मिल सकती है।
    - इसके अलावा, ये उन देशों पर हानिकारक प्रभाव भी डाल सकते हैं, जो वार्ता का हिस्सा नहीं हैं।
    - उदाहरण के लिए **WTO एक आम सहमति आधारित संगठन है तथा इसका एक व्यवस्थित संरचनात्मक तंत्र है।**
- अंतर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बाधित करने से **बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की शुचिता कम** हो जाती है।
    - इससे वैश्विक गवर्नेंस तंत्र में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए **चीन के प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड देशों के रणनीतिक हितों में अस्पष्टता है।**

निष्कर्ष

भारत को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दर्शन के अनुरूप **बहुपक्षवाद के साथ-साथ मिनीलैटरलिज्म** की अवधारणा को भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा, भारत को अल्पावधि में मिनीलैटरल के मार्ग का उपयोग करते हुए **सार्वभौमिक नियम आधारित फ्रेमवर्क** की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय स्तर पर सुधारों पर जोर देते रहना चाहिए।

2.3. भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध (India-Bangladesh Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के स्वर्णिम अध्याय को जारी रखते हुए भारत की राजकीय यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर

- **दोनों देशों ने विविध क्षेत्रकों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:**
  - **'भारत-बांग्लादेश डिजिटल भागीदारी'** के लिए साझा विज़न;
  - एक **संधारणीय भविष्य** सुनिश्चित करने के लिए **'इंडिया-बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप';**
  - **समुद्री क्षेत्रक में सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्र विज्ञान** पर समझौता ज्ञापन;
  - **UPI के शुभारंभ** के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और बांग्लादेश बैंक के बीच वाणिज्यिक समझौता;
  - गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए **संयुक्त तकनीकी समिति** का गठन आदि।

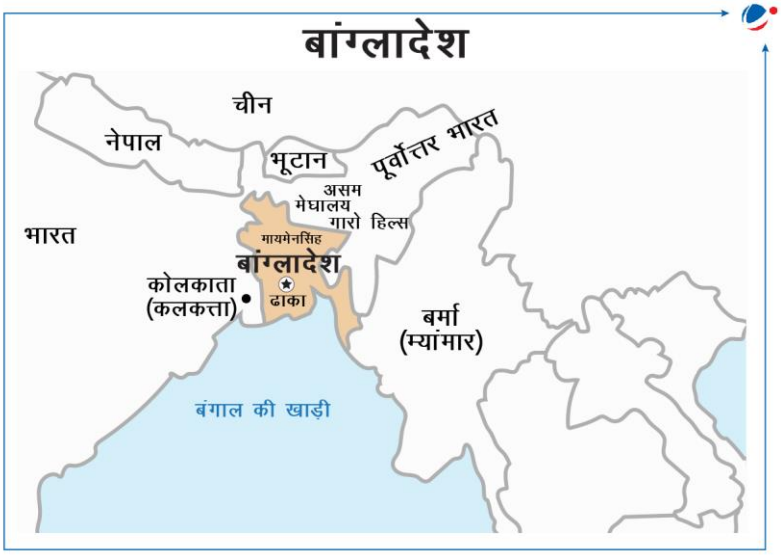

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार:** बांग्लादेश, **दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** देश है। साथ ही, भारत **एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** देश है।
  - 2023-24 के मध्य दोनों देशों के बीच **14.01 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।
- **सुरक्षा और सीमा प्रबंधन:** दोनों देश पुलिस संबंधी मामलों, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि के मुद्दों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
  - **रक्षा सहयोग के उदाहरण:** दोनों देशों के बीच **संप्रीति और मिलन** जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- **शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक सीमा प्रबंधन:** दोनों देश सीमा पर बाड़ लगाने, सीमावर्ती पिलर्स के संयुक्त निरीक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं।
  - **भूमि सीमा समझौता (2015)** और **समुद्री सीमा का परिसीमन** सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उदाहरण हैं।
- **उप-क्षेत्रीय सहयोग के मामले में सहमति:** दोनों देश समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में हिंद-प्रशांत के मामले में साझा दृष्टिकोण रखते हैं।
  - **बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता:** जैसे- **सार्क, बिम्सटेक, BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि।**
- **बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी:** अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन (PIWTT) पर प्रोटोकॉल, चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते का कार्यान्वयन आदि।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क:** इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र तथा ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के लिए महत्त्व

- **आंतरिक कनेक्टिविटी:** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक आसान पहुंच, उदाहरण के लिए, **अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल लिंक।**
- **क्षेत्रीय एकीकरण:** बांग्लादेश हमारी **'नेबरहुड फर्स्ट' नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर विजन** और **इंडो-पैसिफिक विजन** के संगम पर स्थित है।
- **भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए दृष्टिकोण में सहायता:** चीन की आक्रामक क्षेत्रीय उपस्थिति का मुकाबला करके।

बांग्लादेश के लिए महत्त्व

- **विकासात्मक साझेदारी:** पिछले 8 वर्षों में, भारत ने बांग्लादेश को **8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की लाइन्स ऑफ क्रेडिट (LOC) प्रदान की है।
- **मानव संसाधन विकास:** भारत बांग्लादेश के सिविल सेवा अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR):** वैक्सीन मैत्री (कोविड-19 टीके)

द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियां

- **नदी जल विवाद:** दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नदी जल के बंटवारे के लिए उचित तंत्र का अभाव है, उदाहरण के लिए- **तीस्ता नदी जल बंटवारा।**
- **चीन की भूमिका:** चीन, बांग्लादेश का एक रणनीतिक साझेदार और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, **चीन-बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024** जैसे सैन्य अभ्यास भारत के लिए चिंता का विषय हैं।
- **आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ-साथ म्यांमार **(जैसे- रोहिंग्या)** से अवैध प्रवासियों की भारत में घुसपैठ **संघर्ष का कारण** बन रहा है।
- **बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार:** यह बांग्लादेश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है और भारत के लिए भी इसके नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **भारत की घरेलू नीतियों का प्रभाव:** नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसी नीतियां भारत-बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाक्रम

- **क्षेत्रीय सहयोग:** बांग्लादेश **इंडो-पैसिफिक महासागर पहल** में शामिल हुआ।
- **विद्युत और ऊर्जा सहयोग: भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन** (बांग्लादेश को हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति करती है), **मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट** (बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करती है)
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भागीदारी:** सीमा पार UPI आधारित भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **अंतरिक्ष कूटनीति: छोटे उपग्रहों** का संयुक्त रूप से विकास और भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके उनका प्रक्षेपण करने के लिए सहयोग।
- **चिकित्सा पर्यटन:** भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए बातचीत को शीघ्र शुरू करना चाहिए।** बांग्लादेश द्वारा भारत को दिए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- **जल कूटनीति** और **जल साझाकरण संधि** विशेष रूप से तीस्ता के सीमा पार नदी जल प्रबंधन को हल करने के लिए संपन्न करना चाहिए।
  - अंतरिम जल बंटवारे के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जा सकता है।
- **अंतर-क्षेत्रीय विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए बिजली और ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।**
- विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने से** बांग्लादेश को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 172% की वृद्धि हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए- BBIN मोटर वाहन समझौते का शीघ्र संचालन करके भारत को BIMSTEC, SAARC और IORA आर्किटेक्चर के तहत **क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय एकीकरण करने के लिए बांग्लादेश को प्रमुख माधाम के रूप में देखना चाहिए।** साथ ही भारत को **ग्लोबल साउथ** के साझा हितों को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने के लिए **विकास साझेदारी के लिए नए फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।**
- जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के जरिए **सीमा पार आव्रजन प्रबंधन** को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत-बांग्लादेश संबंधों को **कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग के साझा दृष्टिकोण** के आधार पर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए। दोनों देश एक-दूसरे को अपरिहार्य साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान करके, अपने-अपने राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण **"विकसित भारत 2047"** और **"स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041"** को साकार कर सकते हैं।

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन {Group of 7 (G-7)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **इटली के अपुलिया में आयोजित 50वें ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) शिखर सम्मेलन में भाग** लिया। साथ ही, भारत ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से संबंधित विषयों पर G-7 आउटरीच सत्र** में भी भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत के वक्तव्य पर एक नजर:**
  - **प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी एकाधिकार की जगह इनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने पर बल देना चाहिए।
  - **ऊर्जा:** भारत CoP के तहत की गई सभी प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है।
    - भारत ने मिशन लाइफ/ LiFE के तहत पर्यावरण दिवस (5 जून) पर **"एक पेड़ मां के नाम"** योजना शुरू की है।
  - **ग्लोबल साउथ:** भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है।

ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) के बारे में

- **प्रकृति:** G-7 दुनिया के सबसे विकसित **लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह** है। इसकी बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। इन बैठकों में सदस्य देश **वैश्विक आर्थिक नीतियों के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, जैसे- प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष** आदि के समाधान पर चर्चा करते हैं।
- **उत्पत्ति:** G-7 की स्थापना वर्ष 1975 में फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 1973 के तेल संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक मुद्दों का समाधान करना था।

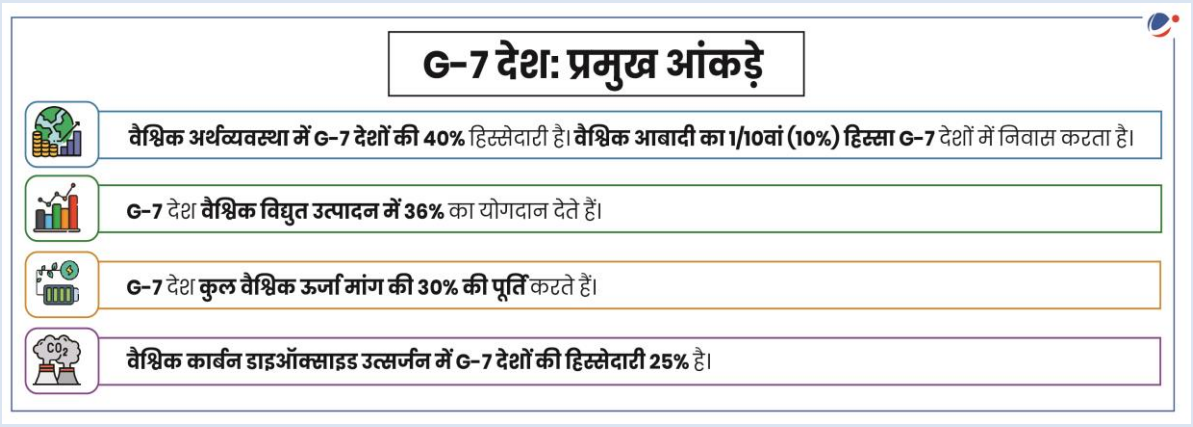

- **कार्यप्रणाली:** G-7 में **स्थायी संरचना का अभाव** है। इसकी अध्यक्षता बारी-बारी से सदस्य देशों द्वारा की जाती है तथा अध्यक्षता करने वाला देश ही इसका सालाना एजेंडा तय करता है।
  - G-7 शिखर सम्मेलन **राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के विवरण से युक्त एक विज्ञप्ति** के साथ समाप्त होता है।
- **सदस्य:** कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे **'G-8'** कहा जाने लगा था। हालांकि, 2014 में **क्रीमिया** पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर करने के परिणामस्वरूप इसे एक बार फिर से **G-7** कहा जाने लगा है।
  - यद्यपि, **यूरोपीय संघ G-7 का सदस्य नहीं** है, परंतु यह इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है।

शिखर सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स

- **क्षेत्रीय मामले:**
  - **यूक्रेन-रूस युद्ध:** सदस्य देशों ने रूस पर युद्ध की लागत का भार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त की। **उदाहरण के लिए**, G-7 ने अवरुद्ध की गई रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करके यूक्रेन को 50 बिलियन डॉलर की राशि देने का वादा किया।
  - **इजरायल-हमास संघर्ष:** द्वि-राष्ट्र समाधान और लाल सागर में अपने जहाजों की रक्षा करने के देशों के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। उदाहरण के लिए- यूरोपीय संघ का एस्पाइड्स, अमेरिका के नेतृत्व वाला प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जैसे मेरीटाइम ऑपरेशन।
- **आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देना:** यह कार्य **आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण** करके तथा **महत्वपूर्ण खनिजों/ सामरिक खनिज पर समन्वित पहलों** आदि के माध्यम से किया जाएगा।
  - **आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण पर G-7 की पहलें:** वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी (PGII) पहल, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) आदि।
  - **महत्वपूर्ण खनिजों पर समन्वित पहलें:** लचीली और समावेशी आपूर्ति-श्रृंखला के विकास के लिए साझेदारी, खनिज सुरक्षा साझेदारी आदि।
- **ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण:** वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को **2019 के स्तर की तुलना में इस दशक में 43% और 2035 तक 60% तक कम करने** के लक्ष्य पर प्रतिबद्धता प्रकट की गई।
  - **नई पहलें: अफ्रीका** में सतत विकास में निवेश के लिए **एनर्जी फॉर ग्रोथ** की शुरुआत की जाएगी। यह पहल अफ्रीका को **चीन की जगह एक नया वैकल्पिक निवेशक** प्रदान करेगी।
- **स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा:** G-7 ने **खाद्य सुरक्षा और संधारणीय कृषि को बढ़ाने के लिए अपुलिया फूड सिस्टम** लॉन्च किया। इस अवसर पर टीकाकरण कवरेज के लिए GAVI को समर्थन देने की भी प्रतिबद्धता जताई गई।
  - गावी (GAVI) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2000 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए एवं जरूरी टीकों तक पहुंच में सुधार के लिए बनाया गया था।

मौजूदा भू-राजनीति में G-7 का महत्त्व

- **वैश्विक गवर्नेंस में केंद्रीय भूमिका निभाना:**
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गवर्नेंस:** AI गवर्नेंस के लिए **ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI (GAPI) को 44वें G-7 शिखर सम्मेलन (2018)** में प्रस्तावित किया गया था, और बाद में **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी।
    - इसके अलावा, **हिरोशिमा (जापान)** में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में **हिरोशिमा AI प्रोसेस (HAP)** को लॉन्च किया गया था। यह **AI को विनियमित** करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  - **टैक्स गवर्नेंस:** G-7 द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की स्थापना **1989** में की गई थी। इसे **मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त-पोषण** एवं **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य खतरों** से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रक्षक के रूप में कार्य करना:** उदाहरण के लिए- G-7 कानून के शासन के आधार पर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की सख्ती से रक्षा करता है। यह समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है, जो संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है।
- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों एवं विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक मंच:** G-7 द्वारा चर्चा किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं- **रूस-यूक्रेन युद्ध; इजरायल-हमास संघर्ष, लाल सागर संकट** आदि।
  - वर्तमान शिखर सम्मेलन **'ग्लोबल साउथ' के देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच** के रूप में उभरा है।
- **विगत G-7 शिखर सम्मेलनों ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं:** उदाहरण के लिए- बहुराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान (2015) हेतु **ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम (2015)** का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है।
  - इसके अलावा, G-7 **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)[9] पहल** के माध्यम से कर बचाव की समस्या का भी सफलतापूर्वक समाधान कर रहा है।
- **लोकतंत्रों का समूह':** G-7 एक गतिशील गठबंधन के रूप में उभरा है, जो लोकतांत्रिक समाजों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के राजनीतिक केंद्र में स्थित है। इस राजनीतिक केंद्र को इसके नेता **"नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था"** कहते हैं।

[9] Base Erosion and Profit Shifting

G-7 की प्रभावशीलता की सीमाएं

- **G-7 वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है:** G-7 का आर्थिक प्रभुत्व 1970 के दशक में 60% से घटकर 2023 में 26.4% रह गया है।
    - उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 50.1% का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे वैश्विक गवर्नेंस प्रणालियों में उनके प्रतिनिधित्व की उनकी मांग बढ़ रही है।
- **व्यापक भागीदारी का न होना:** वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस का फोकस अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक और लोकतांत्रिक गवर्नेंस व्यवस्था की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
    - उदाहरण के लिए- **G-20, ब्रिक्स, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग** आदि।
    - इसके अलावा, वैश्विक लोकतंत्र और भारत, ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के महत्त्वपूर्ण देश तथा अफ्रीकन यूनियन (AU) जैसे प्रभावशाली उभरते हुए संगठन अभी भी G-7 के प्रतिनिधित्व से वंचित हैं।
- **G-7 में संस्थागत निरंतरता का अभाव:** G-7 का नेतृत्व हर साल बदलता है और प्रत्येक सदस्य अपनी रणनीतिक चिंताओं को प्राथमिकता देने की कोशिश करता है, जिससे सुसंगत और सामूहिक कार्रवाई में बाधा आती है।
    - इसके अलावा, **विज्ञप्ति** (आधिकारिक बयान या घोषणा) को लागू करने के लिए कोई स्थायी संगठन या स्टाफ नहीं हैं।
- **देशों के बीच विवाद से G-7 की एकता कमजोर हुई है:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा में आयोजित हुई G-7 बैठक में G-7 जलवायु परिवर्तन घोषणा में शामिल होने से इनकार कर दिया था और अंत में अमेरिका ने किसी भी विज्ञप्ति के लिए समर्थन वापस ले लिया था।

भारत और G-7

G-7 में भागीदारी और संभावित भावी सदस्य के रूप में भारत की सहभागिता का महत्त्व:

- **G-7 शिखर सम्मेलनों में भारत को बार-बार आमंत्रित** करना वैश्विक मामलों में इसके बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
    - **उदाहरण के लिए,** भारत को अब तक **11 बार आमंत्रित** किया गया है।
- **भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इसे G-7 का संभावित भावी सदस्य** बना सकती है।
    - **उदाहरण के लिए-** भारत जल्द ही **जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन जाएगा।
- **एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में** भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने में चीन का विकल्प बन सकता है।
    - **उदाहरण के लिए-** चीन ने दक्षिण चीन सागर पर **फिलीपींस के पक्ष में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)** के फैसले (2016) की अवहेलना की थी। इसके विपरीत, **भारत ने PCA के उस फैसले का सम्मान** किया था, जब उसने **2014 में बांग्लादेश के पक्ष** में फैसला सुनाया था।
- भारत के शामिल होने से **G-7 को ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने** और उससे जुड़ने में मदद मिलेगी।
    - उदाहरण के लिए- ग्लोबल साउथ पर फोकस **हिरोशिमा (जापान) में आयोजित 49वें G-7 शिखर सम्मेलन** से शुरू हुआ था।
- **भारत की G-20 अध्यक्षता उसकी G-7 भागीदारी** को पूरक बनाती है तथा विकसित और विकासशील विश्व के हितों को जोड़ती है।

भारत के लिए G-7 की प्रासंगिकता

- **ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत:** यह एक ऐसा मंच है, जहां भारत ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वैश्विक पटल पर रख सकता है।
- **लोकतंत्रों के समुदाय में:** ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और G-20 के विपरीत जहां गैर-लोकतांत्रिक देश भी शामिल हैं, G-7 भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की चिंताओं और एजेंडों को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- **भारत के लिए, G-7 शिखर सम्मेलन का आउटरीच सत्र, विश्व के सामने उसकी अपनी उपलब्धियों और दृष्टिकोण** को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।
- **G-7 मंच भारत को वैश्विक नेताओं** से मिलने और प्राथमिकताएं तय करने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने G-7 को **"स्वतंत्र विश्व की संचालन समिति"** के रूप में वर्णित किया है। G-7 को यह संबोधन वैश्विक नीति को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गौरतलब है कि **लोकतंत्रों को जटिल चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर G-7 का एकीकृत दृष्टिकोण **अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी स्थायी प्रासंगिकता और प्रभाव को प्रदर्शित** करता है।

2.5. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति से अलग से भेंट की।

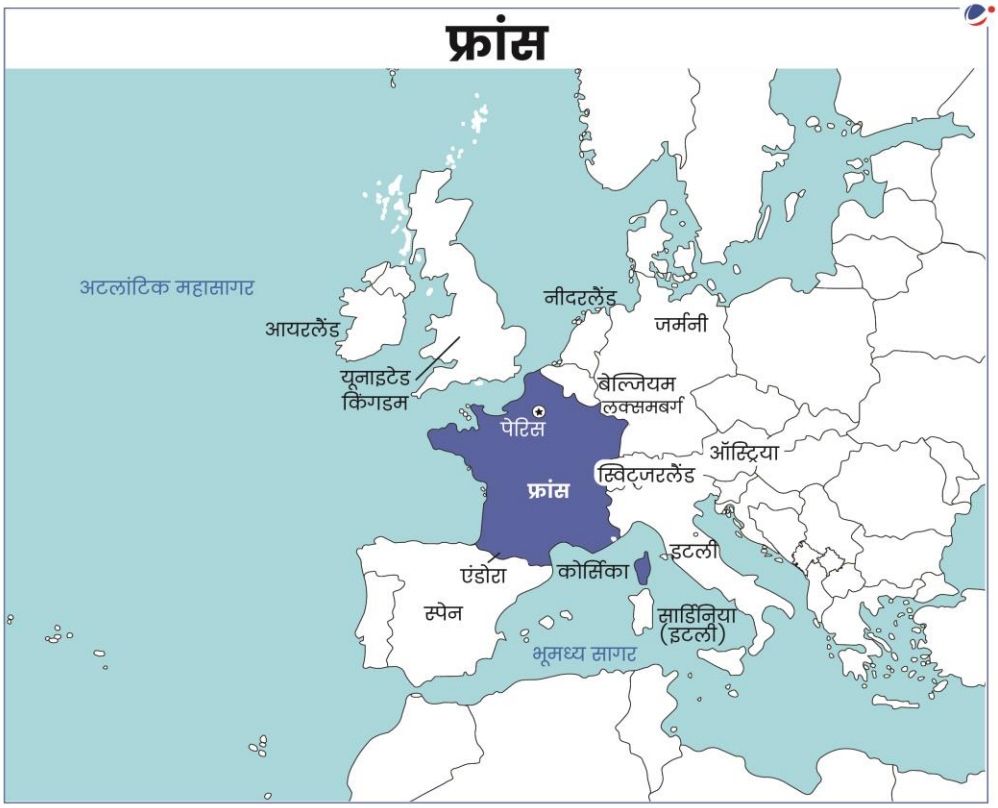

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों देशों ने आपसी बैठक में **'होराइजन 2047' रोडमैप और हिंद-प्रशांत रोडमैप** पर ध्यान केंद्रित किया।
- **'होराइजन 2047' रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित है-**
  - **सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी:** इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत को स्थिरता वाला क्षेत्र बनाना है। साथ ही, नो मनी फॉर टेरर (NMFT) जैसी पहलों के माध्यम से ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटना है।
  - **ग्रह के लिए साझेदारी:** इसके लिए इंडो-पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) आदि पहलें चलाई जा रही हैं।
  - **लोगों के लिए साझेदारी:** प्रवासन और आवागमन पर साझेदारी समझौता (2021) छात्रों व स्नातकों की गतिशीलता को बढ़ाएगा।
- दोनों देश **'मेक इन इंडिया'** पर अधिक ध्यान देने सहित सामरिक रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमत हुए।

भारत-फ्रांस संबंधों के बीच बढ़ती घनिष्ठता

- **रक्षा सहयोग:** स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार **फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता** (कुल आपूर्ति का 33%) है। **पी-75 स्कॉर्पीन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान खरीद** इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
  - भारत और फ्रांस ने एक **"रक्षा औद्योगिक रोडमैप" की भी घोषणा** की है। इसके तहत भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने और मित्र देशों को रक्षा निर्यात करने के लिए **हथियारों का सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    - इसके लिए प्रमुख परियोजनाओं यथा- **लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन (LEAP) और राफेल इंजन के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सुविधाएं** स्थापित की जाएंगी।
  - **सैन्य अभ्यास:** भारत और फ्रांस के बीच **द्विपक्षीय अभ्यास (वरुण एवं फ्रिनजेक्स-23) तथा बहुपक्षीय अभ्यास (ला पेरोस एवं ओरियन)** आयोजित किए जाते है।
- **भू-सामरिक:** 2023 में **इंडिया-फ्रांस इंडो-पैसिफिक रोडमैप** जारी किया गया था। इसने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र** तक विस्तारित कर दिया है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
  - दोनों देश भविष्य के लॉन्च व्हीकल्स और **तृष्णा/ TRISHNA भू-पर्यवेक्षण मिशन पर सहयोग करने पर सहमत** हुए हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है। यह भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वित्त वर्ष 2022-23 में, भारत में फ्रांस का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 659.77 मिलियन डॉलर था।
  - भारत की **टाटा समूह कंपनी और फ्रांस की एयरबस असैन्य हेलीकॉप्टर** बनाने पर सहमत हुई हैं।

- विमानन क्षेत्रक में, भारत की अकासा एयर ने 300 से अधिक LEAP-1B इंजनों की खरीद के लिए CFM इंटरनेशनल के साथ एक समझौता किया है।

- **डिजिटल सहयोग:** भारतीय आगंतुकों और NRIs के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक लेन-देन की पेशकश करते हुए **एफिल टॉवर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** लॉन्च किया गया है।
  - एक फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के लिए **14 सुपर कंप्यूटर** विकसित किए हैं। इनमें **सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि भी शामिल है जो 4.6 पेटाफ्लॉप्स/सेकंड पर काम करता** है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** ज्ञातव्य है कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत के लिए स्थायी सीट का लगातार समर्थक रहा है।
  - इसने संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ-साथ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) जैसे निकायों में भी **कश्मीर और आतंकवाद पर भारत के रुख का सक्रिय रूप से समर्थन** किया है।
  - फ्रांस ने **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनार अरेंजमेंट (WA) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (AG)** में भारत के सम्मिलित होने में मदद की थी।

भारत और फ्रांस संबंधों में चुनौतियां

- **द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े:** 2022 में, भारत और फ्रांस के बीच 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो लगातार बढ़ रहा है। यद्यपि, अन्य साझेदारियों की तुलना में यह अभी भी कम है।
- **वीज़ा प्रतिबंध:** हाल ही में, भारत के कुछ पत्रकारों एवं संवाददाताओं ने फ्रांस के वीज़ा संबंधी नियमों के मामले में विरोध-पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि वे सभी "हालिया वर्षों में बढ़े हुए वीज़ा प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं"।

- **परमाणु समझौते में अत्यधिक देरी:** जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को लेकर तकनीकी, वित्तीय और नागरिक परमाणु दायित्व संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं, जिनका दोनों पक्षों द्वारा समाधान किया जाना अभी शेष है।
- **सामरिक स्वायत्तता को लेकर अलग-अलग मत:** भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता को प्राथमिकता देती है, जबकि फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यावहारिक गठबंधन में संलग्न है।
  - विचारधाराओं में यह अंतर दोनों देशों के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से संरेखित करने में एक बड़ी चुनौती पेश करता है। विशेषकर चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों के मतों में समानता बहुत आवश्यक है।

आगे की राह

- **'सामरिक स्वायत्तता' विचलन को संतुलित करना:** इसका अर्थ है किसी एक के निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए एक-दूसरे की सामरिक अनिवार्यताओं को समायोजित करने में अधिक लचीलापन लाना।
- **मौजूदा सहयोग तंत्र का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए- आतंकवाद-विरोध पर भारत-फ्रांस संयुक्त कार्य समूह, हिंद-प्रशांत में साझा सुरक्षा चिंताओं के समाधान में अधिक अभिसरण की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- **प्रभावी समन्वय:** सामरिक उद्देश्यों को संरेखित करने के लिए राजनयिक, सुरक्षा व सैन्य स्तर पर नियमित वार्ता आयोजित की जानी चाहिए।

- **रक्षा सहयोग का विस्तार करना:** उदाहरण के लिए- दोनों पक्षों को संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त गश्ती अभियानों के माध्यम से ज्ञान साझा करने पर बल देना चाहिए।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी:** उदाहरण के लिए- यह कार्य क्वाड, I2U2 आदि के जरिए और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर करना चाहिए।

फ्रांस के राजदूत ने 19वीं सदी के फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स माइकलेट के उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा कि **"भारत-फ्रांस साझेदारी "सार्वभौमिक" है, क्योंकि यह "समुद्र से अंतरिक्ष तक" और उससे आगे तक जाती है।"** ज्ञातव्य है कि जूल्स माइकलेट ने भारत को **"विश्व का मैट्रिक्स"** बताया था।

2.6. भारत-यूरेशिया संबंध (India-Eurasia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय और एशियाई सुरक्षा के बीच जटिल एवं गहरे अंतर्संबंध भारत जैसे देशों के लिए नए रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं।

यूरेशिया क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति को उजागर करने वाले कारक

- **संघर्षों का केंद्र:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष और आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष (नागोर्नो-काराबाख), जिनके महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं।
- **बढ़ता चीनी प्रभाव:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार मध्य एशिया और रूस से लेकर अटलांटिक तटों तक है। साथ ही, चीन के साथ यूरोप के बढ़ते आर्थिक संबंधों ने यूरेशिया में भी चीन के प्रभाव को काफी मजबूत किया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताएं:** भू-राजनीतिक घटनाक्रम, जैसे कि अफगानिस्तान से सेना की वापसी, मध्य-पूर्व की बजाय यूरेशिया और हिंद-प्रशांत पर ध्यान केंद्रित करना, नाटो का सुदृढ़ीकरण, तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में थ्री सीज़ पहल में भागीदारी आदि।
- **क्षेत्रीय भू-सामरिक गठबंधन:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन और रूस की 'नो लिमिट्स' साझेदारी; रूस-ईरान-चीन धुरी का उदय; चीन, ईरान, रूस, तुर्की और पाकिस्तान को शामिल करते हुए रणनीतिक पांच देशों का गठबंधन आदि।

- **रूस की विदेश नीति में एशिया की ओर झुकाव:** यह रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया और वियतनाम की हालिया यात्राओं से स्पष्ट है।
- **पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों का संरेखण:** पूर्वी एशियाई देश जैसे जापान व दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया (AUKUS के माध्यम से) यूरोप को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदार बनाने तथा एशिया और यूरोप के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं।
- **वैश्विक व्यवस्था का यूरेशिया की ओर झुकाव:** उदाहरण के लिए- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक अधिक संतुलित और परस्पर संबद्ध यूरेशियाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप तथा भारत, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसी उभरती शक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उभरते परिदृश्य में भारत के लिए अवसर

- **रणनीतिक:**
  - **चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना:** भारत को अब **रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने हेतु रूस के साथ अपने संबंधों का लाभ** उठाना चाहिए।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका की एकीकृत निवारक रणनीति:** इसका लक्ष्य चीन और रूस को प्रतिसंतुलित करने के लिए मध्यम शक्तियों के साथ मजबूत सुरक्षा साझेदारी बनाना है। अमेरिका की यह रणनीति **भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर** प्रदान करती है।

- **रणनीतिक साझेदारी:** उदाहरण के लिए, आर्मेनिया के साथ भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी भारत की यूरेशिया रणनीति के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।

- **आर्थिक:**
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशियाई एवं यूरेशियाई देश **तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, लौह अयस्क जैसे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति में भारत के संभावित दीर्घकालिक साझेदार** हैं।
  - **रूस के साथ व्यापार में वृद्धि:** भारत और रूस का लक्ष्य **2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर** तक बढ़ाना है, जिससे पारस्परिक संबंध मजबूत होंगे।
  - **बेहतर व्यापार और कनेक्टिविटी:** यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) पूरी तरह से चालू हो जाता है, तो यूरेशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 170 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो वर्तमान में केवल 20 बिलियन डॉलर का है।
  - **बाजार विस्तार:** यूरेशियाई बाजारों में आईटी सेवाओं और डिजिटल समाधानों का निर्यात करना।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मध्य एशिया के साथ सहयोग करना क्षेत्रीय सुरक्षा तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत के यूरेशियाई देशों के साथ प्राचीन संबंध होने के कारण, सॉफ्ट पावर उपयोग के लिए बौद्ध धर्म एवं योग के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना।

भारत के लिए उभरते यूरेशियाई परिदृश्य में क्या चुनौतियां हैं?

- **भौगोलिक संपर्क और बुनियादी ढांचा:** भौगोलिक संपर्क की कमी है और INSTC, IMEC जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर **धीमी प्रगति** है।
- **पाकिस्तान कारक:** यूरेशियाई भू-राजनीति में भारत की विस्तारित भूमिका के लिए पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा अवरोध उत्पन्न कर सकती है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान की उपस्थिति भारत के लिए बाधक बन सकती है।
- **चीन से खतरा:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल भारत की रणनीतिक विस्तारित पड़ोस पहल जैसे **"कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी"** को चुनौती देती है। इससे भारत को विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **भारत-रूस संबंधों में चुनौतियां:** इसमें रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता और भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका या क्वाड के प्रति कथित झुकाव शामिल है।
- **रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना:** अलग-अलग हितों को प्रबंधित करते हुए भारत की स्वायत्तता सुनिश्चित करना तथा समुद्री (जैसे क्वाड) और महाद्वीपीय (जैसे, शंघाई सहयोग संगठन) गठबंधनों दोनों के साथ तालमेल बिठाना।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** भारत को सुदूर-पूर्व और जापान से संपर्क स्थापित करने के लिए रूस के ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर और नॉर्थ-ईस्ट पैसेज में शामिल होने पर विचार करना चाहिए।
- **यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करना:** भारत की यूरेशियाई नीति में यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव को बढ़ाना शामिल होना चाहिए।
- **भारत की यूरेशियाई रणनीति के केंद्र में मध्य एशिया:** भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को द्विवार्षिक की बजाय भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की तरह प्रतिवर्ष आयोजित किया जा सकता है।
- **विविध नीतियों में संतुलन:** भारत को अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को अपनी एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

- ब्रिक्स, SCO और RIC (रूस-भारत-चीन) का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, भारत को रूस व चीन के साथ बहुआयामी रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन मंचों का उपयोग करना चाहिए।

- **रूस के साथ वार्ता बढ़ाना:** भारत और रूस को मतभेदों को कम करने और महाद्वीपीय यूरेशियाई सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2.7. भारत- जापान संबंध (India-Japan Relation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों ने **इटली के अपुलिया में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक** की।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों देशों ने नए व उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) एवं लोगों के बीच सहयोग को और अधिक गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।
- दोनों देशों ने यह भी ध्यान दिया कि **भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी ने 10वें वर्ष** में प्रवेश किया है।

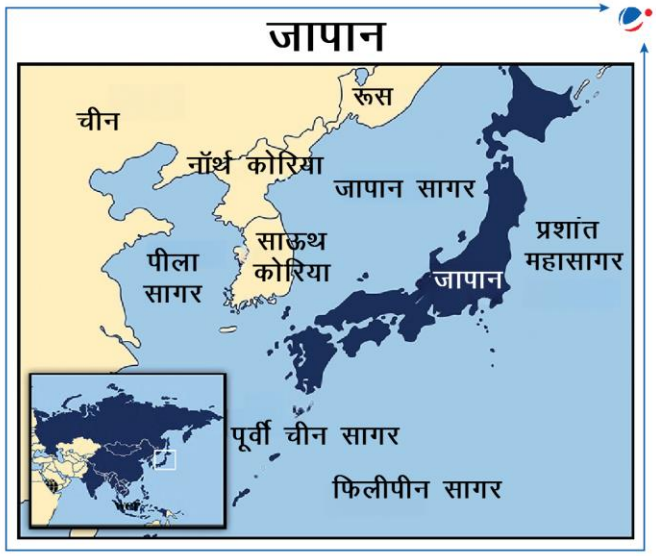

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

- **साझा सामरिक हित:** जापान की **'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (FOIP) रणनीति और भारत की हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI)**[10] दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में (विशेष रूप से **दक्षिण चीन सागर** में) चीन के सैन्य एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के संदर्भ में समान चिंताओं को साझा करती हैं।
  - भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन के नियंत्रण को प्रतिसंतुलित करने के लिए **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल** में भी शामिल हैं।
- **रणनीतिक कनेक्टिविटी:** कनेक्टिविटी बढ़ाने में साझेदारी के उदाहरण-
  - भारत की **"एक्ट ईस्ट" और जापान की "गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हेतु साझेदारी"** नीति के माध्यम से **दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना।**
  - **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)** का लक्ष्य **पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को अफ्रीका के करीब लाना** है।
  - **इंडिया विज़न 2025 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास** पर केंद्रित है। यह **भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की FOIP नीति के लिए अभिसरण बिंदु** के रूप में कार्य करता है।
- **रक्षा संबंध: ऐक्विज़िशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)** भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण- **सैन्य अभ्यास:** धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री, जिमेक्स (JIMEX) आदि।
- **महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार:** वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच **21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
  - वर्ष 2011 में, भारत और जापान ने ऐतिहासिक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते **'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)'** पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए थे।
- **ऊर्जा सहयोग:** उदाहरण के लिए, 2022 में **भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (CEP)** की घोषणा की गई थी। इस भागीदारी का उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है।
  - अन्य उदाहरण: **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत-जापान समझौता (2017)।**
- **दोषमुक्त बहुपक्षवाद:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में सुधारों का समर्थन करते हैं और **क्वाड, G-20, G-4 जैसे कई वैश्विक समूहों का भी हिस्सा भी हैं।** इसके अतिरिक्त, वे **परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के मुद्दों** पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन में सहयोग:** उदाहरण के लिए, इसरो और JAXA एक संयुक्त **लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX)** पर काम कर रहे हैं।

[10] India's Indo-Pacific Oceans Initiative

जापान का भारत के लिए महत्त्व

- **अवसंरचना विकास:** उदाहरण के लिए, **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं पर सहयोग।**
- **विदेशी निवेश:** 2022 से 2027 तक **भारत में 5 ट्रिलियन येन** के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **भारत के विनिर्माण में परिवर्तन:** इसे **भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी** जैसे मंचों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा।
- **कौशल विकास:** उदाहरण के लिए **जापान का तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TITP) और विशिष्ट कुशल कार्यकर्ता (SSW)** पहल।
- **आधिकारिक विकास सहायता:** जापान भारत का **सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता** है।

भारत का जापान के लिए महत्त्व

- **जनसांख्यिकी:** भारत जापान को उसकी घटती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुए कार्यबल की समस्या को दूर करने के लिए मानव संसाधन प्रदान कर सकता है।
- **निवेश के अवसर:** भारत जापान के लिए विशेष तौर पर ऑटोमोबाइल, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रकों में निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है।
- **कच्चा माल:** उदाहरण के लिए, लौह अयस्क ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाही से उबरने में जापान की मदद की है।
- **बड़ा बाजार:** भारत जापानी सामानों के लिए एक बड़ा बाजार प्रस्तुत करता है।

भारत-जापान संबंधों में चुनौतियां

- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार सीमित बना हुआ है, CEPA के बाद भी भारत जितना निर्यात करता है, उससे कहीं ज्यादा आयात करता है।
    - ऐसा मुख्य रूप से सख्त गुणवत्ता मानकों और गैर-टैरिफ बैरियर जैसी प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों के कारण है। इससे भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए निर्यात हेतु लागत का बोझ बढ़ जाता है।
    - इसके अलावा, भारत में जापान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) जापान द्वारा अन्य देशों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
- **रणनीतिक भिन्नताएं:**
    - **चीन से निपटने में अलग-अलग दृष्टिकोण:** भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की कार्रवाइयों को लेकर मुखर रहा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरुद्ध आदि में चीन की गतिविधियों की प्रत्यक्ष आलोचना करने से बचता रहा है।
    - **रूस-यूक्रेन युद्ध पर रुख:** जापान, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, जबकि भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।
    - **जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन का हिस्सा है, जबकि भारत नहीं है।**
- **भारत ने 2019 में हुए G-20 शिखर सम्मेलन में जापान द्वारा सुझाए गए 'ओसाका ट्रैक' का बहिष्कार किया था।**
    - ओसाका ट्रैक डिजिटल व्यापार को लेकर बहुपक्षीय वार्ता पर केंद्रित था। इसके पीछे उद्देश्य सीमा-पार डेटा प्रवाह पर नियमों का मानकीकरण, डेटा स्थानीयकरण पर प्रतिबंधों को हटाना आदि था।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी:** इसमें **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और अहमदाबाद-मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन** परियोजना शामिल है।

दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **व्यापार और निवेश में तेजी लाने** के लिए CEPA के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, उत्पत्ति के नियमों (Rules of origin) पर पुनर्विचार करके एक स्थिर एवं सुसंगत व्यापार नीति निर्मित करनी चाहिए।
- साझा सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए **रक्षा सहयोग में वृद्धि** करनी चाहिए।
- विशेष रूप से **QUAD जैसे विविध मंचों पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण** अपनाना चाहिए। इससे **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौपरिवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत** बनाया जा सकता है।
- आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, नैनो-विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स जैसे **नए एवं उभरते क्षेत्रकों में सहयोग को गहरा** करना चाहिए।
- बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) तथा लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए **संवाद एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा** देना चाहिए।

निष्कर्ष

दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदारी का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। साथ ही, सकारात्मक विकास को **'लाभ और समृद्धि के प्रतीक'** में परिवर्तित करना चाहिए, जिसमें एशिया में विकास, समृद्धि, स्थिरता और घनिष्ठ एकीकरण शामिल हो।

2.8. परमाणु हथियार शस्त्रागार (Nuclear Weapons Arsenal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपनी **"SIPRI ईयर बुक रिपोर्ट, 2024"** जारी की है। इस रिपोर्ट में **परमाणु हथियारों के विकास और तैनाती में चिंताजनक वृद्धि** पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- 2023 तक **भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 164 से बढ़कर बढ़कर 172** हो गई है, जो एक मामूली वृद्धि है। इस तरह पहली बार **भारत के पास पाकिस्तान (170) से अधिक परमाणु हथियार** हो गए हैं।
- **परमाणु प्रतिरोध पर निर्भरता और भी बढ़** गई है, क्योंकि **परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण** जारी रखा है। साथ ही, वे **नई परमाणु-सक्षम प्रणालियों** का विस्तार कर रहे हैं।
  - **ये 9 देश हैं-** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल।
  - विश्व में कुल **12,121 परमाणु हथियार** हैं। इनमें से लगभग **90% हथियार, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस** के पास हैं। इनमें से लगभग **2,100 हाई अलर्ट** पर हैं।
- इसके अलावा, रूस और अमेरिका में परमाणु हथियारों के बारे में **पारदर्शिता में गिरावट** आई है।
- यद्यपि **परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी** आई है, फिर भी **परिचालनगत हथियारों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि** हो रही है, जो **वर्तमान तनाव** को दर्शाती है।

क्या आप जानते हैं?

> विश्व के कुल परमाणु हथियारों में से लगभग **90% परमाणु हथियार** केवल **रूस** और **यू.एस.ए.** के पास हैं।

संधियां और अप्रसार प्रयास:

- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (0CTBT)[11]:** यह पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है।
- **परमाणु हथियारों का अप्रसार (NPT)[12]:** यह संधि परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को **सीमित** करती है।
  - भारत ने CTBT और NPT दोनों पर ही **हस्ताक्षर नहीं** किए हैं।
- **परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 2005:** यह कन्वेंशन परमाणु आतंकवाद के कृत्यों की योजना, धमकी या अंजाम देने को अपराध मानता है। **भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।**
- **परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (NSSs):** इन सम्मेलनों में सभी सहभागियों ने सर्वसम्मति से अगले चार वर्षों में सभी संवेदनशील परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के लक्ष्य को अपनाया है। **भारत, NSS में भाग** लेता है।
- **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (CD)[13]:** अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में की गई थी। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक नियमित और सक्रिय सदस्य रहा है।
- **"परमाणु हथियारों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान" (ICAN)[14] अर्थात् आई कैन:** ICAN वस्तुतः गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो लगभग 100 देशों में संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है। इस ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को **2017 में न्यूयॉर्क** में अपनाया गया था। **भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**
  - ICAN को इसके प्रयासों के लिए **2017 में नोबेल शांति पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।

[11] Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

[12] Non-Proliferation of nuclear weapons

[13] Conference on Disarmament

[14] International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

परमाणु शस्त्रागार की खरीद के लिए उत्तरदायी कारक

- **सुरक्षा:** परमाणु हथियारों की अति-विनाशकारी शक्ति देशों को मजबूर करती है कि वे परमाणु-हथियारों से लैस प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ संतुलन और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं भी परमाणु प्रतिरोध हासिल करें।
- **घरेलू राजनीति: परमाणु ऊर्जा अधिकारी, सैन्य इकाइयां और परमाणु हथियार समर्थक राजनेता** जैसे शक्तिशाली राज्य अभिकर्ता परमाणु हथियार **हासिल करने के लिए गठबंधन** बनाते हैं।
- **मानदंड:** एक मानक विश्वास यह है कि किसी देश द्वारा **परमाणु हथियारों का अधिग्रहण प्रतिष्ठा** (महाशक्ति का संकेत) प्राप्त करने का माध्यम है और इसलिए परमाणु हथियार प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में **उसके व्यवहार को प्रभावित** करती है।

परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरे

- **वैश्विक खतरे की धारणा**
  - **परमाणु जोखिम में वृद्धि:** परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार को जटिलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इस कारण, क्योंकि हितधारक परमाणु मुद्दों को व्यापक भू-राजनीतिक तनाव से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का अनुसमर्थन वापस ले लिया है। साथ ही, नई सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि **(START)**[15] की अपनी सदस्यता को भी निलंबित कर दिया है।
  - **परमाणु धमकी: परमाणु धमकियों** का उपयोग करके भू-राजनीति को प्रभावित किया जाता है।
    - **उदाहरण के लिए-** 2023 में **रूस** ने चेतावनी दी थी कि **"परमाणु सर्वनाश" "निकट"** आ रहा है।
    - **उदाहरण के लिए- उत्तर कोरिया** द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जवाब में परमाणु धमकी दी जाती है।
  - **यूक्रेन में परमाणु आपदा का जोखिम:** उदाहरण के लिए- यूक्रेन के **ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र** को इसी वर्ष (2024) **आत्मघाती ड्रोन से निशाना** बनाया गया था।
  - **साइबर-परमाणु सुरक्षा खतरे:** इनका उपयोग परमाणु सामग्री और प्रतिष्ठान संचालन की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, ये परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणालियों को भी खतरे में डाल सकते हैं।
  - **अंतरिक्ष परमाणु हथियार:** अंतरिक्ष में परमाणु हथियार के विस्फोट से एक विद्युत चुम्बकीय पल्स उत्पन्न होगी, जो उपग्रहों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे बड़ी मात्रा में मलबा भी बन सकता है, जिससे अतिरिक्त नुकसान हो सकता है।
- **भारत की परमाणु खतरे से संबंधित धारणा**
  - **भारत के लिए चीन एक बढ़ती हुई चिंता है:** चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है। साथ ही, वह **"न्यूनतम प्रतिरोध"** और **"पहले उपयोग नहीं"** की नीति से भी पीछे हट रहा है।
  - **पाकिस्तान के साथ एक व्यापक सुरक्षा दुविधा:** हालांकि, भारत चीन को रोकने के लिए स्वयं को हथियारों से लैस कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत से नए परमाणु खतरों को महसूस करता है और अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है।
    - **पाकिस्तान** ने भारत की विशाल और बेहतर पारंपरिक सेनाओं का मुकाबला करने के लिए छोटे युद्धक्षेत्र या **"सामरिक" परमाणु हथियारों (TNWs)** पर जोर देने का विकल्प चुना है।
      - ✓ TNWs की रेंज और क्षमता कम होती है। ये एक निश्चित लक्षित क्षेत्र तक सीमित विनाश करते हैं।
    - TNWs का **भारतीय सेना के 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन' का मुकाबला** करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
      - ✓ भारतीय सशस्त्र बलों का कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर **पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की त्वरित तैनाती की परिकल्पना** पर आधारित है। इस सिद्धांत का उद्देश्य **पाकिस्तान के परमाणु हमले को रोकने हेतु भारतीय सेनाओं को सतत कार्रवाई** करने की अनुमति प्रदान करना है।
    - भारत के विपरीत, **पाकिस्तान ने 'पहले उपयोग नहीं' करने की नीति घोषित नहीं** की है, जिससे **पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना** बढ़ जाती है।
    - सबसे खराब स्थिति में, **दक्षिण एशिया तेजी से बढ़ती परमाणु हथियारों की स्पर्धा** में प्रवेश करेगा।
  - **परमाणु आतंकवाद भारत के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है:** बिगड़ती हुई सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठाकर, आतंकवादी समूह समर्थनकारी देशों की सहायता से परमाणु सामग्री हासिल कर सकते हैं।

[15] Strategic Arms Reduction Treaty

परमाणु हथियारों की स्पर्धा को कम करने के लिए आगे की राह			
उठाए जाने वाले कदम	**कोरियाई प्रायद्वीप**	**संयुक्त राज्य अमेरिका/ नाटो-रूस**	**दक्षिण एशिया**
तत्काल उठाए जाने वाले कदम:	• परमाणु खतरों से बचना और परमाणु हथियारों का **पहले उपयोग नहीं करने की नीति** को अपनाना। • **उकसाने वाली सैन्य कार्रवाइयों** से बचना।	• रूस को **न्यू स्टार्ट संधि** में शामिल होना चाहिए। • संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और नाटो देशों को **सार्वजनिक तौर पर पहले उपयोग नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए।** • इनके द्वारा **CTBT की अभिपुष्टि करनी** चाहिए।	• व्यापक स्तर पर **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय परमाणु परीक्षणों** को स्थगित करने हेतु चर्चा करनी चाहिए। • **गैर-आक्रमणकारी समझौते** का विस्तार कर इसे सभी परमाणु सुविधाओं तथा सैन्य और असैन्य सुविधाओं तक विस्तारित करना चाहिए।
आगे की कार्रवाई	• एक स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और प्लूटोनियम के उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए। • **अमेरिका-दक्षिण कोरिया** संयुक्त सैन्य अभ्यासों को स्थगित करना चाहिए।	• केंद्रीय रूप से संग्रहित सभी **सामरिक परमाणु हथियारों को सत्यापित** करने के लिए सहमति प्रकट करनी चाहिए। • **परमाणु हथियारों में क्रमिक रूप से कमी** करनी चाहिए।	• **बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता** में शामिल होने पर सहमति जुटानी चाहिए। • अपने **परमाणु शस्त्रागार** के आकार को सीमित करना चाहिए तथा **परमाणु सामग्री के उत्पादन पर द्विपक्षीय रूप से रोक लगानी** चाहिए।

"हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। चूंकि परमाणु युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, उन्हें रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाना चाहिए, आक्रमण को रोका जाना चाहिए और युद्ध को रोकना चाहिए।" ***परमाणु-हथियार संपन्न 5 देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, रूस और फ्रांस) के नेताओं का संयुक्त वक्तव्य।***

परमाणु हथियार प्रौद्योगिकियां

- परमाणु हथियार, एक विस्फोटक उपकरण है। इसे **परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन** के परिणामस्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

विखंडन हथियार	संलयन हथियार
• विखंडन हथियारों को आमतौर पर **परमाणु बम** कहा जाता है। • **यूरेनियम का U-235 समस्थानिक** इस हथियार के लिए प्राथमिक ईंधन का काम करता है। • **U-235 विखंडन:** न्यूट्रॉन के अवशोषण से परमाणु का विखंडन हो जाता है, जिससे विस्फोट के लिए ऊर्जा और न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। • **ऊर्जा उत्पादन:** एक टन विस्फोटक TNT से 500 किलो टन TNT तक।	• संलयन हथियारों को **थर्मोन्यूक्लियर बम** या अधिकांशतः **हाइड्रोजन बम** भी कहा जाता है। • **हाइड्रोजन बम:** विखंडन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संलयन को आरंभ करती है। इससे संभावित रूप से अधिक विखंडन होता है, तथा अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। • **ड्यूटेरियम और ट्रिटियम**, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनका उपयोग संलयन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। • हाइड्रोजन **बम से मेगाटन तक TNT** निकलता है, जो परमाणु बमों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है।

नोट: TNT का अर्थ है- ट्राइनाइट्रो टॉलुईन। यह एक हल्का पीला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो नाइट्रेशन प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। TNT का उपयोग विस्फोटक के रूप में तथा उद्योगों और खनन में किया जाता है। इसका उपयोग तेल और गैस निष्कर्षण में भी किया जाता है।

नाभिकीय विखंडन बम

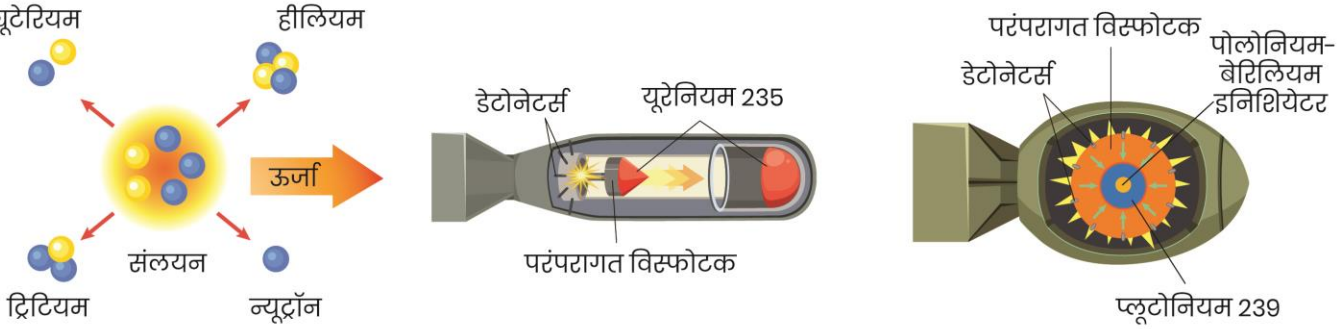

नाभिकीय संलयन बम

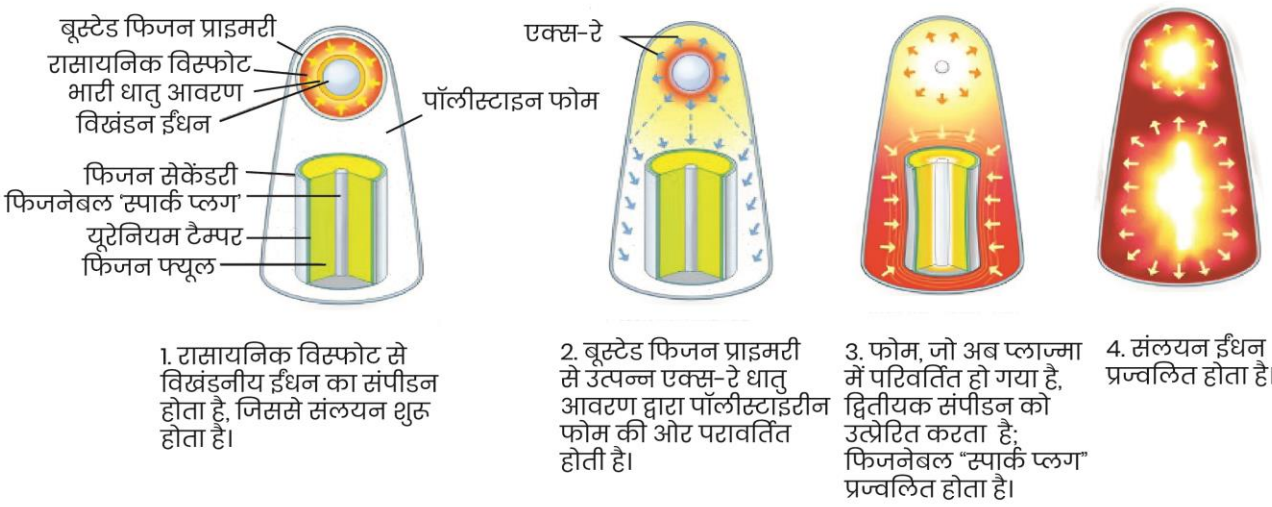

- **न्यूट्रॉन बम:** यह एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है। न्यूट्रॉन बम से होने वाला विस्फोट अपेक्षाकृत छोटा होता है।

'भारत के परमाणु सिद्धांत' के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #16 (अंग्रेजी में): भारत का परमाणु सिद्धांत

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

ENGLISH MEDIUM 2024: 28 JULY
हिन्दी माध्यम 2024: 28 जुलाई

2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.9.1. भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी (India-Italy Strategic Partnership)

भारत और इटली ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) सहित वैश्विक एवं बहुपक्षीय पहलों** में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-इटली द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े प्रमुख पहलू

- **राजनीतिक पहलू**
  - इन दोनों देशों के बीच **1947 में राजनीतिक (राजनयिक) संबंध स्थापित** हुए थे। इस संबंध को **2023 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड** कर दिया गया था।
  - 2020 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में, **2020-2025 कार्य योजना** को अपनाया गया था। इस कार्य योजना के अंतर्गत दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया था।
- **आर्थिक पहलू**
  - **यूरोपीय संघ (EU) में इटली, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। EU **में** भारत के तीन सबसे बड़े साझेदार जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। ।
  - **भारत-इटली संयुक्त आर्थिक आयोग सहयोग 1976** से अस्तित्व में है।
  - दोनों देशों ने 2023 में **"प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते"** पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य **सुरक्षित एवं वैध प्रवासन** को बढ़ावा देना है।
- **प्रौद्योगिकी आधारित पहलू**
  - दोनों देशों ने नवंबर 2003 में **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों देश **अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रकों पर मिलकर कार्य** करते हैं। इनमें **इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा** जैसे क्षेत्रकों को शामिल किया गया है।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु **2025-27 के लिए सहयोग का नया कार्यकारी कार्यक्रम** अपनाया गया है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा**
  - 2023 में इटली **'इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव'** के सात स्तंभों में से एक यानी **'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग'** स्तंभ में शामिल हो गया।
  - **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** दोनों देश **पासेक्स (PASSEX) अभ्यास, मिलन नामक नौसेना अभ्यास** आदि में भाग लेते हैं।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग**
  - इटली भारत के नेतृत्व वाले **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (GBA) और IMEC** में शामिल हो गया है।

2.9.2. INDUS-X पहल का एक वर्ष पूरा हुआ (INDUS-X Initiative Marks One-Year Anniversary)

इंडिया-यू.एस. डिफेंस एक्सीलेरेशन इकोसिस्टम (INDUS-X) को जून 2023 में **"इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET)"** के तहत शुरू किया गया था।

- INDUS-X पहल **अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियों, इन्क्यूबेटर्स एवं एक्सेलरेटर्स, निवेशकों तथा विश्वविद्यालयों** के बीच साझेदारी को बढ़ाने में मदद करती है।

INDUS-X की उपलब्धियां

- इसने **खुफिया, निगरानी एवं टोही (ISR) और सेमीकंडक्टर्स** जैसे अलग-अलग रक्षा डोमेंस में दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाया है।
- दोनों देशों के बीच **नवाचार के संयुक्त वित्त-पोषण के तौर-तरीके** खोजने में मदद की है।
- **INDUS-X गुरुकुल:** यह अमेरिकी और भारतीय रक्षा स्टार्ट-अप्स के लिए एक एजुकेशन सीरीज है। इस सीरीज में दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स को सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के लोगों से संवाद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- **उद्योग जगत-शिक्षा जगत के बीच संपर्क को बढ़ावा:** इस पहल ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंसिंग पर उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। साथ ही, नई रक्षा प्रौद्योगिकी डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी मदद की है।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग

- 2016 में, अमेरिका ने भारत को **"प्रमुख रक्षा भागीदार"** का दर्जा दिया था।
- **दोनों देशों ने निम्नलिखित रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:**
  - 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट **(LEMOA),**
  - 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट **(COMCASA),**
  - 2019 में औद्योगिक सुरक्षा समझौता, और
  - 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट **(BECA)।**
- **इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET):** इसे कई क्षेत्रकों में प्रौद्योगिकी के स्तर पर व्यापक सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें वाणिज्यिक के साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका-भारत रोडमैप:** इसका लक्ष्य परस्पर हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन बढ़ाने में तेजी लाना है।

2.9.3. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF)

भारत ने **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF)** की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

- इस बैठक में, IPEF सदस्यों ने कुछ विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने और हिंद-प्रशांत में आर्थिक संलग्नता को मजबूत करने की दृष्टि से अपनी तरह के पहले समझौते हैं।
- **मंत्रिस्तरीय बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नजर:**
  - **IPEF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट:** यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता एवं अनुकूलन, ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी आदि की दिशा में IPEF भागीदारों के प्रयासों में तेजी लाएगा।
  - **IPEF फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट:** यह समझौता सदस्य देशों में अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी परिवेश का निर्माण करेगा।
  - **कॉपरेटिव वर्क प्रोग्राम (CWP):** बैठक में निम्नलिखित पर **तीन नए CWPs की घोषणा की गई:**
    - एमिशन्स इंटेन्सिटी एकाउंटिंग,
    - ई-वेस्ट अर्बन माइनिंग (भारत के नेतृत्व में), और
    - स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स।
  - **IPEF कैटेलिटिक कैपिटल फंड की औपचारिक शुरुआत:** इसके जरिए **क्लीन इकॉनमी से संबंधित अलग-अलग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार का समर्थन** किया जाएगा।

- **नोट:** उपर्युक्त **सभी समझौते कम-से-कम पांच IPEF भागीदारों द्वारा अभिपुष्टि, स्वीकृति या अनुमोदन के लिए अपनी घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं** को पूरा करने के बाद लागू होंगे।
    - **भारत ने औपचारिक रूप से इन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं** किए हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं जो संभवतः नई सरकार के गठन के बाद पूरी हो जाएंगी।

नोट: *IPEF के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, नवंबर 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.2 "इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF)" देखें।*

2.9.4. कोलंबो प्रोसेस (Colombo Process)

कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है।

कोलंबो प्रोसेस के बारे में

- यह **परामर्श प्रोसेस या फोरम** है। यह प्रोसेस **विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन** पर परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है।
- **एशिया के 12 देश** इसके सदस्य हैं। इनमें **भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका** आदि शामिल हैं।
    - **भारत इस प्रोसेस का संस्थापक सदस्य** है।
- इसके **विषयगत (थीमेटिक) प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-** कौशल और योग्यता मान्यता प्रक्रियाएं; रोजगार में भर्ती के लिए **नैतिक अभ्यासों को बढ़ावा** देना आदि।
- **संयुक्त राष्ट्र-अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन** "कोलंबो प्रोसेस" को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

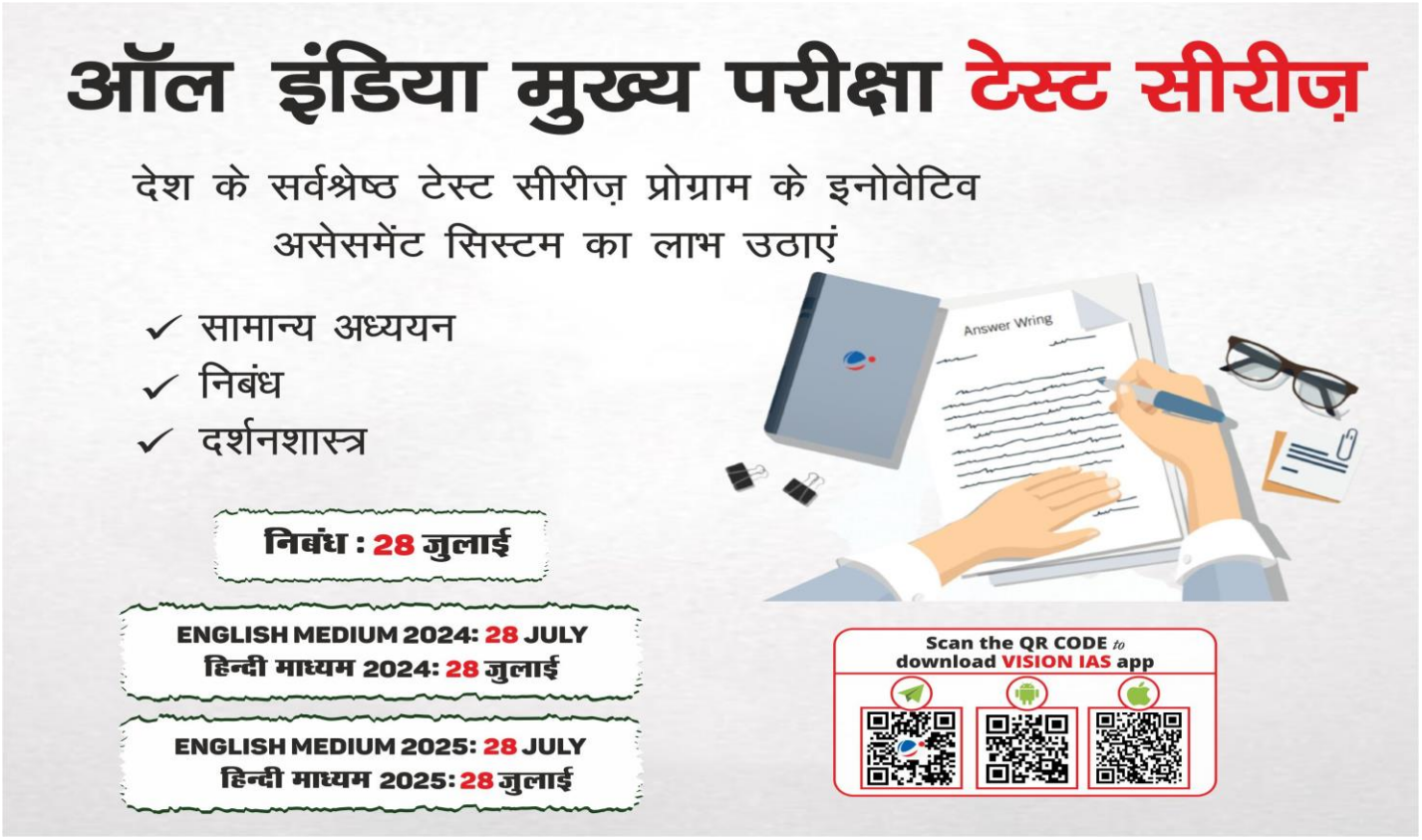

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन (Revised Priority Sector Lending Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों** में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है।

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड

- **इंसेंटिव फ्रेमवर्क:** इसके तहत **कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए** वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले **इंसेंटिव फ्रेमवर्क** की स्थापना की जाएगी।
  - जिन जिलों में **ऋण वितरण कम** (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम) है, वहां PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **अधिक भारांश (125%)** दिया जाएगा।
- **डिसइनसेंटिव फ्रेमवर्क:** पहले से ही **अधिक ऋण प्राप्त** करने वाले जिलों में **(प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक)**, PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **कम भारांश (90%)** दिया जाएगा।
- **अन्य जिले:** कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर, **अन्य सभी जिलों में भारांश 100%** के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा।
- **MSME ऋण:** MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण **PSL श्रेणी** में आएंगे।

"प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL)" के बारे में

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** का आशय उन क्षेत्रकों से है जिन्हें **सरकार और RBI देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण** मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **उद्देश्य:**
  - **समाज के कमजोर वर्गों और अल्पविकसित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करना।
  - बैंक ऋण के एक हिस्से को उन निर्धारित क्षेत्रकों और उप-क्षेत्रकों को देना, जो आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक' की अवधारणा को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया** था। इसके तहत ऐसे क्षेत्रकों के लिए ऋण की उपलब्धता को आसान बनाया गया जो ऋण लेने के लिए पात्र होते हुए भी औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं ले पाते थे।
- **'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक' से जुड़ी अलग-अलग समितियां:**
  - **गाडगिल समिति (1969):** इसने **क्षेत्रीय अप्रोच (एरिया अप्रोच)** अपनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर **'लीड बैंक योजना'** आरंभ की गई।
  - **घोष समिति (1982):** इसने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक की श्रेणियों में संशोधन किया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के तहत श्रेणियां

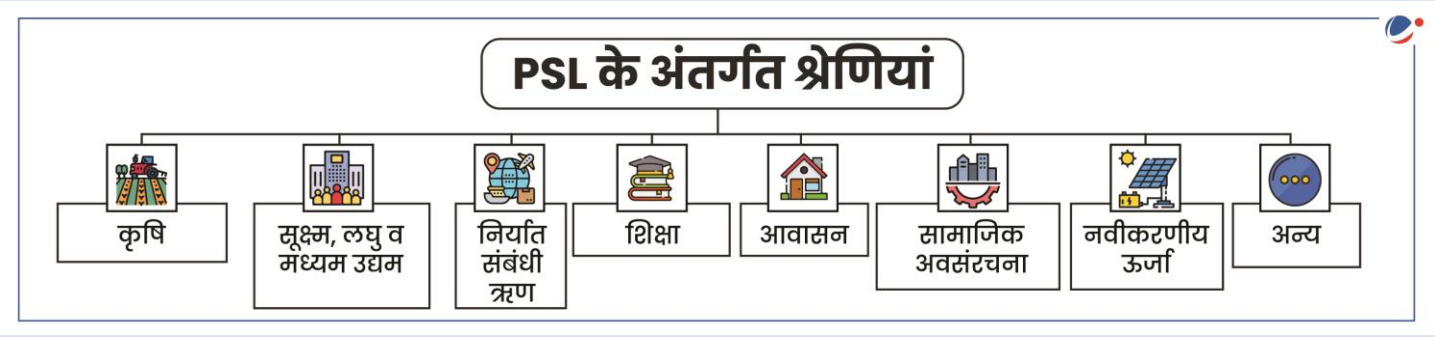

कमजोर वर्गों की श्रेणी वाले सेक्शन में अतिरिक्त उप-लक्ष्य भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए- **कृषि श्रेणी में लघु और सीमांत किसान।**

PSL के तहत कमजोर वर्ग

लघु और सीमांत किसान	विभेदक ब्याज दर (DRI)[16] योजना (1972), NRLM, NULM, मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) के लाभार्थी
गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी किसान	दिव्यांगजन
कारीगर, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	महिलाएं
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय
स्वयं-सहायता समूह (SHGs)	किसानों के अलावा अन्य संकटग्रस्त व्यक्ति

विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए PSL हेतु लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

श्रेणियां	**घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	**लघु वित्त बैंक**
समग्र प्राथमिकता क्षेत्रक	एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ़ 'ऑफ-बैलेंस शीट' एक्सपोजर (CEOBE) का **40%** (जो भी अधिक हो)।	**घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान**	ANBC या CEOBE का **75%** (जो भी अधिक हो)।	ANBC या CEOBE का **75%** (जो भी अधिक हो)।
कृषि	ANBC या CEOBE का **18%** (जो भी अधिक हो); इस ऋण में से लघु एवं सीमांत किसानों को **10%** देना होता है।	लागू नहीं	**घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान**	घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान

[16] Differential Rate of Interest

सूक्ष्म लघु उद्योग	ANBC या CEOBE का 7.5% (जो भी अधिक हो)।	लागू नहीं	**घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान**	घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान
कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता	ANBC या CEOBE का 12% (जो भी अधिक हो)।	लागू नहीं	ANBC या CEOBE का 15% (जो भी अधिक हो)।	घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान
नोट: PSL संबंधी दिशा-निर्देश प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों[17] पर भी लागू होते हैं।				

भारतीय अर्थव्यवस्था पर PSL का सकारात्मक प्रभाव:

- **वित्तीय समावेशन:** PSL मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लघु एवं सीमान्त किसान, महिलाएं, कमजोर वर्ग जैसे समुदायों को भी ऋण का लाभ मिले।
- **कृषि का समर्थन:** अन्य नीतियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों हेतु PSL दिशा-निर्देश के कारण कृषि क्षेत्रक के लिए अनिवार्य 18% ऋण देने का प्रावधान करने के चलते कृषि ऋण में 2000 से 2020 तक 19.81% की CAGR[18] दर्ज की गई।
- **MSMEs को बढ़ावा मिलना:** PSL के तहत MSMEs के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। इसके चलते रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है।
- **आय वृद्धि:** आंध्र प्रदेश में की गई एक केस स्टडी में यह बात सामने आई है कि लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है।

शब्दावली को जानें

- **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC):** यह निवल बैंक ऋण के साथ-साथ 'परिपक्वता अवधि तक धारित' (HTM) श्रेणी में रखे गए गैर-SLR (सांविधिक तरलता अनुपात) बॉण्ड्स में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है।

PSL से जुड़ी समस्याएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs):** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक में बकाया ऋण की वजह से बैंकों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  - कुछ अध्ययनों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के चलते अधिक NPA बना है और **NPA को बट्टे खाते में डाला गया (राइट ऑफ)** है।
- **लागत में वृद्धि होना:** PSL संबंधी शर्तों के पालन की वजह से बैंकों की प्रशासनिक और लेन-देन लागत में वृद्धि हुई है।
- **PSL से जुड़ी अन्य समस्याएं:** बैंकों की लाभप्रदता कम हुई है, बैंकों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है, आदि।

शब्दावली को जानें

- **PSL सर्टिफिकेट (PSLC):** यह बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण-पत्र है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंक ने RBI द्वारा निर्धारित PSL (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार) लक्ष्य को पूरा कर लिया है। जो बैंक अपना PSL लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, वे दूसरे बैंक से इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदकर अपने PSL लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।

आगे की राह

- **सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना और "लघु" वित्त बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित करना:** सूक्ष्म वित्तीय संस्थान अपने विशाल सेवा वितरण नेटवर्क और **"लास्ट माइल कनेक्टिविटी"** के व्यवसाय मॉडल के माध्यम से बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण देने की सुविधा बढ़ा सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए- किसानों को ऋण मंजूरी के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे बैंकों की ऋण वितरण की लागत कम होगी तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण वितरण और दक्षता में वृद्धि होगी।
- **मजबूत ऋण अवसंरचना और जोखिम मूल्यांकन टूल बनाना:** ऋण लेने वालों के ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में कमी लाने के लिए टूल्स यानी मैकेनिज्म बनाए जाने चाहिए।

---

[17] Primary Urban Co-operative Banks

[18] Compound annual growth rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

3.2. फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपंजीकृत **फाइनेंसियल इन्फ्लुएंसर्स** या **फिनफ्लुएंसर्स** के लिए आधारभूत नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों में विनियमित संस्थाओं को बिना पंजीकरण वाले फिनफ्लुएंसर्स के साथ काम करने से प्रतिबंधित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सेबी ने **बार-बार ट्रेड करने वाले शेयरों की डीलिस्टिंग के लिए एक निश्चित मूल्य प्रक्रिया शुरू** करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सेबी ने 'निवेश और धारक कंपनियों (IHC)[19]' के लिए एक **डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क** भी जारी किया है।
- यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब **गैर-विनियमित फिनफ्लुएंसर्स से जुड़े पक्षपातपूर्ण या भ्रामक ट्रेड सलाह** से जुड़े जोखिमों की आशंका लगातार बढ़ रही है।

फाइनेंसियल इनफ्लुएंसर या 'फिनफ्लुएंसर' के बारे में

- यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय निवेशों; आमतौर पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और बीमा उत्पादों में व्यक्तिगत निवेश पर **जानकारी और सलाह** देता है।
- **आय के स्रोत:**
  - **विज्ञापन-** व्यूज के आधार पर पैसिव इनकम।
  - **कोलैबोरेशन-** किसी वित्तीय उत्पाद को प्रमोट करने के लिए।
  - **सांठगांठ-** किसी उत्पाद को खरीदने या किसी सेवा के लिए साइन अप करने के लिए वीडियो विवरण में लिंक देना।

फिनफ्लुएंसर की संख्या में बढ़ोतरी के कारण

- **वित्तीय साक्षरता का अभाव:** नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में वित्तीय साक्षरता मात्र 27%** है। फिनफ्लुएंसर नए निवेशकों को कई विषयों में शिक्षित और जागरूक करते हैं।
- **खुदरा निवेश में वृद्धि:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार कैश मार्केट के टर्नओवर में **रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2016 के 33% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में 45 प्रतिशत हो गई थी।
  - इस प्रकार, वित्तीय साधनों यानी इंस्ट्रूमेंट और शेयर बाजारों से संबंधित जानकारी की मांग में वृद्धि हुई है।
- **नए निवेशकों की संख्या में तेजी से वृद्धि:** कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद वित्तीय सलाह की **मांग और उपलब्धता, दोनों** में बढ़ोतरी हुई है।
  - **जून 2021 में नए ग्राहक का पंजीकरण रिकॉर्ड 1.5 मिलियन तक पहुंच गया, जो जून 2020 के 0.6 मिलियन** के दोगुने से भी अधिक है।
- **तकनीकी प्रगति:** नए जमाने की ब्रोकिंग फर्म्स द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाले ऐप्स; जैसे ज़ेरोधा, ग्रो आदि लॉन्च किए जाने से ट्रेडिंग का प्रसार हुआ है।
  - किफायती स्मार्टफोन्स, सस्ते डेटा प्लान और डिजिटल पेमेंट ने फाइनेंसर्स को **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक पहुंचने में मदद** की है।

फिनफ्लुएंसर्स के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- **विनियमन का अभाव:** विनियमन के दायरे में नहीं आने की वजह से फिनफ्लुएंसर की विशेषज्ञता और योग्यता का आकलन करना या गलत सलाह की वजह से निवेशकों को हुए किसी जोखिम के लिए फिनफ्लुएंसर पर कोई जवाबदेही तय करना काफी मुश्किल हो जाता है।
- **बाजार में हेरफेर: कंपनियों द्वारा कई बार अपने लाभ** के लिए शेयर्स के मूल्य में हेरफेर करने हेतु फिनफ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **सालासर टेक्नोलॉजीज** के शेयर की कीमतों में फिनफ्लुएंसर्स द्वारा हेरफेर किया गया, जिसके चलते निवेशकों को **भारी नुकसान झेलना** पड़ा था।
- **उच्च जोखिम वाले निवेश:** फिनफ्लुएंसर्स उच्च जोखिम वाले निवेश अवसरों को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा अक्सर इससे जुड़े जरुरी जोखिमों को बताए बिना ही **उच्च रिटर्न देने की गारंटी के साथ किया** जाता हैं।

[19] Investment and Holding Companies

- **सलाह की विश्वसनीयता पर सवाल:** फिनफ्लुएंसर्स द्वारा साझा की जाने वाली वित्तीय सलाह आम तौर पर विश्वसनीय या अच्छी तरह से शोध की गई नहीं होती हैं, बल्कि ये व्यूज और लाइक्स पाने के लिए दी जाती हैं।
    - इस प्रकार का **कंटेंट-फर्स्ट एप्रोच, दी गई सलाह की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से समझौता** करने जैसा है।
- **सामाजिक प्रभाव:** फिनफ्लुएंसर्स अपने फैन्स के बीच भरोसा और विश्वसनीयता पैदा करने के लिए अपनी **सामाजिक पूंजी और प्रेरक संचार कौशल का लाभ उठाते** हैं। इनके प्रभाव में छोटे निवेशक निवेश का निर्णय ले लेते हैं।
- **अनैतिक गतिविधियों की आशंका:** फिनफ्लुएंसर्स **बाजार में हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग आदि के जरिए व्यक्तिगत लाभ के बदले में कुछ शेयर्स की बाजार में डिमांड को बढ़ावा** दे सकते हैं।

फिनफ्लुएंसर्स के लिए विनियामकीय कार्रवाई

- **सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम 2013:** यह उन लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क है जो **फीस के बदले वित्तीय सलाह प्रदान करते** हैं।
- **सेबी परामर्श पत्र:** इसके जरिए सेबी ने अपने यहां पंजीकृत मध्यवर्तियों/ विनियमित संस्थाओं के अपंजीकृत **'फिनफ्लुएंसर'** के साथ संबंध को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)**: इसने अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है, जिससे इनफ्लुएंसर्स के लिए **सेबी के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य** हो गया है।
- ASCI और **यूट्यूब इन-हाउस नियम दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए पेड** या **प्रोमोशनल कंटेंट** की घोषणा करना अनिवार्य करते हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट परिभाषाएं:** फिनफ्लुएंसर्स, निवेश सलाह जैसे टर्म्स की स्पष्ट परिभाषा तय की जानी चाहिए ताकि इनसे जुड़ी किसी भी गतिविधि की **न्यायिक या विनियामक स्तर पर जांच की जा** सके।
    - इसमें वित्तीय-निवेश के संचार के लिए उपभोक्ता तक पहुंच वाले **सभी माध्यमों का कवरेज** शामिल होना चाहिए। जैसे टीवी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया इत्यादि से दी गई सलाह।
- **वित्तीय सलाहकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए,** हितों के टकराव से बचने जैसी कुछ डिस्क्लोजर आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, आदि।
- **पारदर्शिता और डेटा-आधारित संचार:** रियल टाइम डिजिटल निगरानी की तरह, एक **आचार संहिता** मौजूद होने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि दी गई **वित्तीय जानकारी "सच्ची, संतुलित और डेटा-आधारित"** है।
- **बेहतर शिकायत निवारण तंत्र:** यह तंत्र निवेशकों को गलत निवेश सलाह की रिपोर्टिंग करने तथा इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में मदद करेगा।
- **निवेशक शिक्षा:** निवेशकों को डिजिटल माध्यम से दिए जाने वाले वित्तीय मार्गदर्शन का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए **आवश्यक ज्ञान और कौशल** से लैस करना चाहिए।

- ब्रोकिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स और साथ ही सेबी द्वारा **टियर-II और टियर-III जगहों पर** निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

- **स्व-विनियामक संगठन (SROs):** औद्योगिक संगठनों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्व-विनियमन प्रोटोकॉल अपनाने की आवश्यकता है।
- **प्रदर्शन सत्यापन एजेंसी (PVA)[20]:** एक **थर्ड पार्टी एंटिटी के रूप में PVA** का गठन किया जा सकता है। इसका कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट्स का सत्यापन करके वित्तीय इकोसिस्टम में भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ाना होना चाहिए।

फिनफ्लुएंसर्स के विनियमन पर विश्व के कुछ उदाहरण

- **ऑस्ट्रेलिया:** बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स को **5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान** है।
- **यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण:** इसने "निवेश सिफारिशें क्या हैं", "उन सलाह को सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट किया जाए" जैसे सवालों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। साथ नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- **न्यूज़ीलैंड:** फिनफ़्लुएंसर्स के लिए परिभाषित **'कोड ऑफ बिहेवियर'** में दी गई सलाह की जटिलता के अनुसार लाइसेंसिंग की अलग-अलग स्तरों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कंटेंट डिस्क्लेमर में जोखिम चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का प्रावधान है।
- **सिंगापुर और चीन के विनियामकों** ने **फिनफ्लुएंसर्स के लिए भी दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

3.3. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना (Bridging Global Workforce Gaps)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने **"इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030"** नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 24.3% भारत से होगा।

शब्दावली को जानें

- **फ्रेंडशोरिंग:** यह एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक रणनीति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को उन देशों में स्थानांतरित करती हैं जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके सहयोगी होते हैं।

वैश्विक श्रम बाजार की स्थिति

- **कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी:** उच्च आय वाले कई देशों में **जन्म दर में गिरावट** के कारण तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव देखा जा रहा है।
  - 2050 तक, इन देशों में कामकाजी उम्र की आबादी में **92 मिलियन से अधिक की कमी** हो सकती है।
- **वृद्ध होती आबादी: उच्च आय वाले कई देशों** में बुज़ुर्ग व्यक्तियों (65 और इससे अधिक उम्र के व्यक्ति) की आबादी में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।
  - बुजुर्ग पीढ़ी की आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता के लिए कामकाजी उम्र के व्यक्तियों को **पेंशन एवं स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में अंशदान देना आवश्यक है।** इस प्रकार कामकाजी आबादी समाज में वित्तीय और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है।
- **वैश्वीकृत रोजगार बाजार:** डिजिटल सिस्टम के उपयोग में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा दूर-दूर रहकर लोग सहकर्मी या टीमवर्क के रूप में कार्य रहे हैं। इससे **प्रतिभा मूल्य श्रृंखलाओं (टैलेंट वैल्यू चेन) को अधिक वैश्विक** बनाने में मदद मिली है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव:** भू-राजनीतिक परिस्थितियों, व्यापार प्रतिबंध एवं फ्रेंडशोरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव एवं परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसने जॉब मार्केट और उससे जुड़े हुए पारिश्रमिकों में बदलाव को प्रभावित किया है।
  - फ्रेंडशोरिंग नए प्रकार की व्यापार गतिविधि यानी ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में उन देशों को बढ़ावा दिया जाता है, जिन्हें अपना राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माना जाता है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ

- **कामकाजी आबादी:** वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है। इनमें से लगभग 65% लोग कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) के हैं और 27% से अधिक लोग 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
  - यह सरप्लस वर्कफोर्स विकसित देशों में कामकाजी लोगों की मांग और आपूर्ति के बीच के **अंतर को कम करने का अवसर प्रदान** करता है।

[20] Performance Validation Agency

- **कौशल में कमी की समस्या को दूर करना:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)[21] की 'ग्लोबल स्किल गैप स्टडी' से पता चलता है कि दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रकों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है।
    - कई अनुमान संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इनकी अधिक मांग का संकेत दे रहे हैं।
- **दोहरा लाभ:** भारत में सरप्लस वर्कफोर्स के दो लाभ हैं। युवा आबादी वाला देश (औसत आयु 28.4 वर्ष) होने के कारण भारत को न केवल वर्कफोर्स के मामले में प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ मिलता है, बल्कि युवा आबादी की उपभोग शक्ति का आर्थिक लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है।
- **पिछली सफलताओं के उदाहरण:** सूचना-प्रौद्योगिकी (IT) एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता इस बात का अच्छा उदाहरण है कि भारत ने अपने जनसांख्यिकीय लाभ का किस प्रकार लाभ उठाया है।

श्रम गतिशीलता के प्रभाव

- **वैश्विक उत्पादकता में वृद्धि:** श्रम गतिशीलता यानी लेबर मोबिलिटी भविष्य के प्रवासियों को जरूरतमंद नियोक्ताओं से जोड़ सकती है। इससे वैश्विक समानता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- **गरीबी उन्मूलन:** अमीर देशों में जाने वाले श्रमिक **अपनी आय में 6 से 15 गुना वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं,** जिससे गरीबी में काफी कमी आएगी।
- **सामाजिक कल्याण:** कार्यबल के विदेश जाने से केवल व्यक्तिगत प्रवासियों को ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इनके द्वारा घर वापस भेजी गई मुद्रा यानी रेमिटेंस से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है।
    - वर्ष 2022 में, भारत को **रेमिटेंस के रूप में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि** प्राप्त हुई। इस तरह भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
- **भारत के श्रम बाजार पर दीर्घकालिक प्रभाव:** बड़े पैमाने पर श्रमिकों के बाहर प्रवास कर जाने से **भारत के कौशल विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है और प्रतिभा पलायन** (ब्रेन ड्रेन) की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवा और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ के उपयोग के लिए उठाए गए कदम

- **कौशल विकास:** केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने **कुशल कार्यबल की कमी की समस्या से निपटने के लिए** कौशल प्रशिक्षण हेतु कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे- स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि।
    - 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने और कम उम्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- **प्रवासन समझौते:** भारत ने इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे अलग-अलग देशों के साथ प्रवासन और कौशल प्रशिक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्रम गतिशीलता की चुनौतियां

- **कोविड-19 महामारी का प्रभाव:** कोविड महामारी ने प्रवासी श्रमिकों को बुरी तरह प्रभावित किया, विशेष रूप से कम-कौशल की आवश्यकता वाली नौकरियों में लगे श्रमिकों को। महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार खोना पड़ा और वे कर्ज में डूब गए।
- **प्रवासन विरोधी नीतियां और स्थानीय भावनाएं:** उच्च आय वाले कई देशों में प्रवासी-विरोधी भावनाएं एवं प्रतिबंधात्मक नीतियां भविष्य में आने वाले प्रवासियों के लिए बाधाएं पैदा करती हैं।
- **प्रवासन की जटिल प्रक्रियाएं:** कई देशों में आव्रजन प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं जो भविष्य में प्रवासियों को आने से रोकती हैं।
    - इसके अतिरिक्त, प्रवासियों को नई जगह के अनुकूल ढलने और नए समाज के उत्पादक सदस्य बनने में मदद करने के लिए व्यापक एकीकरण कार्यक्रमों का अक्सर अभाव रहता है।
- **बढ़ता ऑटोमेशन:** ऑटोमेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति होने से कार्य की प्रकृति में बुनियादी बदलाव हो रहे हैं।

आगे की राह

- **विश्व में श्रम की मांग को समझना:** भारत रणनीतिक रूप से अपने सरप्लस वर्कफोर्स को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मांगों के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक विकास और एकीकरण सुनिश्चित हो सकेगा।

[21] National Skill Development Corporation

- **कौशल विकास:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए **कौशल विकास से संबंधित पहलों में निवेश** करना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रकों के लिए जिनमें उच्च आय वाले देशों में कार्यबल की कमी है।
    - **भारतीय शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों में निवेश करके** एक मजबूत स्किल इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सकता है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:** विदेशों में कार्यबल भेजने को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - **आव्रजन यानी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे-** आव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रवास के अवसरों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और प्रवासियों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना आदि।
- **जन-जागरूकता फैलाना:** जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से **प्रवासियों के खिलाफ स्थानीय लोगों के मन में नकारात्मक धारणाओं को दूर करने** और स्थानीय समाज में प्रवासियों के सकारात्मक योगदान को बताने एवं प्रसारित करने से भविष्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिल सकती है।
- **लागत कम करना: प्रवासी कार्यबल के प्रवासन की लागत को कम करना चाहिए** और भारतीय श्रम बाजार में वापस लौटने वाले कार्यबल के लिए आसानी से श्रम बाजार में रोजगार सुनिश्चित कराना चाहिए।
- **महिला सशक्तिकरण:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार, कार्यबल में अधिक-से-अधिक महिलाओं को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि 2022 में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 24% ही थी।

3.4. भारत का व्यापार घाटा (India's Trade Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, **वित्त वर्ष 2023-24** में भारत ने **अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा** दर्ज किया।

भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)

- व्यापार घाटा तब होता है जब किसी **देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता** है।
    - इसे **नकारात्मक व्यापार संतुलन** भी कहा जाता है।
- भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश हैं; **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस** और **सऊदी अरब** (घटते क्रम में)।
- **चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग** के साथ **भारत का व्यापार घाटा** 2022-23 की तुलना में **बढ़ा** है, जबकि **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया** और **इराक** के साथ **यह कम** हुआ है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम** और **इटली** शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार देश हैं जिनके साथ **भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस)** है।

उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **नकारात्मक प्रभाव**
    - अतिरिक्त आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है**। इससे **घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास (Depreciation) की चिंता बनी रहती** है।
    - **चालू खाता घाटे में वृद्धि** होती है। यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है।
    - निरंतर व्यापार घाटे के कारण रणनीतिक परिणाम भी सामने आते हैं। विशेष रूप से आवश्यक उत्पादों या क्रिटिकल सेक्टर्स के आयात के मामले में।
- **सकारात्मक प्रभाव**
    - व्यापार घाटा मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक विकास के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी होता है। इसके अलावा यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है, तो इससे **घरेलू निवेश** में वृद्धि होती है।

भारत के उच्च व्यापार घाटे के कारण

- **आयातित इनपुट पर अधिक निर्भरता**: कच्चा तेल और फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए आयात पर निर्भर होना, आदि।
- **उपभोग पैटर्न में बदलाव**: उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स), लक्ज़री गुड्स इत्यादि की मांग बढ़ रही है।

- **भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक:** जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास न होना, लॉजिस्टिक की उच्च लागत, अवसंरचना की कमियां, आदि
- **घरेलू नीतियां** जैसे कि इनवर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाना आदि।
- **अन्य** - मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर ढंग से लाभ न उठा पाना, विकसित देशों द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाएं लगाना आदि।

3.5. कृषि विस्तार प्रणाली (Agriculture Extension System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **वाराणसी में स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण-पत्र** प्रदान किए।

कृषि सखी के बारे में

- कृषि सखियां **अनुभवी महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि कार्य में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर** हैं।
    - **कृषि विस्तार प्रणाली** शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से कृषि पद्धतियों में **वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीनतम ज्ञान के उपयोग में** किसानों व ग्रामीण उत्पादकों को सहायता प्रदान करती है।
- **भूमिका:** प्राकृतिक खेती के विविध पहलुओं पर किसानों को स्थानीय स्तर पर ही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी, कौशल और क्षमताओं के साथ हर कदम पर किसानों का मित्र बनना। साथ ही, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे नए क्षेत्रकों में क्षमता निर्माण व कौशल प्रदान करना।

कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम (KSCP)

- **मंत्रालय:** यह केंद्रीय **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन** (MoU) के तहत शुरू की गई एक पहल है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य कृषि सखियों को **पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स** के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके **ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना** तथा फिर **ग्रामीण भारत में बदलाव** लाना है।
    - इस कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से **प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा।
- **लखपति दीदी कार्यक्रम का हिस्सा:** लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत **3 करोड़ लखपति दीदी** बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी कार्यक्रम का उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करना और उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा** देना है। कृषि सखी, इसी **लखपति दीदी कार्यक्रम का एक भाग** है।
- **कार्यान्वयन:** पहले चरण में इस कार्यक्रम को **12 राज्यों** में शुरू किया गया है। ये राज्य हैं- **गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय।**
    - वर्तमान में, **70,000 में से 34,000 से अधिक** कृषि सखियों को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में **प्रमाणित** किया जा चुका है।

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली

- वर्तमान में, भारत में कृषि अनुसंधान एवं विकास प्रणाली पर **सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रभुत्व है और इसका नेतृत्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)**[22] करता है।
- **ICAR के कृषि विस्तार प्रभाग के अधीन नवीन पहलें-**
    - **विस्तार/ VISTAAR (कृषि तकनीकों पर विकसित की जाने वाली वीडियोज़, वीडियोज़ की तकनीकी जांच, राज्य नोडल एजेंसियों व हितधारकों की निगरानी):** यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित परस्पर-क्रियात्मक प्रौद्योगिकी सूचना विस्तार से संबंधित पहल है;
    - देश भर में कृषि में **ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रसार करना** एवं इसके उपयोग को बढ़ावा देना;

[22] Indian Council of Agriculture Research

- प्रौद्योगिकी अपनाने तथा अपस्केलिंग एवं आउट-स्केलिंग के लिए रणनीतियों के विकास के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने हेतु **बिग डेटा प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ाना** आदि।
    - बिग डेटा प्रबंधन **ICAR और सीरियल सिस्टम्स इनिशिएटिव इन साउथ एशिया (CSISA)** के बीच सहयोगात्मक परियोजना है।

- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)[23]:** इस मिशन के **चार उप-मिशन** हैं। इन उप-मिशनों को किसानों को कृषि कार्य हेतु नवीन तकनीक उपलब्ध कराने और इन तकनीकों को अपनाने तथा वर्तमान कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। **ये चार उप-मिशन हैं-**
    - कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE);
    - बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP);
    - कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM); तथा
    - पौध संरक्षण और पौध क्वारेंटाइन पर उप-मिशन (SMPP)।
- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs):** कृषि विज्ञान केंद्र **ICAR की क्षेत्रीय अनुसंधान इकाइयां हैं।** यह बीज की नवीन किस्मों, कृषि पद्धतियों, मशीनरी आदि का किसानों द्वारा अपनाए जाने से पहले विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में खेतों में उनका परीक्षण करता है।
    - इसके अतिरिक्त, वे सीधे खेत में ही कृषि पद्धति आदि के प्रदर्शन, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से किसान आउटरीच कार्यक्रम भी संचालित करते हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक के अन्य भागीदार** राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ICT आधारित कृषि विस्तार उपाय।
    - ICT-आधारित योजनाओं में **m-किसान, किसान कॉल सेंटर** आदि शामिल हैं।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि विस्तार सेवाएं:** ये सेवाएं अधिकतर **इनपुट डीलरों** द्वारा प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए **बीज, उर्वरक और कृषि मशीनरी** का विपणन करने वाले डीलर।
    - उदाहरण के लिए- इफको (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) जैसी कंपनियां किसानों की संगोष्ठियां आयोजित करके, फसलों से संबंधित सेमिनार आयोजित करके और मृदा परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके विस्तार गतिविधियां (एक्सटेंशन एक्टिविटीज) संचालित करती हैं।

भारत की कृषि विस्तार प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **निवेश की कमी:** भारत अपने **कृषि-सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 0.7%** ही कृषि-अनुसंधान एवं शिक्षा (R&E) तथा विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय करता है। इसमें से भी केवल **0.16% फंड ही विस्तार और प्रशिक्षण के लिए आवंटित** किया जाता है।
- **क्षेत्रीय विविधताएं:** अलग-अलग राज्यों के बीच विस्तार प्रणाली की मौजूदगी और निवेश में काफी अंतर मौजूद हैं।
    - कृषि पर अत्यधिक निर्भर और सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले **पूर्वी राज्य** देश के सबसे गरीब राज्य हैं। साथ ही, ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (R&E) पर **सबसे कम व्यय करने वाले राज्य** भी हैं।
- **विषम आवंटन:** भारत में कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आवंटन **फसल उत्पादन (92%) की ओर अत्यधिक झुका** हुआ है, जबकि पशुधन क्षेत्रक भी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **परिणाम-आधारित तंत्र का अभाव:** सार्वजनिक विस्तार वितरण प्रणाली, **लक्षित परिणाम-आधारित तंत्र की बजाय लक्षित गतिविधि आधारित-तंत्र** के रूप में अधिक कार्य करती है।

[23] National Mission on Agriculture Extension and Technology

आगे की राह

- **बाजार-संचालित प्रणाली:** पारंपरिक खाद्य सुरक्षा नजरिये से सोचने से आगे बढ़कर अधिक बाजार-आधारित विस्तार प्रणाली अपनाने से **मौजूदा विस्तार प्रणाली को फिर से प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता** है।
- **अनुसंधान और विस्तार को आपस में जोड़ना:** सार्वजनिक, निजी और सिविल सोसाइटी क्षेत्रकों के बीच अनुभवों के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ाकर **अनुसंधान एवं विस्तार के बीच संबंधों को मजबूत** करना चाहिए।
- **विविधीकरण:** कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी बजट में फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुधन व डेयरी क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुधन व डेयरी क्षेत्रकों पर फसल उत्पादन के समान ही बल दिया जाना चाहिए।
- **इनोवेशन नेटवर्क: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनोवेशन नेटवर्क** को डिजाइन और कार्यान्वित करना चाहिए। इससे विचारों और प्रौद्योगिकियों की दोनों तरफ से मुक्त आवाजाही संभव हो सकेगी। उदाहरण के लिए- **KVK पोर्टल 'दर्पण' के माध्यम से KVKs की रैंकिंग** आदि।
    - **सार्वजनिक-निजी-किसान-नीति भागीदारी (P-P-P-P-P)[24] मॉडल** के अंतर्गत निजी क्षेत्रक के भागीदारों के साथ सहयोग करना।
- **कृषि-ग्रामीण बाजार:** किसी निश्चित दिन पर लगने वाले ग्रामीण बाजारों को प्राथमिक कृषि-ग्रामीण बाजारों (PRAMs)[25] में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उपज एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, मूल्य निर्धारण और किसानों को सौदेबाजी में सशक्त बनाने की सुविधाएं मिल सकेंगी।

***नोट:** SHGs और लखपति दीदी योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अगस्त 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.5. 'स्वयं सहायता समूह' (SHGs) देखें।*

3.6. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति[26] ने ग्रेट (GREAT) योजना पहल के तहत सात स्टार्ट-अप्स प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रॉस इंस्पायरिंग इनोवेशन इन टेक्सटाइल (GREAT)** पहल को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)[27] के घटक **अनुसंधान, विकास और नवाचार** के तहत शुरू किया गया है।

ग्रेट (GREAT) पहल के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों और स्टार्ट-अप उद्यमियों को अपने आइडिया यानी नई सोच को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों/ उत्पादों में परिवर्तित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **अनुदान सहायता:** आम तौर पर **18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये** तक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

तकनीकी वस्त्र के बारे में

- **परिभाषा:** तकनीकी वस्त्र को दरअसल ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग **उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी फंक्शनल गुणों** के आधार पर किया जाता है।
    - तकनीकी वस्त्रों के कई उपयोग हैं। इनमें कृषि, सड़क, रेलवे ट्रैक, खेलकूद परिधान एवं स्वास्थ्य क्षेत्रक से लेकर बुलेटप्रूफ जैकेट, अग्निरोधक जैकेट, अधिक ऊंचाई पर पहनने योग्य कॉम्बैट गियर और अंतरिक्ष क्षेत्र में उपयोग शामिल हैं।

भारत के लिए तकनीकी वस्त्रों का महत्त्व

- **उत्पादकता में वृद्धि:** 'टेक्निकल टेक्सटाइल इकोसिस्टम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी में **तकनीकी वस्त्रों के उपयोग** से कृषि उत्पादकता में 2-5 गुना वृद्धि होती है।

---

[24] Public-Private-Peasant-Policy Partnership

[25] Primary AgriRural Markets

[26] Empowered Programme Committee

[27] National Technical Textiles Mission

- **सरकारी पहलों में समन्वय:** उदाहरण के लिए; सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य **पैक-टेक नामक टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन बढ़ाने का** अवसर प्रदान करता है।
    - पैक-टेक सेगमेंट के वैश्विक बाजार में भारत 40-45% हिस्सेदारी के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है।
- **उच्च विकास दर:** भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार प्रति वर्ष 8-10% की दर से वृद्धि कर रहा है।
    - भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार **दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा बाजार** है। वर्ष 2021-22 में इसका **कुल मूल्य 21.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।
- **निर्यात क्षमता:** भारत के तकनीकी वस्त्र उत्पादों का निर्यात मूल्य 2020-21 में 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, अर्थात् इस दौरान इसमें 28.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **अन्य:** कम अवधि में विस्तार करने की क्षमता है; उच्च वेतन वाले कार्यबल या रोजगार के अवर सृजित करने में सक्षम है, आदि।

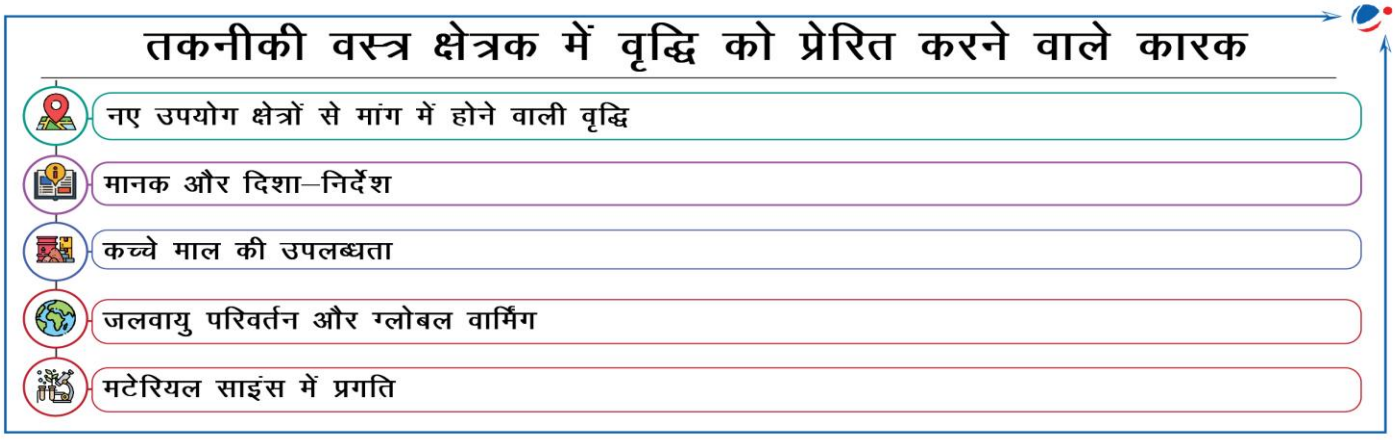

भारत में तकनीकी वस्त्र के विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **मशीनरी के लिए आयात पर निर्भरता:** वर्तमान में, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अधिकांश मशीनरी भारत में उपलब्ध नहीं है। इन मशीनों का आयात किया जाता है।
- **अपनाने में झिझक:** तकनीकी वस्त्र उत्पादों के अधिकांश संभावित अंतिम यूजर्स अभी भी ऐसे उत्पादों के उपयोग के लाभों के बारे में नहीं जानते हैं।
- **मानकीकरण और संबंधित विनियमनों का अभाव:** कई तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए मानक बेंचमार्क अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार में घटिया और सस्ते उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
    - भारतीय रक्षा क्षेत्रक जैसे संस्थागत खरीदारों ने आवश्यक मानकों के कारण पारंपरिक रूप से कई तकनीकी वस्त्र उत्पादों की खरीद की जगह आयात का विकल्प चुना है।
- **उद्यमशीलता की कमी:** तकनीकी वस्त्रों में उद्यमशीलता की संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में मुख्य बाधाएं हैं।
- **तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अधिक अनुसंधान एवं विकास का नहीं होना:** यह समस्या उद्योग के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। **तकनीकी वस्त्र** के उत्पादों और प्रक्रियाओं में तेजी से बदलाव होते हैं और इसके लिए नवाचार की आवश्यकता होती है। **अनुसंधान एवं विकास की कमी की वजह से नवाचार** को बढ़ावा नहीं मिलता है।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):** इसका लक्ष्य है भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक रूप से एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
    - **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक।
    - **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय।
- **योजनाएं**
    - वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना,
    - प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (PM- MITRA) योजना,
    - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park- SITP)।

- **गुणवत्ता नियंत्रण विनियमन (Quality Control Regulations):** वस्त्र मंत्रालय ने जियो-टेक टेक्सटाइल्स की 19 वस्तुओं, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स की 12 वस्तुओं, एग्रो टेक्सटाइल्स की 20 वस्तुओं और मेडिटेक टेक्सटाइल की 06 वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश[28] जारी किए हैं।
- **नए HSN कोड:** तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए विशेष रूप से नए HSN कोड का विकास किया गया है।
- **तकनीकी वस्त्रों के लिए मानक:** तकनीकी वस्त्रों के लिए 500 से अधिक BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) मानकों का विकास किया गया है।
- **तकनीकी वस्त्रों का अनिवार्य उपयोग:** तकनीकी वस्त्र उत्पादों को कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां इन वस्त्रों के उपयोग से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं उन्हें इससे लाभान्वित किया जा सके।

आगे की राह

- **जागरूकता बढ़ाना:** सरकार और उद्योग जगत द्वारा आम लोगों को तकनीकी वस्त्रों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक ठोस बुनियादी फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है।
- **कौशल विकास पर ध्यान देना एवं शैक्षिक परिवेश तैयार करना:** सरकार को तकनीकी वस्त्रों में उद्यमिता पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अलग-अलग उद्यमिता विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- **भारत के ब्रांडों को प्रमोट करने में मदद करना:** भारतीय ब्रांड को गुणवत्ता के मामले में वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित करने और उद्योग को ग्राहक-विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए तैयार करने की जरूरत है।
- **PPP मॉडल पर आधारित 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना करना:** तकनीकी वस्त्रों में डिजाइनिंग, बाजार संपर्क, क्षमता निर्माण, परीक्षण केंद्र, संधारणीय सामग्रियों पर अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी वस्त्रों में संयुक्त उद्यम:** संयुक्त उद्यमों की स्थापना से प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की विकास लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था भारतीय और विदेशी उद्यमियों के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह नए बाजारों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करती है।
- **स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना:** तकनीकी वस्त्र उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया जाना चाहिए और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

वस्त्र क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #122: परिवर्तन का दौर: भारत का वस्त्र उद्योग एक आधुनिक भविष्य का निर्माण कर रहा है

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)

[28] Quality Control Order

3.7.भारतीय रेलवे की सुरक्षा (Indian Railways Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पिछले छह महीनों में ट्रेन के पटरी से उतरने/टकराने की कई घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

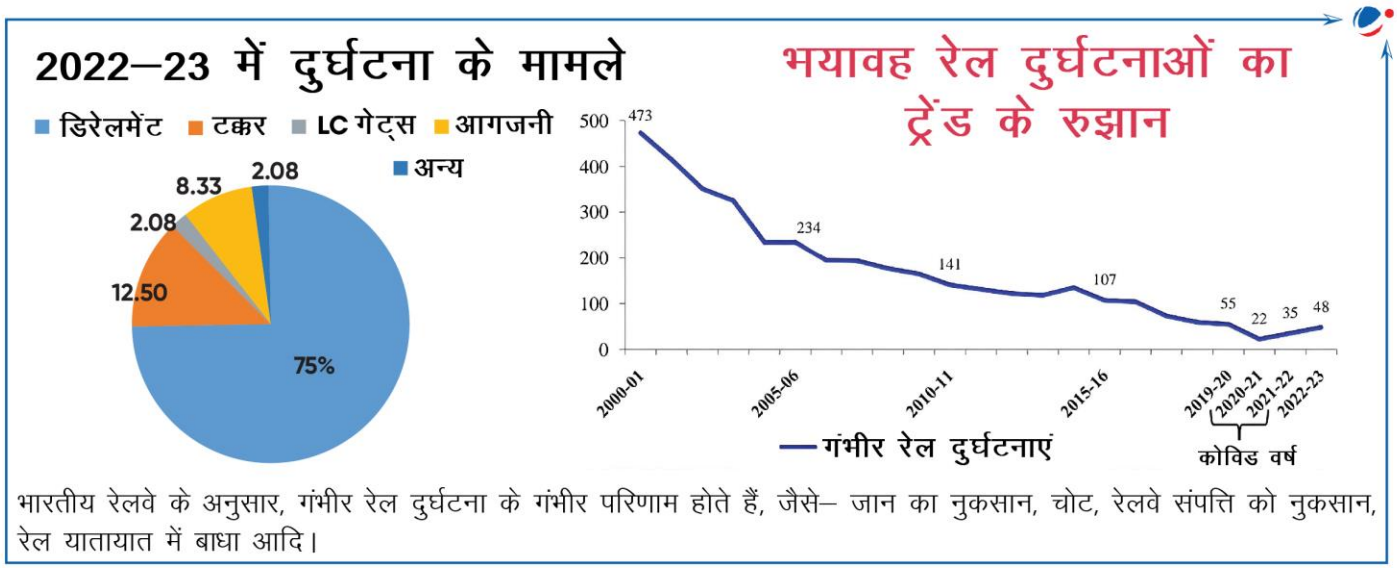

भारतीय रेलवे के अनुसार, गंभीर रेल दुर्घटना के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे– जान का नुकसान, चोट, रेलवे संपत्ति को नुकसान, रेल यातायात में बाधा आदि।

रेल दुर्घटनाओं के कारण

- **ट्रेनों का पटरी से उतरना:** इसका कारण इंजन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, सिग्नल आदि का सही ढंग से रख-रखाव न करना एवं परिचालन संबंधी अन्य अनियमितताएं हो सकती हैं।
- **मानवीय भूल (ह्यूमन एरर):** इस प्रकार की गलतियां इंसानी भूल के कारण होती है। इसमें रेलवे स्टाफ के साथ-साथ सड़क यात्री, सवारी, उपद्रवी आदि भी शामिल हैं।
  - भारतीय रेलवे के अनुसार, **लगभग 75% रेल दुर्घटनाएं 'रेलवे स्टाफ की गलती' के कारण होती हैं तथा अन्य 10% दुर्घटनाएं 'उपकरणों के सही से काम नहीं करने' के कारण होती** हैं।
- **सिग्नल फेलियर:** खराब या क्षतिग्रस्त ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर, सिग्नल फेलियर के प्रमुख कारण हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** दोषपूर्ण सिग्नल सर्किट मॉडिफिकेशन के कारण गलत सिग्नलिंग हुई, जिसके कारण 2023 में बालासोर में ट्रेन की टक्कर हुई।
- **रेलवे कोचों में आग लगने की घटनाएं:** यात्रियों द्वारा अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ ले जाने; शॉर्ट सर्किट लगने; पैंट्री कार के कर्मचारियों, लीज ठेकेदार की लापरवाही जैसे कारणों से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं।
- **मानव संसाधन:** भारतीय रेलवे के सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यबल में लगभग 20,000 पद रिक्त हैं।
  - सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोको क्रू, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर आदि शामिल हैं।

रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- **कवच प्रणाली (KAVACH System)**: यह **स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली** (ATP)[29] है। यह सिस्टम कैब सिग्नलिंग जैसी विशेषताएं से युक्त है जो उच्च रफ्तार और कोहरे वाले मौसम में भी कार्य कर सकता है।
  - तकनीकी भाषा में इसे **ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS)** या **ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (ATP) सिस्टम** के नाम से जाना जाता है।
  - फरवरी 2024 तक, कवच को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 रूट कि.मी. और 139 इंजनों (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक सहित) में स्थापित किया जा चुका है।

[29] Automatic Train Protection System

कवच सिस्टम की कार्य प्रणाली

- कवच प्रणाली में टक्कर से बचने के लिए एक-दूसरे की ओर बढ़ती **दो ट्रेनों पर लगाए गए उपकरणों के एक नेटवर्क का उपयोग** किया जाता है।
- ये उपकरण, **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग** और **ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)** की मदद से काम करते हैं।
- यह प्रणाली **"टकराने के खतरे"** वाली दो ट्रेनों के मार्ग का सटीक आकलन करके और **ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से शुरू करके** ट्रेनों के टक्कर के खतरों से बचाती है।

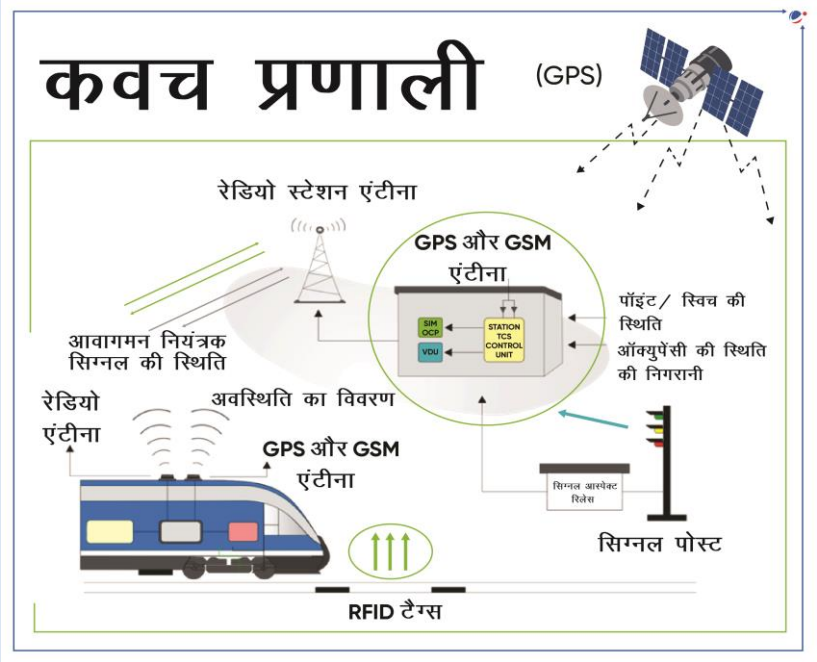

- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK):** इसकी स्थापना वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की निधि से की गई थी। इसे पाँच वर्ष की अवधि में रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी कार्यों के लिए स्थापित किया गया था।
- **बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना:** स्टेशनों पर पॉइंट्स और सिग्नल्स के सेंट्रलाइज़्ड रूप से संचालन के साथ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे कदम उठाए गए हैं; लेवल क्रॉसिंग (LC) गेटों की इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू की गई है, आदि।
- **नई प्रौद्योगिकी का उपयोग:** GPS-आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस लोकोमोटिव पायलटों को कोहरे वाले क्षेत्रों में आगे के सिग्नलों और क्रॉसिंगों के बारे में सचेत करती है। इससे कम दृश्यता की स्थिति में मदद मिलती है।
- **मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है:** ब्रॉड गेज (BG) मार्ग पर सभी "मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (UMLCs)" को जनवरी 2019 तक समाप्त कर दिया गया था।
- **सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली** (SIMS)[30]: जोनल रेलवे (ZRs) और रेलवे बोर्ड (RB) के बीच दुर्घटना की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और जानकारी साझा करने के लिए एक तेज और कुशल प्रणाली स्थापित करने हेतु, रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निदेशालय द्वारा 2016 में एक वेब आधारित एप्लिकेशन SIMS विकसित किया गया।
- **अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग:** भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दीवार पैनलिंग, फर्श, छत पैनलिंग सहित आंतरिक साज-सज्जा में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग किया है।

आगे की राह

- **रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण (Railway Safety Authority):** काकोदकर समिति की सिफारिश के अनुरूप रेलवे के परिचालन मोड पर सुरक्षा निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक "रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण" गठित किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें अधिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए।
  - वर्तमान में, रेलवे बोर्ड द्वारा तीन महत्वपूर्ण कार्य (नियम बनाना, संचालन और विनियमन) किए जाते हैं।
- **विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क:** नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की 'भारत में रेलवे का ट्रैक से उतरना' शीर्षक वाली 2021 की रिपोर्ट में सुरक्षा कार्यों के लिए एक **'विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क'** बनाने की सिफारिश की गई है। इसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) से फंड प्राप्त होगा।
  - यह फ्रेमवर्क सुरक्षा के लिए शुरू की गई प्रत्येक पहल के परिणामों का मूल्यांकन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि RRSK फंड अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करें और रेलवे सुरक्षा में प्रभावी रूप से सुधार करें।

[30] Safety Information Management System

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लिकेशन विकसित करना:** AI, स्टेशनों और ट्रेनों से बड़े पैमाने पर प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर सकता है, गंभीर अनियमितताओं की पहचान कर सकता है और बेहतर सुरक्षा निगरानी के लिए शीर्ष रेलवे प्रबंधन को तुरंत सचेत कर सकता है।
- **ट्रैक सुरक्षा सहनशीलता (Track Safety Tolerances)**: खन्ना समिति की सिफारिश के अनुसार अलग-अलग स्पीड और ट्रैक की श्रेणियों के लिए सुरक्षा सहनशीलता निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO)[31] द्वारा विश्व के देशों में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धतियों तथा रेल व्हील इंटरेक्शन के सभी पक्षों का अध्ययन करने की जरूरत है।
- **बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना:** मुंबई उपनगर की लंबे समय से चली आ रही स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियां एक सफल मॉडल के रूप में काम करती हैं। ट्रेन सुरक्षा के लिए देश भर में इनका उपयोग किया जा सकता है।

रेल सुरक्षा पर विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां

- **यूरोप: यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ETCS)** एक प्रकार का सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। इसे रेलवे परिवहन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए पूरे यूरोप में लागू किया जा रहा है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यहां की **ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली** का उद्देश्य ट्रेनों को सिग्नल का उल्लंघन करने से रोकना तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करके सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **जापान:** स्वचालित ट्रेन नियंत्रण (Automatic Train Control) प्रणाली का उपयोग स्पीड सिग्नल्स के अनुसार ट्रेन की गति को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

3.8. भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 2002 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 तैयार किए हैं।

भारत में अपतटीय खनिजों के बारे में

- **अपतटीय खनन:** यह 200 मीटर से अधिक की गहराई पर, **गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया** है।
- **विस्तार:** दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद** हैं।
- **खनिज भंडार:** भारत के अपतटीय खनिज भंडार में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज,** और विकास के लिए आवश्यक **रेयर अर्थ एलिमेंट्स** शामिल हैं।
- **भंडार:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपतटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित खनिज संसाधनों की पहचान की है:
  - गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के EEZ में **लाइम मड।**
  - केरल के समुद्री तट के पास **कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड**।
  - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक-शेल्फ (मग्नतट) और मध्य-शेल्फ में **भारी खनिज प्लेसर**।
  - पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय सीमांत (कॉन्टिनेंटल मार्जिन) में **फॉस्फोराइट**।
  - अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में **पॉलीमेटेलिक फेरोमैंगनीज (Fe-Mn) नोड्यूल और क्रस्ट**।

अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024

- **किन खनिजों पर लागू होगा:** ये नियम **सभी खनिजों पर लागू** होते हैं, **सिवाय खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन** तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की पहली **अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर**।
- **परिभाषाएं:** इसके लिए नियम में खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) और **खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति (CRIRSCO)[32]** टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है। **ये चरण निम्नलिखित हैं:**

[31] Research Design & Standards Organisation

- **अन्वेषण चरण (Exploration Stages): किसी भी खनिज भंडार की खोज में चार चरण शामिल हैं:**
  - **टोही सर्वेक्षण/Reconnaissance survey (G4)**
  - **प्रारंभिक अन्वेषण (G3)**
  - **सामान्य अन्वेषण (G2)**
  - **विस्तृत अन्वेषण (G1)**
- **संभाव्यता अध्ययन (Feasibility Studies) चरण:** संभाव्यता अध्ययन के चरणों में- **भूवैज्ञानिक अध्ययन (F3), पूर्व-संभाव्यता अध्ययन (F2) और संभाव्यता अध्ययन (F1)** शामिल हैं।

- **अन्वेषण मानक (Exploration Standards):** नए नियम अपतटीय खनिज संसाधनों के सटीक आकलन और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त अन्वेषण मानकों को अनिवार्य करते हैं।
  - **खनन पट्टे देने के लिए** संकेतित खनिज संसाधन की पुष्टि हेतु कम से कम **सामान्य अन्वेषण (G2)** उप-चरण पूरा होना आवश्यक है।
  - संयुक्त यानी कंपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज ब्लॉक की टोही खनिज संसाधन या खनिज क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कम-से-कम **टोही सर्वेक्षण (G4) को पूरा करना** आवश्यक है।
- **भूवैज्ञानिक अध्ययन:** अन्वेषण कार्यों के पूरा होने पर, संभावित खनिज भंडार की पुष्टि के लिए लाइसेंस-धारक द्वारा भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- **विशिष्ट अन्वेषण मानदंड:** ये नियम अलग-अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड (Specific Exploration Norms) निर्धारित करते हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन-ग्रेड सिलिका सैंड, कैलकेरियस मृदा, फॉस्फेटिक तलछट, डीप-सी मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) खनिज, हाइड्रोथर्मल खनिज और नोड्यूल आदि शामिल हैं।

नोट: *अपतटीय खनिजों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अगस्त 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.14. "अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023" देखें।*

[32] Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश {Foreign Direct Investment (FDI)}

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, **वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 44.42 बिलियन डॉलर का FDI हुआ था।** यह **वित्त वर्ष 2022-23 में हुए 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से 3.49% कम है।**

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- वित्त वर्ष 2023-24 में **महाराष्ट्र को सबसे अधिक** FDI प्राप्त हुआ था। इसके बाद **गुजरात और कर्नाटक** का स्थान था।
- **वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त** हुआ था। इसके बाद **मॉरीशस और संयुक्त राज्य अमेरिका** का स्थान था।
    - सन 2000-24 के दौरान **भारत को जिन शीर्ष पांच देशों से सर्वाधिक FDI इक्विटी प्राप्त हुआ है वे क्रमशः हैं: मॉरीशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और जापान।**
- वित्त वर्ष 2023-24 में **सर्वाधिक FDI क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर** तथा उसके बाद **सेवा क्षेत्रक एवं निर्माण गतिविधियों** को प्राप्त हुआ है।
    - 2000-2024 के दौरान **सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त करने वाले भारत के शीर्ष पांच क्षेत्रक** क्रमशः सेवा क्षेत्रक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार तथा ऑटोमोबाइल उद्योग हैं।

FDI के बारे में

- यह **किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश के व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश** है।
- **DPIIT भारत में FDI नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग** है।
- भारत में FDI को अनुमति **निम्नलिखित दो तरीकों से दी जाती है:**
    - **स्वचालित मार्ग-** इसमें **सरकारी अनुमोदन** की आवश्यकता **नहीं** पड़ती है।
    - **सरकारी मार्ग-** इसमें सरकारी **अनुमोदन आवश्यक** होता है।
- **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड्स, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स** आदि FDI में शामिल हैं।
- लॉटरी व्यवसाय, जुआ व बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आदि में **FDI निषिद्ध** है।

FDI का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि** को प्रोत्साहित करता है;
- **पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा** देता है;
- **विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित** करता है।

भारत में FDI को लेकर चिंताएं

- अधिकांश **FDI अंतर्वाह महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को** प्राप्त होते हैं। यह विकास के स्तर पर क्षेत्रीय असमानता को और बढ़ाता है।
- FDI अनुचित **प्रतिस्पर्धा को बढ़ा** सकता है, जिससे अंततः घरेलू कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं।

3.9.2. भारत का आउटलुक "स्टेबल" से "पॉजिटिव" की ओर (India's Outlook to Positive From Stable)

क्रेडिट रेटिंग फर्म **स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P) ग्लोबल ने भारत के क्रेडिट आउटलुक को बदलकर "पॉजिटिव"** कर दिया है। हालांकि, विदेशी एवं स्थानीय मुद्रा के लिए भारत की रेटिंग को **लंबी अवधि के लिए 'BBB-'** और **अल्पकाल के लिए 'A-3'** पर बरकरार रखा गया है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में

- **परिभाषा:** यह रेटिंग दरअसल **किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा** करने का आकलन है।
    - क्रेडिट रेटिंग में संबंधित **देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति,** दोनों को महत्त्व दिया जाता है।
- **मापदंड:** आमतौर पर, रेटिंग एजेंसियां किसी संप्रभु देश की रेटिंग के लिए वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, GDP के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता सहित **विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती हैं।**

- **रेटिंग:** संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर देशों को **निवेश ग्रेड या स्पेक्युलेटिव ग्रेड** के रूप में रेटिंग प्रदान करती हैं, जिसमें से स्पेक्युलेटिव ग्रेड को **ऋण लेने के मामले में डिफ़ॉल्ट की अधिक संभावना** के रूप में देखा जाता है।
    - देशों को **AAA (उच्चतम रेटिंग)** से लेकर **D (निम्नतम रेटिंग)** तक वर्गीकृत किया जाता है। **S&P** और **फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां BBB- को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा** मानती हैं जबकि **मूडीज Baa3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा** मानता है।
- **महत्त्व:** अनुकूल रेटिंग होने पर, देशों को वैश्विक पूंजी बाजारों और विदेशी निवेश तक पहुंच प्राप्त करने में सुविधा मिलती है।

नोट: *क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अगस्त 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.1. देखें।*

3.9.3. वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report)

विश्व बैंक ने "वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट" जारी की।

- रिपोर्ट में **"उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs)"** को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय तेजी लाने की** सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **निवेश स्तर पर:**
    - **औसत EMDEs** में सार्वजनिक निवेश, **कुल निवेश का औसत लगभग 25%** है।
    - पिछले दशक में **EMDEs में सार्वजनिक निवेश में ऐतिहासिक रूप से कमी दर्ज** की गई है।
- **निवेश के लाभ**
    - **आर्थिक संवृद्धि:** सार्वजनिक निवेश को **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1% तक बढ़ाने से GDP में अतिरिक्त 1.5% से अधिक की संवृद्धि दर प्राप्त** की जा सकती है। साथ ही, **मध्यम अवधि में निजी निवेश में अतिरिक्त 2.2% की वृद्धि** हासिल की जा सकती है।
        - हालांकि, सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश के क्राउड आउट होने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे **निजी निवेश हतोत्साहित** भी हो सकता है। साथ ही, **अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन से संप्रभु ऋण के डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़** जाता है और **निजी क्षेत्र के लिए उधार लेने की लागत यानी ब्याज दर बढ़** जाती है।
    - **संवृद्धि दर बनाए रखना:** सार्वजनिक निवेश से उन पब्लिक गुड्स या सर्विसेज के वितरण और उन्हें उपलब्ध कराने में मदद मिलती है, जिनमें निजी क्षेत्र रूचि नहीं लेता है, क्योंकि ये लाभकारी नहीं होते हैं। जैसे कि **लोक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा।**

सार्वजनिक निवेश से लाभ उठाने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें: इसमें नीति-निर्माताओं के लिए निम्नलिखित **"3Es" पैकेज** को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है:

- **राजकोषीय दायरे का विस्तार (Expansion):** इसमें कर संग्रह दक्षता में सुधार करना, राजकोषीय फ्रेमवर्क का विस्तार करना, अनुत्पादक खर्चों पर अंकुश लगाना आदि शामिल हैं।
- **सार्वजनिक निवेश की दक्षता (Efficiency):** इसमें भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन की स्थिति से निपटना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक सहयोग को बढ़ाना (Enhanced):** संरचनात्मक सुधारों के लिए समन्वित वित्तीय सहायता और प्रभावी तकनीकी सहायता अनिवार्य है।

सार्वजनिक निवेश (Public investment) के बारे में

- सार्वजनिक निवेश से आशय आमतौर पर सरकार द्वारा **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross fixed capital formation)** से है। इसमें केंद्र सरकार या स्थानीय सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या निगमों के निवेश शामिल हैं।
    - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण** के तहत निर्धारित समय में मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्ति में नई पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण को जोड़ा जाता है और पुरानी परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य को घटा दिया जाता है।
- इसमें **परिवहन, दूरसंचार, भवन** जैसी अवसंरचनाओं में **भौतिक या मूर्त निवेश** शामिल है। व्यापक अर्थ में इसमें **शिक्षा, कौशल और ज्ञान में मानव पूंजी या अमूर्त निवेश** भी शामिल हो सकता है।

3.9.4. बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर UNCTAD की रिपोर्ट (UNCTAD's Report on Growing Public Debt)

यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने **"ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024: ए ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की** है।

रिपोर्ट में **वैश्विक सार्वजनिक ऋण में खतरनाक वृद्धि** को रेखांकित किया गया है। साथ ही, मौजूदा ऋण संकट से निपटने के लिए **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की योजना** प्रस्तावित की गई है।

- **किसी देश की सरकार द्वारा देश के भीतर से और बाहर से लिए गए ऋण को** सार्वजनिक ऋण कहा जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **ऋण वृद्धि:** 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण **97 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर** पर पहुंच गया था।
- **चालक:** लगातार पैदा हो रहे **संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुस्त एवं असमान प्रदर्शन** इस स्थिति के चालक हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** वैश्विक सार्वजनिक ऋण का **30% हिस्सा विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण** है। यह **विकसित देशों के ऋण की तुलना में दोगुनी दर से बढ़** रहा है।
    - 2023 में, **भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया था। यह **सकल घरेलू उत्पाद के 82.7% के बराबर** है।

उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रभाव

- **उच्च राजकोषीय बोझ:** आधे से अधिक विकासशील देश **सरकारी राजस्व का कम-से-कम 8% हिस्सा ब्याज भुगतान** के लिए आवंटित करते हैं।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी:** 3.3 बिलियन व्यक्ति ऐसे देशों में रहते हैं, जहां **ब्याज भुगतान शिक्षा और स्वास्थ्य पर संयुक्त व्यय से अधिक** है।
- **जलवायु निवेश से अधिक ब्याज भुगतान:** उभरते और विकासशील देशों में **जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में जितना निवेश** किया जाता है, उसकी तुलना में इनके द्वारा **ब्याज भुगतान अधिक** है।

सतत विकास को वित्त-पोषित करने के लिए रोडमैप

- एक ऐसी **समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना** स्थापित की जानी चाहिए, जिसके **गवर्नेंस में विकासशील देशों की भागीदारी** अधिक हो।
- संकट के समय में अधिक तरलता प्रदान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के उपायों के माध्यम से **आकस्मिक वित्त का विस्तार** किया जा सकता है।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों के रूपांतरण और विस्तार के माध्यम से **किफायती दीर्घकालिक वित्त-पोषण को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

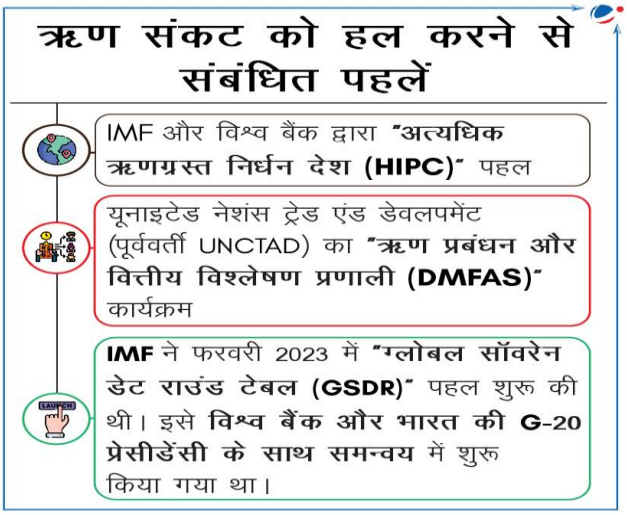

3.9.5. विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: मई 2024 अपडेट (World Employment and Social Outlook: May 2024 Update)

यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- विश्व में **बेरोजगारी में आंशिक गिरावट** दर्ज की गई है।
- विश्व में **183 मिलियन लोग बेरोजगार** हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं।
- विश्व में **15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 45.6% महिलाएं रोजगार में** हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात **69.2%** है। इसका अर्थ है कि नियोजित पुरुषों और महिलाओं की संख्या में **23.6% का अंतर** है।
    - **अंतर होने का कारण:** पारिवारिक जिम्मेदारियां (विवाह होना और बच्चों की देखभाल के लिए रोजगार छोड़ देना)।
    - इसके अलावा, **महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक** मिलता है। यह रुझान विशेष रूप से विकासशील देशों में अधिक देखा जाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की संख्या** 2005 के 1.7 बिलियन से बढ़कर **2024 में 2 बिलियन** हो गई है।

3.9.6. प्रेस्टन वक्र (Preston Curve)

इसे पहली बार **1975** में **अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच. प्रेस्टन ने पेश** किया था।

- **प्रेस्टन वक्र** यह दर्शाता है कि **किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि** से उसकी **जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि** नहीं होती है।
    - **जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता** है, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही, इससे पोषण, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के कारण शुरुआत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है।
    - हालांकि, एक निश्चित बिंदु के बाद यह सपाट होना शुरू हो जाता है।

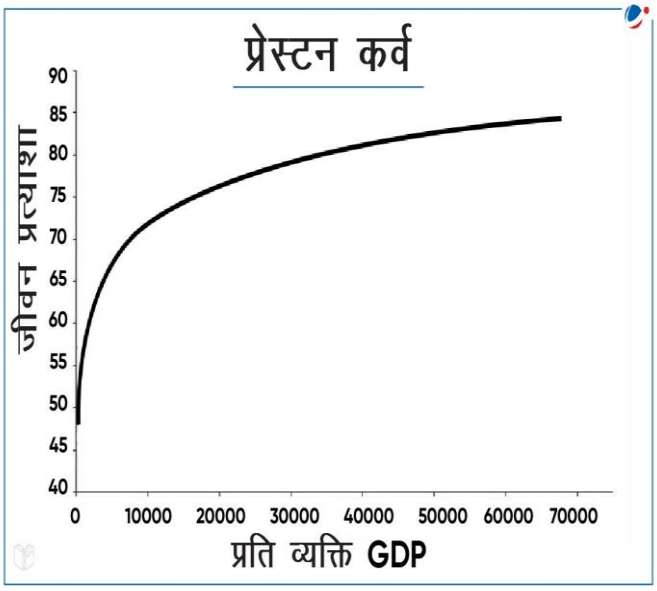

3.9.7. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) "प्रोजेक्ट नेक्सस" में शामिल हुआ (Reserve Bank of India (RBI) joins Project Nexus)

प्रोजेक्ट नेक्सस एक **बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल** है। यह **घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा-पार रिटेल पेमेंट की सुविधा** प्रदान करती है।

- **त्वरित भुगतान प्रणालियां (Instant Payments Systems: IPS)** वास्तव में **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां** हैं। ये **दो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर** की सुविधा प्रदान करती हैं। ये एक मिनट या उससे कम समय में **फंड प्राप्त करने वाले और फंड भेजने वाले को भुगतान की पुष्टि** के बारे में सूचित करती हैं।
  - भारत में **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** त्वरित भुगतान प्रणाली का उदाहरण है।

प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में

- यह प्रोजेक्ट **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब** की पहल है।
  - **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 1930** में हुई थी। इसका मुख्यालय **बेसल (स्विट्जरलैंड)** में है। इसका **स्वामित्व RBI सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास** है।
- यह प्रोजेक्ट **चार आसियान देशों** (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) तथा **भारत की त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ेगी।** इसके **2026 तक शुरू होने** का अनुमान है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस को किसी देश की **घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को एक-दूसरे से जोड़ने के तरीके के लिए मानक बनाने** हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - **त्वरित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर** को हर नए देश के अनुसार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर को **"नेक्सस" से केवल एक कनेक्शन बनाने की आवश्यकता** होती है।
- इसका उद्देश्य **वहनीय, तेज़, अधिक पारदर्शी और आसान सीमा-पार भुगतान सुनिश्चित करने के G20 लक्ष्यों को प्राप्त** करना है।

प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ:

- यह **सीमा-पार भुगतान को आसान** बनाती है। साथ ही **जटिलता, लागत और लेन-देन के समय को कम** करती है।
- यह सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए **कम लागत पर लाभकारी भुगतान अवसंरचना** प्रदान करती है।
- यह **अलग-अलग प्रणालियों में मानकीकरण और सामंजस्य को बढ़ावा** देकर एक-दूसरे की प्रणालियों में लेन-देन में मौजूद कमियों को दूर करती है।

3.9.8. RBI ने कई पहलें लांच की (RBI Launches Various Initiatives)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **तीन नई पहलों** को शुरू किया है। इन पहलों का उद्देश्य **केंद्रीय बैंक (RBI) तक जनता की पहुंच और विनियामक मंजूरी को आसान** बनाना है।

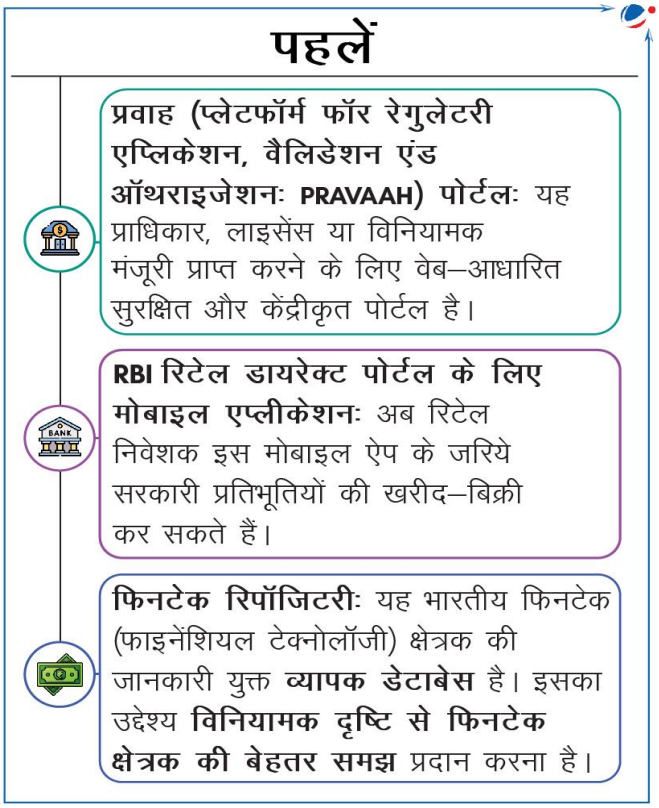

3.9.9. परिवर्तनीय रेपो दर (Variable Repo Rate: VRR)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **परिवर्तनीय रेपो दर यानी वेरिएबल रेपो रेट** की नीलामी की थी। इसको लेकर **बैंकों में काफी उत्साह** देखा गया था।

परिवर्तनीय रेपो दर (VRR) के बारे में

- कभी-कभी RBI अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर RBI से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती हैं। ऐसे में RBI एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित VRR पर उधार लेने की अनुमति देता है जो आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है (लेकिन रिवर्स रेपो रेट से अधिक नहीं)।
  - इसके विपरीत, रेपो रेट **RBI द्वारा तय दर है,** जिस पर **बैंक RBI से धन उधार** लेते हैं।
- VRR के तहत **एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों** तक के लिए उधार लिया जाता है।
- यह वास्तव में **बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी (नकदी) की आपूर्ति करने का एक जरिया** है।
- इसी तरह **बाजार से अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR)** का उपयोग किया जाता है।

3.9.10. सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (Secured Overnight Financing Rate)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से 100 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। यह राशि 3 साल की परिपक्वता अवधि वाले बॉण्ड्स को सीनियर अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग-रेट पर बेचकर जुटाई गई है, जो **सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR)** से अधिक है।

सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) के बारे में

- **यह अमेरिकी डॉलर में** ऋणों और डेरिवेटिव्स के लिए **ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट** है।
- यह वह दर है जिस पर बैंक किसी अन्य बैंक से ओवरनाइट के लिए नकदी उधार ले सकते हैं।
  - इसे **अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूति बाजार द्वारा कोलेट्रलाइज्ड** किया गया है।
- इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR) की जगह लाया है।
- LIBOR ऋण देने वाली संस्थाओं को अलग-अलग वित्तीय उत्पादों पर ब्याज दर तय करने के लिए बेंचमार्क प्रदान करता था।

3.9.11. पंप और डंप स्कीम (Pump and Dump Scheme)

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) ने कथित तौर पर **'पंप और डंप' स्कीम संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना** लगाया है।

- इसका संचालन **टेलीग्राम चैनल्स के जरिए साझा की गई सिफारिशों** द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पब्लिक शेयरहोल्डर्स ने बढ़ी हुई कीमतों पर स्टॉक खरीदे।

पंप एवं डंप स्कीम के बारे में:

- यह एक हेरफेर गतिविधि होती है। इसमें **झूठी और भ्रामक जानकारी/ सिफारिशों के जरिए स्टॉक (शेयर) की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा** दिया जाता है।
  - यह केवल **स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने** के लिए किया जाता है।
- सीमित सार्वजनिक जानकारी और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण यह स्कीम **माइक्रो-कैप और स्मॉल-कैप क्षेत्रकों** में प्रचलित है।
- **प्रभाव:** वित्तीय बाजारों में **विश्वास को कम** करती है। इससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
- **विनियमन:** सेबी के **दिशा-निर्देशों के तहत, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है।**

3.9.12. सेबी (SEBI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs/ इनविट्स) विनियम, 2024 में संशोधन किया (SEBI Amends Infrastructure Investment Trusts (INVITS) Regulations 2024)

नए मानदंड **स्पॉन्सर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इनविट्स द्वारा सबोर्डिनेट यूनिट्स जारी करने की अनुमति** देते हैं। यह अनुमति केवल **अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण** के लिए दी गई है।

- इस कदम का उद्देश्य **किसी परिसंपत्ति के लिए स्पॉन्सर (विक्रेता के रूप में) और इनविट (खरीदार के रूप में) द्वारा तय किए गए वैल्यूएशन में अंतर** को समाप्त करना है।

इनविट्स (InvITs) के बारे में

- यह **म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम** है। यह **निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइन्स जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश** का विकल्प प्रदान करती है।
- **स्पॉन्सर (इंफ्रा कंपनियां) सेबी के माध्यम से इनविट्स स्थापित** करते हैं। इन्हें **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI/ सरफेसी एक्ट), 2002** के तहत **"उधार लेने वाले" यानी बॉरोअर** का दर्जा दिया जाता है।
    - किसी **इनविट के पक्षकारों में उसके ट्रस्टी, स्पॉन्सर, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक** शामिल होते हैं।
- इनविट्स अपने **निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय अर्जित** करते हैं। यह आय **निवेशकों यानी यूनिट्स खरीदने वालों में वितरित** की जाती है। निवेशकों की इस आय पर **कर भी लगाया** जाता है।

इनविट्स का महत्त्व:

- **कम राशि में भी निवेश की सुविधा:** निवेशक इनविट्स के जरिए छोटी राशि भी निवेश कर सकते है।
- **तरलता:** इनकी यूनिट्स **स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध** होती है। इसलिए, खरीद-बिक्री के लिए यूनिट्स हमेशा उपलब्ध रहती है। इस तरह कभी भी **यूनिट्स को बेचा** जा सकता है।
- **पारदर्शिता:** निवेशकों को यह जानकारी दी जाती है कि उनका धन कहां निवेश किया गया है।
- **कम जोखिम:** सेबी द्वारा विनियमित होने के कारण इनविट्स में निवेश पर अधिक जोखिम नहीं होता है।

इनविट्स में निवेश से जुड़ी चुनौतियों में शामिल हैं: परिचालन से संबंधित जोखिम, ट्रस्ट को पुराने निवेश वापस मिलने से जुड़ा जोखिम, रिटर्न मिलने से संबंधित जोखिम आदि।

3.9.13. समाशोधन निगम (Clearing Corporations)

सेबी ने समाशोधन निगमों के **स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए उषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया है।

समाशोधन निगम के बारे में

- यह एक संस्था है, जो **स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार होने वाली प्रतिभूतियों या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड के समाशोधन और निपटान की गतिविधि का प्रबंधन** करती है।
- स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज के साथ समाशोधन निगम **बाजार अवसंरचना संस्थाओं** का गठन करते हैं।
- समाशोधन निगम **केंद्रीय जोखिम प्रबंधन संस्थाओं और अग्रणी श्रेणी के विनियामक** के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
- **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) {स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम (SECC)} विनियम, 2018** समाशोधन निगमों के स्वामित्व एवं गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए मानदंड निर्धारित करता है।

3.9.14. डेरिवेटिव ट्रेडिंग (Derivatives Trading)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अध्यक्ष ने **रिटेल निवेशकों** को डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के प्रति सचेत किया है।

डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में

- **परिभाषा:** डेरिवेटिव वास्तव में **भविष्य की किसी तय तारीख पर परिसंपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए किया जाने वाला वित्तीय अनुबंध** हैं।
- डेरिवेटिव के तहत **खरीद-बिक्री का मूल्य अनुबंध वाली परिसंपत्ति के मूल्य (अंडरलाइंग एसेट्स)** द्वारा तय होता है।
    - अंडरलाइंग एसेट्स में **कमोडिटी, प्रतिभूति, करेंसी या इंडेक्स** शामिल होते हैं।
- **उद्देश्य:** किसी खरीदी गई परिसंपत्ति के **मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति से बचाव यानी हेजिंग उद्देश्यों से या मूल्य में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने** के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है।
- **प्रकार:** डेरिवेटिव के सामान्य प्रकारों में **फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप** शामिल हैं।
- **डेरिवेटिव बाजार के बारे में**
    - भारत में, **डेरिवेटिव शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित** किया जाता है।
    - **भारत में दो प्रकार के डेरिवेटिव बाजार हैं:**
        - **एक्सचेंज-ट्रेडेड:** मानकीकृत अनुबंधों की एक्सचेंज में खरीद-बिक्री की जाती है।

- **ओवर-द-काउंटर (OTC):** यह विकेंद्रीकृत बाजार है। इसमें अनुबंधों पर दो पक्ष सीधे सौदेबाजी करते हैं। इसमें एक्सचेंज शामिल नहीं होता है।

3.9.15. फ्रंट रनिंग (Front Running)

- हाल ही में एक **म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट-रनिंग** में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
- **फ्रंट रनिंग के बारे में:**
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के अनुसार फ्रंट रनिंग के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े आर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **शेयर्स खरीदना या बेचना अथवा ऑप्शंस या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में** पोजीशन लेना शामिल है।
    - इस तरह इस गतिविधि में शामिल व्यक्ति जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले ही अधिक लाभ कमा लेता है।
  - भारत में **फ्रंट रनिंग गैर-कानूनी** है।
  - यह **वित्तीय बाजारों में विश्वास को कमजोर** करती है। इसके अलावा, यह अन्य निवेशकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फायदा उठा लिया गया होता है।
  - 2022 में, **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन** किया गया था। इसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने वाले प्रावधान किए गए थे।

3.9.16. विश्व मात्स्यिकी और जलीय कृषि की स्थिति 2024 (State of World Fisheries and Aquaculture 2024)

इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** ने तैयार और जारी किया है।

- इस रिपोर्ट में **"ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन"** विषय पर फोकस किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन **223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर** पर पहुंच गया था।
  - जलीय जीवों (aquatic animals) के कुल उत्पादन में भारत का योगदान **8 प्रतिशत** था। इस मामले में **भारत, विश्व में दूसरे स्थान** पर रहा।
- पहली बार, जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक के रूप में **जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर ने कैप्चर फिशरीज को पीछे** छोड़ दिया।
  - **कैप्चर फिशरीज** में प्राकृतिक रूप से पल रही मछलियां जल निकायों से सीधे पकड़ी जाती हैं, जबकि एक्वाकल्चर में मछलियों या जलीय जीवों को पाला जाता है और फिर उन्हें पकड़ा जाता है।
- **1.9 मिलियन टन** के उत्पादन साथ, भारत **अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान** पर है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी कार्रवाई में जलीय खाद्य पदार्थों की भूमिका

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के तत्वाधान में **'ओशन एंड क्लाइमेट चेंज डायलॉग 2023'** आयोजित किया गया था। इस डायलॉग में जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के समाधान में जलीय खाद्य पदार्थों की क्षमता को मान्यता दी गई थी।
- FAO विशिष्ट क्षेत्रों में **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने के लिए पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत** करता है। उदाहरण के लिए- बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय प्रजातियों के उत्पादन को महत्त्व देना आदि।

ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन

- FAO ने 2021 में "ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन" विज़न को प्रस्तुत किया था। इसका मुख्य लक्ष्य **खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, पोषण में सुधार करने आदि के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाना** है।
- **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने के लिए **संधारणीय जलीय कृषि पद्धतियों का विस्तार** करना तथा लाभ का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना।
  - मत्स्य भंडारण (फिश स्टॉक) को बनाए रखने तथा उचित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए **प्रभावी मत्स्य प्रबंधन** पर बल देना।
  - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए **उन्नत जलीय खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखलाएं** विकसित करना।

वैश्विक जैव विविधता समझौतों के संदर्भ में मत्स्य पालन और जलीय कृषि

- **जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** ने 2022 में **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF)** को अपनाया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता की सुरक्षा करना तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए देशों की राष्ट्रीय योजनाएं विकसित करने में सहायता करना है।
  - **जलीय खाद्य प्रणालियां** ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कई लक्ष्यों से सीधे संबंधित हैं। जैसे-जलीय क्षेत्रों का प्रबंधन; प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को कम करना आदि।
- 2023 में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य **"राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग पर समझौते" (BBNJ Agreement)** पर सहमत हुए थे। यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** है।

नोट: *अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, दिसंबर 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.8. देखें।*

3.9.17. ICRIER ने भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान (PHL) पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया (ICRIER Releases Policy Brief on Post-Harvest Losses (PHL) in India)

- पॉलिसी ब्रीफ में **फसल-कटाई के बाद नुकसान को कम करने के "तिहरे लाभ" यानी 'ट्रिपल विन'** का उल्लेख किया गया है। **ये तिहरे लाभ निम्नलिखित हैं:**
  - आय में वृद्धि से किसानों को लाभ होना;
  - खाद्य सुरक्षा बढ़ना, और
  - संसाधनों के कम उपयोग से कृषि-खाद्य प्रणालियों में संधारणीयता सुनिश्चित होना।

पॉलिसी ब्रीफ के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **भारत में उत्पादन-**
  - **खाद्यान्न उत्पादन:** 1966-67 में यह 74.23 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) था, जो **2022-23 में बढ़कर 330.5 MMT** हो गया था।
  - **बागवानी फसलों का उत्पादन:** 1991-92 में यह 96.6 MMT था, जो **2022-23 में बढ़कर 355.25 MMT** हो गया था।
- **भारत की अनाज भंडारण क्षमता:** 2010 में 108.8 MMT अनाज भण्डारण की क्षमता थी, जो **2021 में बढ़कर 219.4 MMT** हो गई थी।
- **फसल-कटाई के बाद नुकसान के बारे में**
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विश्व स्तर पर **उत्पादित अनाज का लगभग 30% उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट** हो जाता है।
  - भारत को **अनाज, दलहन और तिलहन** के मामले में वैश्विक स्तर की तुलना में **फसल-कटाई के बाद अधिक नुकसान** का सामना करना पड़ता है।
  - भारत को फसल-कटाई के बाद नुकसान की वजह से **2020 से 2022 के दौरान हर साल लगभग 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान** हुआ था। 2012 से 2022 तक नुकसान में कुछ कमी के बाद भी यह स्थिति है।

भारत में "फसल-कटाई के बाद नुकसान" के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं:

- **खेतों में सही रणनीति नहीं अपनाना:** किसान कम शिक्षित हैं और उनमें कौशल का भी अभाव है। इसके अलावा, मौसम की दशाएं और दोषपूर्ण मशीनरी का उपयोग भी जिम्मेदार है।
- **मार्केटिंग चैनल्स:** खुली लॉरी में अनाज भेजने से रास्ते में अनाज का गिरना या निकाल लेना; खराब गुणवत्ता वाली पैकेजिंग; लोहे के हुक का उपयोग; अनुचित तरीके से अनाज भंडारण करना आदि अन्य कारक हैं।
- **नीतिगत स्तर पर कमियां:** जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम (1987) के तहत अनाज की पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार्य किया गया है। जूट की बोरियों में अनाज को कीटों, कीड़ों और संदूषण से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है।

आगे की राह:

- कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) को भी बढ़ावा देने की जरूरत है आदि।

3.9.18. कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक (Container Port Performance Index: CPPI)

कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में **शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाह** भी शामिल हैं। CPPI 2023 में **सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगशान पोर्ट** है।

कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के बारे में

- इसे **विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस** ने तैयार किया है।
- यह सूचकांक **बंदरगाह पर किसी जहाज के प्रवेश करने और निकलने में लगे समय (Vessel time) पर बंदरगाह के प्रदर्शन** का एक तुलनात्मक मूल्यांकन है।
- यह सूचकांक **टर्मिनल या बंदरगाह पर व्यवस्था में सुधार के अवसरों की पहचान** करने में मदद करता है। इससे अंततः सभी सार्वजनिक और निजी हितधारकों को लाभ मिलता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

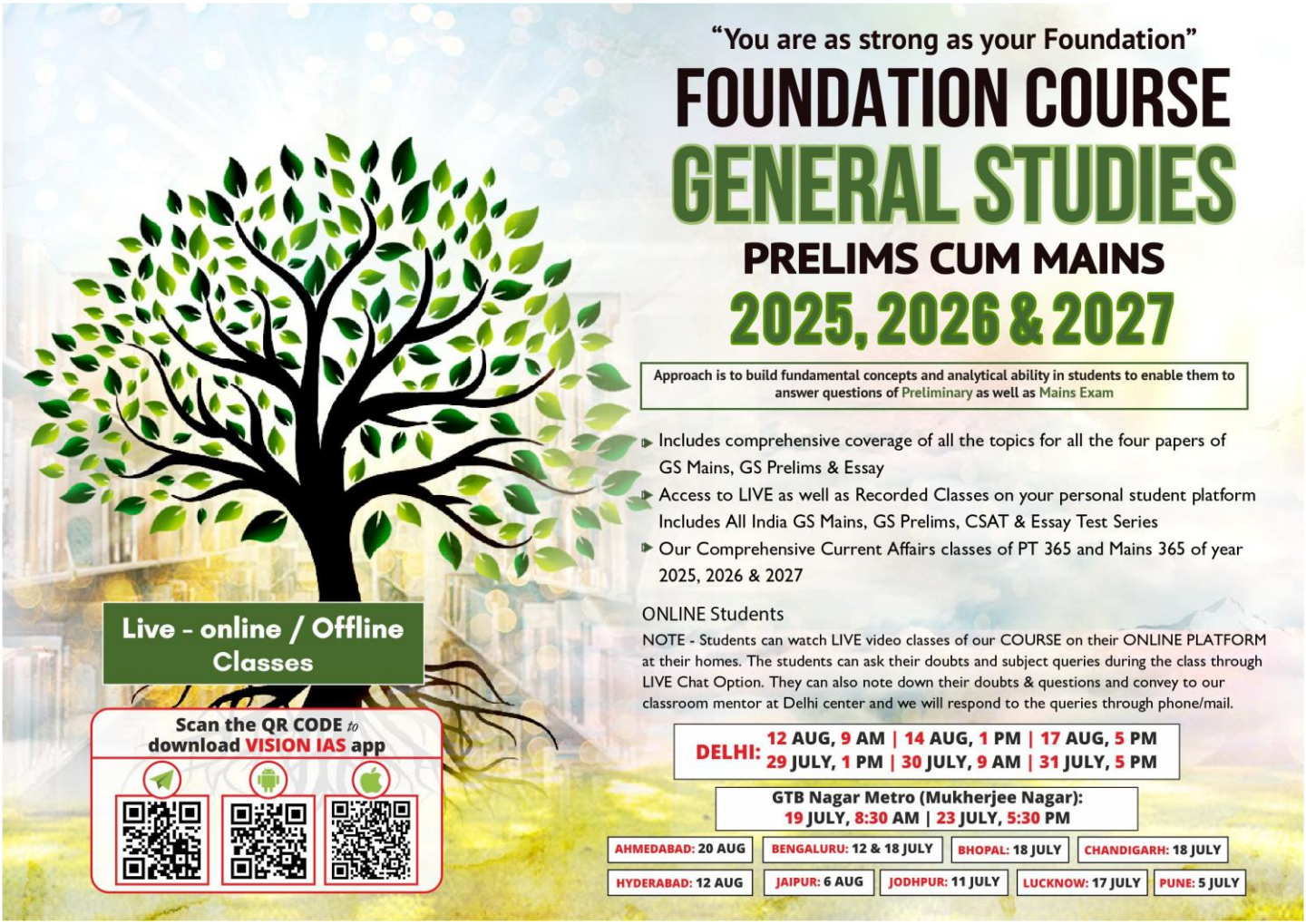

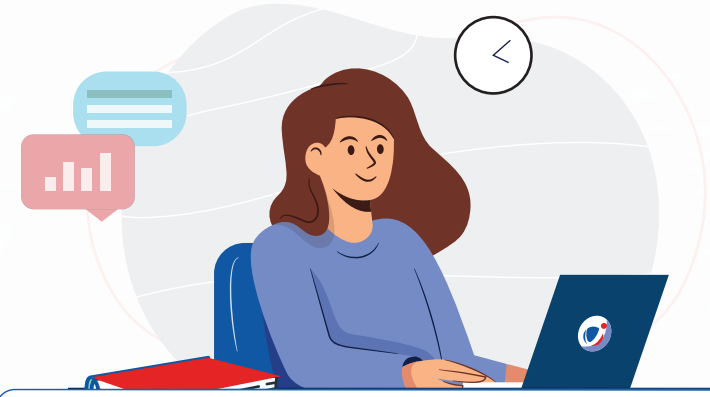

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा (Security)

4.1. कारगिल युद्ध के 25 साल (25 Years of Kargil War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कारगिल युद्ध में जीत और ऑपरेशन विजय की सफलता के 25 साल पूरे हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन विजय,** भारतीय सेना द्वारा **कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ के जवाब** में शुरू किया गया था।
  - **भारतीय वायुसेना** ने ऊंची पहाड़ियों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करने के लिए **'ऑपरेशन सफेद सागर'** शुरू किया। **भारतीय नौसेना** ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए **'ऑपरेशन तलवार'** शुरू किया।
- **कारगिल विजय दिवस** हर साल **26 जुलाई को** ऑपरेशन विजय की **सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता** है।

कारगिल युद्ध के बारे में

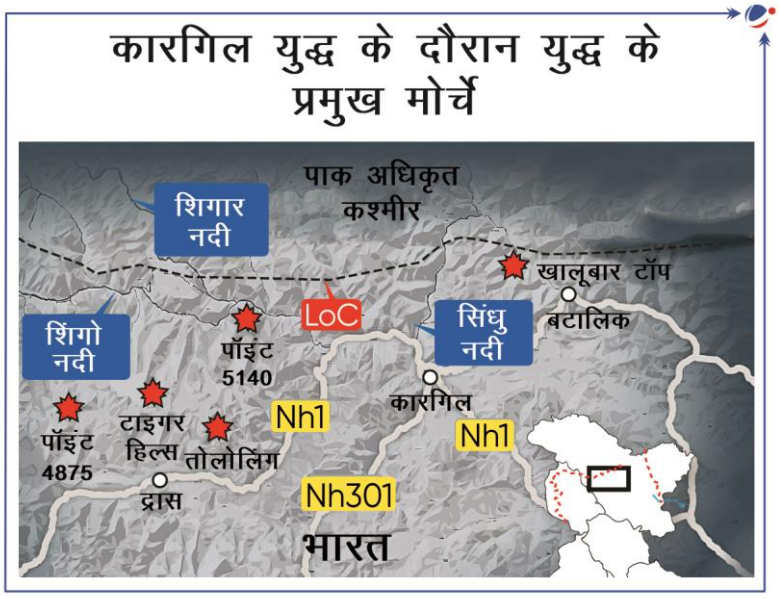

- **युद्ध का स्थान:** यह युद्ध जम्मू-कश्मीर के **कारगिल जिले** (वर्त्तमान में लद्दाख में) में 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर लड़ा गया था। यह नियंत्रण रेखा (LoC) के पास वाली सीमा है।
  - **युद्ध के प्रमुख स्थान थे;** टोलोलिंग, टाइगर हिल, बटालिक, द्रास, मश्कोह घाटी, काकसर, चोरबत-ला।
- **युद्ध की शुरुआत:** युद्ध की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच **1999 में लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर** के तुरंत बाद हो गई थी। दरअसल, भारतीय सेना ने सर्दियों में सैनिकों को नुकसान से बचाने के लिए कुछ पोस्ट खाली कर दिए थे। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने उन पोस्ट पर कब्ज़ा जमा लिया था।
  - **1999 में** भारत और पाकिस्तान ने **लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर** किये थे। इसमें **परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरों को कम करने तथा अपने सीमा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने** की बात कही गई थी।

पाकिस्तानी सेना की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के कारण

- **राजनीतिक-रणनीतिक:**
  - पाकिस्तान कश्मीर को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परमाणु फ्लैश प्वाइंट** के रूप में पेश करना चाहता था ताकि किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाए।
  - **नियंत्रण रेखा (LoC) की वर्तमान स्थिति को बदलना** एवं कारगिल के ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करके अपनी स्थिति मजबूत करना।
  - **कारगिल में कब्ज़ा किए गए पोस्ट (क्षेत्रों) के बदले** सियाचिन में भारत के अधिकार वाले क्षेत्रों से **बेहतर सौदेबाजी करना**।
- **सैन्य/ प्रॉक्सी युद्ध से संबंधित उद्देश्य:**
  - श्रीनगर-लेह मार्ग को अवरुद्ध करके लेह में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बाधित करना।
  - कश्मीर में दक्षिण दिशा से उत्तरी क्षेत्र को मिल रही रक्षा सहायता को बाधित करके उत्तर में स्थित **तुरतुक और सियाचिन में भारत की स्थिति को कमजोर करना।**
  - घाटी में स्थित भारतीय सैनिकों को कारगिल की ओर जाने को मजबूर करके **जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना,** आतंकवाद-रोधी प्रयासों को कमजोर करना, जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के नए रास्ते खोलना और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाना।

भारत की रक्षा संरचना में मौजूद कमियां जिनकी वजह से कारगिल युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई:

कारगिल युद्ध के बाद, भारत सरकार ने **जुलाई 1999 में कारगिल समीक्षा समिति (KRC)** गठित की। रणनीतिक मामलों के प्रसिद्ध विश्लेषक **के. सुब्रमण्यम** को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। **कारगिल समीक्षा समिति** तथा इसके बाद गठित किए गए 'मंत्रियों के समूह' ने निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया:

- **खुफिया तंत्र की विफलता**: लाहौर घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार ने युद्ध की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए, पाकिस्तानी घुसपैठ की संभावना की उपेक्षा करना वास्तव में खुफिया तंत्र की विफलता थी।
- **तकनीक का अभाव**: यदि **भारत के पास हाफ-मीटर रिज़ॉल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी क्षमता**, उचित मानव-रहित हवाई वाहन (UAV) के साथ-साथ बेहतर ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT) होती तो **पाकिस्तानी घुसपैठ का पहले ही पता लगाया जा सकता** था।
- **सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त संसाधनों का न होना:** रक्षा व्यय में कमी के कारण रक्षा आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ा। अप्रचलित/पुराने उपकरणों और हथियार प्रणालियों की जगह आधुनिक उपकरण और हथियार नहीं खरीदे जा सके।
- **व्यापक सुरक्षा नीति:** छद्म युद्ध, उपमहाद्वीप में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे की वजह से बदलते खतरे को देखते हुए तथा सैन्य मामलों में क्रांतिकारी बदलाव (RMA)[33] हेतु एक व्यापक सुरक्षा नीति तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

भारत की रक्षा और सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशें:

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए और एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त करना चाहिए।
- उपग्रह इमेजरी क्षमता बढ़ानी चाहिए और सीमाओं की निगरानी में मानव-रहित हवाई वाहनों (UAV) को तैनात करना चाहिए।
- अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की तर्ज पर भारत में **इलेक्ट्रॉनिक और संचार खुफिया** पर केंद्रित **एक संगठन** गठित करना चाहिए।
- एक **एकीकृत रक्षा खुफिया एजेंसी** (DIA)[34] का गठन करना चाहिए।
- **संयुक्त खुफिया समिति** (JIC)[35] को अधिक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- भारतीय सेना में कम उम्र के युवाओं को प्राथमिकता देकर सेना की एज प्रोफाइल को कम करना चाहिए तथा पेंशन बिल को कम करने का तरीका खोजना चाहिए।
- **प्रभावी सीमा प्रबंधन नीति बनाने** के लिए **सभी संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित** की जानी चाहिए।
- **युद्ध के रिकॉर्ड को प्रकाशित** किया जाना चाहिए और इनसे संबंधित आधिकारिक डाक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सही तथ्यों का पता चल सके।
- **सेना और मीडिया के बीच तालमेल** बिठाना चाहिए।
- **अलग-अलग स्तरों पर नागरिक (सिविल)-सैन्य संपर्क तंत्र का विकास करना चाहिए,** जिससे कमान मुख्यालय से लेकर जमीनी स्तर पर परिचालन संरचनाओं तक संबंधों को सुचारू बनाया जा सके।

भारत की रक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

विशेष विवरण	किए गए सुधार
खुफिया तंत्र (Intelligence)	• खुफिया तंत्र पर **टास्क फोर्स** का गठन किया गया है। • राष्ट्रीय स्तर की अति महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए 2004 में **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** (NTRO)[36] का गठन किया गया। • **एक 'मल्टी एजेंसी सेंटर' (MAC) स्थापित किया गया** है। इसके तहत, सभी खुफिया एजेंसियों द्वारा दैनिक आधार पर MAC में सूचना साझा की जाती है।

[33] Revolution in Military Affairs

[34] Defence intelligence agency

[35] Joint Intelligence Committee

[36] National Technical Research Organisation

	○ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) को MAC से जोड़ा गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रक्षा मंत्रालय की एक त्रि-सेवा इंटेलिजेंस एजेंसी है। • इसरो ने **रडार सैटेलाइट-2** (RISAT-2) लॉन्च किया है। यह हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने की क्षमता से युक्त एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और सर्वोच्च स्तर पर निर्णय प्रक्रिया	• सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद** (NSC)[37] में आवश्यक **सुधार किए गए** और पिछले कुछ वर्षों में NSA को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ○ 1998 में स्थापित NSC की अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ○ **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** इसके सचिव हैं। • भारत ने परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए 2003 में परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA)[38] का अनावरण किया। इस प्राधिकरण की **राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता** प्रधान मंत्री करते हैं। **परमाणु हथियारों के उपयोग का आदेश** देने का एकमात्र अधिकार इसी **राजनीतिक परिषद** के पास है। • 2019 में **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) का पद सृजित किया गया। CDS **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष** होता है।
रक्षा आधुनिकीकरण	• सशस्त्र बल में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच बेहतर संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई। • **आयुध कारखानों में कॉर्पोरेट कल्चर विकसित करना: कामकाज संबंधी स्वायत्तता और दक्षता में वृद्धि** की गई। • **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण:** इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए: ○ रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 (DAP 2020) जारी की गई, ○ सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की जाने लगी, ○ सृजन (SRIJAN) पोर्टल लॉन्च किया गया, ○ रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)[39] ने अदिति (ADITI) योजना शुरू की। • **रक्षा ऑफसेट नीति की शुरुआत:** इसका उद्देश्य है भारतीय रक्षा उद्योग के विकास के लिए पूंजीगत अधिग्रहण का लाभ उठाना। • **अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड** की स्थापना की गई। • **प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना:** यह योजना विशेष रूप से नए स्टार्ट-अप, MSMEs और शिक्षाविदों के लिए शुरू की गई है।
सीमा प्रबंधन	• **सीमा प्रबंधन पर टास्क फोर्स** का गठन किया गया है। • **स्मार्ट फेंसिंग:** व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBM)[40] के तहत **BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक)** को भारत-बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी कुछ सीमाओं पर तैनात किया गया है। • **सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना:** यह सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा पर फ्लड लाइट लगाने के लिए एक "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है। • **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम:** यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। • **सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों और सुरंगों का निर्माण** किया जा रहा है। जैसे- **अटल सुरंग** (मनाली को लाहौल-स्पीति से जोड़ती है), **शिंकू-ला सुरंग** (लद्दाख तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए) आदि।

[37] National Security Council

[38] Nuclear Command Authority

[39] Innovations For Defence Excellence

[40] Comprehensive Integrated Border Management System

निष्कर्ष

कारगिल युद्ध के बाद से युद्ध का स्वरूप और तरीका बदल गया है। अब नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और लड़ने के अन्य अलग-अलग गैर-परंपरागत तरीकों का उपयोग किए जाने लगा है। साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी प्रगति भी युद्ध की दिशा निर्धारित कर रही है। इसलिए, भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य के संघर्षों के बदले हुए स्वरूप से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भविष्य में होने वाले युद्ध अधिक हिंसक और अप्रत्याशित हो सकते हैं।

4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए। इससे NSS डॉक्यूमेंट के महत्त्व पर बहस छिड़ गई है।

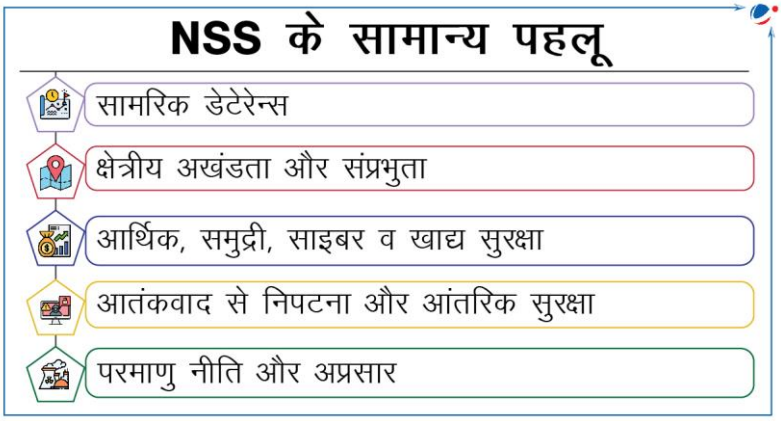

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) क्या है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किसी देश के **रणनीतिक विजन और उद्देश्यों का संक्षिप्त सार** है। इसमें घरेलू तथा बाहरी चुनौतियों का उल्लेख होता है। साथ ही, इसमें सभी **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने और अवसरों** का विवरण होता है, जिन्हें **समय-समय पर अपडेट** भी किया जाता है।

भारत को लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता क्यों है?

- **लिखित नीति का अभाव: सशस्त्र बलों** के लिए एकमात्र राजनीतिक दिशा-निर्देश **2009 का रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश (ऑपरेशनल डायरेक्टिव)** है। इसे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है।
  - हालांकि **अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी बड़ी शक्तियां अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों** को प्रकाशित और अपडेट कर चुकी हैं।
- **सुरक्षा व्यवस्था के बदलते स्वरुप और प्राथमिकताओं को पूरा करना:** यह सरकार को नियमित रूप से खतरों, अवसरों और वैश्विक सुरक्षा के ट्रेंड की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे हाइब्रिड युद्ध, चीनी नौसेना के बढ़ते प्रभुत्व जैसी नई चुनौतियों से समय पर निपटा जा सकता है।
- **प्रभावी दीर्घकालिक योजना के लिए फ्रेमवर्क:** भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई सुसंगत रणनीति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अल्पकालिक, अस्थायी, जल्दबाजी, और सत्तारूढ़ सरकार की सोच पर केंद्रित निर्णय लेने से बचने में मदद करेगी।
- **विश्व व्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्थिति पर स्पष्टता:** यह **मित्र देशों और शत्रु देशों** के प्रति भारत के **रणनीतिक इरादों** को स्पष्ट करेगी, हिंद महासागर में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका तय करेगी, और साझेदार देशों के साथ स्पष्ट सहयोग को बढ़ावा देगी।
- **रक्षा योजना में निरंतरता:** रक्षा योजनाओं (पंचवर्षीय योजना) और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं (15-वर्षीय) की समाप्ति के बाद **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** की आवश्यकता और बढ़ गई है।
- **परिचालन संबंधी स्पष्टता:** यह अधिकारों के वितरण, थिएटर कमांड के संचालन जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने में सहायता कर सकती है।
  - यह **थिंक टैंक द्वारा पीयर-रिव्यू** के लिए एक रेफरेंस के रूप में कार्य करके सार्थक जवाबदेही सुनिश्चित करेगी और अस्पष्टता को कम करेगी।
- **राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाना:** यह **व्यापक राष्ट्रीय शक्ति** का उपयोग करने और ऑपरेशन्स के बेहतर समन्वय हेतु तालमेल बनाने में मदद कर सकती है।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को संहिताबद्ध करने में चुनौतियां

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर राजनीतिक सहमति की कमी, जवाबदेही लेने का भय, रक्षा मामलों पर विशेषज्ञता की कमी जैसी वजहों से **राजनीतिक नेतृत्व** लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने से बचता रहा है।

- **रणनीतिक लचीलापन कम होना:** लिखित **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** होने से राजनीतिक नेतृत्व विशेष तरीका अपनाने के लिए मजबूर होगा, वहीं लिखित रणनीति नहीं होने की स्थिति में वे अधिक प्रतिबद्धता से काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
  - उदाहरण के लिए, **इजरायल औपचारिक NSS नीतियों के बिना काम** करता है।
- **संसाधन का आवंटन:** राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के प्रभावी तरीके से लागू का मतलब है इसके निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय तथा मानवीय संसाधन और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी।
- **कमजोर संस्थागत समर्थन और नीतिगत फीडबैक की कमी:** वर्तमान में, भारत में रक्षा और सुरक्षा मामलों पर बहुत कम थिंक-टैंक मौजूद हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व में उठाए गए कदम

- **कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट (2000):** इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कई सिफारिशें दी गई। इसके बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने को गंभीरता से नहीं लिया गया।
- **सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति (2011):** इस समिति ने सुरक्षा सुधारों पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया, लेकिन यह भी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने के मुद्दे पर सफल नहीं रही।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति (2018):** यह एक स्थायी निकाय है। इसे अन्य कार्यों के साथ-साथ **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार करने का कार्य भी** सौंपा गया है।
- **हुडा समिति:** इसे 2018 में गठित किया गया था। इसे नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। **इसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मसौदे के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का सुझाव दिया:**
  - **वैश्विक मामलों में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करना:** इसके लिए वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।
  - **सुरक्षित पड़ोस सुनिश्चित करना:** पड़ोसी देशों से सहयोग बढ़ाना और उन देशों में स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - **आंतरिक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना:** पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के साथ बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, आदि।
  - **अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:** आर्थिक सुरक्षा, साइबर खतरे और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, आदि।
  - **अपनी क्षमताओं को मजबूत करना:** समुद्री सीमा, अंतरिक्ष, रणनीतिक संचार, इत्यादि क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शक्तियों के वितरण, हितधारकों के बीच सहयोग और संचालन संबंधी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट लक्ष्य, तरीकों और साधनों को स्पष्ट कर सकती है। आधुनिक ट्रेंड के अनुरूप यह नई पहलों, नवाचार और सुधारों को बढ़ावा भी दे सकती है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए **डॉक्यूमेंट के दो संस्करण** जारी किए जा सकते हैं। पहला संस्करण "सार्वजनिक डॉक्यूमेंट" यानी **पब्लिक वर्जन** होगा। यह बाहरी हितधारकों और हमारे दुश्मनों के लिए होगा। यह हमारे इरादों और कार्यप्रणालियों की जानकारी देगा। दूसरा संस्करण "गोपनीय डॉक्यूमेंट' यानी **"क्लासिफाइड वर्जन"** होगा जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करने से संबंधित होगा। आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य का प्रतीक है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने में किसी भी प्रकार की झिझक और अस्पष्टता को दूर करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

4.3. साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त डॉक्ट्रिन (Joint Doctrine for Cyberspace Operations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने साइबरस्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त डॉक्ट्रिन जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संयुक्त साइबर ऑपरेशन डॉक्ट्रिन (JDCO)** साइबर ऑपरेशन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर देता है।
- यह कदम दर्शाता है कि साइबरस्पेस स्थल, जल और वायु जैसे पारंपरिक डोमेन के अलावा आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण डोमेन के रूप में उभरा है।

साइबरस्पेस के बारे में

- साइबरस्पेस **उन सभी वैश्विक भागीदारों** (जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली) को शामिल करता है जो डिजिटल जानकारी और कोड की प्रोसेसिंग**, भंडारण और प्रसार करने में** लगे हुए हैं, भले ही वे आपस में जुड़े हुए हों अथवा नहीं।
- **साइबरस्पेस गतिविधियों के सैन्य लाभ:** रियल टाइम में खुफिया जानकारी एकत्र करना, आक्रामक और रक्षात्मक अभियान में, बेहतर संचार और सिग्नल इंटेलिजेंस में, आदि।
- **साइबरस्पेस गतिविधियों की कमजोरियां:** साइबरस्पेस युद्ध या साइबर हमले सरकारी वेबसाइटों और नेटवर्क को निष्क्रिय कर सकते हैं, आवश्यक सेवाओं को बाधित या अक्षम कर सकते हैं, गोपनीय डेटा को चुरा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं, और वित्तीय प्रणालियों को पंगु बना सकते हैं आदि।

शब्दावली को जानें

- **साइबरस्पेस युद्धः राज्य या गैर–राज्य अभिकर्ताओं** द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से **कंप्यूटर या नेटवर्क–आधारित हमला** साइबरस्पेस युद्ध कहलाता है। साधारण भाषा में, साइबर युद्ध का मतलब है– इंटरनेट पर लड़ाई करना, अर्थात् कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक–दूसरे को नुकसान पहुंचाना।
- साइबर युद्ध इकोसिस्टम में साइबर आतंकवाद, **साइबर धोखाधड़ी, साइबर जासूसी, साइबर स्टॉकिंग** आदि शामिल हैं।

संयुक्त डॉक्ट्रिन का महत्त्व

- यह सशस्त्र बलों के कमांडरों, स्टाफ और चिकित्सकों को साइबर ऑपरेशन की योजना बनाने और संचालित करने के लिए **वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता** है।
- तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) की **जॉइन्ट्नेस और एकीकरण को बढ़ावा** देता है जो प्रभावी एकीकृत थिएटर कमांड के गठन की एक पूर्व शर्त है।
- **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी।** गौरतलब है कि चीन जैसे देशों ने साइबर युद्ध की अधिक क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जिनमें विरोधियों की सैन्य संपदा और सामरिक नेटवर्क को कमजोर करने या नष्ट करने वाले साइबर हथियारों का विकास भी शामिल हैं।
- **साइबरस्पेस में ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को रोकना,** जो देश की अर्थव्यवस्था, एकजुटता, राजनीतिक निर्णय लेने और आत्मरक्षा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत में साइबर स्पेस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA):** इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। यह त्रि-सेवा एजेंसी है। यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने और तीनों सेनाओं के बीच साइबर सुरक्षा के प्रयासों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
- **साइबर सुरक्षा अभ्यास- 2024:** इसे **रक्षा साइबर एजेंसी** द्वारा आयोजित किया गया। यह साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता विकसित करने और सभी हितधारकों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया।
- **साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Cyber Emergency Response Teams: CERTs):** साइबर हमलों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा CERTs की स्थापना की गई है।
- **साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (CSOC)[41]:** यह साइबर खतरों की निगरानी और इससे निपटने का प्रबंधन करता है। यह रक्षा संबंधी सूचना और संचार प्रणालियों की सुरक्षा (विशेष रूप से असम राइफल्स में) सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

साइबरस्पेस संचालन पर संयुक्त डॉक्ट्रिन राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबरस्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करते हुए भविष्य की सैन्य रणनीतियों और संचालन को दिशा देने के लिए तैयार किया गया है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में

- CDS का पद 2019 में सृजित किया गया था। यह **फोर-स्टार जनरल रैंक** का पद है।
  - 2001 में मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने **श्री के. सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट** के आधार पर CDS पद के सृजन की सिफारिश की थी।

[41] Cyber Security Operations Centre

- **कार्य और जिम्मेदारियां:**
  - CDS रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित **सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख** होता है और इस विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।
  - वह **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है।**
  - वह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली **रक्षा अधिग्रहण परिषद** का सदस्य है। साथ ही, वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली **रक्षा योजना समिति** का भी सदस्य है।
  - वह तीनों सेनाओं के सैन्य मामलों पर **रक्षा मंत्रालय** के **प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में** कार्य करता है और **परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार** के रूप में भी कार्य करता है।
  - वह अपेक्षित बजट के आधार पर पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए **अंतर-सेवा प्राथमिकता निर्धारित** करता है।
- CDS **किसी भी सैन्य कमान का उपयोग नहीं** करता है, यहां तक कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों पर भी नहीं।

4.4. विमान वाहक पोत (Aircraft Carrier)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री ने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की योजना की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने भविष्य में "पांच या छह" और विमान वाहक पोत बनाने की योजना का भी उल्लेख किया।

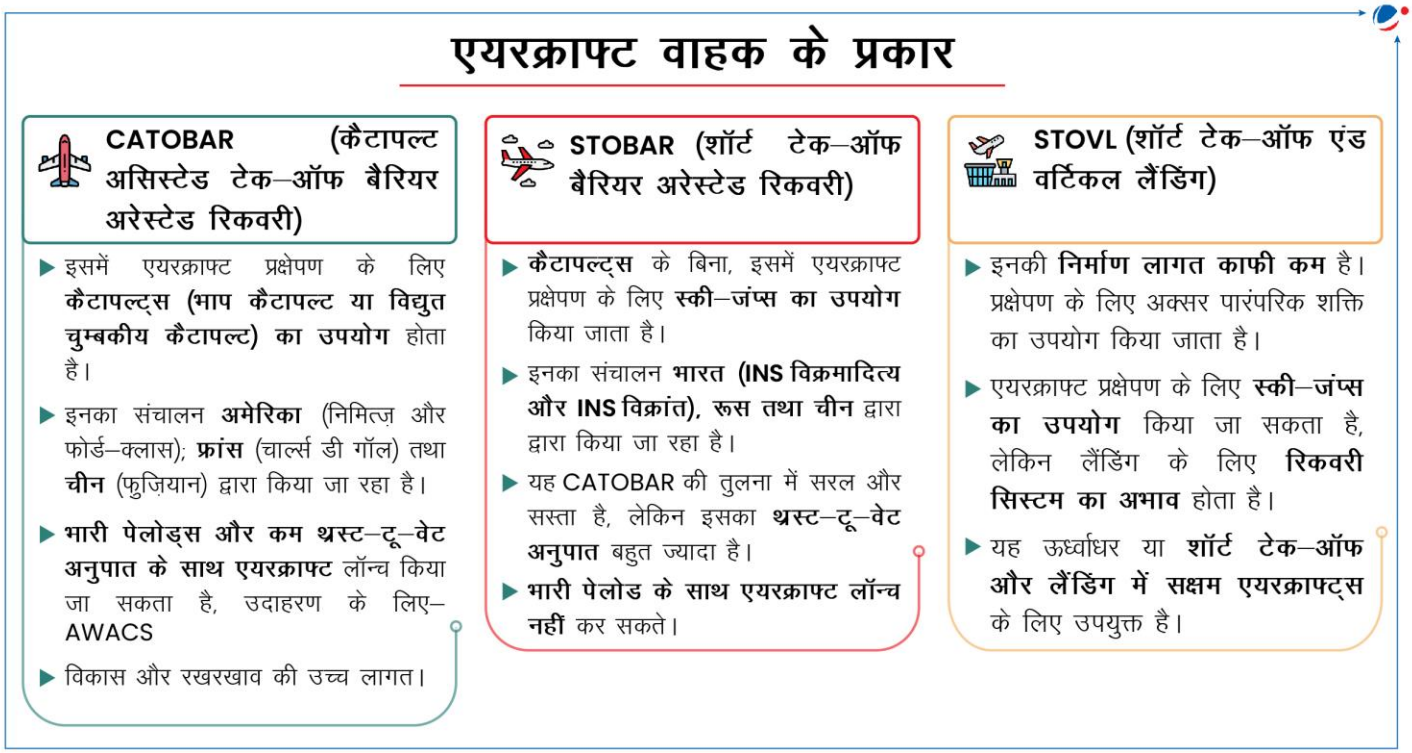

अन्य संबंधित तथ्य

- एक विमान वाहक पोत **कई तरह की रणनीतिक सेवाएं** प्रदान करता है। इनमें निगरानी, एयर डिफेन्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, समुद्री संचार लाइनों (SLOC)[42] की सुरक्षा और एंटी-सबमरीन युद्ध शामिल हैं।
- **नौसेना परिप्रेक्ष्य योजना (1985-2000)** में **तीन विमानवाहक पोतों की आवश्यकता** का उल्लेख किया गया था। इनमें से दो परिचालन में होने चाहिए (पूर्वी और पश्चिमी तट पर) और एक पोत किसी भी समय जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए उपलब्ध रहेगा।

[42] Sea Lines of Communication

- विमानवाहक पोत की उपर्युक्त जरूरतों को **समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (2012-27)** और **रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (2022-23)** में भी दोहराया गया था।
- वर्तमान में, भारतीय नौसेना के पास **45,000 टन के दो विमानवाहक पोत हैं; INS विक्रमादित्य** और **INS विक्रांत।**
- ये दोनों पोत नाभिकीय ऊर्जा की बजाय **पारंपरिक ऊर्जा द्वारा संचालित पोत हैं**। ये विमानों की उड़ान भरने में सहायता करने के लिए **स्की-जंप रैंप** का उपयोग करते हैं।
- INS विक्रांत, जिसका अर्थ "बहादुर" है, भारत का **पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत** है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। वहीं **INS विक्रमादित्य** को **रूस से खरीदा गया** था और 2014 में इसे तैनात किया गया।
    - **INS विक्रांत ने भारत को** चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे **उन चुनिंदा देशों** के **समूह में शामिल कर दिया** है जो अपने स्वयं के विमान वाहक पोतों का निर्माण करने में सक्षम हैं।
- **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में** भारत के **तीसरे विमानवाहक पोत का निर्माण** किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का निर्माण भी इसी शिपयार्ड में हुआ है। तीसरे विमानवाहक पोत का निर्माण भारत के नौसैनिक बेड़े के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत को तीसरे विमानवाहक पोत की आवश्यकता क्यों है?

- **ब्लू वाटर नेवी क्षमताओं को बढ़ाना:** भारतीय नौसेना को **ब्लू वाटर फोर्स** माना जाता है और तीसरा विमान वाहक पोत भारत की इस क्षमता को और मजबूत करेगा।
    - **हिंद महासागर क्षेत्र में** एकमात्र **सुरक्षा प्रदाता बनने तथा अपने पक्ष में शक्ति संतुलन** बनाए रखने के लिए ऐसी क्षमता जरूरी है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह और आवश्यक हो गया है।
- **ऑपरेशनल रूप से हमेशा तैयार रहना:** तीन विमानवाहक यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम दो हमेशा परिचालन में रहें, तथा भारत के पूर्वी और पश्चिमी, दोनों समुद्री तटों पर तैनात रहें।
- **अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश:** तीसरा विमान वाहक पोत (IAC-2) भारी विमानों को लॉन्च करने के लिए **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (EMALS)** और **CATOBAR** जैसी एडवांस प्रणालियों से युक्त होगा और अधिक क्षमता वाला होगा।
- **भारत के सॉफ्ट पावर की भूमिका निभाने में मददगार:** शांति के समय में, विमान वाहक पोत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[43] कार्यों में शामिल हो सकते हैं, जो एम्फीबियन तथा वायु और समुद्री क्षेत्र की अन्य जरूरतों में भी भूमिका निभा सकता है।

शब्दावली को जानें

नौसेनाओं को **रंगों के आधार पर वर्गीकृत** किया जाता है।

- **ब्राउन वाटर फोर्स:** यह एक ऐसी नौसेना शक्ति है जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों या उथले समुद्री क्षेत्र में संचालित होती है।
- **ग्रीन वाटर फॉर्स:** यह एक ऐसी नौसेना शक्ति है जो अपने देश के तटीय क्षेत्रों के साथ–साथ आस–पास के महासागरों में भी संचालन करने में सक्षम होती है। यह ब्राउन वाटर फोर्स की तुलना में अधिक दूर तक और ब्लू वाटर फोर्स की तुलना में कम दूर तक संचालन करती है।
- **ब्लू वाटर फोर्स:** यह शक्तिशाली नौसेना होती है जो दुनिया के किसी भी महासागर में लंबे समय तक परिचालन कर सकती है। यह नौसेना अपने देश की समुद्री शक्ति का प्रतीक होती है और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और बढ़ती भू-राजनीतिक गतिविधियों के बीच भारत को अपनी विमान वाहक क्षमताओं को बढ़ाना होगा। खासकर, वित्तीय संसाधनों की कमी और परिचालन संबंधी चुनौतियों के बीच भारत को नौसैनिक सुरक्षा के मामले में अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना होगा।

विमान वाहक पोत बनाम पनडुब्बियां

- भारत के पहले **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** ने विमानवाहक पोतों को महंगा और **अनावश्यक** माना था। उनका तर्क था कि भारतीय सेना **"अभियानकारी बल नहीं है"** और उसे दूरदराज के स्थानों पर विमान वाहक पोत तैनात करने की जरूरत नहीं है।
    - इसके अलावा, विमानवाहक पोतों को **समुद्र और तटीय क्षेत्रों से प्रक्षेपित मिसाइलों से खतरा** है। इन खतरों को देखते हुए पनडुब्बियों **को प्राथमिकता देने का तर्क दिया** जाता है।

[43] Humanitarian Assistance and Disaster relief

- स्टील्थ क्षमताओं और रक्षात्मक विशेषताओं वाली पनडुब्बियों को **समुद्री सतह पर संचालित विमानवाहक पोतों की तुलना में** युद्धपोतों के सुरक्षात्मक आवरण की कम जरुरत पड़ती है।

- हालांकि, **संतुलित नौसैनिक रणनीति के लिए विमानवाहक पोत और पनडुब्बी, दोनों समान रूप से आवश्यक** हैं।
  - **दोनों की पूरक भूमिकाएं** हैं। जहां पनडुब्बियां स्टील्थ और आक्रामक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वहीं विमान वाहक पोत कई भूमिकाएं निभाती हैं और कई मिशनों में सहायक है।

4.5. फोरेंसिक विज्ञान (Forensic Science)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 'राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना' (NFIES)[44] को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत 7 साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले आपराधिक मामलों के लिए फोरेंसिक जांच** अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में **फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर कार्य का बोझ बढ़ने की आशंका को देखते इस योजना को मंजूरी दी गई** है।
- राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत स्वीकृत **घटकों में** शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय (NFSU)** के परिसरों की स्थापना करना।
  - **केंद्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं** की स्थापना करना।
  - **NFSU-दिल्ली** के मौजूदा अवसंरचनाओं को मजबूत करना।
- इस योजना के लिए **वित्तीय आवंटन केंद्रीय गृह मंत्रालय के** बजट से किया जाएगा।

फोरेंसिक के बारे में

- फोरेंसिक में वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का उपयोग **अपराधों की जांच करने और कानूनी कार्यवाही में उपयोग के लिए सबूत इकट्ठा करने** के लिए किया जाता है।
- इसमें न्यायालय में दिए जाने वाले तर्कों का **समर्थन या खंडन करने के लिए भौतिक साक्ष्य एकत्र करना, संरक्षित करना** और **उनका विश्लेषण करना** शामिल है।
- **फोरेंसिक में उपयोग की जाने वाली तकनीकें: डीएनए विश्लेषण, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस** के लिए डिजिटल फोरेंसिक, आदि।

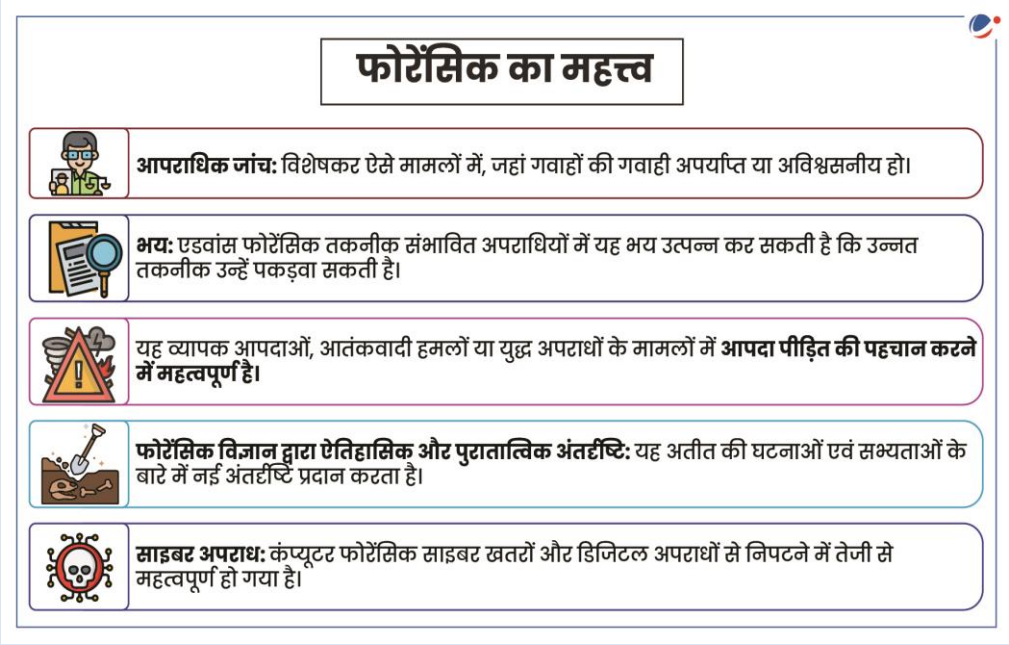

भारत में फोरेंसिक साइंस के समक्ष चुनौतियां

- **अवसंरचना और संसाधन की कमी: भारत में फोरेंसिक लैब की संख्या कम है** और इनमें से कई लैब **संसाधनों की कमी और अधिक कार्य के बोझ से जूझ रहे हैं**। इस वजह से बड़ी संख्या में मामलें जांच हेतु लंबित हैं।

[44] National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD)[45] की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के फोरेंसिक साइंस लैब में लगभग 40% कर्मचारियों की कमी है।

- **बजट की कमी:** फोरेंसिक क्षमताओं सहित राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए **बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं** है।
- **गुणवत्ता और मानकीकरण की कमी:** सभी फोरेंसिक लैब के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल नहीं होने की वजह से फोरेंसिक रिपोर्ट्स में विसंगति देखी जाती है।
- **कानूनी और संस्थागत चुनौतियां:** कई बार अदालतों में रिपोर्ट में छेड़छाड़, सही से जांच नहीं होने इत्यादि के आधार पर पर फोरेंसिक साक्ष्यों को अदालतों में स्वीकार नहीं किया जाता है।
  - **नौकरशाही संबंधी बाधाएं और अलग-अलग एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय नहीं होने से** कई बार अक्षमता सामने आती है और गलतफहमी पैदा होती है।

आगे की राह

- **मलिमथ समिति (2003) की सिफारिशें**
  - **संस्थागत:** सही जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर **जांचकर्ताओं, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अभियोजकों के बीच समन्वय के लिए बेहतर मेकेनिज्म** स्थापित करना चाहिए।
    - केंद्रीय और राज्य स्तर पर **फोरेंसिक मेडिको-लीगल सेवाओं** को मजबूत बनाने के लिए मेडिको-लीगल कार्य में शामिल विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
  - **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नवनियुक्त अभियोजकों और न्यायाधीशों** के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में पुलिस, **फोरेंसिक लैब**, न्यायालयों और जेल अधिकारियों के साथ कार्य का अनुभव शामिल होना चाहिए।
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को **कम से कम सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक फोरेंसिक साइंस विभाग** स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। बाद में, फोरेंसिक साइंस को स्कूल स्तर पर विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- **अन्य**
  - **साइबर अपराध जांच: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (I4C)[46] पहल का विस्तार करना चाहिए। इसमें अधिक साइबर अपराध जांच कर्मियों को प्रशिक्षित करने और अतिरिक्त साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** कानून लागू करने वाली एजेंसियों और निजी फोरेंसिक लैब के बीच साझेदारी बढ़ानी चाहिए ताकि इस मामले में जांच की क्षमता बढ़ाई जा सके और बैकलॉग को कम किया जा सके।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थानों के साथ सहयोग मजबूत करने से डिजिटल फोरेंसिक और नए क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद मिलेगी।

4.6. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force: FATF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सिंगापुर में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) की बैठक में '**भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट** (MER)[47]' को स्वीकार किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का पहला **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन 2010 में किया गया** था।
- **वर्तमान म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट (MER) में** भारत को **"रेगुलर फॉलो-अप" श्रेणी** में रखा गया है। इस रिपोर्ट में JAM (जन धन, आधार नंबर, मोबाइल) ट्रिनिटी जैसी पहलों की प्रशंसा की गई है।

---

[45] Bureau of Police Research and Development

[46] Indian Cyber Crime Coordination Centre

[47] Mutual Evaluation Report

- गौरतलब है कि **नकद लेनदेन पर सख्त विनियमन** के कारण **वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई** है। साथ ही, इन उपायों ने लेन-देन को पारदर्शी बना दिया है।

FATF की 'म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट' क्या है?

- म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण** तथा **सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने में** किसी देश द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन है।
  - यह रिपोर्ट **पीयर रिव्यू** पर आधारित होती हैं, जहाँ अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि दूसरे देश का मूल्यांकन करते हैं।
  - म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन के दौरान, **जिस देश के उपायों का मूल्यांकन किया जा रहा होता है उस देश को यह प्रदर्शित करना होता है कि** उसके पास **वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी फ्रेमवर्क मौजूद** है।
- **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के दो मुख्य घटक हैं:**
  - **प्रभावशीलता रेटिंग (Effectiveness rating)** और
  - **तकनीकी अनुपालन मूल्यांकन (Technical Compliance assessment)**।
- **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण**
  - **रेगुलर फॉलो-अप: सर्वोच्च श्रेणी**
    - इस श्रेणी में केवल **24 देश** हैं। इनमें **भारत, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस** और **रूस** जैसे G20 के सदस्य देश भी शामिल हैं।
  - **एन्हांस्ड फॉलो-अप:** इनमें ऐसे देश शामिल होते हैं जिनके प्रयासों में कई कमियां मौजूद होती हैं।
    - इस श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश और कई यूरोपीय देश शामिल हैं।
  - **इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप (ICRG) समीक्षा: इसमें उच्च जोखिम वाले एवं अन्य तरह की निगरानी वाले क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन)** शामिल हैं।
    - इनमें शामिल देशों को अपने प्रयासों में **कमियों को दूर करने के लिए एक साल की निगरानी अवधि** में रखा जाता है।
    - चिह्नित **कमियों को दूर करने में विफल होने** पर देशों को **ब्लैक या ग्रे सूची** में डाला जा सकता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- **सदस्यता:** 38 सदस्य देश (इसमें रूस भी शामिल है, हालांकि उसकी सदस्यता निलंबित है।) **भारत 2010 से इसका सदस्य है।**

- **FATF-शैली की क्षेत्रीय संस्थाएं: ऐसी 9 क्षेत्रीय संस्थाएं** हैं। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रसार** करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- **मुख्य कार्य**
  - **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को स्वच्छ बनाए रखना:** FATF **मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त-पोषण** एवं **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य संबंधित खतरों** से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है।
    - यह देशों और विनियमित संस्थाओं (वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों) के लिए **मानक निर्धारित** करता है।
  - **वित्तीय समावेशन:** 2000 के दशक के अंत से वित्तीय समावेशन का समर्थन करना FATF की प्राथमिकता में शामिल हो गया।
    - **अधिक-से-अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने पर बल** दिया गया, जिससे लेनदेन की आसानी से निगरानी की जा सके।
    - FATF ने **'अवांछित परिणामों पर परियोजना'** (Project on unintended consequences) भी शुरू की है, जिसमें वित्तीय अपवंचन (फाइनेंशियल एक्सक्लूशन) से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट:** इनमें ऐसे देश और क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं।
  - **ग्रे लिस्ट (अधिक निगरानी वाले देश):** ये वे देश हैं जो अपने कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
    - वास्तव में ये वे देश हैं जिन्होंने **चिन्हित कमियों को तय समय-सीमा में दूर करने की प्रतिबद्धता जताई है** तथा उनकी कार्रवाइयों की निगरानी की जा रही है।
  - **ब्लैक लिस्ट (अधिक जोखिम वाले देश जिनसे कार्रवाई करने को कहा गया है):** ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई में **गंभीर कमियों** वाले देशों या क्षेत्राधिकारों की सूची है।
    - ऐसे देशों के मामले में, FATF अपने सभी सदस्य देशों और सभी क्षेत्राधिकारों से **अधिक सावधानी बरतने** का अनुरोध करता है। साथ ही, सबसे गंभीर मामलों में, देशों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए जवाबी उपाय करने का अनुरोध करता है।

FATF अधिक प्रभावी क्यों नहीं रहा है?

- **निष्पक्षता का अभाव:** वैसे तो FATF सर्वसम्मति से निर्णय लेता है, किंतु इस बारे में **कोई औपचारिक नियम नहीं है** कि किसी प्रस्ताव को खारिज करने या किसी देश को ग्रे सूची में शामिल होने से बचाने के लिए कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना आवश्यक है।
- **सूची में शामिल करने की व्यवस्था में खामियां:** क्षमताओं और कार्रवाइयों के आधार पर ग्रे सूची में शामिल देशों में अंतर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि FATF के दिशा-निर्देशों के पालन और कार्रवाई के लिए आवश्यक तकनीकी या प्रशासनिक क्षमता की कमी वाले देश तथा ऐसे देश जिनके पास क्षमता तो है, लेकिन वे जानबूझकर कार्रवाई नहीं करते हैं, इस सूची में ऐसे देशों में अंतर करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
  - निर्देशों का पालन नहीं करने वाले देशों को या तो ब्लैक लिस्ट में या ग्रे सूची में डालने से आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले देशों के खिलाफ लचीला और चरणबद्ध उपाय करने का मार्ग अवरुद्ध होता है।
- **अधिक प्रभावी नहीं:** FATF वास्तविक कार्रवाई की जांच किए बिना देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उसने तकनीकी रूप से FATF की सिफारिशों को लागू किया था।
  - हालांकि, पाकिस्तान अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकवाद के वित्त-पोषण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में विफल रहा है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज़ों को अधिक महत्त्व नहीं देना:** ग्लोबल साउथ के कई देशों से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में पर्याप्त संसाधन निवेश करने की अपेक्षा करना उचित नहीं लगता है।
  - इसकी वजह से, अफ्रीका के कई देश नियमित रूप से ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाते रहे हैं।
- **आतंकवाद के वित्त-पोषण के नए स्रोतों का उभरना:** क्रिप्टोकरेंसी एवं अन्य वर्चुअल एसेट्स का कारोबार बढ़ने से आतंकवादियों को गुमनाम तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन लेनदेन करने के नए मार्ग मिल गए हैं।

FATF को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की राह

- **ग्रे लिस्ट का उप-वर्गीकरण: FATF के निर्देशों पर कार्रवाई करने की मंशा और गंभीरता के आधार पर** देशों को ग्रे सूची में भी अलग-अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए। इससे आतंकवाद के वित्त-पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है।

- **कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ाना:** पारदर्शी और खुली प्रतियोगिता प्रणाली के माध्यम से सचिवालय में अलग-अलग पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति को बढ़ावा देना चाहिए।
    - इसके अलावा, नौकरी की सुरक्षा और सचिवालय की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
- **गरीब देशों की संसाधनों और क्षमताओं से मदद करना:** जरूरतमंद देशों को उनके कानूनी, विनियामक, संस्थागत और वित्तीय पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और FATF-स्टाइल क्षेत्रीय संस्थाओं सहित अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग और समन्वय बढ़ाने से FATF को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
- **क्षमता निर्माण:** FATF को नए जोखिमों से निपटने के लिए अपने मानकों में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। जैसे कि वर्चुअल एसेट्स का विनियमन जरूरी है, क्योंकि यह भी क्रिप्टोकरेंसी के समान लोकप्रिय हो गया है।

4.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.7.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने **डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया** को UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है।

- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष UNGA गुप्त मतदान के जरिए **पांच अस्थायी सदस्यों** का चुनाव करती है। ये **दो वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुने जाते हैं। UNSC में **कुल 10 अस्थायी सदस्य** हैं।

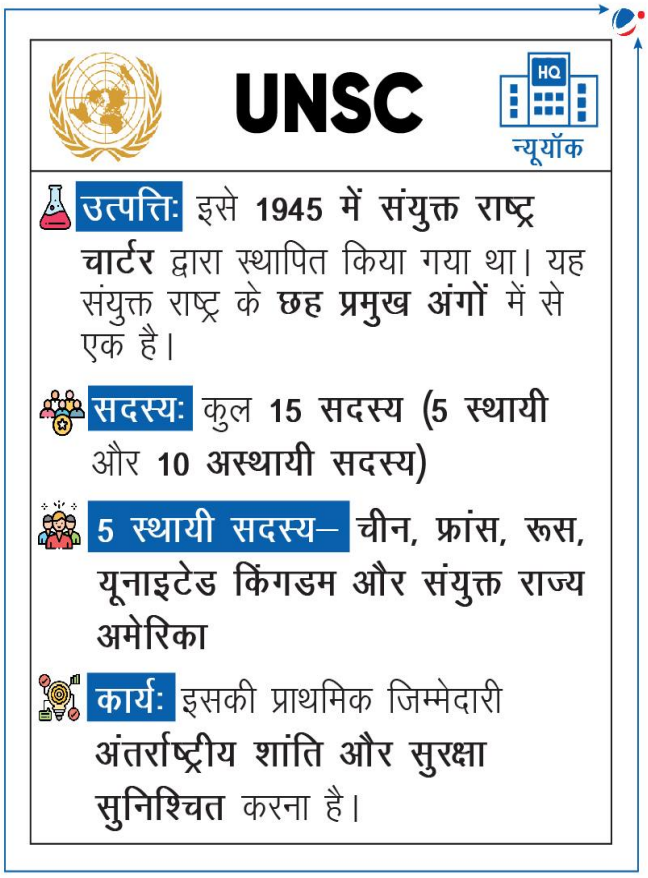

4.7.2. बहुपक्षीय शांति अभियान (Multilateral Peace Operations)

हाल ही में, सिपरी (SIPRI) ने **"मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन्स इन 2023: डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स"** शीर्षक से विषय आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2023 में बहुपक्षीय शांति अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बहुपक्षीय शांति अभियानों से संबंधित मुख्य बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में **सबसे अधिक 20 बहुपक्षीय शांति अभियान** चलाए थे।
- 2023 में **संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के लिए सैन्य कर्मियों के स्तर पर सबसे अधिक योगदान देने वाला देश भारत** था।
- 2023 में, विश्व के **37 देशों में 63 बहुपक्षीय शांति अभियान** संचालन में थे।
- **सबसे अधिक शांति रक्षक सेना सब-सहारा अफ्रीका में तैनात** की गई थी।

4.7.3. प्रोजेक्ट 28 (P28)

भारतीय नौसेना पोत **INS किल्टन मुरा (ब्रूनेई) पहुंचा।** यह यात्रा **दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का एक हिस्सा** है। INS किल्टन चार P28 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों (ASW) के कॉर्वेट्स (जंगी जहाज) में से तीसरा है।

प्रोजेक्ट 28 के बारे में

- इसका उद्देश्य **4 स्वदेशी ASW कॉर्वेट्स या कामोर्टा श्रेणी के जहाजों का निर्माण** करना था।
- **ASW कॉर्वेट्स की विशेषताएं:**
    - ये **विमानभेदी तोपों, टारपीडो लॉन्चर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली व अग्नि नियंत्रण रडार** आदि से सुसज्जित हैं।

- इन्हें **परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में तैनात** किया जा सकता है।
- इनके निर्माण में स्वदेशी रूप से विकसित **"विशेषीकृत हाई स्ट्रेंथ वॉरशिप ग्रेड स्टील DMR 249A"** का उपयोग किया गया है।

- इसे भारतीय नौसेना के **नौसेना डिज़ाइन निदेशालय** ने डिज़ाइन किया है।
- इसका निर्माण **कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)** ने किया है।
- **INS कामोर्टा, INS कदमत्त, INS किल्टन और INS कवरत्ती** इसके तहत निर्मित होने वाले युद्धपोत हैं।

4.7.4. नागास्त्र-1 (Nagastra-1)

भारतीय थल सेना को **पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन 'नागास्त्र-1'** प्राप्त हुआ।

नागास्त्र-1 के बारे में

- इसे **सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (EEL), नागपुर** ने विकसित किया है।
- यह **2 मीटर** तक की सटीकता के साथ जीपीएस-सक्षम सटीक हमलों के साथ **'कामिकेज़ मोड'** में शत्रुतापूर्ण खतरों को बेअसर कर सकता है।
  - **कामिकेज़** द्वितीय विश्व युद्ध में **जापानी एयर अटैक कोर के सदस्यों** को संदर्भित करता है, जिन्हें लक्ष्य (जैसे जहाज) पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार किया गया था।
  - हालांकि, नागास्त्र-1 **सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के कैंपों पर सटीक हमला** करने में सक्षम है।
- यह **दिन-रात निगरानी** करने वाले कैमरों से सुसज्जित है।
- यह **1 किलोग्राम उच्च-विस्फोटक विखंडन हथियार** ले जा सकता है।
- **यह पैराशूट रिकवरी तंत्र के जरिये गिरने, रिकवर होने और फिर से उपयोग करने** जैसी अनूठी विशेषताओं से युक्त है।

4.7.5. रुद्रम-II (RudraM-II)

रुद्रम-II मिसाइल का Su-30 MK-I से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

रुद्रम-II के बारे में

- यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु-प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। इसे **हवा-से-सतह पर मार** करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
- गौरतलब है कि 2020 में, **न्यू जनरेशन एंटी-रेडिएशन मिसाइल (NGARMs)** रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
  - यह भारतीय **वायु सेना की पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल** है।
  - यह **इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS)-ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)** नेविगेशन प्रणाली और **पैसिव होमिंग हेड (PHH)** से लैस है।
  - **PHH,** प्रोग्राम की गई आवृत्तियों के एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्यों का पता लगा सकता है, उन्हें वर्गीकृत कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है।

4.7.6. माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेक्ट (Microwave Obscurant Chaff Rocket: MOCR)

DRDO ने **भारतीय नौसेना** को मीडियम रेंज-माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट (MR-MOCR) सौंपा।

मीडियम रेंज-माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट (MR-MOCR) के बारे में

- **विकासकर्ता एजेंसी:** इसका विकास **जोधपुर** में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की **रक्षा प्रयोगशाला** ने किया है।
- **प्रौद्योगिकी:** यह ऐसी तकनीक है, जो रडार संकेतों को अवरुद्ध करती है तथा प्लेटफॉर्म्स एवं परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है। इस प्रकार उनके रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम करती है।
- **विशेषता:**
  - चैफ एक **निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक प्रति-उपाय** है। इसमें **माइक्रोवेव द्विध्रुव** के रूप में कार्य करने के लिए रेजोनेन्ट लेंथ के विद्युत चालकता वाले महीन फाइबर शामिल होते हैं।
- **कार्य तंत्र:** इस रॉकेट को दागे जाने पर यह अंतरिक्ष में रडार संकेतों को अवरुद्ध करने वाला माइक्रोवेव बादल बनाता है। इस प्रकार रेडियो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने वाले शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापों के खिलाफ एक प्रभावी कवच का निर्माण करता है।

4.7.7. जैवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली (Javelin Anti-tank Weapon System)

प्राप्त जानकारी के अनुसार **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में अमेरिकी जैवलिन मिसाइल्स का सह-उत्पादन** करने पर चर्चा की है।

जैवलिन एंटी-टैंक हथियार प्रणाली के बारे में

- यह विश्व की प्रमुख **सिंगल मैन-पोर्टेबल मीडियम रेंज एंटी-टैंक हथियार प्रणाली** है।
- प्रक्षेपित होने के बाद यह मिसाइल स्वचालित रूप से लक्ष्य की ओर निर्देशित हो जाती है, यानी यह **'दागो और भूल जाओ'** के सिद्धांत पर काम करती है। इससे **गनर को कवर लेने और जवाबी गोलाबारी से बचने** की सुविधा मिलती है।.
- इससे **भवनों या बंकरों के अंदर से सुरक्षित** रूप से गोलाबारी की जा सकती है।

4.7.8. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **जिमेक्स (JIMEX):** द्विपक्षीय **जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX), 2024 जापान के योकोसुका** में शुरू हुआ। **2012** में **JIMEX** की शुरुआत के बाद से यह इसका **आठवां** संस्करण है।
- **होपेक्स अभ्यास (Exercise HOPEX):** होपेक्स अभ्यास **भारतीय वायु सेना (IAF) और मिस्र की वायु सेना** के बीच एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।
  - **उद्देश्य:** द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - भारतीय वायुसेना के **राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर** इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
  - **अभ्यास का स्थान: मिस्र।**

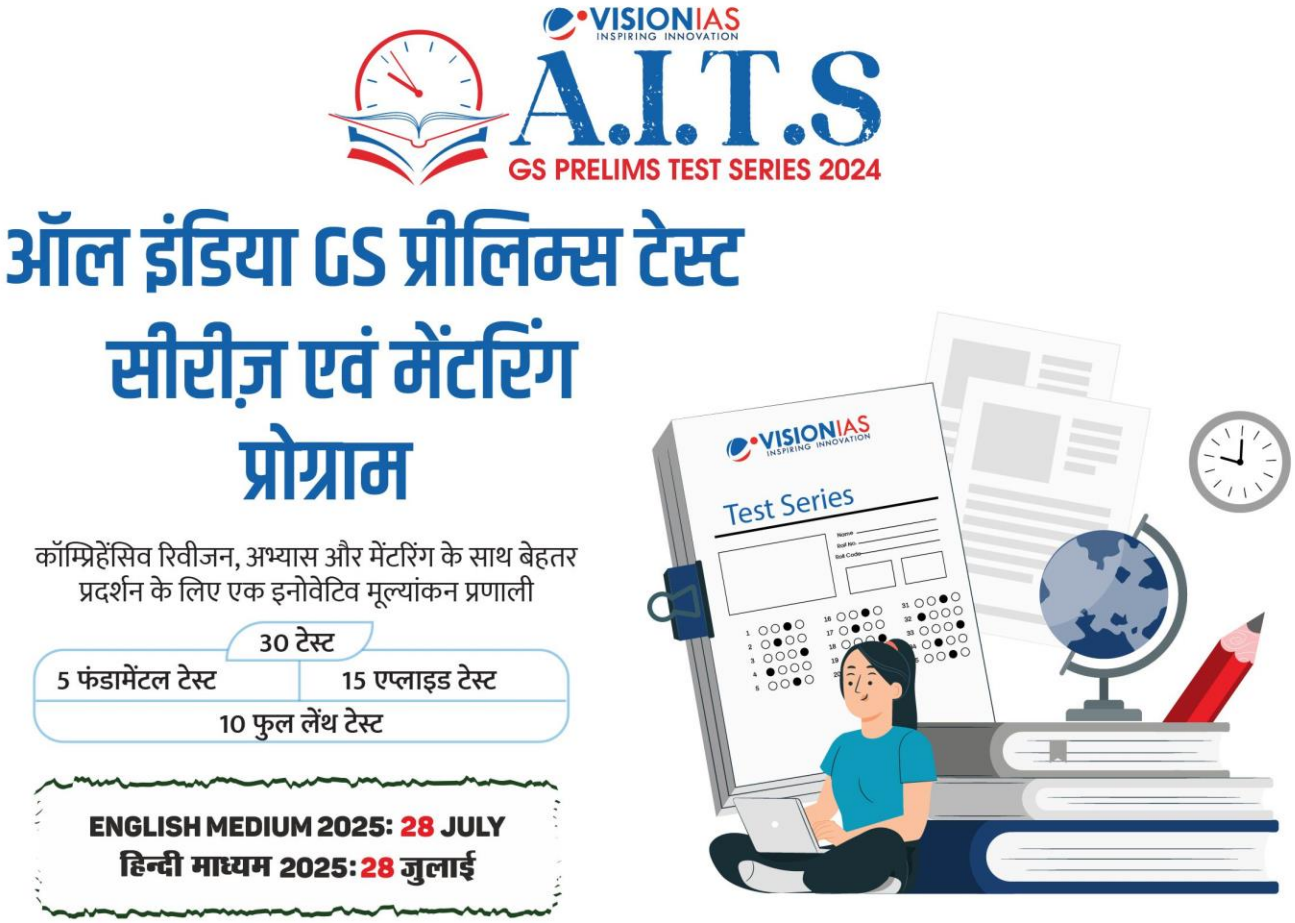

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. लघु द्वीपीय विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन {Small Island Developing States (Sids) and Climate Change}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पनामा, जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए **द्वीपीय समुदाय** को **उनकी जगह से खाली कराने वाला पहला देश** बन गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण मूलवासी **'गुना' समुदाय** के लगभग 300 परिवारों को **'गार्डी सुगदुब' द्वीप से हटाकर पनामा की मुख्य भूमि** पर पुनर्वास किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि **महासागरों में बढ़ते जलस्तर के कारण** ऐसे कई **लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं।**

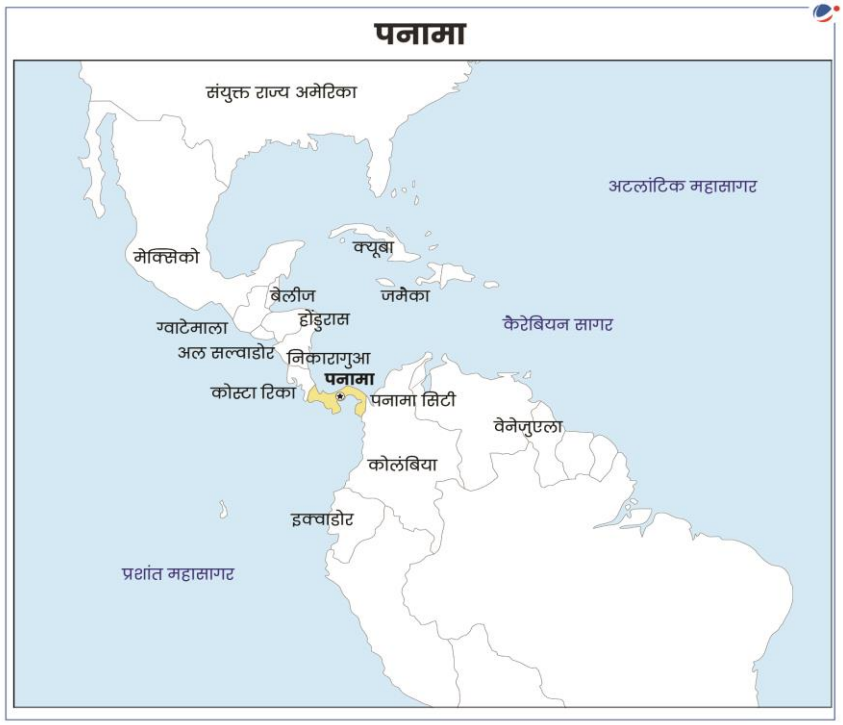

अन्य संबंधित सुर्खियां

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)[48] की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) कार्यक्रम

- हाल ही में, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने **लघु द्वीपीय विकासशील देशों** (SIDS) में आपदा रोधी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए **IRIS कार्यक्रम** के तहत **8 मिलियन डॉलर** के वित्त-पोषण की घोषणा की है।
  - इस वित्त-पोषण की घोषणा **एंटीगुआ और बारबुडा** में आयोजित **SIDS पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** में की गई है।
- **IRIS कार्यक्रम** ने **संयुक्त राष्ट्र SIDS साझेदारी पुरस्कार 2024** जीता है। यह पुरस्कार नए और प्रभावी साझेदारी के माध्यम से SIDS के संधारणीय विकास में IRIS कार्यक्रम के योगदान के लिए दिया गया है।
- **IRIS कार्यक्रम के बारे में**
  - **सदस्य:** CDRI के सदस्य- **ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, यूनाइटेड किंगडम** तथा **SIDS देशों के प्रतिनिधि** इसके सदस्य हैं।
  - इसे जलवायु परिवर्तन पर **COP26** के दौरान **वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन** में लॉन्च किया गया था।
- **अवसंरचना लचीलापन त्वरक कोष (IRAF)[49] (2022)**: यह **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का न्यास कोष (Trust Fund)** है। इसका उद्देश्य आपदा से निपटने के लिए अवसंरचनाओं को मजबूत करने हेतु वैश्विक उपायों को सहायता देना है।
  - इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)[50]** के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह विकासशील देशों और **SIDS** पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है।
  - **IRAF, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS)** कार्यक्रम का समर्थन करता है।

[48] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[49] Infrastructure Resilience Accelerator Fund

[50] United Nations Office for Disaster Risk Reduction

- **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** को भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था।
  - **सचिवालय:** इसका सचिवालय **नई दिल्ली** (भारत) में स्थित है।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए अवसंरचनाओं को मजबूत करने को बढ़ावा देना है, ताकि संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके।

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के बारे में,

- **SIDS** उन लघु द्वीपीय देशों और क्षेत्रों का समूह है जो **संधारणीय विकास संबंधी समान चुनौतियों को झेल रहे हैं** एवं एक ही जैसे **सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय खतरों का सामना** कर रहे हैं।
  - **SIDS में शामिल सभी देश द्वीपीय देश नहीं हैं।** बेलीज, गुयाना और सूरीनाम को भी उनकी समान विशेषताओं या चुनौतियों के कारण इसमें शामिल किया गया है।
  - **SIDS के उदाहरण:** मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरीनाम, मॉरीशस, पापुआ न्यू गिनी, वानूअतू, गुयाना, सिंगापुर आदि।
- SIDS में तीन भौगोलिक क्षेत्रों के देश शामिल हैं: **कैरेबियन सागर; प्रशांत महासागर;** तथा **अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर (AIS)**।
- 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में SIDS को उनके **पर्यावरण और विकास, दोनों मामलों में "विशेष स्थिति" (स्पेशल केस)** के रूप में मान्यता दी गई थी।

जलवायु परिवर्तन SIDS को कैसे प्रभावित कर रहा है?

ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में SIDS देशों की नाममात्र की हिस्सेदारी है, लेकिन इन्हें **हानि और क्षति (Loss and Damage)** के रूप में जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, महासागर का अम्लीकरण, उच्च तापमान, औसत से भिन्न जलवायु इत्यादि की वजह से खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

- SIDS के अधिकतर देश, तटीय कटाव और जमीन के पानी में डूबने के कारण **विस्थापन के लिए विवश हैं**।
  - उदाहरण के लिए; अनुमान लगाया गया है कि **2050 तक तुवालु की राजधानी का आधा हिस्सा** ज्वार के कारण समुद्री जल में डूब जाएगा।
- **आर्थिक प्रभाव:** उदाहरण के लिए; महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल भित्ति जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है तथा पर्यटन, मात्स्यिकी जैसी आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित करता है।
  - 1970 से 2020 तक चरम मौसमी घटनाओं के कारण **SIDS को 153 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ** है। SIDS देशों के औसत सकल घरेलू उत्पाद 13.7 बिलियन डॉलर को देखते हुए यह नुकसान काफी अधिक है।
- **मूलवासी समुदायों पर अधिक प्रभाव:** ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों या धरोहरों को खो सकते हैं। साथ ही, उनकी पारंपरिक आजीविका और जीवन शैली के भी प्रभावित होने की आशंका है।

- **जलवायु संबंधी अन्याय (Climate injustice): वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में** SIDS का हिस्सा **केवल 1% है।** अतः ये मौजूदा जलवायु संकट के लिए सबसे कम उत्तरदायी हैं। फिर भी इन्हें **जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणामों को झेलना पड़ता** हैं।
- इसके अतिरिक्त, इनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न तो **आर्थिक क्षमता है, न ही ये तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं कि इसके प्रभावों को कम कर सके।**
    - जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होने के बावजूद भी इन्हें पर्याप्त फंड प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए; 2019 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तपोषण में से इन्हें मात्र 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त हुए।
    - SIDS देशों की आबादी 1,000 से अधिक द्वीपों पर बसी हुई हैं। इनकी कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के **1% से भी कम** है।
- **स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव**: **हीट वेव और वेक्टर जनित बीमारियों** के बढ़ते प्रकोप के कारण SIDS के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **पेयजल तक पहुंच:** जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि से **स्वच्छ जलभृतों (Aquifers) में लवणीय जल प्रवेश कर सकता है।** इससे **इन्हें स्वच्छ जल संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़** सकता है।
    - उदाहरण के लिए **बहामास** जल-संसाधन के लिए पूरी तरह से भूजल पर निर्भर है।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** हीट स्ट्रेस, मृदा में नमी और वाष्पोत्सर्जन में परिवर्तन तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं में परिवर्तन के कारण कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **अनुकूलन क्षमता में वृद्धि:** जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को सतत विकास योजना, आपदा रोकथाम और प्रबंधन, एकीकृत तटीय प्रबंधन, और स्वास्थ्य देखभाल योजना जैसे अन्य क्षेत्रीय नीतियों के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जोखिमों को कम करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
- अनुकूलन नीतियों और रणनीतियों के बेहतर फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए **डेटा संग्रह और तकनीकी क्षमता में सुधार** करना चाहिए। इसके लिए **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और खतरों का सही तरीके से आकलन** करना होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण**: जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन विकसित करने और जलवायु परिवर्तन शमन यानी मिटिगेशन की **लागत बहुत अधिक** होती है। अतः अनुकूलन के पारंपरिक, प्राकृतिक और नए तरीकों पर **अनुसंधान** के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहायता** जरूरी है।
    - **ब्रिजटाउन पहल (2022):** ऋण संकट का सामना कर रहे देशों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिजटाउन पहल शुरू की गई है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में निवेश करने के लिए "सतत विकास लक्ष्य राहत पैकेज" का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करने हेतु पारंपरिक ज्ञान एवं नवाचारों का उपयोग करना चाहिए।
    - **उदाहरणार्थ:** ब्लू कार्बन परियोजनाएं, निम्नीकृत (डिग्रेडेड) पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना इत्यादि।
- **नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना**: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए **पवन, सौर और भूतापीय** ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ महासागर की तापीय और ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए; **SIDS लाइटहाउस पहल** का लक्ष्य 2030 तक सभी SIDS देशों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।

वैश्विक उपाय

- **लघु द्वीपीय देशों का गठबंधन (AOSIS)**[51]: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह लघु द्वीपीय देशों का पक्ष रखने और अंतर्राष्ट्रीय **पर्यावरण नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।

[51] Alliance of Small Island States

- **लघु द्वीपीय विकासशील देशों के संधारणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन, 1994 (बारबाडोस कार्य योजना)**: जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनशीलता और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण SIDS देशों द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले खतरों का समाधान करता है।
- **UNDP की पहलें**
  - **क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव:** यह पहल SIDS देशों को **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)**[52] तैयार करने में सहायता करती है।
  - **प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव**: यह पहल जलवायु वार्ताओं में अपना बेहतर हित सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक, कानूनी और तकनीकी क्षमता का निर्माण करके SIDS देशों को सशक्त बनाती है।
- **लघु द्वीपीय विकासशील देशों के त्वरित कार्यवाही पद्धति (SAMOA)[53] पाथवे:** इसका उद्देश्य SIDS देशों के समक्ष आने वाली विशेष चुनौतियों का समाधान करना और उन देशों के विकास में सहयोग करना है।
- **जलवायु न्याय पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2023:** इसका उद्देश्य "जलवायु परिवर्तन के संबंध में देशों के दायित्वों" पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से कानूनी राय प्राप्त करना है।
- **समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल[54]: यह जलवायु परिवर्तन** शमन के मामले में **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)** के पक्षकारों के विशेष दायित्वों को पूरा करने पर **सलाहकारी सुझाव** देता है।

5.2. भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region: IHR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया निर्णयों से स्पष्ट होता है कि "जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रहना" **एक नया मूल अधिकार** है। इस नए मूल अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR)** के लिए एक संधारणीय विकास मॉडल को अपनाना आवश्यक हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एम. के. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ वाद (2024)** में सुप्रीम कोर्ट ने **"जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार"** को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21 के** तहत **मूल अधिकार** माना है।
- **अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से आगे की राह सुझाने को कहा ताकि शीर्ष न्यायालय संधारणीय विकास के लिए हिमालयी राज्यों और कस्बों की **वहन क्षमता** पर निर्देश जारी कर सके।
  - **वहन क्षमता (Carrying capacity)** जनसंख्या वह अधिकतम आकार है जिसे कोई पारिस्थितिक तंत्र बिना निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड हुए वहन कर सकता है।
- **तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम वाद** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पर्यावरण के मामले में पारिस्थितिकी केन्द्रित नजरिया अपनाया जाना समय की मांग है, विशेष रूप से ऐसे पर्यावरण के मामले में जिसके केंद्र में "प्रकृति" है।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संवृद्धि और विकास की आकांक्षाओं को विज्ञान तथा स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं प्रकृति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र के बारे में (IHR)

- हिमालय **युवा वलित पर्वत** है और यह **विवर्तनिक रूप से सक्रिय** है। इसका निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले **यूरेशिया प्लेट** और **उत्तर की ओर बढ़ती इंडियन प्लेट के बीच** टक्कर के कारण हुआ था।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र भारत के **13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 2500 किलोमीटर** तक फैला हुआ है।

[52] Nationally Determined Contributions

[53] Small Island Developing States Accelerated Modalities of Action

[54] The International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS

- यह **भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 18% भाग पर फैला हुआ है** जबकि देश के वनावरण क्षेत्र और जैव विविधता का 50% हिस्सा कवर करता है।
    - यह विविध वनस्पति और वन्य-जीव प्रजातियों वाला **जैव विविधता हॉटस्पॉट** है।

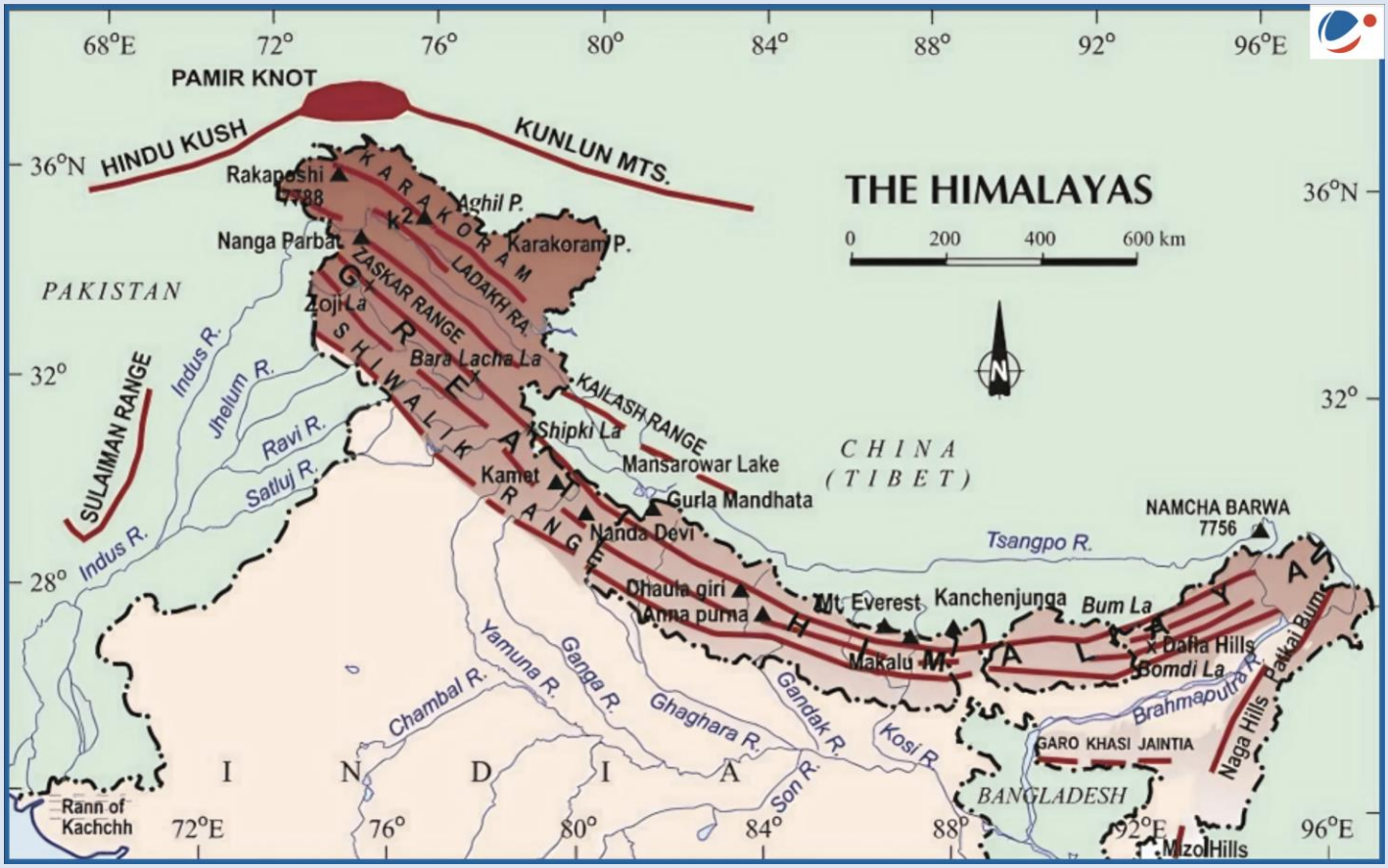

भारतीय हिमालयी क्षेत्र का महत्त्व

- **अपवाह और जल संसाधन:** इस क्षेत्र को **'वाटर टावर ऑफ अर्थ'** कहा जाता है।
    - हिमालय के ग्लेशियर अधिकांश नदियों के जल के स्रोत हैं, जैसे- गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इनसे लगभग 1.4 अरब लोगों की आजीविका चलती हैं। वास्तव में इनका जीवन-यापन ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है।
- **पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं:** यह क्षेत्र भोजन, औषधि और आनुवंशिक संसाधनों जैसे अनेक पारिस्थितिक तंत्र वस्तुएं और कार्बन पृथक्करण एवं जल प्रबंधन जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है।
- **जलवायु निर्धारण में सहायक:** यह क्षेत्र आर्कटिक की ठंडी और शुष्क हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण की ओर जाने से रोकता है।
    - यह **मानसूनी पवनों** के लिए भी अवरोधक का कार्य करता है जिससे वे अधिक उत्तर की ओर नहीं पहुंच पाती और हिमालय के दक्षिण में ही वर्षा कराती है।
- **पर्यटन:** ऊंचाई पर अवस्थित झीलें, पर्वत चोटियां और पवित्र प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही, यहां **पारिस्थितिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन** (जैसे- अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि) की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां

- **असंधारणीय विकास:** कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए वनों की कटाई; वृहद **जल विद्युत परियोजनाओं** (जैसे-टिहरी बांध) के निर्माण के कारण जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा; **खनन और पर्वतों में विस्फोट** (जैसे- चार धाम परियोजना के लिए) इत्यादि के कारण आपदाओं में वृद्धि हुई है।
    - उदाहरण के लिए- 2023 में उत्तराखंड में जोशीमठ का धंसाव (Sinking), हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन, सिक्किम में हिमानी झील के टूटने से आई बाढ़ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट), उत्तरकाशी में सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग हादसा इत्यादि।

- **पर्यटकों की बढ़ती संख्या:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र में **प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन पर्यटक आते** हैं तथा **2025 तक यह संख्या बढ़कर 240 मिलियन होने की संभावना** है। इससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा।
  - नीति आयोग के अनुसार उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों में पर्यटन क्षेत्रक **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (GSDP)[55] **में 10% से अधिक** का योगदान देता है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** इसरो के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर **अत्यधिक तेजी से पिघल रहे** हैं जिससे हिमानी झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है।
  - हिमानी झीलों के टूटने से बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
- **जल संकट:** एक अनुमान के अनुसार, हिमालय में **4 मिलियन** झरनों (स्प्रिंग्स) में से कम-से-कम 33% झरने जल की कमी के कारण सूख रहे हैं और 50% से अधिक में जल प्रवाह में कमी आई है।
  - उदाहरण के लिए; **शिमला** और भारत के अन्य पर्वतीय शहरों में जल संकट की वजह झरनों का सूखना है।
- **पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में कमियां:** सरकार के सभी स्तरों पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र की विशेष संरक्षण आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। इसके बावजूद, इस क्षेत्र के खतरों और नाजुक स्थिति पर **अलग से विचार नहीं** किया जा रहा है।

आगे की राह

- **एकीकृत विकास:** एक "**हिमालयी प्राधिकरण**" की स्थापना की जानी चाहिए। यह हिमालयी राज्यों के एकीकृत और संपूर्ण विकास में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी भी करेगा।
- **संधारणीय पर्यटन**: स्मार्ट शहरों की तर्ज पर "**स्मार्ट पर्वतीय पर्यटन स्थल**" के लिए बिजनेस प्लान बनाने की आवश्यकता है। इको-सर्टिफिकेशन के आधार पर '**ग्रीन उपकर**' (Green Cess) लगाया जाना चाहिए।
  - **ग्रीन उपकर**' पर्यावरण सेवाओं का लाभ उठाने के बदले किया जाने वाला भुगतान है।
- **जल सुरक्षा में सुधार:** उन झरनों के कायाकल्प के लिए सर्वोत्तम उपाय करने की जरूरत है जिनमें जल की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट आई हैं। जैसे - सिक्किम में **धारा विकास** एक ऐसा ही उपाय है।
- **क्षमता निर्माण:** संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन पर उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ मिश्रित करके अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में सुधार:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग से **"पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)[56]"** व्यवस्था की आवश्यकता है।

[55] Gross State Domestic Product

[56] Environment Impact Assessment

- पर्यावरण प्रभाव आकलन, किसी परियोजना को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है।

नोट: *हिमालयी क्षेत्र में अविनियमित पर्यटन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अगस्त 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3 5.2. "भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में अविनियमित पर्यटन" को पढ़िए।*

5.3. ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-ग्रेट निकोबार के सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)[57] अध्ययन पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह परियोजना प्रस्तावित "**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) का समग्र विकास"** परियोजना का हिस्सा है।
- **मसौदा रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **परियोजना के सकारात्मक प्रभाव**
    - आर्थिक, रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि होगी।
    - क्षेत्र का विकास होने पर जमीन के मूल्य में वृद्धि होगी।
  - **परियोजना के नकारात्मक प्रभाव**
    - कृषि के लिए उत्पादक भूमि तथा आवास इकाइयों के लिए भूमि कम पड़ जाएगी।
    - बाहरी लोगों का अधिक आगमन होगा और यहां के आदिवासियों की निजता का उल्लंघन होगा।

ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island: GNI) के बारे में

- **यह द्वीप 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।** यह **अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है।**
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित 836 द्वीपों का एक समूह है।
- **अवस्थिति:** यह निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से 520 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
  - **इंदिरा प्वाइंट** ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है और यह देश का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। गौरतलब है कि इंदिरा प्वाइंट को पहले पिग्मेलियन प्वाइंट के नाम से जाना जाता था।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय **कैम्पबेल बे** में स्थित है।
- **पारिस्थितिक विशेषताएं:**
  - **यहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन,** 642 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं (माउंट थुलियर) और तटीय मैदान प्राप्त होते हैं।
  - **जीव-जंतु:** यहां केकड़ा खाने वाला मकाक, निकोबार ट्री श्रू, डुगोंग, निकोबार मेगापोड, सर्पेंट ईगल, साल्ट वाटर मगरमच्छ, समुद्री कछुए इत्यादि मिलते हैं।
  - **वनस्पतियां**: यहां साइथिया एल्बोसेटेसी (ट्री फर्न), फेलेनोप्सिस स्पेसिओसा (आर्किड), जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, लाइकेन जैसी वनस्पति प्रजातियां मिलती हैं।

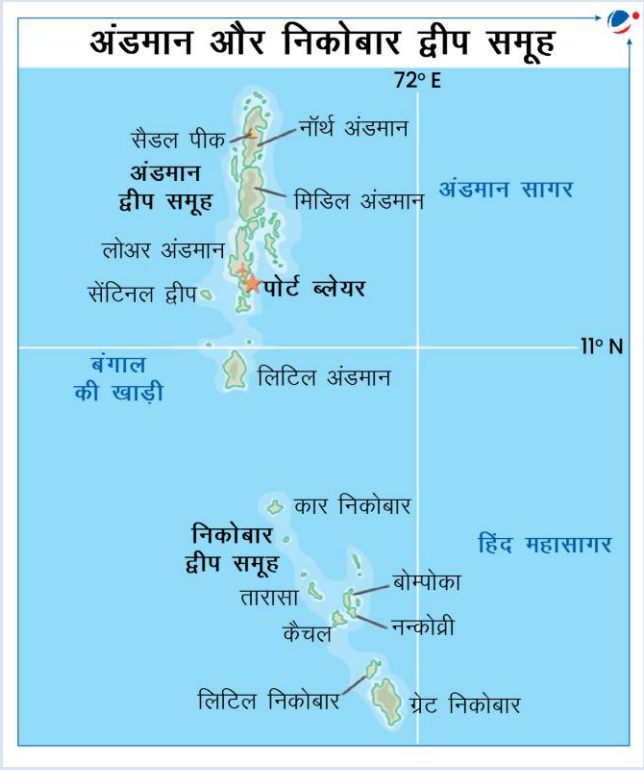

[57] Social Impact Assessment

- **पारिस्थितिक भूक्षेत्र:** यहां ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैंपबेल-बे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क स्थित हैं।
- ग्रेट निकोबार द्वीप को **वर्ष 2013 में** यूनेस्को के **मैन एंड बायोस्फियर (MAB) प्रोग्राम** के तहत **विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल** किया गया था।

- **सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं:**
  - **महत्वपूर्ण जनजातियां:** यहां शोम्पेन एवं निकोबारी जनजातियां प्राप्त होती हैं। ये दोनों ही मंगोलॉयड नृजाति से संबंधित हैं।
  - **अधिवासियों (Settlers) और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों** की कुल संख्या 8000 से अधिक है। वे द्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर निवास करते हैं तथा कृषि, बागवानी और मत्स्यन गतिविधियों में संलग्न हैं।

"अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) का समग्र विकास" परियोजना के बारे में,

- यह परियोजना भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में **अंडमान और निकोबार प्रशासन** द्वारा प्रस्तावित है।
- इस परियोजना को 2022 में **सैद्धांतिक रूप से** वन मंजूरी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)**[58] है। ANIIDCO **कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।**
- एकीकृत विकास के तहत **निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित** हैं:

इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल: (ICTT)	• **अवस्थिति:** यह गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग पर तथा सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के समीप स्थित है। • यहां जल की **प्राकृतिक गहराई** 20 मीटर है। • **प्रस्तावित हैंडलिंग क्षमता**: 14.2 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) है।
ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	• **अवस्थिति:** निकोबार जिले के कैम्पबेल-बे तालुका के शास्त्री नगर और गांधी नगर गांवों में स्थित है। • **हैंडलिंग क्षमता:** सर्वाधिक व्यस्त समय (पीक ऑवर) में 4000 पैसेंजर की क्षमता है।
टाउनशिप और क्षेत्र विकास	• निर्धारित मास्टर प्लान में अलग-अलग उद्देश्यों से भूमि के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें **आवासीय, वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग, संस्थागत, इको-टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स** इत्यादि शामिल हैं।
विद्युत संयंत्र	• अभी ग्रेट निकोबार द्वीप की अधिकांश विद्युत आपूर्ति **डीजल जनरेटर** से होती है, इसलिए यहां पर विद्युत संयंत्र का निर्माण जरूरी है। • इसका **लक्ष्य** बिना किसी बाधा के अच्छी गुणवत्ता वाली निरंतर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करना है। • **संभावित विद्युत मांग:** 450 मेगा वोल्ट एम्पीयर (MVA) ○ कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा स्रोत से अतिरिक्त **45 MVA** को शामिल किया जाएगा। • **बिजली उत्पादन स्रोत:** इसमें डीजल आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, गैस आधारित विद्युत संयंत्र, सौर विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

परियोजना की आवश्यकता और इसका महत्त्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** इंदिरा प्वाइंट प्रमुख **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से लगभग 25-40 कि.मी. दूर स्थित** है। इस मार्ग से होकर **20-25% वैश्विक समुद्री व्यापार होता है और 35% वैश्विक तेल आपूर्ति की जाती** है।
  - यह रणनीतिक अवस्थिति **इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल** तैयार करके विश्व में भारत की व्यापारिक स्थिति को अधिक मजबूत करने के अपार अवसर प्रदान करती है।
  - वर्तमान में, भारत का लगभग **75%** ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है। **इन कार्गो का 85% से** अधिक कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग हैंडल करते हैं।
- **विदेशी शक्तियों की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने में मदद:** सैन्य विस्तार और बंदरगाह निर्माण के मामले में विदेशी शक्तियों ने **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए; भारत को घेरने के लिए चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति।

[58] Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation

- **कनेक्टिविटी में सुधार:** वर्तमान में ग्रेट निकोबार द्वीप की भारत की मुख्य भूमि और अन्य वैश्विक शहरों के साथ **कनेक्टिविटी कम** है। यहां के लिए यात्रा के मुख्य साधन **शिपिंग और हेलीकॉप्टर** हैं।
    - यहां मौजूद हवाई अड्डे 'INS बाज भारतीय नौसेना वायु स्टेशन' से कहीं अधिक क्षमता वाले **बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे** की स्थापना की आवश्यकता है।
- **संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा:** यहां के उष्णकटिबंधीय वन, साहसिक पर्यटन, समुद्र तटीय पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स (स्कूबा डाइविंग) में रुचि रखने वाले समृद्ध पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।
    - **ग्रीन एयरपोर्ट परियोजना,** निर्माणाधीन सेनंग शहर, फुकेट द्वीप और लंगकावी द्वीप इत्यादि के निकट स्थित होगी। इस प्रकार यह परियोजना अंडमान और निकोबार को वैश्विक आकर्षक पर्यटन स्थलों में शामिल करने में सहायक होगी।

परियोजना से जुड़ी चिंताएं

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:**
    - निर्माण क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की हानि होगी।
    - विद्युत संयंत्र स्थल पर सीवेज अपशिष्ट उत्पादन से आस-पास के जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं।
    - बंदरगाह निर्माण से पूर्वी किनारे पर स्थित मैंग्रोव वन को नुकसान पहुंच सकता है।
    - समुद्र तट पर कृत्रिम प्रकाश की वजह से समुद्री कछुए की नेस्टिंग और हैचलिंग्स प्रभावित हो सकती हैं।
- **जीव-जंतुओं के लिए खतरा:** इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल का निर्माण गैलेथिया खाड़ी में किया जाने की संभावना है। यह **लेदरबैक टर्टल** के लिए विश्व के सबसे बड़े नेस्टिंग स्थलों में से एक है।
    - लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड, दोनों को इस निर्माण से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों जीव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
- **सामाजिक चिंताएं:** 2022 में ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने परियोजना के लिए दिया गया अपना **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** वापस ले लिया। इसका कारण प्रशासन की पारदर्शिता में कमी और आदिवासी समुदायों से जल्दबाजी में सहमति लेना है।
    - नीति आयोग की योजना में "निर्जन" के रूप में पहचानी गई भूमि का एक हिस्सा **ग्रेट निकोबारी लोगों** के पूर्वजों की भूमि है।
- **स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं:** शोम्पेन जनजाति के लोग बाहरी लोगों से बहुत कम संपर्क में रहते हैं। इसलिए बाहरी लोगों के अधिक आने से इनमें **संक्रामक रोगों** के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
    - प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल शोम्पेन सामुदायिक क्षेत्रों में भी स्थित है जिससे उनके स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **प्राकृतिक आपदा का खतरा**: अंडमान एवं निकोबार **उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र** में स्थित है। ऐसे में विकास से विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ सकते हैं।

आगे की राह

प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय:

- यह योजना स्थानीय भू-क्षेत्र नियोजन अवधारणाओं के अनुसार लागू की जाएगी, ताकि इस भू-क्षेत्र में होने वाले **बड़े बदलावों को पहचाना जा** सके।
- नवंबर से फरवरी के बीच **लेदरबैक टर्टल** का **प्रजनन-काल** होता है। इस दौरान अपतटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को **प्रतिबंधित किया** जाना चाहिए।
- कृत्रिम प्रकाश से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए **सोडियम वेपर लाइट** का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि समुद्री कछुए इससे कम प्रभावित होते हैं।
- ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में एकीकृत **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली** को लागू करने की योजना है।
- **किसी भी वर्कर को कभी भी शोम्पेन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी।** यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए।
- विस्थापित लोगों के लिए **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.4. भूमिगत कोयला गैसीकरण (Underground Coal Gasification: UCG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2015 में कोयला मंत्रालय ने भारत में **कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास के लिए एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क** को मंजूरी दी थी।
    - इस नीति के अनुसार, कोल इंडिया ने भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक का चयन किया है। इस स्थान के चयन में भारत की भूवैज्ञानिक और खनन स्थितियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के बारे में

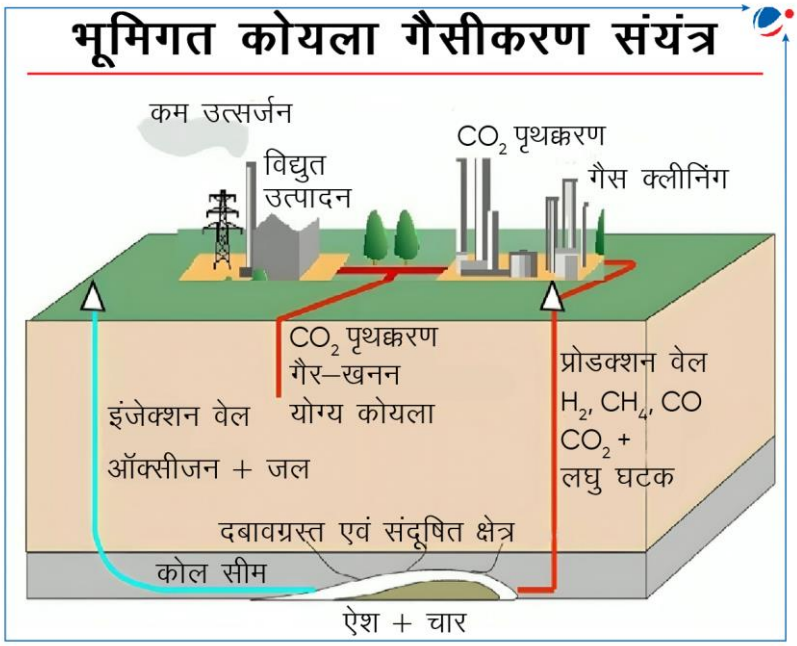

- भूमिगत कोयला गैसीकरण वास्तव में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। इसके तहत कोयले को उसके मूल कोयला-संस्तर में ही गैसीकृत किया जाता है अथवा रासायनिक रूप से संश्लेषण गैस (सिंथेसिस गैस या सिनगैस) में बदला जाता है।
    - भूमिगत कोयला गैसीकरण से प्राप्त गैस, **सतही कोयला गैसीकरण गैस के समान** ही होती है। यह सामान्यतः मीथेन (CH_4), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), हाइड्रोजन (H_2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का मिश्रण है।
- भूमिगत कोयला गैसीकरण के तहत कोयला संस्तर की मूल जगह पर **(इन-सीटू) दहन** करके उपयोगी गैस का उत्पादन किया जाता है।
    - **कोयला संस्तर में** भाप और **वायु/ ऑक्सीजन को प्रवेश कराकर** उसे प्रज्वलित करके गैसीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए **1000 डिग्री सेल्सियस** से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है।
    - इस प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद कोयले के प्रकार, तापमान, दाब, तथा दहन के लिए प्रयुक्त वायु या ऑक्सीजन के आधार पर अलग-अलग प्रकार के होते हैं।

भूमिगत कोयला गैसीकरण के उत्पाद

- **विद्युत:** भूमिगत कोयला गैसीकरण से निकलने वाली तप्त सिंथेटिक गैस का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे भाप टरबाइन को चलाया जा सकता है और विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। या फिर UCG का दहन करके भाप बनाई जा सकती है जिससे इलेक्ट्रिक टरबाइन को चलाया जा सकता है।
- **रासायनिक फीडस्टॉक:** सिंथेटिक गैस को मेथनॉल, हाइड्रोजन, अमोनिया और अन्य रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सिंथेसिस गैस में हाइड्रोजन (H_2)-कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) अनुपात संतुलित होना जरूरी है।
- **हाइड्रोजन का उत्पादन:** कोयला, हाइड्रोजन का स्वाभाविक स्रोत है। दूसरी ओर हाइड्रोजन, भविष्य में लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है।
    - भारतीय वैज्ञानिकों ने भूमिगत कोयला गैसीकरण को हाइड्रोजन जनरेटर के रूप में, फिर इसका ठोस ऑक्साइड फ्यूल सेल (SOFC) में उपयोग करके सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाओं का अध्ययन किया है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण के लाभ

- **खनन न किए जा सकने वाले कोयले का उपयोग:** भूमिगत कोयला गैसीकरण से खदानों में गहराई में स्थित उन ट्रिलियन टन कोयले का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें निकालना संभव नहीं है।
- **पूंजीगत व्यय में कमी**: कोयला खनन और सतही गैसीकरण कॉम्प्लेक्स में जरूरी कई महंगे प्रोसेस यूनिट्स और घटकों की भूमिगत कोयला गैसीकरण के वाणिज्यिक विकास में जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कोयला खनन करना, उसका परिवहन, भंडारण इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- **ऊर्जा घनत्व:** सामान्य कोल बेड मीथेन (CBM) से गैस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है, उससे 3 प्रतिशत कम भू-क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण **से समान मात्रा में** गैस ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
- **अन्य लाभ**
  - आयात पर निर्भरता कम होगी;
  - कोयला खनन और हैंडलिंग से जुड़े पारंपरिक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होंगे;
  - भूमिगत कोयला गैसीकरण में उच्च राख (हाई ऐश) की मात्रा वाले कोयले से तापन मान (हीटिंग वैल्यू) प्राप्त करने की विशेष क्षमता है।

कोयला गैसीकरण हेतु सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन:** इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन का कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण प्राप्त करना है।
- **कोयला/ लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना:** यह सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रक द्वारा कोयला/ लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 8500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- **संयुक्त उद्यम समझौता (JVA):** सरकार सतही कोयला गैसीकरण (SCG) के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता (JVA) का उपयोग करके परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और BHEL के बीच एक ऐसा ही समझौता हुआ है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण से जुड़ी चिंताएं

- **धंसाव का खतरा**: भूमिगत कोयला गैसीकरण की वजह से बनी खाली जगह शेष कोयले संस्तर और आस-पास की चट्टानों को अस्थिर बना सकती है। इससे भूमि धंसाव का खतरा बढ़ जाएगा।
- **भूजल का संदूषण:** भूमिगत कोयला गैसीकरण के दौरान कोयले के संस्तर में फिनोल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों/ गैसों का निर्माण होता है। इन तत्वों का गैसीकरण क्षेत्र से बाहर रिसाव हो सकता है और संभवतः आस-पास के भूजल स्रोतों के दूषित होने का खतरा भी रहता है।
- **प्रमाणित प्रौद्योगिकी का अभाव:** भारत में कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का अभाव है।
  - उच्च प्रौद्योगिकी लागत सिंथेटिक गैस और इसकी अगली कड़ी के उत्पादों की लागत बढ़ा सकती है तथा परियोजना के आर्थिक रूप से उपयोगी होने को भी प्रभावित करती है।
- **अस्थिर-स्थिति प्रक्रिया (Unsteady-state process):** भूमिगत कोयला गैसीकरण वास्तव में एक अस्थिर प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई पैरामीटर जैसे कि- कोयला संस्तर में गुहा (कैविटी) का बढ़ना, कोयले के अलग-अलग संस्तर में कोयला की गुणवत्ता का अलग-अलग होना, जलभराव की मात्रा, राख की परत का निर्माण जैसे कारक एक जैसी या अलग-अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भूमिगत कोयला गैसीकरण से कोयले को मूल्यवान उत्पादों में बदलने की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की योजनाओं और प्रोत्साहनों का उद्देश्य कोयला गैसीकरण में भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के निवेश को आकर्षित करना, कोयला क्षेत्रक के नवाचार और संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है।

5.5. अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी प्रदान की।**

योजना की विशेषताएं

- **नोडल मंत्रालय**: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

- **उद्देश्य: 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की** स्थापना और इनसे ऊर्जा उत्पादन शुरू करना। **गुजरात और तमिलनाडु** के तट पर 500-500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाएं स्थापित की जाएगी।
  - **अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने** के लिए दो बंदरगाहों में सुधार किया जाएगा।
- **महत्व**:
  - यह योजना **राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015** के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करेगी।
  - वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा अपतटीय पवन परियोजनाओं से **बिजली उत्पादन की लागत में कमी आएगी। इससे डिस्कॉम (DISCOMs) किफायती दर पर बिजली** खरीद सकेंगे।
  - अगले **25 वर्ष** की अवधि तक **प्रतिवर्ष 2.98 मिलियन टन CO_2 के समतुल्य उत्सर्जन कम होगा**।

वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में

- **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का** उद्देश्य उन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को सहायता देना है जो **आर्थिक रूप से उपयोगी** हैं, किंतु **वित्तीय रूप से कम लाभकारी** हैं।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **2005 में केंद्रीय क्षेत्रक योजना** के रूप में **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम {अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को वित्तीय सहायता योजना}** को मंजूरी दी थी।
- इस योजना का संचालन केंद्रीय **वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग** द्वारा **किया जाता है।**
- इस योजना के तहत सहायता केवल उन अवसंरचना संबंधी **परियोजनाओं को दी जाती है** जिनमें **निजी** क्षेत्रक के परियोजना स्पॉन्सर्स **का चयन प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding)** प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में

- **अपतटीय पवन ऊर्जा** के तहत **महासागरों या बड़ी झीलों जैसे जल स्रोतों में पवन टर्बाइनों** का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
- **अब तक 18 अलग-अलग देशों में 57 गीगावाट** से अधिक की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें से अग्रणी देश - **यूनाइटेड किंगडम, चीन, जर्मनी, डेनमार्क व नीदरलैंड हैं।**
  - **भारत में संभावनाएं:** भारत की **तटरेखा लगभग 7600 किलोमीटर लंबी** है और भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अतः भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन की बेहतर संभावनाएं हैं।
  - भारत की **सकल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सतह से** 120 मीटर की ऊंचाई पर **695.50 गीगावाट** तथा 150 मीटर की ऊंचाई पर **1163.9 गीगावाट** है।

अपतटीय और स्थलीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना

अपतटीय (ऑफशोर) पवन ऊर्जा परियोजनाएं	**स्थलीय (ऑनशोर) पवन ऊर्जा परियोजनाएं**
अपतटीय पवन ऊर्जा से तात्पर्य उथले **जल निकायों** (आमतौर पर **महासागर** में) में निर्मित विंड फार्मों से है।	ऑनशोर पवन ऊर्जा से तात्पर्य **जमीन** पर निर्मित एवं स्थापित पवन टर्बाइनों से है।
लाभ: • **अधिक ऊर्जा का उत्पादन: बड़े टर्बाइनों के कारण** ऑफशोर टर्बाइन, ऑनशोर टर्बाइनों की तुलना में 1 MW अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। • **दक्षता:** स्थल पर चलने वाली पवनों की तुलना में समुद्र के ऊपर चलने वाली पवनें **अधिक प्रबल** और **एक ही दिशा में बहती हैं।** • **कम बाधाएं या चिंताएं:** जमीन पर शहरों के भूमि उपयोग या विंड टर्बाइन से ध्वनि प्रदूषण की वजह से पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन महासागरों में इस प्रकार की चिंताएं नहीं होती हैं। • **भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं** पड़ती है।	**लाभ** : • **अधिक किफायती: अवसंरचना एवं रख-रखाव की लागत कम** होने के कारण ऑफशोर पवन ऊर्जा की तुलना में किफायती होती है। • इसे **कम समय और कम खर्चे में** स्थापित किया जा सकता है। • भूमि उपयोग के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। • **विद्युत आपूर्ति में कम नुकसान:** पवन टर्बाइन वाली जगह और विद्युत उपभोक्ता के बीच की दूरी कम होने के कारण **वोल्टेज ड्रॉप (वोल्टेज में गिरावट)** कम होता है। • इसके लिए प्रमाणित **प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।** साथ ही टूटने-फूटने का खतरा कम रहता है और नमी की कमी की वजह से टर्बाइन को कम नुकसान पहुंचता है।

दोष:	दोष:
• **अधिक भरोसेमंद नहीं** है और **ऊर्जा उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाना भी कठिन** होता है। • **विद्युत आपूर्ति (ट्रांसमिशन) और वितरण प्रक्रिया** धीमी व अधिक समय लेने वाली है। साथ ही, इसके लिए अधिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है। • समुद्री जल की आर्द्रता (नमी) के कारण टर्बाइनों में **संक्षारक प्रभाव या जंग लगने का खतरा बना** रहता है। इसी तरह**, लहरों की वजह से इनके टूटने का खतरा भी** बना रहता है। इस तरह इनके रखरखाव की लागत अधिक होती है।	• ध्वनि प्रदूषण के कारण **स्थानीय लोगों को असुविधा** हो सकती है। • **वायु की गति और दिशा** निश्चित नहीं होने के कारण **दक्षता कम हो जाती है**। • **भूमि की उपलब्धता और भू-क्षेत्र संबंधी समस्याएं** ऑनशोर विंड फार्मों की स्थापना को बाधित करती हैं।

आगे की राह

- **पवन ऊर्जा संसाधन आकलन**: पवन ऊर्जा अस्थायी प्रकृति की और स्थान-विशिष्ट ऊर्जा संसाधन है। इसलिए पवन ऊर्जा फार्म के लिए जगह का चयन करते समय **पवन ऊर्जा संसाधन का सही से आकलन** करना जरूरी है।
- विशेषज्ञ की राय, पायलट परियोजना का अनुभव के साथ-साथ **समुद्री स्थानिक नियोजन (मैरीटाइम स्पेशियल प्लानिंग)** परियोजनाओं की उपयोगिता सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकती है।
- **फीड-इन टैरिफ (FiT):** FiT (फीड-इन टैरिफ) मूल्य-आधारित नीति है जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देती है। इसमें सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत हेतु निश्चित अवधि के लिए गारंटीकृत क्रय मूल्य प्रदान करती है।
    - डिस्कॉम **फीड-इन टैरिफ** नियमों को अपना सकते हैं और ऑफशोर पवन ऊर्जा खरीद को अनिवार्य बना सकते हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- **"राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति- 2015"**: इस नीति में बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की समुद्री दूरी तक, अर्थात देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तक, अपतटीय पवन ऊर्जा विकास का प्रावधान किया गया है।
    - भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए **'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)'** नोडल मंत्रालय है तथा **'राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE)[59]'** नोडल एजेंसी है।
- **अपतटीय पवन** ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए **दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावाट निर्धारित किया गया है।**
- वर्ष 2030 तक **पवन ऊर्जा नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा** की गई है।

अन्य संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र

- **पवन-सौर हाइब्रिड नीति:** इसका उद्देश्य ट्रांसमिशन अवसंरचना और भूमि के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर PV हाइब्रिड प्रणालियों को बढ़ावा देना है।
    - यह नीति **हाइब्रिडाइजेशन** के माध्यम से ग्रिड में निरंतर विद्युत की आपूर्ति करके नवीकरणीय स्रोत से विद्युत आपूर्ति की अनिश्चितता से जुड़ी समस्या का समाधान करती है।
- **महासागरीय ऊर्जा:** ऐसा अनुमान है कि **भारत में लगभग 54 गीगावाट** की महासागरीय ऊर्जा की क्षमता है।
- **ज्वारीय ऊर्जा**: यह समुद्री ज्वार की गति से उत्पादित ऊर्जा है।
    - भारत में इसकी अनुमानित **क्षमता 12.5 गीगावाट है।**
- **महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)[60]** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में बेस लोड विद्युत उत्पन्न करने के लिए **महासागर में गहराई में स्थित ठंडा जल और महासागर की सतह के अपेक्षाकृत गर्म जल** के बीच **तापमान में अंतर का उपयोग** किया जाता है।
- **अन्य प्रौद्योगिकियां**: इनमें शामिल हैं; महासागरीय जल में लवणता के अंतर से ऊर्जा (Salinity gradient power) उत्पादन, महासागरीय तरंग ऊर्जा और महासागरीय धारा का उपयोग करके उत्पादित ऊर्जा।

[59] National Institute of Wind Energy

[60] Ocean Thermal Energy Conversion

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. नई रामसर साइट्स (New Ramsar Sites)

बिहार के **जमुई** जिले में अवस्थित **नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों** को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या **82** हो गई है।

- दोनों पक्षी अभयारण्य **मानव निर्मित जलाशय** हैं। ये दोनों **पहाड़ियों से घिरे** हुए हैं और यहां **शुष्क पर्णपाती वन** पाए जाते हैं।
  - हालांकि, नागी अभयारण्य **गंगा के मैदान** में स्थित है, परन्तु इसका **भूदृश्य दक्कन के पठार के समान** है।
- इन्हें **बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने "महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA)"** के रूप में मान्यता दी है।
- **पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शरण-स्थली:** इन अभयारण्यों में देखे जाने वाले पक्षी हैं:
  - **प्रवासी पक्षी:** बार-हेडेड गूज, ग्रेलैग गूज, नॉर्दर्न पिंटेल, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, स्टेपी ईगल आदि।
  - **स्थानीय पक्षी:** इंडियन रॉबिन, एशी-क्राउन्ड स्पैरो-लार्क, एशियन कोयल, एशियन पाइड स्टार्लिंग, बैंक मैना आदि।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

- यह एक **अंतर-सरकारी संधि** है। इसका उद्देश्य **आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित** करना है।
- इसे **1971 में ईरान के रामसर शहर** में अपनाया गया था। यह **1975 में लागू** हुआ था।
- भारत **1982** में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना था। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल **तमिलनाडु** में हैं। दूसरे स्थान पर **उत्तर प्रदेश** है।
- **'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची'** या रामसर सूची में ऐसी आर्द्रभूमियां शामिल हैं, जो **समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य** रखती हैं।

5.6.2. बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ (Bonn Climate Change Conference Concluded)

सम्मेलन में, **अनुकूलन संकेतकों और पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत बेहतर कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार** की दिशा में प्रगति हुई है।

- पेरिस जलवायु समझौते का **अनुच्छेद 6 दो मुख्य बाजार तंत्रों के जरिए देशों के उत्सर्जन-न्यूनीकरण लक्ष्यों** को प्राप्त करने में मदद करता है। **ये दो तंत्र हैं:**
  - देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते और
  - एक नया वैश्विक ऑफसेट बाजार।
- सम्मेलन में **जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) और मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम (MWP)** जैसे विषयों पर कोई प्रगति नहीं हुई।

नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG)

- COP21 में **2025 के बाद के लिए जलवायु वित्त लक्ष्य (नया लक्ष्य) निर्धारित** करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
  - 2009 में **UNFCCC के पक्षकारों ने 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाने** का निर्णय लिया था। इसे बाद में **2025 तक बढ़ा** दिया गया था। हालांकि, विकसित देशों द्वारा वित्त-पोषण प्राप्त नहीं होने की वजह से यह **लक्ष्य हासिल नहीं** हो सका है।
  - 'नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य' के तहत **100 बिलियन डॉलर के वार्षिक लक्ष्य** को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, मौजूदा जलवायु वित्त-पोषण तंत्र में मुख्य कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है।

मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम (MWP)

- इसकी स्थापना **COP26** में की गई थी। इसका उद्देश्य **पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस** तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना और इस पर कार्रवाई करना है।
- 2024 में **"सिटीज़: बिल्डिंग एंड अर्बन सिस्टम्स"** कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - परिचालनात्मक यानी ऑपरेशनल उत्सर्जन (हीटिंग व कूलिंग) को कम करना;
  - दक्षता बढ़ाने के लिए बिल्डिंग एन्वेलप को डिजाइन करना (रेट्रोफ़िटिंग);
  - संपूर्ण प्रक्रिया (Embodied) से उत्सर्जन (निर्माण सामग्री) को कम करना आदि।

5.6.3. 67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक हुई (67th Global Environment Facility (GEF) Council Meeting)

67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद ने 736.4 मिलियन डॉलर के वित्त-पोषण को मंजूरी दी।

अलग-अलग परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए यह राशि **GEF ट्रस्ट फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड (LDCF)** और **ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (GBFF)** से जुटाई गई है। ये सभी फंड्स **GEF फंड द्वारा प्रबंधित** किए जाते हैं।

- जुटाई गई राशि को **ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW), सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (SCIP)** जैसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।
  - **ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW)** पहल का उद्देश्य अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में **लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बहाल करना** है।
  - **सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (SCIP)** 20 देशों का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य **शहरी प्रणाली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव** को बढ़ावा देना है।
- **इससे दो भारतीय परियोजनाओं के लिए भी वित्त-पोषण प्राप्त होगा। ये दो परियोजनाएं हैं:**
  - **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क** के लक्ष्यों से जुड़ी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए **जैव विविधता का संरक्षण** करना और इनके **संधारणीय उपयोग** को बढ़ाना।
  - **कोहैबिटेट (CoHABITAT):** इससे आशय है- **आर्द्रभूमि, वन एवं घास के मैदानों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन करना।** इस परियोजना का उद्देश्य **मध्य एशियाई फ्लाईवे** से उड़ने वाली प्रवासी पक्षियों को **भारत में आश्रय और सुरक्षा** प्रदान करना है।
    - उपर्युक्त दोनों **परियोजनाओं का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** करेगा। भारत का **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** इन परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी होगी।

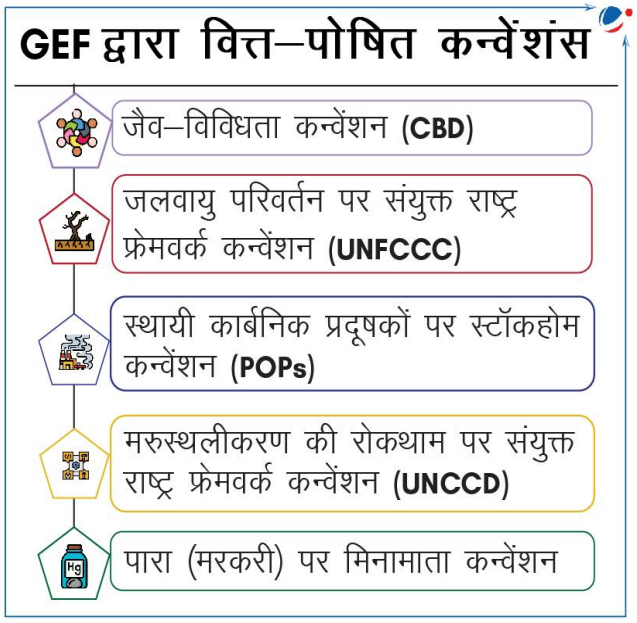

5.6.4. UNCCD के 30 वर्ष पूरे हुए (30th Anniversary of UNCCD)

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD) को अपनाने के 30 वर्ष पूरे हुए

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD), **रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992** में अपनाए गए तीन अभिसमयों में से एक है। **अन्य दो अभिसमय निम्नलिखित हैं:**
  - संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC), और
  - संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (CBD)।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD) के बारे में

- UNCCD को **17 जून, 1994** को अपनाया गया था। यह **1996 में लागू** हुआ था।
- यह **मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए लागू कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- **पक्षकार:** इस कन्वेंशन के कुल **197 पक्षकार** हैं। इन पक्षकारों में **196 देश और यूरोपीय संघ** शामिल हैं।
- **UNCCD के उद्देश्य:**
  - **भूमि का संरक्षण करना और क्षरण वाली भूमि को बहाल करके उसे उपयोगी बनाना** तथा सुरक्षित, न्यायसंगत व अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना।
  - यह मरुस्थलीकरण से निपटने में **स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए जमीनी कार्रवाई** पर जोर देता है।
- **UNCCD द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट:** यह **ग्लोबल लैंड आउटलुक** रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

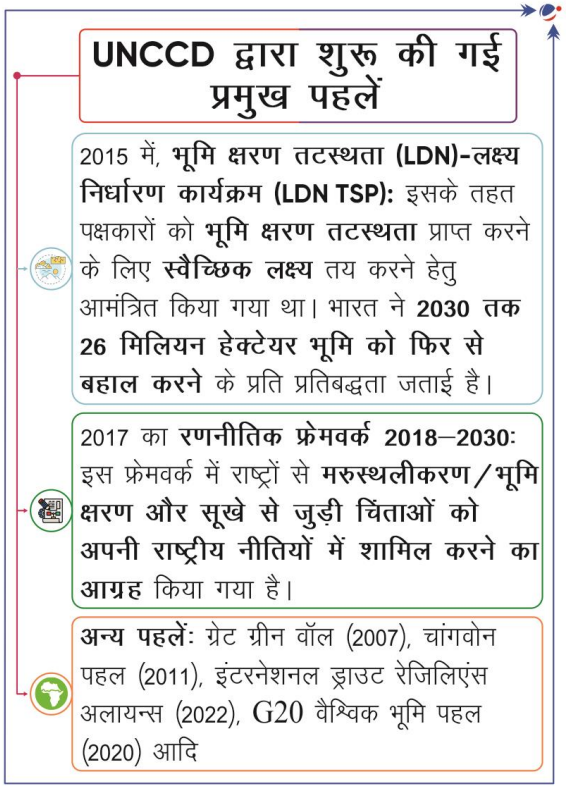

भूमि क्षरण (निम्नीकरण) और मरुस्थलीकरण से जुड़ी चिंताएं

- **भूमि क्षरण (Land degradation)** से आशय वर्तमान और भविष्य में **मृदा की उत्पादक क्षमता में गिरावट या हानि** से है।
- विश्व के **40% भू-क्षेत्र भूमि-क्षरण का सामना** कर रहे हैं। इसकी वजह से हर साल **100 मिलियन हेक्टेयर भूमि अपनी उर्वरता खो** रही है।
- भारत में **32% भू-क्षेत्र** भूमि-क्षरण का सामना कर रहे हैं और **25% भूमि मरुस्थल में तब्दील** हो रही है।

5.6.5. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol)

एक अध्ययन के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों (ODSs) के उत्सर्जन को कम करने में कारगर सिद्ध हुआ है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) के रूप में ज्ञात ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS) की वायुमंडलीय सांद्रता में पहली बार महत्वपूर्ण कमी** दर्ज की गई है।
- 2021 से पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर **हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) का प्रभाव कम** होने लगा है। साथ ही, **क्षोभमंडल में ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS) में से क्लोरीन की वैश्विक औसत मात्रा कम** होने लगी है। यह लक्ष्य (2026) से पांच वर्ष पहले प्राप्त की जा चुकी उपलब्धि है।
  - HCFCs **कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक** हैं।
- **HCFC-22, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला HCFC** है। इसमें उल्लेखनीय **गिरावट** दर्ज की गई है। इसकी **ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) से हज़ारों गुना अधिक** है।
  - HCFC-22 का **एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल फूड रेफ्रीजरेशन आदि में रेफ्रिजरेंट** के रूप में उपयोग किया जाता है।
- दूसरे नंबर पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले HCFC अर्थात् **HCFC-141b में मामूली गिरावट** दर्ज की गई है।
  - HCFC-141b का **कठोर पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट** के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - भारत ने **HCFC-141b के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त** कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में HCFC-141b का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि इसे आयात किया जाता था। **ओजोन-क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन**

नियम, 2019 के तहत 1 जनवरी, 2020 से इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

- ये नियम **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत जारी किए किया गए हैं।
- यह **ओज़ोन परत** को नष्ट करने वाले पदार्थों के लिए **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप** है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में

- इस प्रोटोकॉल पर **1987 में हस्ताक्षर** किए गए थे। यह **ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों (ODSs) के उत्पादन और उपयोग को समाप्त** करने के लिए एक वैश्विक संधि है।
- इसे **वियना कन्वेंशन** के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन को **1985** में अपनाया गया था।
- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में किगाली संशोधन** किया गया था। किगाली संशोधन **2019** में लागू किया गया था।
  - हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, **क्लोरोफ़्लोरो कार्बन और HCFC के गैर-ODS विकल्प हैं। HFC की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO_2 से हज़ारों गुना अधिक है।**

ओज़ोन और ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों (ODSs) के बारे में

- ओजोन-क्षयकारी पदार्थ (ODSs) मानव निर्मित रसायन हैं। इनमें क्लोरोफ़्लोरो कार्बन (CFC) व हाइड्रो क्लोरोफ़्लोरो कार्बन (HCFC) जैसे **क्लोरीन और ब्रोमीन** होते हैं।
- ये पदार्थ **समतापमंडल तक पहुंच** सकते हैं, जहां ये **उत्प्रेरक अभिक्रियाओं** को शुरू कर सकते हैं। इससे आगे चलकर **ओज़ोन परत का क्षय** होने लगता है।
- **समतापमंडलीय ओज़ोन (गुड ओज़ोन)** पृथ्वी की सतह से **10-40 किमी ऊपर** पाई जाती है। यह ओज़ोन **पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण** से बचाती है।
- **क्षोभमंडल** में बनने वाली ओज़ोन हानिकारक होती है और इसे **'बैड ओजोन'** कहा जाता है।

5.6.6. अंटार्कटिक ट्रीटी (Antarctic Treaty)

46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की बैठक कोच्चि में संपन्न हुई

उपर्युक्त दोनों बैठकों की मेजबानी भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र** ने की है।

- **पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP)** अंटार्कटिका में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण पर **अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM) को सलाह** देती है।
- **ATCM** में अपनाए गए **उपाय, निर्णय और संकल्प अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को लागू** करते हैं।

अंटार्कटिक संधि के बारे में

- **उत्पत्ति:** इस संधि पर **1959 में वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर** किए थे। यह संधि **1961 में लागू** हुई थी।
- **सदस्य:** इसके **57 सदस्य** हैं। इनमें से **29 परामर्शदाता (Consultative) पक्षकार** हैं, और वे इसकी **निर्णय प्रक्रिया में भाग** ले सकते हैं। **वहीं 28 गैर-परामर्शदाता पक्षकार हैं और वे इसकी निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं** ले सकते हैं।
  - **भारत 1983 से इस संधि का परामर्शदाता पक्षकार** है।
- **संधि कहां लागू है:** 60° दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी क्षेत्र में।
- **संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - अंटार्कटिका का उपयोग **केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों** के लिए किया जाएगा।
  - यह संधि अंटार्कटिका में **अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुगम** बनाएगी।
  - यह संधि अंटार्कटिका में **परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती** पर प्रतिबंध लगाती है।

अंटार्कटिका के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- भारत का **पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री (1983)** था। भारत वर्तमान में **दो अनुसंधान केंद्र** संचालित करता है- **मैत्री (1989) और भारती (2012)।**
  - 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में भारत ने **मैत्री-II** नाम से अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है।
- 2022 में, भारत ने **अंटार्कटिक अधिनियम** बनाया था। यह अधिनियम **अंटार्कटिक संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि** करता है।

5.6.7. सामूहिक बुद्धिमत्ता पहल (Collective Intelligence (CI) Initiatives)

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा "जलवायु कार्रवाई के लिए अप्रयुक्त सामूहिक बुद्धिमत्ता रिपोर्ट" जारी की गई।

- यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को रोकने में **सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस पहलों की क्षमता** का पता लगाती है।

कलेक्टिव इंटेलिजेंस (CI) के बारे में

- यह वास्तव में **सामूहिक प्रयासों से क्षमता को बढ़ाना** है। इसमें लोग **सूचना, विचारों और विषय की आंतरिक जानकारी जुटाने** के लिए अक्सर प्रौद्योगिकी की मदद से एक साथ कार्य करते हैं।
  - उदाहरण- जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राउडसोर्सिंग और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना।
  - **कलेक्टिव इंटेलिजेंस** तब कहा जाता है, जब सामूहिक प्रयास की क्षमता, उस प्रयास में शामिल सभी लोगों के व्यक्तिगत योगदानों के योग से अधिक हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाइयों में कलेक्टिव इंटेलिजेंस की क्षमता:

- **यह निम्नलिखित अंतरालों/ कमियों (गैप) को दूर कर सकती है:**
  - **डेटा गैप:** यह रियल टाइम में स्थानीयकृत डेटा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक साथ लाने और किसी विषय के बारे में नई जानकारी सामने लाने के लिए डेटा सेट को एकत्रित करने में मदद करती है।
  - **डूइंग गैप:** किसी विषय के बारे में ज्ञान तथा उसके लिए कार्रवाई में अंतराल को डूइंग गैप कहा जाता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से जलवायु संबंधी कार्रवाई करने में अधिक लोगों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही, लोगों की संस्थानों की कार्रवाई पर निगरानी रखने में सहायता भी की जा सकती है।
  - **डायवर्सिटी गैप:** कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से जलवायु कार्रवाई संबंधी प्रक्रियाओं और डेटा संग्रह में देशज समुदायों सहित विविध क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जा सकता है तथा उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है।
- **कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से निम्नलिखित में कमी लाई जा सकती है:**
  - **भौगोलिक दूरी (डिस्टेंस गैप):** कलेक्टिव इंटेलिजेंस पहल वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है तथा वैज्ञानिक समझ और लोक ज्ञान को बढ़ाती है। साथ ही, **आपसी विश्वास** भी पैदा करती है।
  - **निर्णय लेने में मतभेद (डिसीजन-मेकिंग गैप):** कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से परस्पर विरोधी विचारों और हितों (जैसे कि जलवायु बनाम विकास) के बीच मतभेद को कम किया जा सकता है, ताकि आवश्यक जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।

5.6.8. यूनेस्को ने "महासागर की स्थिति रिपोर्ट, 2024" जारी की {UNESCO Releases State of the Ocean Report (2024)}

यह रिपोर्ट **"संयुक्त राष्ट्र-सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक (2021-2030)"** से संबंधित है। यह रिपोर्ट **महासागर से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों** पर विश्लेषण प्रदान करती है। साथ ही, यह **महासागर की वर्तमान और भविष्य की स्थिति** का भी वर्णन करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **महासागर का तापन: महासागरीय जल** अब 20 साल पहले की तुलना में **दोगुनी दर से गर्म** हो रहा है।
    - महासागरीय तापमान में औसतन **1.45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि** दर्ज की गई है। वहीं **भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर वार्मिंग हॉटस्पॉट्स** के रूप में उभरे हैं, जहां तापमान में **2°C से अधिक की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** इसके लिए मुख्य तौर पर **ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों से बर्फ का तेजी से पिघलना** और कुछ हद तक **महासागरीय जल का गर्म होना जिम्मेदार** है।
- **महासागरीय जल का अम्लीकरण:** महासागरीय जल **प्रतिवर्ष मानव-जनित गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का लगभग 25% अवशोषित** करता है। यह प्रक्रिया **समुद्री जल के pH मान को कम** करती है। pH मान **कम** होने का अर्थ है **अम्लीकरण का बढ़ना।**
    - इस सदी के अंत तक **महासागरीय अम्लीकरण 100% से अधिक** बढ़ जाएगा।

- **महासागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी:** महासागरीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इसके चलते **हाइपोक्सिया** की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
    - **हाइपोक्सिया** की स्थिति में जल में ऑक्सीजन की सांद्रता इतनी कम हो जाती है कि यह जीवों के लिए हानिकारक साबित होती है और बहुत कम जीव ऐसी स्थिति में जीवित रह पाते हैं।
    - हालांकि, **यह स्पष्ट नहीं है कि महासागरीय तापमान में वृद्धि के चलते ही महासागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी** हो रही है।
- **तटीय ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी-तंत्र पर प्रभाव:** मैंग्रोव, समुद्री घास एवं ज्वारीय दलदल पारिस्थितिकी-तंत्र **गर्म और अधिक अम्लीय महासागर की स्थिति में जीवों को बचने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही, कार्बन के महत्वपूर्ण भंडार** भी हैं।
    - हालांकि, यह **जरूरी नहीं है कि ये पारिस्थितिकी-तंत्र हमेशा सुरक्षित ही रहें,** क्योंकि 1970 से अब तक ये अपना **20-35% हिस्सा खो चुके हैं।**

5.6.9. कार्बन प्राइसिंग (Carbon Pricing)

विश्व बैंक ने 'स्टेट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024' रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- 2023 में पहली बार **कार्बन प्राइसिंग (CP)** राजस्व 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग **75 तरीके से कार्बन प्राइसिंग** तय की जाती है। ये लगभग **24% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कवर** करते हैं।
    - **ब्राजील, भारत** और **तुर्किये** ने कार्बन प्राइसिंग को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- **कार्बन क्रेडिट्स जारी करने** के मामले में **चीन और भारत** अग्रणी देश हैं।

कार्बन प्राइसिंग एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है, जिसके तहत कंपनियों द्वारा ग्रीनहाउस गैस (मुख्य रूप से CO_2) उत्सर्जन से होने वाले नुकसान की भरपाई उन्हीं कंपनियों से की जाती है।

कार्बन प्राइसिंग के मुख्य प्रकार

- **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS):** यह एक ऐसी प्रणाली है जहां ग्रीनहाउस गैस (GHG) का उत्सर्जन करने वाली कंपनियां अपने उत्सर्जन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एमिशन यूनिट्स खरीद सकती हैं।
    - **ETS के प्रकार:**
        - कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम; और
        - बेसलाइन-एंड-क्रेडिट सिस्टम

- **कार्बन टैक्स:** इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन कंटेंट की प्रति यूनिट की कीमत तय कर उस पर टैक्स लगाया जाता है।

कार्बन प्राइसिंग के लाभ:

- यह **उत्सर्जन करने वालों पर आर्थिक भुगतान का भार** डालता है।
- यह **स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश और नवाचार** को प्रोत्साहित करता है।
- यह वैश्विक तापमान में वृद्धि को **पेरिस समझौते** के तहत निर्धारित 2°C या 1.5°C से कम पर बनाए रखने का लक्ष्य हासिल करने में सहायक है।

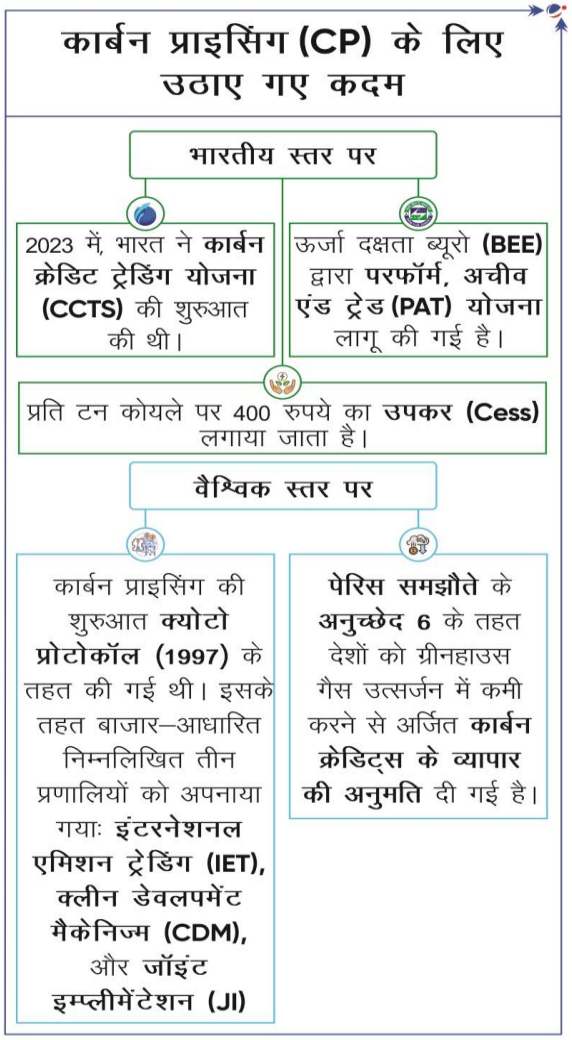

5.6.10. वाटर क्रेडिट (Water Credit)

बोतलबंद पानी के एक ब्रांड बिसलेरी ने कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर "वॉटर क्रेडिट" शुरू करने का प्रस्ताव किया

- बिसलेरी ने वॉटर क्रेडिट की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए **टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज** के साथ साझेदारी की है। वह अपने अध्ययन के निष्कर्षों को सरकार के साथ साझा करेगा। इस अध्ययन के आधार पर सरकार **बेवरीज उद्योग के लिए 'वॉटर क्रेडिट फ्रेमवर्क'** तैयार कर सकती है।

वॉटर क्रेडिट के बारे में

- यह कार्बन क्रेडिट के समान **बाजार-आधारित तंत्र** है। इसके तहत **जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता में सुधार करने वालों को प्रोत्साहित** किया जाएगा।
  - ऐसी परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट्स दिया जाता है, जिनसे **कम कार्बन उत्सर्जन हुआ है या उत्पन्न ही नहीं हुआ है या उत्सर्जित कार्बन को हटा** दिया गया है।
  - एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है। यह **वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समान ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली अन्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा (CO2e) के बराबर** होता है।
- वॉटर क्रेडिट के तहत **व्यक्ति और संस्थाएं जल-बचत उपायों को अपनाकर वॉटर क्रेडिट प्राप्त** कर सकते हैं और उसका लेन-देन कर सकते हैं।
  - इन वॉटर क्रेडिट्स को उन लोगों को बेचा जा सकता है, जो **जल की अधिक खपत की भरपाई करने या अपनी जल प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार** करने के इच्छुक हैं।

वॉटर क्रेडिट का महत्त्व

- इससे जल संकट की स्थिति का समाधान किया जा सकता है। साथ ही, **स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6)** को प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार **भारत में 2025 तक 15 प्रमुख नदी घाटियों में से 11 में जल की कमी** हो जाएगी।
- यह **कृषि से जुड़े कार्यों में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि** करेगा। ज्ञातव्य है कि भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में ही किया जाता है।
- यह **संधारणीय जल प्रबंधन कार्यों में निवेश** बढ़ाएगा।

वॉटर क्रेडिट प्रणाली लागू करने में चुनौतियां

- कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों और जल बचत के उपायों में अंतर है। जल की बचत के लिए **स्थानीय स्तर पर कदम** उठाने होंगे। साथ ही, **वर्षा और वॉटरशेड स्तर पर जल की खपत जैसे पहलुओं को भी ध्यान** में रखना आवश्यक है।
- वॉटर क्रेडिट्स के लेन-देन स्थानीय स्तर पर ही हो सकते हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि ये जल स्रोतों या जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होंगे।
- बड़ी कंपनियों को वॉटर क्रेडिट्स बाजार पर **हावी होने से रोकना** भी चुनौती भरा काम होगा।

वॉटर क्रेडिट प्रणाली अपनाने के संभावित तरीके

- मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने और इसके सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए एक **विनियामक संस्था** गठित की जा सकती है।
- **मल्टीप्लेयर एप्रोच** अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए- उद्योग जगत जल की अधिक आपूर्ति वाली नगर पालिकाओं से **वॉटर क्रेडिट्स** खरीद सकता है। इससे नगरपालिकाओं को फंड की कमी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- जल के व्यापार के लिए रोडमैप बनाने हेतु **विश्व के सर्वोत्तम उदाहरणों** को अपनाया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- ऑस्ट्रेलिया में **मर्रे-डार्लिंग बेसिन के बाजारों** में जल का व्यापार किया जाता है। इस व्यापार से किसानों को **जल का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग करने में मदद** मिली है।

5.6.11. नासा का प्रीफायर मिशन (NASA's Mission PREFIRE)

नासा ने **पृथ्वी के ध्रुवों से होने वाले ऊष्मा विकिरण के मापन हेतु** स्माल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किया।

नासा ने **प्रीफायर/ PREFIRE (पोलर रेडियंट एनर्जी इन द फार-इन्फ्रारेड एक्सपेरिमेंट) मिशन के तहत दो क्लाइमेट सैटेलाइट्स में से एक को लॉन्च** किया है।

- प्रीफायर मिशन में **शूबॉक्स आकार के दो क्यूब सैटेलाइट्स या क्यूबसैट्स** शामिल हैं।
- मिशन के तहत इस तथ्य का पता लगाया जाएगा कि **आर्कटिक और अंटार्कटिका** क्षेत्र अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकिरित करते हैं और यह ऊष्मा विकिरण पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है।
- इससे **वैज्ञानिकों को पृथ्वी के ऊष्मा बजट को बेहतर ढंग से समझने** में मदद मिलेगी।

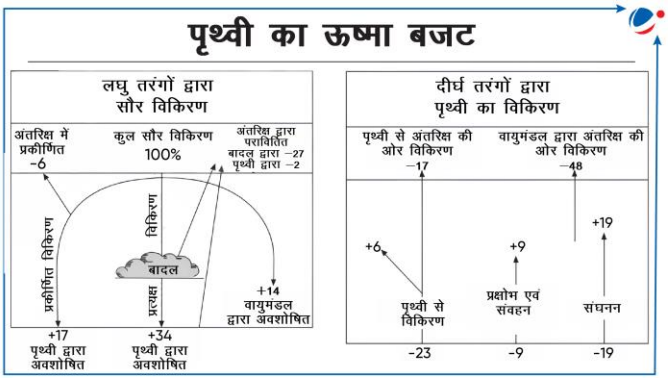

"पृथ्वी के ऊष्मा बजट" के बारे में

- यह **सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा और पृथ्वी से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के बीच संतुलन को व्यक्त** करता है।
- ऊष्मा बजट के असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारकों में **ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ओजोन परत की मोटाई में कमी, ग्लेशियरों का पिघलना** आदि शामिल हैं।

ऊष्मा बजट के असंतुलन के प्रभाव

- ऊष्मा पृथ्वी के घटकों जैसे **वायुमंडल, भूमि आदि में संचित होकर वैश्विक तापन को बढ़ावा** दे रही है।
- बर्फ के पिघलने से **पृथ्वी पर मौजूद सफेद सतह क्षेत्र (हिमावरण) में कमी** आती है। इससे कम सौर ऊर्जा परावर्तित होती है, यानी **एल्बिडो में कमी** आती है।
  - एल्बिडो किसी **सतह से सौर विकिरण की परावर्तनशीलता** है।
- **महासागर अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित** करते हैं। इससे **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन** जैसे महासागरीय परिसंचरण प्रभावित होते हैं।

5.6.12. सतत विकास रिपोर्ट, 2024 (Sustainable Development Report 2024)

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) ने 'सतत विकास रिपोर्ट, 2024' जारी की।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) **2016 से 'सतत विकास रिपोर्ट'** जारी कर रहा है। 2024 की रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में प्रतिवर्ष अर्जित की गई प्रगति की समीक्षा** करती है।

- SDSN को **2012** में स्थापित किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र महासचिव** के अधीन कार्य करता है। यह **SDGs और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के कार्यान्वयन** के तरीकों को एकीकृत करता है। यह **शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग** के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **औसतन, केवल 16 प्रतिशत SDG लक्ष्य** ऐसे हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर **2030 तक** प्राप्त किए जाने की पूरी संभावना है।
  - **SDG-2** (शून्य भुखमरी), **SDG-11** (संधारणीय शहर व समुदाय), **SDG-14** (जल के नीचे जीवन की सुरक्षा), **SDG-15** (भूमि पर जीवन की सुरक्षा) तथा **SDG-16** (शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान) पर प्रगति संतोषजनक नहीं है।
- अलग-अलग देशों में SDG लक्ष्यों पर प्रगति का स्तर अलग-अलग है। **नॉर्डिक देश** इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे आगे हैं; **ब्रिक्स देशों** ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं **निर्धन व संकट वाले देश** इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अभी भी बहुत पीछे हैं।
  - सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति में **फ़िनलैंड** शीर्ष पर है। इसके बाद **स्वीडन व डेनमार्क** का स्थान है।

- 166 देशों में **भारत 109वें** स्थान पर है। भारत **निर्धनता उन्मूलन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** संबंधी SDG लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में **बेहतर प्रगति** कर रहा है। हालांकि, **संधारणीय शहर और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई** संबंधी लक्ष्यों की दिशा में **प्रगति कमजोर होती दिख** रही है।

- **'संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद (UN-Mi) के समर्थन"** नाम से **नया सूचकांक'** जारी किया गया है। यह सूचकांक **संयुक्त राष्ट्र तंत्र के साथ देशों की संलग्नता** के आधार पर इन देशों को रैंक प्रदान करता है।
  - इस सूचकांक में **बारबाडोस को शीर्ष** रैंक प्राप्त हुआ है। **भारत को 139वां** रैंक मिला है, जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अंतिम पायदान** पर है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा की गई सिफारिशें

- सतत विकास एजेंडा **2050 तक वैश्विक सहयोग के केंद्र** में बना रहना चाहिए। साथ ही, उसका उचित रूप से वित्त-पोषण किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद की व्यवस्थित निगरानी** के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी मजबूत करना चाहिए।
- **तकनीकी जोखिमों से संबंधित बहुपक्षीय गवर्नेंस को बढ़ाना** चाहिए। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं तक **सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित** करनी चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र संसदीय सभा** की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल** करना चाहिए और **वीटो को खत्म** करने की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहिए।

नोट: *संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग (UNSD)[61] ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में दुनिया के सामने आ रही महत्वपूर्ण चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करने वाली सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 जारी की है।*

5.6.13. यूनेस्को की ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप (UNESCO's Greening Education Partnership)

यूनेस्को ने **ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप** के तहत दो नए टूल्स जारी किए हैं। ये टूल्स हैं- न्यू **ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस (GCG)** और न्यू **ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (GSQS)**।

- **न्यू GCG:** एक **व्यावहारिक मैनुअल** है। यह इस बारे में एक सामान्य समझ प्रदान करता है कि पहली बार **जलवायु शिक्षा में क्या शामिल** होना चाहिए। साथ ही, देश कैसे व्यापक अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स के साथ पर्यावरणीय विषयों को मुख्यधारा वाले पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं।
- **न्यू GSQS:** यह एक **कार्रवाई-उन्मुख एप्रोच** को बढ़ावा देकर **ग्रीन स्कूल बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं** निर्धारित करता है।

ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के बारे में:

- यह **80 सदस्य देशों की एक वैश्विक पहल** है। यह **शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के उपयोग** के जरिए जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों का समर्थन करती है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि **सभी शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने** के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य व दृष्टिकोण प्राप्त करें तथा उनके अनुसार कार्रवाई करें।
- **ग्रीन एजुकेशन के स्तंभ:**
  - **ग्रीनिंग स्कूल्स:** यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कूल **ग्रीन स्कूल मान्यता** प्राप्त करें। साथ ही, **शिक्षण, सुविधाओं और परिचालन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान** करें।
  - **ग्रीनिंग करिकुलम:** जलवायु शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम; तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण; कार्यस्थल कौशल विकास आदि में शामिल किया जाना चाहिए।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणालियों की क्षमता की ग्रीनिंग:** विद्यालय के क्षमता निर्माण में जलवायु शिक्षा का एकीकरण।
  - **समुदायों की ग्रीनिंग:** सामुदायिक लर्निंग केंद्रों और लर्निंग सिटीज के माध्यम से सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करना चाहिए।

शिक्षा और जलवायु-परिवर्तन

- यूनेस्को के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि सर्वेक्षण किए गए **100 देशों में से आधे देशों में पाठ्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है।**
- लगभग **70 प्रतिशत युवा जलवायु से संबंधित अवरोधों या बदलावों (Climate disruption) को परिभाषित नहीं** कर सकते।
- **शिक्षा के उच्च स्तर से अनुकूलन कार्रवाई में शामिल होने की उच्च संभावना** होती है।
- **लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने से अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम** किया जा सकता है। ऐसा इस कारण क्योंकि, लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि से जनसांख्यिकीय विकास पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

[61] *United Nations Statistics Division*

5.6.14. यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापन योजना (EU's Nature Restoration Plan: NRP)

यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली **"प्रकृति पुनर्स्थापन योजना (NRP)"** को मंजूरी दी है।

- यह पूरे **यूरोप महाद्वीप** पर लागू होने वाला एक व्यापक कानून है। यह **यूरोपीय संघ के यूरोपीय ग्रीन डील** का हिस्सा है।
    - **यूरोपीय ग्रीन डील** के तहत यूरोपीय संघ का लक्ष्य है, **2050 तक नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** वाली अर्थव्यवस्था बनना है।

प्रकृति पुनर्स्थापन योजना (NRP) की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** यूरोपीय संघ के भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति की दीर्घकालिक रिकवरी के लिए **पुनर्स्थापन संबंधी बाध्यकारी लक्ष्यों** को पूरा करना है।
    - इसका लक्ष्य **2030 तक यूरोपीय संघ के कम-से-कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर** करना है। साथ ही, अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी-तंत्रों को **2050 तक रिकवर** करना है।
- **फोकस क्षेत्र:** इसमें आर्द्रभूमि, वन, घास के मैदान आदि से संबंधित मौजूदा कानून; परागण करने वाले कीट; वन पारिस्थितिकी-तंत्र आदि को शामिल किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना को **यूरोपीय संघ के देशों की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजनाओं के माध्यम** से लागू किया जाएगा।

5.6.15. वैश्विक मृदा भागीदारी (Global Soil Partnership: GSP)

वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP) सभा ने 12वें पूर्ण सत्र में **2030 तक दुनिया की कम-से-कम 50 प्रतिशत मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने और इसे बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई** की सिफारिश की गई है।

- यह सत्र **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** द्वारा आयोजित किया गया था।

वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP) के बारे में

- इसे **2012 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा** एक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसे एक **मजबूत संवाद साझेदारी हेतु तथा सभी हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाने और प्रयासों में तालमेल बनाने** के लिए स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य **वैश्विक एजेंडे में मृदा के मुद्दे को शामिल करना तथा समावेशी नीतियों और मृदा प्रबंधन संबंधी गवर्नेंस के साथ-साथ संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा** देना है।

5.6.16. भारत की 'मगरमच्छ संरक्षण परियोजना' के 50 वर्ष पूरे हुए

17 जून, 2024 को **विश्व मगरमच्छ दिवस** मनाया गया। इस वर्ष **भारत की 'मगरमच्छ संरक्षण परियोजना' की शुरुआत के 50 वर्ष** भी पूरे हो गए हैं। यह परियोजना **ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में** शुरू की गई थी। यह परियोजना **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के सहयोग से आरंभ की गई थी।

मगरमच्छ के बारे में

- मगरमच्छ **कशेरुकी (Vertebrate) सरीसृप वर्ग की सबसे बड़ी** जीवित प्रजाति है।
    - मगरमच्छ प्रजाति पिछले 200 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है।
- **पर्यावास:** खारे पानी की एक प्रजाति को छोड़कर, लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों, झीलों और नदियों में रहती हैं।
- **व्यवहार:** यह सरीसृप अधिकतर रात्रिचर होता है। मगरमच्छ **पोइकिलोथर्मिक** जीव होते हैं।
    - **पोइकिलोथर्मिक जीव** अपने शरीर के तापमान को केवल एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं।
- भारत में मगरमच्छों की **तीन मुख्य** प्रजातियां पाई जाती हैं (तालिका देखें)।
- **प्रमुख खतरे:** पर्यावास हानि, इनके अंडों का शिकार, अवैध शिकार, बांध निर्माण, रेत खनन आदि।

भारत में मगरमच्छों की मुख्य प्रजातियां		
प्रजाति	**विवरण**	**प्राकृतिक पर्यावास**
एश्चुराइन या खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पोरोसस)	• यह **पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित सरीसृप** है। • **IUCN रेड लिस्ट श्रेणी:** लीस्ट कंसर्न। • **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1** में सूचीबद्ध है। • **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।	• यह केवल **तीन** स्थानों पर पाया जाता है: **भितरकनिका, सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।**
मगर या दलदली मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस)	• इसकी **थूथन चौड़ी** होती है। **मादा मगर नेस्टिंग के लिए गड्ढे खोदती** है और उसमें अंडे देती है। • **IUCN रेड लिस्ट श्रेणी:** वल्नरेबल। • **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1** में सूचीबद्ध है। • **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।	• यह भारत के **15 राज्यों** में पाया जाता है। इनमें अधिकतर गंगा नदी अपवाह में आने वाले राज्य शामिल हैं।
घड़ियाल (गेवियालिस गैंगेटिकस)	• इनका घड़ियाल नाम इनके **लंबे संकीर्ण थूथन के सिरे पर एक बल्बनुमा घुंडी** के कारण रखा गया है। • इसका मुख्य आहार **मछलियां** हैं। • **IUCN रेड लिस्ट श्रेणी:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड। • **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1** में सूचीबद्ध है। • **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।	• मीठे पानी की नदियों में पाया जाता है: जैसे- **चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन और गंडक।**

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- यह **ओडिशा** में स्थित है। यह **सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव** पारिस्थितिकी-तंत्र है।
- यह एक **रामसर आर्द्रभूमि स्थल** भी है।
- यह मूल रूप से खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क **ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा तथा पटासला** नदियों के पानी से भर जाता है।
- यहां जलीय मॉनिटर छिपकली, अजगर, लकड़बग्घे, खारे पानी के मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। यहां **खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी** मिलती है।

5.6.17. सूक्ष्म शैवाल (Microalgae)

CSIR-IICT के वैज्ञानिकों ने **प्रोटीन सप्लीमेंट** के रूप में सूक्ष्म शैवाल की क्षमताओं का पता लगाया है।

सूक्ष्म शैवाल के बारे में

- यह **एकल-कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक** जीवों का विविध समूह है। ये **प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स,** दोनों हो सकते हैं।
- ये **स्वपोषी सूक्ष्मजीवों** के समूह हैं, जो समुद्री, ताजे पानी और मृदा जैसे पारिस्थितिकी-तंत्र में पाए जाते हैं।
- **महत्त्व**
  - **पोषण:** ये पोषक तत्वों और जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों, जैसे **प्रोटीन, विटामिन** आदि से भरपूर होते हैं।
  - **कार्बन चक्र:** ये वातावरण से **कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित** करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से **ऑक्सीजन का उत्पादन** करते हैं।

- **खाद्य श्रृंखला:** फाइटोप्लांकटन, जो कि समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, में भी कई सूक्ष्म शैवाल शामिल हैं।

5.6.18. आइबेरियन लिंक्स/ वनबिलाव {Iberian lynx (Lynx pardinus)}

IUCN के अनुसार, **आइबेरियन लिंक्स** की संरक्षण स्थिति में सुधार हुआ है। पहले यह प्रजाति **"एंडेंजर्ड"** श्रेणी शामिल थी। हालांकि, संरक्षण स्थिति में सुधार के चलते अब इसे **"वल्नरेबल"** की श्रेणी में रखा गया है।

इबेरियन लिंक्स के बारे में:

- यह मध्यम आकार की **"जंगली बिल्ली की एक प्रजाति"** है।
- **पर्यावास क्षेत्र**: यह **दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप क्षेत्र** की मूल (नेटिव) प्रजाति है। इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में **पुर्तगाल और स्पेन** भी आते हैं।
- **आकार-प्रकार:** इसका वजन यूरेशियन बिल्ली प्रजातियों के लगभग आधा होता है। यह लंबे पैर, काले सिरे, छोटी पूंछ, गुच्छेदार कान और अपेक्षाकृत छोटे सिर वाली प्रजाति है।
- **विशेषताएं:** यह प्रजाति अकेले शिकार करती है और रात्रिचर या गोधूलि में सक्रिय रहती है। हालांकि, सर्दियों में इन्हें दिन के समय भी शिकार करते हुए देखा जाता है।
- यह प्रजाति **छोटे समूह में और अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में** पाई जाती है। **यूरोपीय खरगोश** इसके आहार के मुख्य स्रोत (80-99%) हैं।
- **मुख्य खतरे:** शिकार की संख्या में कमी, अवैध शिकार, पर्यावास नष्ट होना, आदि।
- **संरक्षण स्थिति:** यह प्रजाति CITES की परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।

5.6.19. पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve)

पेंच टाइगर रिजर्व में **वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली** शुरू की गई है।

पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों** (निचले दक्षिणी भागों) में स्थित है। साथ ही, इसका विस्तार **महाराष्ट्र में नागपुर जिले तक है, जहां इसी नाम से यह एक अलग टाइगर रिजर्व** है।
- **पृष्ठभूमि:** इसे **1975** में राष्ट्रीय उद्यान का और **1992** में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था।
- **वन के प्रकार:** यहां दक्षिण भारतीय **उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सागौन और दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन** पाए जाते हैं।
- **मुख्य नदी: पेंच नदी** इस टाइगर रिजर्व को दो हिस्सों में बांटती है। यह नदी पेंच रिज़र्व से होते हुए **उत्तर से दक्षिण की ओर बहती** है।
- **वनस्पति:** महुआ, सफेद कुल्लू, सलाई, साजा, बिजियासाल, धौरा, अमलतास आदि।
- **जीव-जंतु:** बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर (भालू), भारतीय गौर, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि।
- इसका उल्लेख **आइन-ए-अकबरी** में भी मिलता है। यह वही जगह है, जिसका उल्लेख **रुडयार्ड किपलिंग की सबसे प्रसिद्ध कृति, द जंगल बुक** में है।

5.6.20. भुवन पंचायत और NDEM 5.0 (Bhuvan Panchayat AND NDEM 5.0)

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने **भुवन पंचायत 4.0 और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (NDEM 5.0) नामक दो जियोपोर्टल्स** लॉन्च किए।

- इन दोनों पोर्टल्स के लिए **राष्ट्रीय स्तर के भू-स्थानिक डेटाबेस इसरो (ISRO)** ने बनाए हैं।

भुवन पंचायत 4.0 के बारे में

- यह एक **ऑनलाइन भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा और सेवा प्रसार प्लेटफॉर्म** है।
- **उद्देश्य:** ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय योजना बनाने के लिए गवर्नेंस और अनुसंधान पहलों में अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स के डेटा का उपयोग करना।

NDEM 5.0 के बारे में

- यह **आपदाओं या आपातकालीन स्थितियों के दौरान वास्तविक स्थितियों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए प्रभावी निर्णय लेने हेतु पूरे देश के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक डेटाबेस** प्रदान करता है।

5.6.21. हीट डोम (Heat Dome)

संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के कई शहरों में **हीट डोम नामक मौसमी परिघटना के कारण हीटवेव** चल रही हैं।

हीट डोम के बारे में

- यह एक प्रकार की मौसमी परिघटना है। इसमें **वायुमंडल में उच्च दाब का एक क्षेत्र डोम या गुंबद** का रूप ले लेता है।
- यह उच्च दाब क्षेत्र ऊपर उठती **गर्म हवा को ऊपर की ओर बाहर निकलने से रोककर जमीन की ओर धकेलता है**। इससे जमीन पर तापमान बढ़ता जाता है।
- आमतौर पर पवनें **उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती** हैं, लेकिन हीट डोम के वायुमंडल में दूर तक फैलने के कारण, ये **मौसम प्रणालियां लगभग स्थिर** हो जाती हैं।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. विफल होती लोक परीक्षा प्रणाली (Failing Public Examination Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)[62] द्वारा आयोजित NEET UG और UGC NET परीक्षाओं के हालिया विवाद ने छात्रों व शैक्षिक जगत के बीच सार्वजनिक परीक्षाओं (पब्लिक एग्जामिनेशन) की शुचिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **5 मई, 2024 को** आयोजित NEET UG **परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ।** इसके बाद **1,563 छात्रों के "अंकों में बढ़ोतरी" (ग्रेस मार्क्स) को लेकर** आक्रोश उत्पन्न हो गया। ये अंक कम समय मिलने की भरपाई के एवज में दिए गए थे।
- इसके बाद, 19 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **यूजीसी-नेट 2024 (UGC-NET 2024) को रद्द करने** का **आदेश** दिया, क्योंकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई कि **परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो सकती** है।
- उपर्युक्त घटनाओं को देखते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NTA में सुधार के लिए **इसरो के** पूर्व **अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन** की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की **एक उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया।

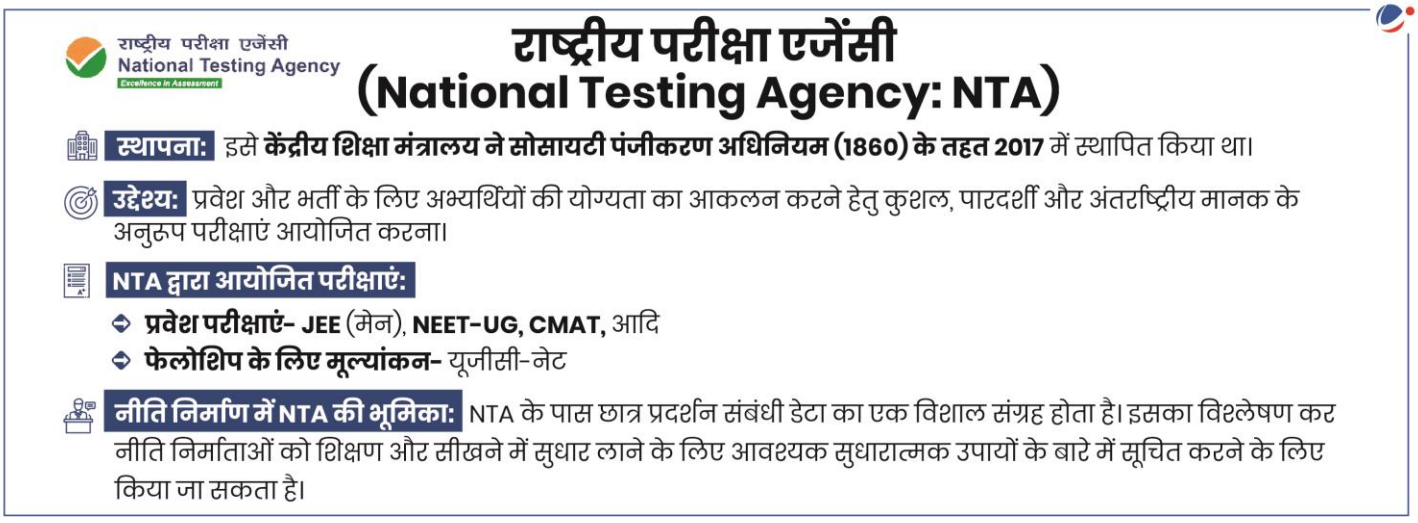

भारत में विफल होती परीक्षा प्रणाली के कारण

- **व्यवस्थागत:** वर्तमान में मेडिकल प्रवेश के लिए NEET जैसी **राष्ट्रीय स्तर की एकल परीक्षा आयोजित** की जाती है। यह परीक्षा स्थानीय शैक्षिक पाठ्यक्रमों को ध्यान में नहीं रखती है और सभी छात्रों का समानता के आधार **न्यायसंगत मूल्यांकन के बारे में चिंताएं बढ़ाती है।**
  - परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियों में **राजनीतिक प्रभाव** और स्वायत्तता की कमी इत्यादि के कारण **निर्णयन प्रक्रिया** प्रभावित होती है तथा **परीक्षा प्रक्रियाओं में हेरफेर की आशंका** बढ़ती है।
  - परीक्षा पैटर्न या पात्रता मानदंडों और **नीतियों में बार-बार होने वाले बदलाव** छात्रों के लिए भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। । **उदाहरण के लिए,** NEET के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करना और फिर बाद में उसे वापस ले लेना।
  - **परीक्षा बोर्डों में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के मामले** सामने आए हैं, जिनमें पेपर लीक करने या रिजल्ट में हेराफेरी करने के लिए रिश्वतखोरी के आरोप शामिल हैं। **उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला।**

[62] National Testing Agency

- **सांस्कृतिक:** भारत के कुछ हिस्सों में, परीक्षाओं में नकल को एक हद तक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है और इसे प्राय: व्यवस्थागत कमियों का लाभ उठाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। **उदाहरण के लिए, बिहार से सामूहिक नकल की घटनाएं।**
  - **उच्च-स्तरीय परीक्षाओं को सामान्यतः जीवन में परिवर्तनकारी घटनाएं माना जाता है।** इसकी वजह से कुछ लोग नकल को एक साधन के रूप में उचित ठहराते हैं और इसमें माता-पिता और रिश्तेदारों की सक्रिय भागीदारी भी होती है।
- **प्रौद्योगिकी:** ब्लूटूथ डिवाइस और स्मार्टवॉच के उपयोग जैसी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति ने नकल के आधुनिक तरीकों को अधिक सुलभ बना दिया है।
  - **प्रभावी एन्क्रिप्शन अथवा सुरक्षित संचार विधियों की कमी** होने तथा **साइबर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होने** के कारण प्रश्न पत्रों की डिजिटल कॉपियां अनधिकृत तरीके से प्राप्त कर ली जाती है।

विफल होती सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के संभावित परिणाम

- **सामाजिक परिणाम:** पेपर के बार-बार लीक होने और परीक्षा रद्द होने से परीक्षाओं के प्रति **जनता का विश्वास कम** हो सकता है। इसके साथ ही परीक्षा की निष्पक्षता के बारे में बड़े पैमाने पर संदेह पैदा हो सकता है।
  - इन व्यवधानों से वंचित छात्रों के अधिक प्रभावित होने के कारण **सामाजिक असमानताएं बढ़ रही** हैं। इसके चलते मौजूदा सामाजिक विषमताओं में और अधिक वृद्धि हो रही है।
  - अनिश्चितता और बार-बार परीक्षा तिथियों में बदलाव के कारण छात्रों व अभिभावकों में **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** उत्पन्न हो सकती हैं।
  - बार-बार इस तरह की घटनाएं होने के कारण **सामाजिक मूल्यों में बदलाव** आ सकता है। इसके चलते नकल एक आम बात हो सकती है और इससे सामाजिक नैतिकता में गिरावट आ सकती है।
- **आर्थिक:** दोबारा परीक्षा **आयोजित करने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान होता है** और इसके लिए सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को अत्यधिक लागत वहन करनी पड़ती है।
  - घरेलू परीक्षाओं में विश्वास की कमी के कारण **प्रतिभा पलायन** हो सकता है। इसके कारण अधिक छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- **राजनीतिक:** परीक्षा घोटालों के कारण शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की बजाय **राजनीतिक दबाव से प्रेरित होकर जल्दबाजी में नीतिगत परिवर्तन** किए जा सकते हैं।
  - राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **संघीय तनाव** बढ़ा सकते हैं। **उदाहरण के लिए,** NEET को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच असहमति।
  - सार्वजनिक परीक्षाओं का कुप्रबंधन और विफलता, **सरकार की कार्यक्षमता के प्रति जनता की सोच** को प्रभावित कर सकती है।
- **संस्थागत:** परीक्षाओं द्वारा अभ्यर्थियों का समुचित मूल्यांकन न हो पाने के कारण **व्यावसायिक मानकों में गिरावट** आ रही है। इसके कारण कम योग्य व्यक्ति पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं।
  - **औसत दर्जे का चक्र जारी रहना:** जब अयोग्य पेशेवर भविष्य के शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता बन जाते हैं, तो वे औसत गुणवत्ता दर्जे की शिक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति को स्थायी बना देते हैं।
  - **इससे प्रशिक्षण का बोझ नियोक्ताओं एवं व्यावसायिक संस्थाओं पर पड़ता है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कर्मचारियों में योग्यता की कमी की समस्या से निपटने के लिए उनके प्रशिक्षण पर अधिक निवेश करना पड़ सकता है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024}

- **उद्देश्य:** लोक परीक्षा (पब्लिक एग्जामिनेशन) प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाना और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार व वास्तविक मेहनत का उचित पुरस्कार मिलेगा तथा उनका भविष्य सुरक्षित है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **कवरेज:** यह कानून संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होगा।
  - यह कानून लोक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न **"अनुचित साधनों"** को परिभाषित करता है। इन साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी (आंसर-की) को अनधिकृत तरीके से प्राप्त करना या उन्हें लीक करना, लोक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स के साथ छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल हैं।
  - **दंड**
    - **अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए:** कम-से-कम तीन वर्ष का कारावास (जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा) और दस लाख रुपये तक का जुर्माना।
    - **सेवा प्रदाता के लिए अथवा संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति/समूह के लिए :** कम-से-कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक का कारावास। साथ ही उनसे परीक्षा की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।
    - सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमन योग्य (नॉन-कंपाउंडेबल)** होंगे।

- इस अधिनियम को लागू करने हेतु केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने **लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:**
  - यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है, तो **परीक्षा केंद्र प्रभारी (Venue-in-charge) FIR दर्ज कराने** सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।
  - यदि परीक्षा आयोजित करने वाले **सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक मंडल की अनुचित साधनों के उपयोग में संलिप्तता पाई जाती है,** तो इसकी जांच के लिए लोक परीक्षा अथॉरिटी एक **समिति गठित** करेगी।
  - क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या **अपराध की सभी घटनाओं की समय-समय पर** लोक परीक्षा अथॉरिटी को **रिपोर्ट** करेगा। साथ ही, **उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है, उनकी भी रिपोर्ट** अथॉरिटी को सौंपेगा।

आगे की राह

- **परीक्षा प्रक्रिया में सुधार:** विविध प्रश्न प्रारूपों और व्यावहारिक मूल्यांकनों को शामिल करके केवल रटने की बजाय **विश्लेषणात्मक समझ एवं व्यावहारिक कौशल के मूल्यांकन** पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश में **प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन को** शामिल करना।
- **सुरक्षा उपाय:** परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा **प्रश्न-पत्रों के प्रबंधन और वितरण के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाने चाहिए** एवं **इन्हें लागू करना** चाहिए।
  - इसमें **परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम आधार पर निगरानी, प्रश्नपत्रों को रखने के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉकरों का उपयोग** इत्यादि उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **संस्थागत सुधार: परीक्षा बोर्डों और टेस्टिंग एजेंसियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र सांविधिक निकाय की** स्थापना की जानी चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण और अनुकूलन:** राष्ट्रीय परीक्षाओं में राज्य-स्तरीय सुझावों या इनपुट को शामिल करना चाहिए और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने व व्यक्तियों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए एडेप्टिव टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए।

6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.2.1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 (Global Gender Gap Report 2024)

यह रिपोर्ट **विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी की गई।**

- यह रिपोर्ट **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (GGGI) पर आधारित** है। यह इंडेक्स **चार प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों** के आधार पर तैयार किया जाता है। यह **वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास** को मापता है।

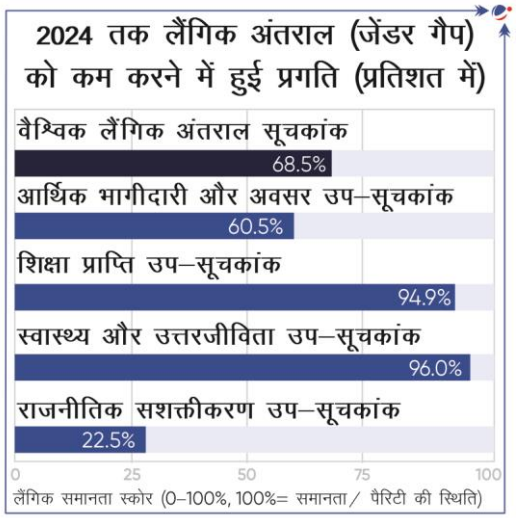

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - इंडेक्स में शामिल **146 देशों में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देश** हैं।
  - संसदीय पदों पर **महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 से लगभग निरंतर सकारात्मक रुख** दिखाया है।
  - लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से **पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल** लग सकते हैं।
  - **STEM कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 28.2% है और गैर-STEM कार्यबल में 47.3%** है। यहां STEM से तात्पर्य **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित** विषयों से है।
- **भारत के संदर्भ में:**
  - वर्ष 2023 में इंडेक्स में भारत **127वें** स्थान पर था। इस वर्ष यह **129वें स्थान** पर है। **बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान** के बाद **भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान** पर है।
  - **शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तीकरण में मामूली गिरावट** दर्ज की गई है। इसके विपरीत, **आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार** हुआ है।

- **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक** रही है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष 360 बिलियन डॉलर के सामूहिक निवेश** की आवश्यकता होगी।
- **लक्षित उपाय और उभरती हुई तकनीकी दक्षताओं तक समान पहुंच** सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- उद्योग जगत को **प्रभावी विविधता, समानता और समावेशन नीतियों को अपनाने एवं कौशल उन्नयन** की आवश्यकता है।

नोट: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII),** लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है। यह **तीन आयामों** पर आधारित है: **प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाजार।**

6.2.2. यूनिसेफ ने "बाल पोषण रिपोर्ट (Child Nutrition Report: CNR), 2024" जारी की (UNICEF releases "Child Nutrition Report, 2024")

- इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर **बच्चों में गंभीर 'चाइल्ड फूड पॉवर्टी (CFP)' स्थिति** के बारे में बताया गया है।
  - **चाइल्ड फूड पॉवर्टी:** यह पांच साल की आयु वाले बच्चों के लिए पौष्टिक व विविध आहार की अनुपलब्ता और पोषण रहित आहार के सेवन की स्थिति है।
  - जो बच्चे आठ निर्धारित खाद्य समूहों में से अधिकतम दो का उपभोग कर पाते हैं, उन्हें **"गंभीर चाइल्ड फूड पावर्टी"** स्थिति में माना जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **व्यापकता:** वैश्विक स्तर पर लगभग **27% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति का सामना** कर रहे हैं।
  - भारत में **40% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति** का सामना कर रहे हैं। इस मामले में **भारत अफगानिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में दूसरे स्थान** पर है।
- **खराब आहार:** पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ की जगह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ बच्चों के आहार में शामिल हो रहे हैं।
- **आय और चाइल्ड फूड पॉवर्टी:** गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति से गरीब तथा अमीर, दोनों तरह के परिवारों के बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए, चाइल्ड फूड पॉवर्टी के लिए आय की स्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है।
- **उत्तरदायी कारण:** इसके लिए जिम्मेदार कारणों में बढ़ती असमानता; संघर्ष और जलवायु संकट; बढ़ती खाद्य कीमतें; स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों की अधिकता; खाद्य विपणन से जुड़ी हानिकारक रणनीतियां तथा परिवार में बच्चों के लिए बेहतर आहार से जुड़ी जानकारी का अभाव शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- चाइल्ड फूड पॉवर्टी की गंभीरता का आकलन करने के लिए **डेटा जुटाने वाली प्रणाली को मजबूत करना** चाहिए।
- छोटे बच्चों को खिलाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सुलभ, किफायती और स्वादिष्ट बनाने वाली **खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- बच्चों के लिए बेहतर आहार के बारे में परामर्श सहित **पोषण संबंधी आवश्यक सेवाएं** प्रदान करने हेतु **स्वास्थ्य प्रणालियों का लाभ** उठाया जाना चाहिए।
- **भारत द्वारा की गई पहलें**
  - **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के लिए आहार मानदंडों आदि पर केंद्रित है।
  - **'पीएम पोषण' योजना (पूर्ववर्ती मिड-डे मील योजना)** में मिलेट्स या श्री अन्न को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

'चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मापन कैसे किया जाता है:
स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक आहार विविधता को पूरा करने हेतु, बच्चों को निम्नलिखित आठ आहार समूहों में से कम-से-कम पांच में से खाद्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता होती है।

6.2.3. बाल श्रम (Child Labour)

- ILO का कन्वेंशन-182 **"बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों पर प्रतिबंध एवं उन्मूलन"** से संबंधित है।

- यह **सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि वाला पहला ILO कन्वेंशन** है। इसका अर्थ है कि ILO के सभी **सदस्य देशों** ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है।
- भारत ने **2017 में ILO के कन्वेंशन-138 के साथ कन्वेंशन-182 की भी अभिपुष्टि** कर दी थी।
  - ILO का **कन्वेंशन-138 "कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने"** से संबंधित है।

- **भारत में बाल श्रम की स्थिति**
  - **जनगणना 2011** के अनुसार, भारत में **10.1 मिलियन बच्चे (11 करोड़)** या तो **'मुख्य श्रमिक' या 'सीमांत श्रमिक'** के रूप में काम कर रहे हैं। यह देश में बालकों की कुल संख्या का **3.9%** है।
  - भारत में **55% बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** से हैं।
  - भारत में मुख्य रूप से **कृषि, घरेलू उद्योग, सड़क किनारे के ढाबों** आदि में बाल श्रमिक देखे जाते हैं।

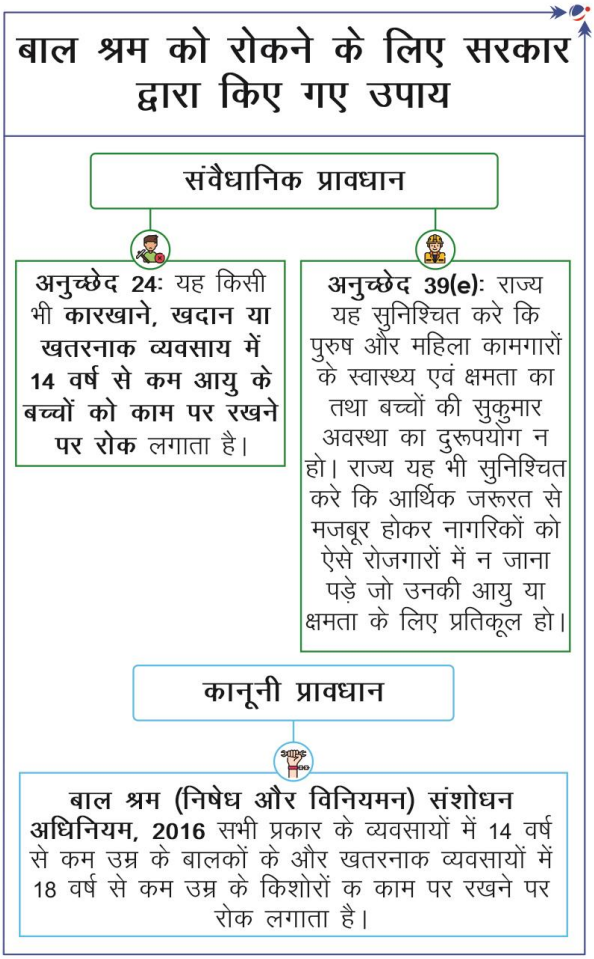

- **भारत में बाल श्रम के कारण**
  - **गरीबी:** निर्धनता की वजह से परिवारों को जीवन यापन हेतु अपने बच्चों के श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी:** इसकी वजह से बच्चों के **समय से पहले कार्यबल में शामिल होने** की आशंका बढ़ जाती है।
  - **आपदाएं, संघर्ष और सामूहिक प्रवास:** ये सभी कारक **आर्थिक संकट को जन्म** देते हैं और परिवारों के विघटन का कारण बनते हैं। इससे **बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर** होना पड़ता है।
  - कृषि, घरेलू कार्य जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों में **सस्ते श्रम की मांग** है। बच्चे कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए उपलब्ध होते हैं।
  - बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाला **कठोर कानून** नहीं है, और **जो कानून है, उसे लागू करने में कोताही** बरती जाती है।

6.2.4. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 (Global Food Policy Report 2024)

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने 'स्वास्थ्यप्रद आहार और पोषण के लिए खाद्य प्रणाली' नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान** के हमारे आहार पर जटिल एवं पारस्परिक प्रभाव हो सकते हैं। इससे **खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, विविधता** आदि प्रभावित हो सकती है।
  - **दो अरब से अधिक लोग स्वास्थ्यप्रद आहार** का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इनमें से बड़ी आबादी **अफ्रीका और दक्षिण एशिया में** निवास करती है।
  - लगभग **38 प्रतिशत भारतीय आबादी अस्वास्थ्यकर आहार** का सेवन करती है।
  - **पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करने (खराब डाइट) की वजह से 16.6% भारतीय कुपोषित** हैं।
- **IFPRI के बारे में**
  - इसकी **स्थापना 1975** में की गई थी। यह **कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स** का एक अनुसंधान केंद्र है।

6.2.5. माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, 2024 (Migration and Development Brief 2024)

विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, 2024 जारी किया है।

ब्रीफ के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **धन-प्रेषण (रेमिटेंस)**
  - **2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC)** को 656 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था।
  - **सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले पांच देश हैं:** भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान। **भारत को 120 बिलियन डॉलर** का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था।
- **प्रवासन (माइग्रेशन)**
  - **प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस और यूनाइटेड किंगडम।
  - **जिन देशों के सर्वाधिक प्रवासी हैं:** भारत (18.7 मिलियन प्रवासी), यूक्रेन, चीन, मैक्सिको और वेनेजुएला।
  - **सबसे बड़ा प्रवास गलियारा:** मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

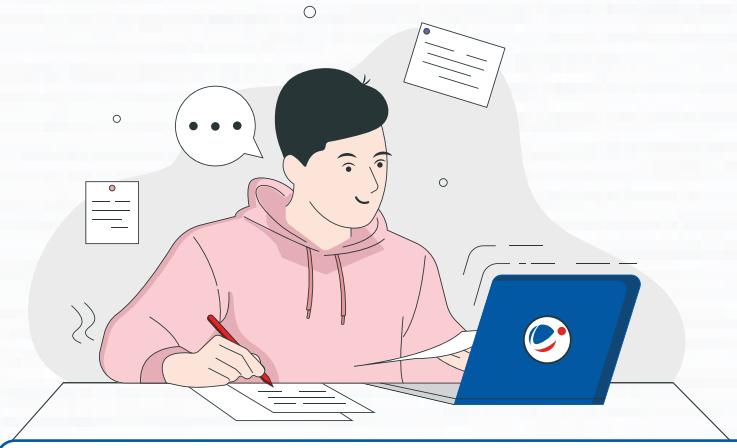

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Quantum Science and Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को '**अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष**[63]' घोषित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2025 में **क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे** हो रहे हैं, इसलिए इसे **अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष** के रूप में चुना गया है।
  - जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक प्रसिद्ध शोधपत्र प्रकाशित किया था, जिसके कारण क्वांटम यांत्रिकी नामक परिघटना की खोज हुई।
- यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी विज्ञान और विज्ञान शिक्षा में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करना है।
- यह भौतिक ब्रह्मांड के बारे में हमारे बढ़ते ज्ञान और समझ में क्वांटम विज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालता है। साथ ही, यह संधारणीय समाधान विकसित करने में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।

क्वांटम मैकेनिक्स और इसके प्रमुख उपयोगों के बारे में

क्वांटम यांत्रिकी यह बताती है कि कैसे अत्यंत छोटे ऑब्जेक्ट में एक साथ कण (पदार्थ के छोटे खंड) और **तरंग** (विक्षोभ या वेरिएशन के माध्यम से ऊर्जा को स्थानांतरित करना), दोनों की विशेषताएं होती हैं।

क्या आप जानते हैं?

> भौतिकी में, क्वांटम **किसी भी भौतिक गुण की सबसे छोटी संभव पृथक यूनिट या इकाई** है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन जैसे परमाणु या उप-परमाणु कणों के गुणों को संदर्भित करता है।

- **क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन:** यह सूचना/ इंफॉर्मेशन की मूल इकाई के रूप में बाइनरी बिट्स की जगह पर क्यूबिट्स (आमतौर पर उपपरमाण्विक कण) का उपयोग करता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल एवं आरोग्यता के क्षेत्र में:** क्वांटम फोटोनिक्स मेडिकल इमेजिंग और निदान में प्रगति ला रहा है तथा क्वांटम केमिस्ट्री नए टीकों एवं दवाओं के विकास में सहायता कर रहा है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग** और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ मिलकर **विशाल मात्रा में डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है** और जटिल गणनाएं तेजी से हल की जा सकती हैं।
- रूट प्लानिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसी जटिल समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करके **लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला को इष्टतम** किया जा सकता है।
- **क्वांटम कम्युनिकेशन:** इसमें **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी** (या क्वांटम-प्रूफ क्रिप्टोग्राफी) और **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD)** शामिल हैं।
- QKD के तहत गुप्त, रैंडम सीक्वेंस को ट्रांसमिट करने के लिए फोटॉनों की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है जिसे 'कुंजी' या 'की (Key)' के रूप में जाना जाता है।
- **क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी:** बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र आदि के मापन से संबंधित वर्तमान प्रौद्योगिकियों में अत्यधिक संवेदनशील सेंसर के रूप में फोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन जैसे एकल कणों का उपयोग किया जाता है।
- **क्वांटम मटेरियल एवं उपकरण:** इसमें क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर, नवीन अर्धचालक संरचनाएं और टोपोलॉजिकल सामग्री जैसे क्वांटम मटेरियल का डिजाइन तथा संश्लेषण किया जाता है।

[63] International Year of Quantum Science and Technology

- क्वांटम इंजीनियरिंग की सहायता से अधिक ऊर्जा-कुशल और किफायती **सौर सेल** तथा **कम उत्सर्जन करने वाले LED प्रकाश स्रोतों के विकास की संभावना** है। साथ ही, यह दीर्घकालिक क्लाइमेट मॉडल की सटीकता में सुधार कर रही है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023):** इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना तथा उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जीवंत व नवीन इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- **क्वांटम–सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (QuEST)[64]:** क्वांटम क्षमताएं निर्मित करने के लिए यह एक शोध आधारित कार्यक्रम है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब (QCAL):** इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना तथा नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम बनाना है।
- **अन्य पहलें:**
  - **क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन (NMQTA)।**
  - **क्यूसिम (Qsim) - क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट।**
  - प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PMSTIAC) का **क्वांटम फ्रंटियर मिशन।**
  - मध्य प्रदेश के महू स्थित सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में **समर्पित प्रयोगशालाओं और केन्द्रों** की स्थापना की गई है।

नोट: *राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.3 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन देखें।*

भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास और उसको अपनाने में चुनौतियां

- **विनियमन:** हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए मानकों एवं प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
  - विभिन्न क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों के बीच संगतता और इंटर-ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों का विकास आवश्यक होगा।
  - **क्वांटम-संबंधित बौद्धिक संपदा के लिए** स्पष्ट स्वामित्व और **लाइसेंसिंग संबंधी फ्रेमवर्क की स्थापना करना।**
- **अवसंरचना की उपलब्धता:** परिष्कृत प्रयोगशालाओं, विशेष उपकरणों और हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं के निर्माण एवं रखरखाव के लिए काफी अधिक संसाधनों और निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है।
- **आकार बढ़ाने में समस्या:** उच्च स्तर की सुसंगतता और कम त्रुटि दर को बनाए रखते हुए क्वांटम कंप्यूटरों को सैकड़ों या हजारों क्यूबिट तक बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **ठंडा वातावरण बनाए रखना और त्रुटि सुधार:** क्वांटम कंप्यूटरों को ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे संवेदनशील क्वांटम बिट्स या क्यूबिट पर काम करते हैं।
  - **थर्मल नॉइस और कंपन, जो क्यूबिट्स में निहित इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर सकते हैं, को समाप्त करने के लिए अधिकांश क्यूबिट्स को परम शून्य के आस-पास तक ठंडा करना होता है।**
  - व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण के लिए **विश्वसनीय त्रुटि सुधार तकनीकों का विकास आवश्यक है।**
- **अन्य चुनौतियां**:
  - क्वांटम कंप्यूटरों की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु **नई प्रोग्रामिंग लैंगुएज, कम्पाइलरों और ऑप्टिमाइजेशन उपकरणों** की आवश्यकता पड़ती है।
  - **भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय** सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.64% है, जो बहुत कम है।
    - इसके अलावा, भारत का **निजी क्षेत्रक** उन्नत देशों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश करता है। इस संबंध में भारत का **निजी क्षेत्रक तुलनात्मक रूप से 40% से भी कम योगदान देता है, जबकि विकसित देशों में यह 70% से अधिक है।**

आगे की राह

- **निजी निवेश को आकर्षित करना:** क्वांटम अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु कर छूट, अनुदान एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी को लागू करना चाहिए।

[64] Quantum-Enabled Science and Technology

- **क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना**: पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रकों में क्वांटम अनुसंधान अवसंरचना को विकसित करने के लिए संसाधन आवंटित करना, व्यापक भागीदारी और प्रतिभा वितरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- **एक समर्पित विनियामक निकाय की स्थापना**: क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक केंद्रीय विनियामक निकाय बनाना चाहिए, जो प्रासंगिक विनियमों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हो।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना:** शैक्षणिक अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच के अंतराल को खत्म करने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। इससे निजी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता और उनका उपयोग करना संभव हो सकेगा।
- **IPR व्यवस्था: क्वांटम-संबंधित बौद्धिक संपदा** के स्वामित्व, लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पारदर्शी और कुशल फ्रेमवर्क की स्थापना करना चाहिए।

संबंधित सुर्खियां

भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर

- इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा IIT-बॉम्बे के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।
- यह प्रोजेक्ट **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)** के अनुरूप है। NQM को 2023 में लॉन्च किया गया था और **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा लागू किया जा रहा है।
- **NQM का** लक्ष्य देश को वैश्विक **क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) क्षेत्रक में** अग्रणी बनाना है।
  - **QT एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जो क्वांटम यांत्रिकी** (उप-परमाणु कणों की भौतिकी) के सिद्धांतों का उपयोग करके काम करती है।

क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में

- यह अर्धचालक चिप इमेजिंग के लिए एक **एडवांस्ड सेंसिंग टूल है।**
- इसके तहत अर्धचालक चिप्स की **विसंगतियों का** पता लगाने के लिए डायमंड की संरचना में पायी जाने वाली विसंगतियों **का** उपयोग किया जाता है, जिन्हें **नाइट्रोजन-वॉइड (NV) सेंटर के रूप में जाना जाता है।**
  - **यह चिप फेलियर्स को** कम करता है और **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** की **ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है।**
  - इसके अलावा, इससे देश में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- माइक्रोचिप **इमेजर द्वितीय क्वांटम क्रांति को** संभव बनाएगा।
  - द्वितीय **क्वांटम क्रांति,** QT (उदाहरण के लिए- क्वांटम कंप्यूटिंग) के क्षेत्रक में प्रगति और सफलता के एक **समकालीन दौर को संदर्भित करती है।**
  - इसको **प्रथम क्वांटम क्रांति (20** वीं सदी के प्रारंभ में) का अगला चरण माना जा रहा है।
  - **प्रथम क्वांटम क्रांति** में**, क्वांटम यांत्रिकी** और उसके **गुणों** की खोज की गई थी। इसने लेजर, ट्रांजिस्टर आदि जैसे आविष्कारों को संभव बनाया।
- **सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में**
  - **यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** का एक आवश्यक घटक है।
  - यह संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, सैन्य प्रणालियों आदि जैसे उद्योगों में **उपकरणों के ब्रेन** के रूप में कार्य करता है।
  - इसे आमतौर पर शुद्ध तत्वों (Pure elements), जैसे- **सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड** जैसे यौगिकों से बनाया जाता है।

क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #69: भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज

7.2. आउटर स्पेस गवर्नेंस (Outer Space Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्मेनिया लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड में 43वें हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है।

आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में

- इस एकॉर्ड की स्थापना 2020 में **नासा** ने अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वय से की थी। इसके **सात अन्य संस्थापक सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, UAE और UK** सम्मिलित हैं।
  - 1967 की **आउटर स्पेस ट्रीटी** और रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, द रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट आदि इस एकॉर्ड के प्रमुख आधार हैं।
- **उद्देश्य:** यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के नागरिक अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सामान्य **गैर-बाध्यकारी सिद्धांत** निर्धारित करता है।
  - अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण, संधारणीय और पारदर्शी सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।
- **भारत भी इस एकॉर्ड का एक हस्ताक्षरकर्ता** है।

मौजूदा आउटर स्पेस गवर्नेंस फ्रेमवर्क

- सबसे पहले **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 1958 में, संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग** को नियंत्रित करने के लिए **द कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस (UN COPUOS)** की स्थापना की थी।
  - संयुक्त राष्ट्र COPUOS को इसके कार्य में UNOOSA[65] का समर्थन प्राप्त है।
- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियां:**
  - **आउटर स्पेस ट्रीटी 1967:** यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित संधि है।
  - **रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968:** यह अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी तथा बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की वापसी से संबंधित समझौता है।
  - **लायबिलिटी कन्वेंशन 1972:** यह अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय लायबिलिटी कन्वेंशन है।

[65] United Nations Office for Outer Space Affairs/ बाह्य अंतरिक्ष मामलों हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

- **रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976:** यह बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स के पंजीकरण पर कन्वेंशन है।
- **मून एग्रीमेंट 1979:** यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

- भारत इन **सभी पांच संधियों का हस्ताक्षरकर्ता** है। हालांकि, भारत ने केवल चार का ही अनुसमर्थन किया है। **भारत ने अब तक मून एग्रीमेंट का अनुसमर्थन नहीं** किया है।

आउटर स्पेस गवर्नेंस में सुधार की आवश्यकता

- **अंतरिक्ष मलबा:** यह एक बड़ी समस्या है। यह निम्न भू कक्षा में बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपित होने से और भी जटिल हो जाएगी। **ESA के अनुमान के मुताबिक, आउटर स्पेस में 1 मि.मी. से 1 से.मी. तक बड़ी 130 मिलियन अंतरिक्ष मलबे** हैं।
  - अंतरिक्ष मलबे की निगरानी या उसे हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या निकाय नहीं है।
- **संसाधन गतिविधियां:** अंतरिक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर कोई सहमत अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क या इसके भविष्य के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
  - आने वाले दशकों में अंतरिक्ष अन्वेषण वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा।
- **अंतरिक्ष यातायात समन्वय:** वर्तमान में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं, परिभाषाओं, भाषाओं और अंतरसंचालनीयता के तरीकों के अलग-अलग सेट्स के जरिए अंतरिक्ष यातायात का समन्वय करती हैं।
  - समन्वय की यह कमी सीमित स्पेस क्षमता रखने वाले देशों के लिए अंतराल को बढ़ाती है, जिससे उनके लिए तेजी से जटिल वातावरण में अपनी सीमित अंतरिक्ष संपत्तियों को संचालित करना कठिन हो जाता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष की रोकथाम:** बाह्य अंतरिक्ष में सशस्त्र संघर्ष के किसी भी विस्तार को रोकने और बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को नियंत्रित करने के लिए एक पृथक मानक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।
  - अंतरिक्ष सुरक्षा में एक बड़ी चुनौती कई स्पेस ऑब्जेक्ट्स की दोहरे उपयोग की प्रकृति है। उन्नत प्रकार का कोई भी उपग्रह अन्य उपग्रहों को नष्ट कर सकता है।
- **उपग्रह प्रक्षेपण की संख्या में वृद्धि:** पिछले दशक में सरकारी और निजी क्षेत्रक, दोनों की भागीदारी से उपग्रह प्रक्षेपण में तेजी से वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए, 2020 तक उपग्रहों की संख्या हर साल औसतन 30% बढ़ रही थी।

बाह्य अंतरिक्ष प्रशासन को बेहतर बनाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **मौजूदा फ्रेमवर्क के बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना:** भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पक्षकार है। भारत इन समझौतों का बेहतर तरीके से पालन करके एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
  - साथ ही, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने में अन्य विकासशील देशों की क्षमता निर्माण में भी मदद कर सकता है।

- **स्पेस डोमेन अवेयरनेस (SDA) सृजित करना:** भारत यह कार्य अंतरिक्ष क्षमताओं वाले देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर कर सकता है। इससे अंतरिक्ष में जिम्मेदार और सुरक्षित गतिविधियां सुनिश्चित करने मदद मिलेगी।
    - उदाहरण के लिए- भारत उपग्रह प्रक्षेपण, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान पहलों में साझेदारी के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य जैसे देशों के साथ सहयोग कर रहा है।

नोट: *भारत की स्पेस डोमेन अवेयरनेस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मई 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.4 देखें।*

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र ने **"फॉर ऑल ह्यूमैनिटी- द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस"** शीर्षक वाले अपने पॉलिसी ब्रीफ डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित सिफारिश की है:

- **शांति और सुरक्षा के लिए नई संधि:** संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि पर वार्ता करने और उसे निर्मित करने की सिफारिश की है।
- **अंतरिक्ष मलबा हटाना:** अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए मानदंड और सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें अंतरिक्ष मलबे को हटाने के कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी है।
- **अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन:** अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, स्पेस ऑब्जेक्ट्स मैन्यूवर्स, अन्य स्पेस ऑब्जेक्ट्स तथा घटनाओं के समन्वय के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए।
- **अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियां:** चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के सतत अन्वेषण, दोहन और उपयोग के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए।
    - इस फ्रेमवर्क में बाध्यकारी और गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी पहलू शामिल किए जा सकते हैं और इसे बाह्य अंतरिक्ष पर पांच संयुक्त राष्ट्र संधियों पर आधारित होना चाहिए।
- **समावेशन:** सदस्य देशों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं के कार्य में वाणिज्यिक हितधारकों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए।

7.3. ट्रांस-फैट उन्मूलन (Trans-Fat Elimination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018-2023 की अवधि के संबंध में वैश्विक ट्रांस-फैट उन्मूलन** की दिशा में हासिल की गई में **प्रगति** पर फिफ्थ माइल रिपोर्ट (Fifth milestone report) प्रकाशित की है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कुल **53 देशों में खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांस-फैट से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं और नीतियां मौजूद हैं** (2023 तक)।
- **विश्व की 46% आबादी** के लिए खाद्य पदार्थों में व्यापक सुधार हुआ है। **2018 में यह केवल 6% थी।**
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस-फैट को पूरी तरह से खत्म करने का **WHO का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।**

ट्रांस-वसा {या ट्रांस-फैटी एसिड (TFA)} के बारे में

- ट्रांस वसा आंशिक रूप से हाइड्रोजन से संतृप्त **असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं।**
    - इन्हें सबसे खराब प्रकार का वसा (खराब वसा/ बैड फैट) माना जाता है।
- **प्रकार**: अपने स्रोतों के आधार पर ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं।
    - **प्राकृतिक:** इन्हें रूमिनेंट ट्रांस फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मांस और डेयरी उत्पादों में कम मात्रा में मौजूद होते हैं। इन्हें आम तौर पर हानिकारक नहीं माना जाता है।

- **कृत्रिम: इसे औद्योगिक माध्यमों द्वारा उत्पादित ट्रांस वसा** भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इस प्रक्रिया में **वनस्पति तेल** में **हाइड्रोजन मिलाया जाता है**, जिससे तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है और परिणामस्वरूप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल (PHO) बनता है।
  - औसतन, **PHO में ट्रांस वसा की सांद्रता 25-45% होती है।**
  - मुख्य रूप से इसका **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है और इसका कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं है।**

वसा (फैट) के अलग-अलग प्रकार

फैटी एसिड वस्तुतः वसा के निर्माण खंड होते हैं। फैटी एसिड **कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं** होती हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यकता वाले फैटी एसिड को अनिवार्य फैटी एसिड कहते हैं जो **केवल भोजन के माध्यम से ही प्राप्त** हो सकते हैं। हालांकि, कुछ वसा हानिकारक भी होते हैं।

असंतृप्त वसा (Unsaturated fats)

इन्हें "**गुड**" फैट (वसा) भी कहा जाता है। ये नट्स, एवोकाडो और कुछ प्रकार की सब्जियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। असंतृप्त वसा की आणविक संरचना अलग होने के कारण इसमें अन्य वसा की तुलना में कम कैलोरी होती है।

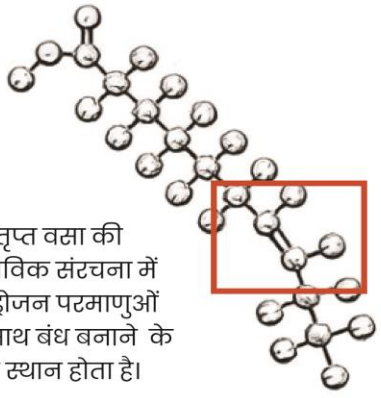

असंतृप्त वसा की आणविक संरचना में हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए स्थान होता है।

संतृप्त वसा (Saturated fats)

ये वसा ज्यादातर **पशु उत्पादों में** पाए जाते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए संतृप्त वसा का कम सेवन करने की सलाह दी जाती है।

संतृप्त वसा की आणविक संरचना में हाइड्रोजन के बंध बनाने वाला हर स्थान पहले से भरा होता है (यानी, वसा हाइड्रोजन से "संतृप्त" होती है)

ट्रांस फैट्स

ट्रांस वसा वास्तव में **असंतृप्त (गुड)** वसा होती है। ट्रांस फैट्स के लिए असंतृप्त (गुड) वसा को आंशिक रूप से हाइड्रोजन से संतृप्त किया जाता है, जिससे वसा की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। चिंताजनक यह है कि ये ट्रांस फैट्स "**बैड**" **कोलेस्ट्रॉल** को बढ़ाते हैं और **इनके सेवन से बचने की सलाह दी जाती है।**

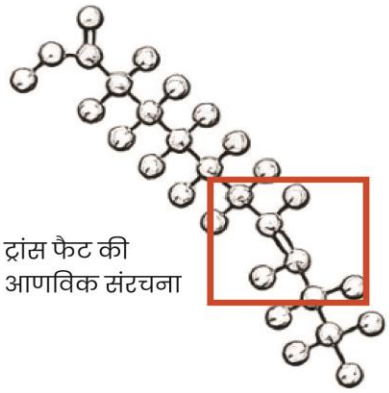

ट्रांस फैट की आणविक संरचना

नोट: कृपया असंतृप्त और ट्रांस फैट की आणविक संरचना में अंतर पर ध्यान दीजिए।

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - इससे **हानिकारक कोलेस्ट्रॉल** [बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (VLDL) और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन-कोलेस्ट्रॉल (LDL-c)] **का स्तर बढ़ता है** और **अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है।**
    - हानिकारक कोलेस्ट्रॉल **धमनियों के भीतर जमा हो सकता है, जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती हैं।** इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
  - इससे **इन्फ्लेमेशन, अधिक वजन/ मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार का कैंसर भी हो सकता जाता है।**

ट्रांस वसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

भारत के स्तर पर

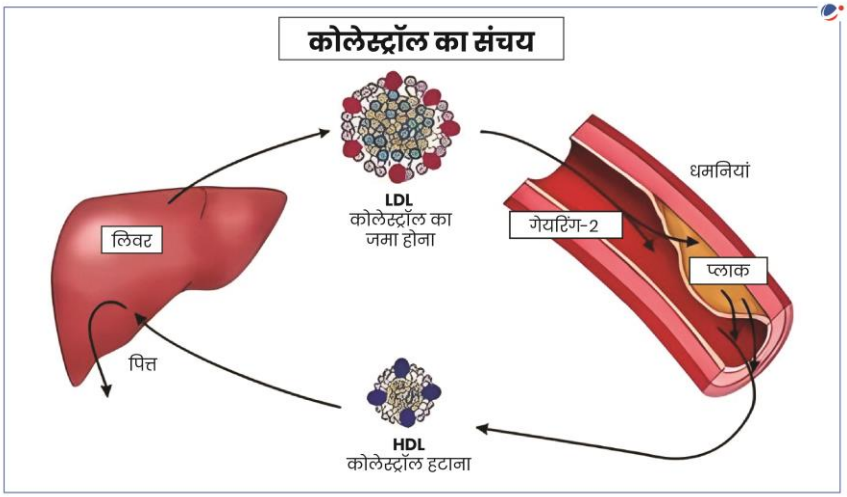

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** द्वारा की गई पहल:
  - **ट्रांस फैट मुक्त लोगो:** यह **TFA-मुक्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक लेबलिंग है।**
  - **हार्ट अटैक रिवाइंड:** यह औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मास मीडिया अभियान है।
  - **ईट राइट इंडिया मूवमेंट।**
  - 2021 में, तेल और वसा में TFA की अधिकतम मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% तय की गई है। यह कदम **खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011 में संशोधन के माध्यम से** उठाया गया है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (राष्ट्रीय पोषण संस्थान) द्वारा **संशोधित आहार संबंधी दिशा-निर्देश।**

REPLACE
ट्रांस फैट

औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड का उपयोग बंद करने पर कार्रवाई की एक श्रृंखला

RE	P	L	A	C	E
रिव्यू (समीक्षा)	प्रमोट (बढ़ावा)	लेजिस्लेट (कानून)	एक्सेस (पहुंच)	क्रिएट (जागरूकता)	एनफोर्स (लागू करना)
औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिए समीक्षा करना।	स्वास्थ्यकर वसा और तेलों के उपयोग द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।	औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी अथवा विनियामकीय कार्रवाई करना।	खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा का मूल्यांकन एवं निगरानी और लोगों के बीच ट्रांस फैट के उपभोग की आदत में बदलाव लाना।	नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और लोगों के मध्य ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना।	नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

वैश्विक स्तर पर

- **WHO द्वारा रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क (2018):** यह औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड को खाद्य आपूर्ति से तीव्र, पूर्ण और संधारणीय रूप से समाप्त करने हेतु विश्व के समस्त देशों को एक रोडमैप प्रदान करता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन उन देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां बनाने का भी आह्वान करता है। इनमें ऐसे देश शामिल हैं जो 2025 के अंत तक कुल वैश्विक TFA बोझ के कम-से-कम 90% और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर कुल TFA बोझ के कम-से-कम 70% के लिए जिम्मेदार हैं।
- नीतिगत प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांस फैट उन्मूलन हेतु **WHO वैलिडेशन प्रोग्राम।**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI)

उत्पत्ति: FSSAI की स्थापना **खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** के तहत एक सांविधिक संस्था के रूप में हुई है।

उद्देश्य: मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना

मंत्रालय: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भूमिका/ कार्य:

- खाद्य पदार्थों के संबंध में **मानक** और **दिशा-निर्देश** निर्धारित करना तथा अलग-अलग मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली निर्धारित करना।
- खाद्य संरक्षा (फूड सेफ्टी) प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन के लिए उत्तरदायी **प्रमाणन संस्थाओं की मान्यता** के लिए मैकेनिज्म और दिशा-निर्देश तय करना।
- **प्रयोगशालाओं की मान्यता** के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश निर्धारित करना, आदि।

सदस्य: इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। सदस्यों में एक तिहाई महिलाएं होंगी।

मुख्य पहलें:

- **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करना:** यह खाद्य संरक्षा के अलग-अलग के मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए तैयार किया गया है।
- **ईट राइट स्टेशन प्रमाणन**

ट्रांस फैट के उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- **खाद्य उद्योग में उच्च मांग:** इसका व्यापक रूप से खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी **लंबी शेल्फ लाइफ होती है** और ये खाद्य उत्पादों को **वांछनीय टेक्स्चर या स्वाद** प्रदान करते हैं।
  - इसके अलावा, ट्रांस फैट संबंधित विकल्पों की तुलना में सस्ता होता है।
- **नीतियों को खराब तरीके से लागू किया जाना**: कई देशों ने अभी तक ट्रांस फैट के उन्मूलन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित की नीति नहीं अपनाई है।
  - ट्रांस फैट के उपयोग को विनियमित करना एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि कई अपंजीकृत कंपनियां विभिन्न तरीकों से इसका उपयोग कर रही हैं।
  - इसके अलावा, कई विकासशील देशों में इन नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन सीमित हैं।
- **उपभोक्ता संबंधी प्राथमिकताएं:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रति बढ़ता रुझान सरकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य विनियामकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

रिपोर्ट में ट्रांस फैट के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं:

- **नीतियां/ फ्रेमवर्क**: सभी देशों को **सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां लागू करनी होंगी**, विशेष रूप से उन देशों को जिनमें ट्रांस फैट के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों का बोझ सबसे अधिक है।

- सभी देशों को **निगरानी** और **प्रवर्तन के लिए** अपने तंत्र को **मजबूत करना होगा। साथ ही, नीतियों को इस प्रकार संशोधित करना होगा कि वे WHO के वैलिडेशन प्रमाणपत्र** के लिए पात्र हो सकें।
- उप-क्षेत्रीय निकायों को **अनिवार्य ट्रांस फैट उन्मूलन नीतियां पारित करनी होंगी।**

- **विनियमों का अनुपालन**: फैट/ वसा और तेलों की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थ बनाने वाले विनिर्माताओं द्वारा स्वास्थ्यवर्धक, वैकल्पिक वसा के उपयोग को बढ़ाने के लिए विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
  - **खाद्य पदार्थों में PHO के स्थान पर पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड (PUFA) एवं मोनोअनसेचुरेटेड फैटी-एसिड (MUFA)** से संपन्न तेलों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कुसुम, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली आदि।
- **जागरूकता और प्रेरणा:** उपभोक्ताओं को ट्रांस फैट और उससे जुड़े खाद्य पदार्थों के नुकसानों के बारे में शिक्षित करना होगा। साथ ही, ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, जो उपभोक्ताओं को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, सिगरेट के पैकेट में इस्तेमाल की जाने वाली चेतावनियाँ और चित्र।

अन्य संबंधित सुर्खियां

ओमेगा-3 फैटी एसिड

- एक अध्ययन में, यह पाया गया है कि **मछली के तेल के नियमित सेवन से** आम लोगों के लिए एट्रियल फाइब्रिलेशन (अनियमित और अक्सर बहुत तेज हृदय गति) और स्ट्रोक का जोखिम पैदा हो सकता है।
  - हालांकि, अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि मछली का तेल उन लोगों में रोग को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है, जो पहले से ही हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं।
- मछली के तेल में दो महत्वपूर्ण **ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिन्हें ईकोसापेंटेनोइक एसिड (EPA)** और **डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड (DHA)** कहा जाता है ।
- **ओमेगा-3 फैटी एसिड के बारे में:**
  - ये **पॉलीअनसेचुरेटेड वसा** हैं।
    - **पॉलीअनसेचुरेटेड वसा:** ये वसा के ऐसे अणु होते हैं जिनके अणु में एक से अधिक असंतृप्त कार्बन बंध (Carbon bond) होते हैं।
  - EPA और DHA के अलावा, एक अन्य ओमेगा-3 फैटी एसिड ALA (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड) पादपों से प्राप्त होता है।
    - ये **आवश्यक वसा** हैं।
    - **आवश्यक वसा:** ये ऐसे वसा होते हैं जिन्हें मानव शरीर **स्वयं बनाने में असमर्थ होता है**। इन्हें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना होता है।
  - **प्रमुख स्रोत**: नट्स और बीज (जैसे- अलसी) वनस्पति तेल (जैसे- अलसी का तेल), सी-फूड आदि।
  - **लाभ:**
    - इससे शरीर में **इन्फ्लेमेशन में कमी आती है (जो कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ी होती है)।**
    - **ब्लड ट्राइग्लिसराइड {एक प्रकार का वसा (लिपिड)} का स्तर काफी कम हो जाता है।**
    - शरीर में अतिरिक्त कैलोरी, अल्कोहल और शुगर ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाते हैं।
    - **रक्तचाप कम करता है**, दिल के दौरे के खतरा को कम करता है और एरिथमिया को रोकता है।
    - **मस्तिष्क के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है।**

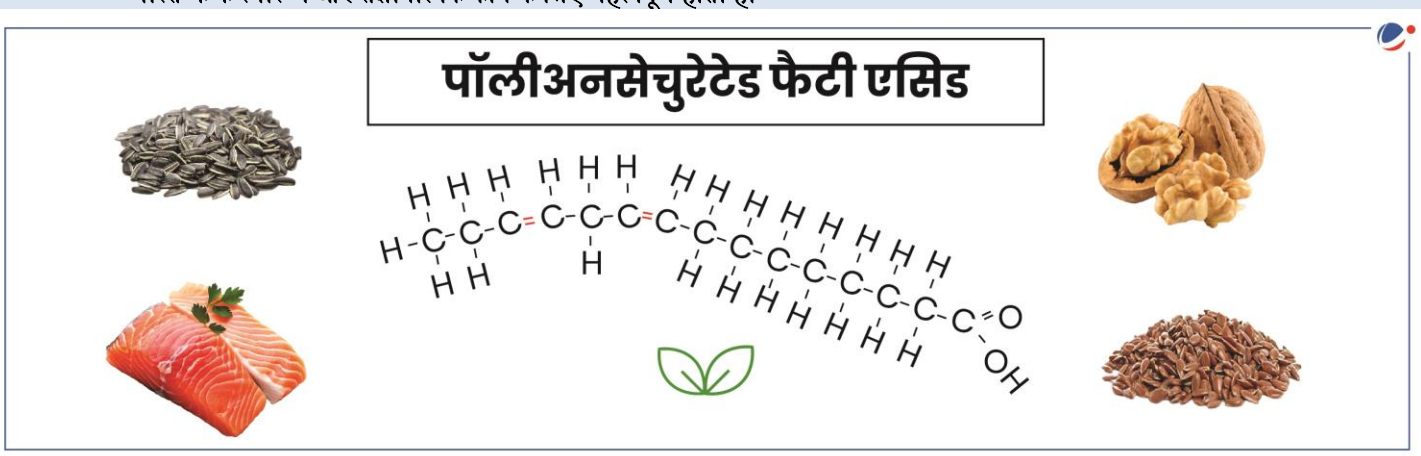

7.4. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "**ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज" 2024** शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है।

क्या आप जानते हैं?

> चाड दुनिया का 51वां देश बन गया है जिसने कम-से-कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) का उन्मूलन किया है। चाड ने अपने यहां से **स्लीपिंग सिकनेस (गैम्बिएंस अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस)** का उन्मूलन कर दिया है।

रिपोर्ट के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट WHO के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को 2023 में **रोड मैप फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (RMfNT) 2021-2030 के कार्यान्वयन की दिशा में हासिल की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।**
- **रिपोर्ट में RMfNT के संकेतकों के मामले में हासिल की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है:**
  - **2030 तक NTDs के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले लोगों के प्रतिशत को 90% तक कम करना।**
    - 2022 में, 1.62 बिलियन लोगों को NTDs के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी थी, जो **2010 की तुलना में 26% कम है।**
  - **2030 तक वेक्टर जनित NTDs से संबंधित मौतों में 75% की कमी लाना।**
    - वेक्टर जनित रोगों से संबंधित मौतों की संख्या 2016 की तुलना में **2022 में 22% बढ़ गई।**
  - **2030** तक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से प्रभावित क्षेत्रों में कम-से-कम **बुनियादी जलापूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
    - NTD एंडेमिक देशों में, कुल मिलाकर **85.8% लोगों को** जल/ स्वच्छता/ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, लेकिन केवल **63% लोगों को NTDs हस्तक्षेप की आवश्यकता है।**
- **भारत से संबंधित तथ्य**
  - **भारत में लगभग 40% लोगों को NTDs के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो विश्व में सर्वाधिक है।**
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को गिनी वर्म रोग (2000) और यॉज (2016) से मुक्त घोषित किया है।**

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) के बारे में

- यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्याप्त **बीमारियों के समूह को संदर्भित करता है।**
- **ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों** सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं।
- इन्हें **उपेक्षित इसलिए** कहा जाता है, क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग गायब हैं, इनके निवारण के लिए वैश्विक वित्त-पोषण कम है और इनको सामाजिक कलंक तथा घृणा की नजर से देखा जाता है।
  - NTDs ऐतिहासिक रूप से वैश्विक स्वास्थ्य नीति एजेंडे में बहुत निचले स्थान पर और लगभग अनुपस्थित रहा है। इसे 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (SDG लक्ष्य 3.3) के साथ मान्यता प्राप्त हुई।
- **भारत में** विश्व स्तर पर **10 प्रमुख NTDs से ग्रस्त लोगों की सर्वाधिक संख्या है**- जैसे हुकवर्म, डेंगू, लसीका फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, कालाजार और रेबीज, एस्कारियासिस, ट्राइक्यूरियासिस, ट्रेकोमा और सिस्टीसर्कोसिस।

NTDs को समाप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बड़ी आबादी पर प्रभाव:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, NTDs रोग वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। इनमें से 1.6 बिलियन को निवारक या उपचारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - NTDs गरीब देशों को अधिक प्रभावित करती है तथा इन रोगों से ग्रस्त 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।

- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** WHO का अनुमान है कि 2030 तक NTDs को समाप्त करने से **उत्पादकता में कमी को रोककर और स्वास्थ्य देखभाल लागत के संबंध में 342 अरब डॉलर से अधिक की बचत होगी।**
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का सूचक:** NTDs उपचार अक्सर लोक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनका निवारण 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की दिशा में अहम कदम माना जाता है।
- **लैंगिक समानता पर प्रभाव:** NTDs स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं, जैसे- गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, एनीमिया आदि के कारण महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, एक अनुमान के अनुसार, 56 मिलियन महिलाएं फीमेल जेनिटल सिस्टोसोमियासिस से प्रभावित हैं। इससे HIV का खतरा बढ़ जाता है और अंगों को भी क्षति पहुंचती है।
- **NTDs नियंत्रण से उच्च लाभ:** 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, **NTDs** को समाप्त करने के लिए निवारक कीमोथेरेपी उपचारों में 1 डॉलर के निवेश पर 25 डॉलर के सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं।

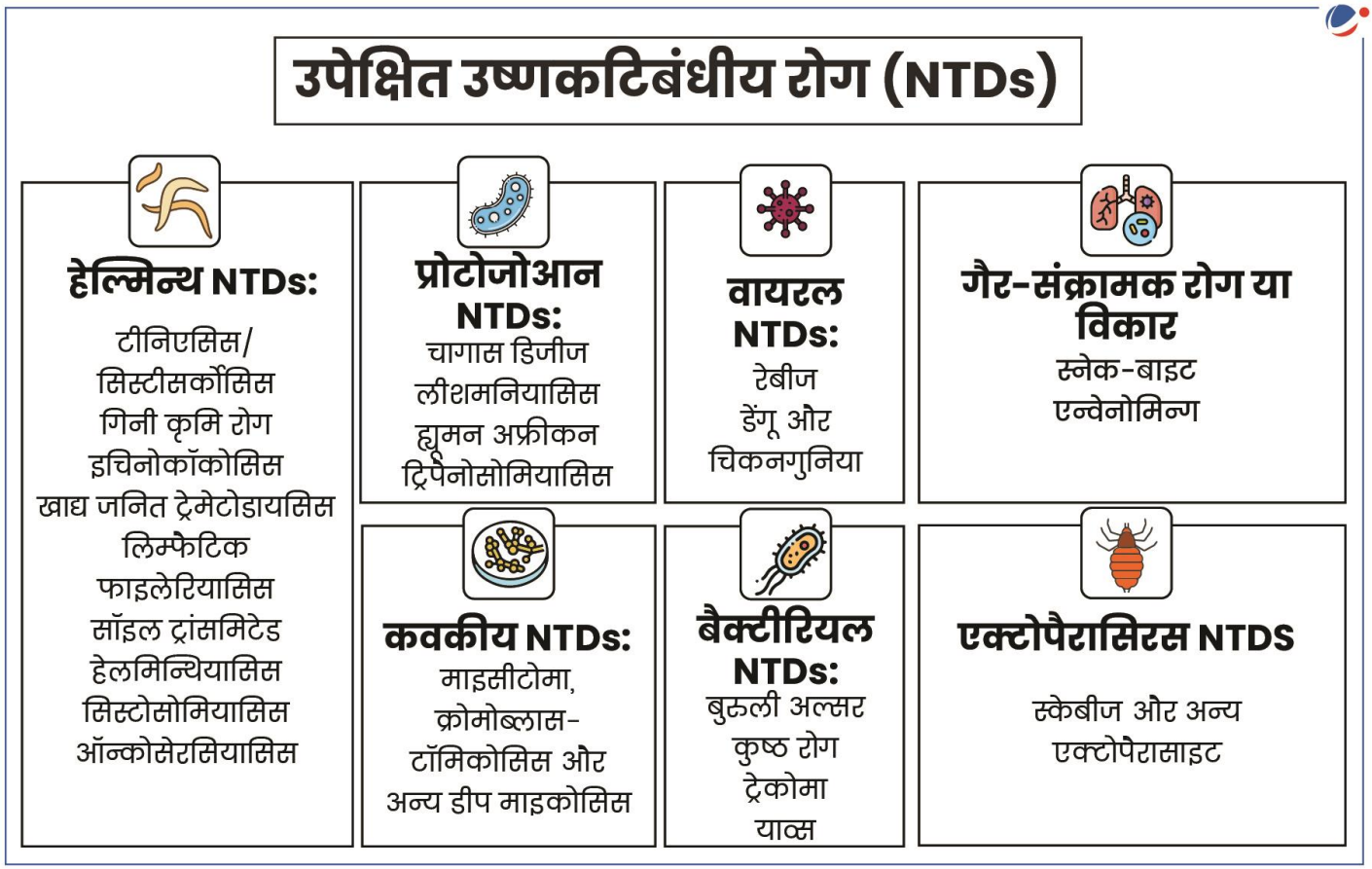

NTDs से निपटने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर:

- **ग्लोबल NTDs एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म (GNARF):** इसे 2023 में WHO द्वारा शुरू किया गया था। यह वैश्विक NTDs कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मानक दस्तावेज है।
- **ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पांस 2017-2030 (GVCR):** यह दुनिया भर में वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति प्रदान करता है। इसके लिए क्षमता में वृद्धि, निगरानी में सुधार, बेहतर समन्वय और विभिन्न क्षेत्रों तथा बीमारियों के संबंध में एकीकृत कार्रवाई की जाती है।

- **अन्य:** NTDs पर किगाली डिक्लेरेशन (2022); NTDs संरचनाओं और क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग को मजबूत करना; सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि।

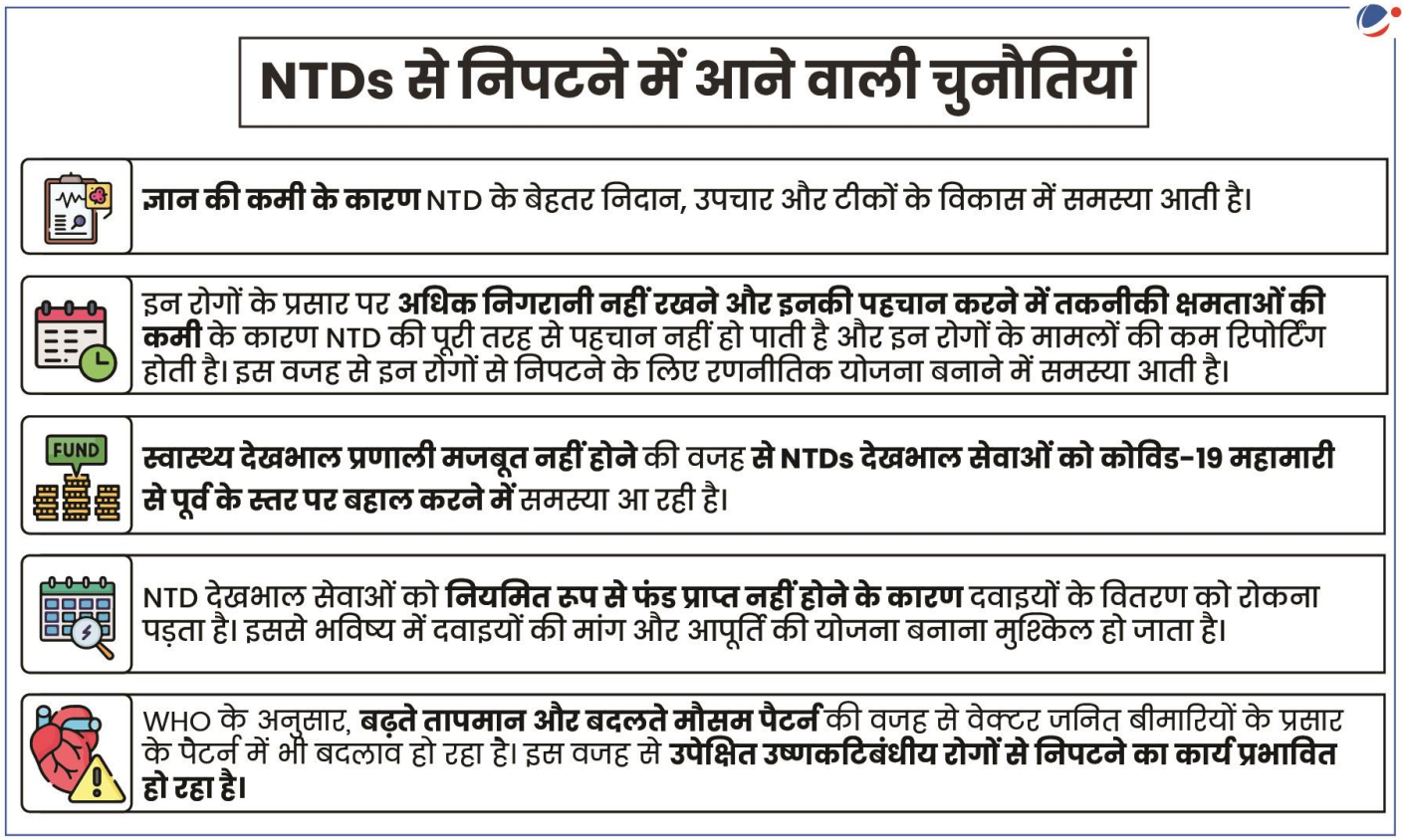

भारत में:

- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** इसे मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लसीका फाइलेरिया जैसी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।
- **अन्य:** इनडोर रेजिड्युअल स्प्रे जैसे वेक्टर नियंत्रण उपाय; केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कालाजार रोगियों के लिए **मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना** आदि।

आगे की राह

- **ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 2024' में प्रस्तुत की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **कार्यक्रम संबंधी कार्रवाई में तेजी लाना (स्तंभ 1):** बीमारी होने की घटनाओं, व्यापकता, रुग्णता, विकलांगता और मृत्यु दर को कम करना चाहिए।
  - **क्रॉस-कटिंग अप्रोच को तेज करना चाहिए (स्तंभ 2):** हस्तक्षेपों को एकीकृत करके, सेवाओं को मुख्यधारा में लाकर और कार्यक्रमों पर समन्वित कार्रवाई करके।
  - **परिचालन मॉडल और संस्कृति में बदलाव करना (स्तंभ 3):** 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंट्री ओनरशिप को बढ़ाते हुए हितधारकों को एक साथ लाना चाहिए।
- **व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में NTDs को एकीकृत करना:** अन्य वैश्विक कार्यक्रमों (जैसे- स्वास्थ्य आपात स्थिति), क्रॉस कटिंग एप्रोच (जैसे- वन हेल्थ) और उभरती वैश्विक प्राथमिकताओं (जैसे- जलवायु परिवर्तन) के साथ NTDs को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल करना चाहिए।

- **क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करना:** यह NTDs को प्रभावी ढंग से समाप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के सबसे अधिक मामले होते हैं। क्षेत्रीय सहयोग की सहायता से इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
- **समग्र बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई:** NTDs को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें पशु चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता, टीकाकरण की उपलब्धता को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा संबंधी उपाय करना, वेक्टर कंट्रोल और प्रभावी संचार रणनीतियां शामिल हैं।
- **मानक और संचालन संबंधी कमियों को समाप्त करना:** इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रोग्राम के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण में लगातार आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
- **वित्त-पोषण में वृद्धि करना:** देशों, संबंधित हितधारकों और निजी क्षेत्रक के मध्य जुड़ाव को मजबूत करते हुए आवश्यक धन की आपूर्ति के लिए संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.5.1. नया CRISPR/Cas9 जीन-एडिटिंग प्लेटफॉर्म (New CRISPR/Cas9 gene-editing Platform)

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने **safeEXO-Cas** नाम से **एक्सोसोम-आधारित प्लेटफ़ॉर्म** का विकास किया है।

- **एक्सोसोम** प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली **पुटिकाएं (Vesicles)** हैं। इन पुटिकाओं में आवश्यक बदलाव करके इनका इस्तेमाल इन-विट्रो और इन-विवो जीन एडिटिंग हेतु **ड्रग डिलीवरी वाहक के रूप में** किया जा सकता है। **safeEXO-Cas** निर्धारित कोशिकाओं तक **CRISPR/ Cas9** जीनोम एडिटिंग के घटकों की टार्गेटेड डिलीवरी को और बेहतर बनाएगा।
- इससे **प्रिसिजन मेडिसिन** का विकास करने में मदद मिलेगी और कैंसर के उपचार में सुधार होगा।
    - **प्रिसिजन मेडिसिन:** इसे **पर्सनलाइज्ड मेडिसिन** के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार उसके लिए चिकित्सा उपचार को तैयार किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीन, एनवायरमेंट और जीवनशैली को ध्यान में रखकर रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए अधिक सटीक एवं प्रभावी रणनीति बनाना संभव हो जाता है।

CRISPR/ Cas9 तकनीक के बारे में

- 'CRISPR-Cas9' **क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन 9** का संक्षिप्त रूप है। यह **जीनोम एडिटिंग** तकनीक का एक प्रकार है।
    - इसका उपयोग **DNA अनुक्रमण** में निर्धारित स्थानों पर आनुवंशिक कोड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) को बदलने के लिए किया जाता है।
- **कार्यप्रणाली:**
    - यह DNA स्ट्रैंड पर **कट और पेस्ट मैकेनिज्म के रूप में काम** करता है। इसके तहत पहले जिस आनुवंशिक कोड को बदलना है उसका निर्धारण किया जाता है।
    - **Cas9 प्रोटीन** का उपयोग आणविक कैंची के एक युग्म के रूप में **DNA स्ट्रैंड से निर्धारित भाग या खंड को काटने के लिए** किया जाता है। इससे जीनोम में आवश्यक बदलाव करना आसान हो जाता है।
- **CRISPR के उपयोग:**
    - मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग के लिए;
    - फसलों के आनुवंशिक कोड को बदलकर प्रतिकूल दशाओं को सहने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाने में;
    - सिकल सेल रोग जैसी बीमारियों का इलाज करने में।

7.5.2. भारत में डीपटेक स्टार्ट-अप्स (DeepTech startups in India)

नैसकॉम (NASSCOM) ने 'इंडियाज डीपटेक डॉन: फोर्जिंग अहेड' रिपोर्ट जारी की

नैसकॉम की इस रिपोर्ट में **डीपटेक स्टार्ट-अप्स** को अन्य टेक स्टार्ट-अप्स से अलग बनाने वाले पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- भारत **डीपटेक स्टार्ट-अप्स की संख्या** के मामले में **विश्व में तीसरे स्थान पर** है। इसके बावजूद, भारत **विश्व के शीर्ष 9 डीपटेक इकोसिस्टम में छठवें स्थान पर** है।
- भारत में, वर्तमान समय में **3,600 से अधिक डीपटेक स्टार्ट-अप्स** हैं।
- भारतीय **डीपटेक स्टार्ट-अप्स** ने पिछले 5 वर्षों (2023-2019) में **कुल 10 बिलियन डॉलर जुटाए** हैं।

- हालांकि, 2022 की तुलना में **2023 में फंडिंग जुटाने में 77% की कमी** दर्ज की गई।

डीपटेक स्टार्टअप्स के बारे में:

- **डीपटेक स्टार्ट-अप्स** जटिल **समस्याओं के समाधान हेतु नए तरीके पेश करते हैं।** इसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)/ वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी **एडवांस तकनीकों को अलग-अलग या एक साथ इस्तेमाल करते हैं।** इसके परिणामस्वरूप ये **बाजार में नए और इनोवेटिव उत्पाद या समाधान लेकर आते हैं।** डीपटेक स्टार्ट-अप्स के कुछ उदाहरणों में **अग्निकुल, गैलेक्सीआई (GalaxyEye), सर्वम एआई (Sarvam AI),** आदि शामिल हैं।
- डीपटेक स्टार्ट-अप्स के विकास में **काफी समय और धन का व्यय होता है।**
- **डीपटेक स्टार्ट-अप्स के लिए संभावित क्षेत्र:** इनकी मदद से स्वास्थ्य सेवा (AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स और सटीक चिकित्सा), कृषि (एग्रीबॉट्स और ऑटोमेशन) जैसे क्षेत्रकों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

प्रमुख चुनौतियां:

- व्यवसायीकरण से पहले के चरण के दौरान, आवश्यक अवसंरचना की कमी देखने को मिलती है।
- इनमें **व्यावसायिक संचालन और बाजार की गतिशीलता** की समझ का अभाव रहता है।
- बेहतर और प्रतिभाशाली श्रमबल को आकर्षित करने के लिए बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

डीपटेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम

- डीपटेक स्टार्ट-अप्स के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ **को-इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम** शुरू करना चाहिए।
- **सरकार द्वारा समर्थित उपायों** को लागू करना चाहिए।
- **उद्यमों को डीपटेक स्टार्ट-अप्स से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म** की सुविधा प्रदान करना।
- डीपटेक पर केन्द्रित **कौशल विकास कार्यक्रम** शुरू करना चाहिए।
- प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए **विनियामक सैंडबॉक्स** तक पहुंच/ अनुदान प्रदान करना।
- व्यावसायीकरण के लिए **लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।**

7.5.3. अल्फ़ाफोल्ड-3 (AlphaFold-3)

गूगल डीपमाइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने "अल्फाफोल्ड-3" नामक एक नया AI मॉडल विकसित किया है। यह **प्रोटीन, DNA, RNA, लिगैंड्स** आदि की संरचना और उनके मध्य परस्पर क्रिया को प्रिडिक्ट कर सकता है।

अल्फाफोल्ड-3 के बारे में

- यह काफी सटीकता और तेज गति के साथ जीवन से संबंधित सभी अणुओं की संरचना और उनके मध्य परस्पर क्रियाओं को प्रिडिक्ट या उनका पूर्वानुमान लगा सकता है।
- यह इनपुट के रूप में अणुओं (प्रोटीन, DNA आदि) के आधार पर उनकी संयुक्त 3D संरचना क्रिएट करता है, तथा यह बताता है कि वे सभी एक साथ कैसे व्यवस्थित रूप से मौजूद होते हैं।

यह कोशिकाओं की सुगम कार्यप्रणाली को रेग्युलेट करने वाले अणुओं के **केमिकल मॉडिफिकेशन का मॉडल** बना सकता है। गौरतलब है कि कोशिकाओं की सुगम कार्यप्रणाली बाधित होने से रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

7.5.4. खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां (Nuclear Technologies for Food Safety)

FAO के अनुसार, खाद्य संरक्षा (फूड सेफ्टी) के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण उपकरण हैं

- हाल ही में, **ऑस्ट्रिया के विएना** में खाद्य संरक्षा और नियंत्रण पर **अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी** आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में **खाद्य संरक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका** को रेखांकित किया गया है।
- इस संगोष्ठी का आयोजन **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** ने संयुक्त रूप से किया था।

परमाणु प्रौद्योगिकियां भूखमरी से निपटने, कुपोषण को कम करने, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ाने आदि के लिए समाधान प्रदान करती हैं।

- इसके अलावा, ये प्रौद्योगिकियां **वन हेल्थ एप्रोच** की भी पूरक हैं।
  - **वन हेल्थ एक एकीकृत व समेकित** एप्रोच है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों एवं पारिस्थितिकी-तंत्र के स्वास्थ्य को संधारणीय तरीके से संतुलित और अनुकूलित करना है।

खाद्य प्रणाली में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका

- **पशु स्वास्थ्य: पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) टेस्ट** तेजी से बीमारियों का पता लगाएगी। **PCR टेस्ट** एक आणविक परमाणु तकनीक है।
- **मृदा और जल प्रबंधन:** वैज्ञानिक परमाणु घटनाओं के बाद **शेष बचे रेडियोधर्मी न्यूक्लाइड का अध्ययन करके मृदा स्वास्थ्य और अपरदन की दर** का पता लगा सकते हैं।
- **कीटनाशक प्रबंधन:** कीटनाशक प्रबंधन के लिए परमाणु आधारित **स्टेराइल इन्सेक्ट टेक्निक (SIT) का उपयोग** किया जा सकता है।
  - इस तकनीक में **कीड़ों को बड़े पैमाने पर पाला** जाता है और फिर उन्हें **आयनीकृत विकिरण के माध्यम से स्टरलाइज** करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है।
- **खाद्य संरक्षा और नियंत्रण: खाद्य विकिरण** (Food irradiation) खाद्य संरक्षा में सुधार करता है। यह हानिकारक सूक्ष्मजीवों एवं कीड़ों को कम या समाप्त करके **खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ** को बढ़ाता है।
  - **खाद्य विकिरण तकनीक के तहत खाद्य पदार्थों को आयनीकृत विकिरण के प्रभाव** से गुजारा जाता है।
- **पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी:** विकिरण द्वारा वांछित आनुवंशिक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

7.5.5. दक्ष परियोजना (Daksha Project)

IIT-बॉम्बे दक्ष परियोजना टीम का नेतृत्व कर रहा है।

- दक्ष परियोजना में शामिल अन्य सहयोगी संस्थान हैं- **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) आदि।**

दक्ष (Daksha) परियोजना के बारे में

- इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत **हाई-एनर्जी वाले दो स्पेस टेलीस्कोप** बनाने की योजना है। ये टेलीस्कोप **खगोलीय विस्फोटक घटनाओं के स्रोतों का अध्ययन** करेंगे।

- इनमें से प्रत्येक टेलीस्कोप में **लो-एनर्जी से लेकर हाई रेंज एनर्जी बैंड** को दर्ज करने के लिए **तीन प्रकार के सेंसर** लगे होंगे।

- **उद्देश्य**
  - **गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोतों** के हाई-एनर्जी समकक्षों या स्रोतों का पता लगाना, उनकी अवस्थिति निर्धारित करना और उनकी विशेषताएं बताना।
  - **गामा रे बर्स्ट (GRB) के आंशिक संकेत** का भी पता लगाना और उसका अध्ययन करना।
    - **गामा रे बर्स्ट** वास्तव में अंतरिक्ष में **प्रकाश के क्षणिक विस्फोट** हैं। ये **प्रकाश के सबसे ऊर्जावान रूप** हैं।

- **दक्ष परियोजना का महत्त्व**
  - इन दो टेलीस्कोप्स को पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में स्थित कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। इससे **मौजूदा मिशनों की तुलना में बेहतर तरीके से विस्फोटक घटनाओं को दर्ज** किया जा सकेगा।
  - ये **न्यूट्रॉन तारों के विलय** या अन्य कारणों से होने वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रबल उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाएंगे।
    - न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं, जब किसी **विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है** और वह नष्ट हो जाता है।
  - **प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स (PBH) मास विंडो** की पहली बार पुष्टि की जा सकती है।
    - PBH ऐसे ब्लैक होल्स हैं, जो **ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद पहले सेकंड** में बने थे।

7.5.6. तृष्णा: इंडो-फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन (TRISHNA: Indo-French Thermal Imaging Mission)

तृष्णा/ TRISHNA से आशय है- **थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट।** यह मिशन **इसरो और CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) के बीच सहयोग आधारित** पहल है। इसका लक्ष्य **क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर भू-सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी** करना है।

तृष्णा/TRISHNA मिशन के बारे में

- **उद्देश्य: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-**
  - स्थलीय जल संकट और जल उपयोग की मात्रा का पता लगाने के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा व जल बजट की विस्तृत निगरानी करना।
  - जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का **हाई-रिज़ॉल्यूशन आधारित पर्यवेक्षण** प्रदान करना।
  - यह मिशन **अर्बन हीट आइलैंड्स** के व्यापक आकलन तथा ज्वालामुखी गतिविधियों और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी **तापीय विसंगतियों (Thermal anomalies)** का पता लगाने में भी मदद करेगा।
- **इसके दो प्राथमिक पेलोड्स हैं:**
  - **थर्मल इंफ्रारेड (TIR) पेलोड:** इसे CNES प्रदान करेगा। इसमें चार चैनल वाले लॉन्ग-वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर्स लगे होंगे।
  - **विजिबल नियर इंफ्रारेड-शॉर्ट वेव इंफ्रारेड (VNIR-SWIR) पेलोड:** इसका निर्माण इसरो करेगा। यह सात स्पेक्ट्रल बैंड से युक्त होगा। इसे पृथ्वी से परावर्तन की विस्तृत मैपिंग के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
- इस मिशन को **सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (Sun-synchronous orbit: SSO)** में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन **पांच साल तक सेवा** प्रदान करेगा।
  - **सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा** एक विशेष प्रकार की **ध्रुवीय कक्षा** है। इसमें उपग्रह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करते हुए सूर्य समकालिक अवस्था में होते हैं। इसका अर्थ है कि उपग्रह हर दिन एक नियत समय पर एक निश्चित जगह से गुजरेगा।
- **मिशन का महत्त्व:**
  - यह **सूखा, पर्माफ्रॉस्ट में परिवर्तन और वाष्पोत्सर्जन दर** जैसी जलवायु निगरानी में मदद करेगा;
  - यह विस्तृत **अर्बन हीट आइलैंड्स मानचित्र और हीट अलर्ट से युक्त बेहतर शहरी नियोजन** में मदद करेगा आदि।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग

- **भारत-फ्रांस सहयोग:** इसमें सामरिक अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन, रक्षा अंतरिक्ष सहयोग पर आशय-पत्र पर हस्ताक्षर, अंतरिक्ष क्षेत्रक पर सूचना का आदान-प्रदान तथा रक्षा अंतरिक्ष औद्योगिक सहयोग आदि शामिल हैं।
- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग:** इसमें द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट (2022), नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) मिशन आदि शामिल हैं।
- **अन्य देशों के साथ सहयोग: भारत और जापान** के बीच लूनर-पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन; **भारत के 6 पड़ोसियों के बीच** संचार को बढ़ावा देने और आपदा कार्रवाई में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह (SAS) का प्रक्षेपण, आदि।

7.5.7. अर्थकेयर मिशन (Earthcare Mission)

- अर्थकेयर मिशन **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JXA)** के बीच एक संयुक्त वेंचर है।

- **उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य **बादलों, एरोसोल और विकिरण के बीच जटिल परस्पर अभिक्रिया का समग्र विवरण** प्रदान करना है। इससे **जलवायु संकट के दौरान पृथ्वी के विकिरण संतुलन में नई अंतर्दृष्टि** प्राप्त होगी।
  - पृथ्वी का विकिरण संतुलन (radiation balance) वास्तव में पृथ्वी पर आने वाले और अंतरिक्ष में वापस जाने वाले विकिरण घटकों का लेखा-जोखा है।
- **कक्षा में स्थापित:** सूर्य-तुल्यकालिक (Sun-synchronous)।
- **अर्थकेयर में लगे हुए उपकरण:** एटमॉस्फेरिक लिडार, क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर (MSI) और ब्रॉडबैंड रेडियोमीटर।

बादलों, एरोसोल और पृथ्वी के विकिरण संतुलन के बीच संबंध:

- **बादल:** एरोसोल के साथ मिलकर बादल **पृथ्वी के हीट बजट में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
  - वे सूर्य से आने वाली **किरणों को परावर्तित करके या पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की सतह को ठंडा या गर्म** कर सकते हैं।
  - पृथ्वी पर **बादलों द्वारा उष्णता और शीतलन प्रभाव** की सीमा बादलों के **आकार, उनकी अवस्थिति, ऊंचाई, उनमें जल की मात्रा और कणों के आकार पर निर्भर** करती है।
- **एरोसोल:** ये **धूल और प्रदूषक** जैसे छोटे कण होते हैं, जो **वायुमंडल में निलंबित** अवस्था में रहते हैं।
  - सीधे तौर पर वे **सौर विकिरण को परावर्तित और अवशोषित** करते हैं तथा **पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले विकिरण** को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं।
  - अप्रत्यक्ष रूप से वे **बादलों के निर्माण के लिए केंद्रक के रूप में कार्य** करते हैं, जिसका जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
  - औद्योगीकरण, कृषि जैसी मानव-जनित गतिविधियां **वायुमंडलीय एरोसोल सांद्रता में व्यापक बदलाव** कर देती हैं। इससे **क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न प्रभावित** होते हैं।

7.5.8. सिम्बिओटिक सिस्टम (Symbiotic System)

नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा में **सिम्बिओटिक सिस्टम एचएम सैजीटा (HM Sagittae: HM Sge) का पर्यवेक्षण** किया।

सिम्बिओटिक सिस्टम के बारे में:

- यह एक प्रकार का **बाइनरी स्टार सिस्टम** है। इसमें एक श्वेत वामन तारा और एक लाल दानव तारा शामिल होते हैं।
  - जब किसी तारे का **नाभिकीय ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह श्वेत वामन तारा** (White dwarf) बन जाता है।
  - **लाल दानव तारा** तारकीय विकास के अंतिम चरण में एक **मरता हुआ तारा** है।
- सिम्बिओटिक सिस्टम में, **ठंडे लाल दानव तारे से पदार्थ तारकीय पवन (उत्सर्जित कणों का तीव्र प्रवाह) के माध्यम से गर्म सघन वामन तारे की ओर प्रवाहित** होता है।
  - यह स्थानांतरित होता पदार्थ श्वेत वामन के चारों ओर घूमती हुई विस्तारित डिस्क या चक्रिका बनाता है।

7.5.9. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 में संशोधन {Amendments to International Health Regulations (IHR)}

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA)** की 77वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में, **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005** में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनाया गया है।

- साथ ही, 2021 में गठित **अंतर-सरकारी वार्ता निकाय** के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है, ताकि वह सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सके। इस निकाय को **एक वर्ष के भीतर महामारी समझौते पर विचार-विमर्श का कार्य पूरा** करना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के बारे में

- **1951** में स्थापित **अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम** की जगह **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम लागू की गई** है।
- **उद्देश्य:** यह एक **व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क** है। यह देशों की सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रभावों से निपटने में देशों के **अधिकारों एवं दायित्वों** को स्पष्ट करता है।
- **सदस्य:** इसमें WHO के सभी **194 सदस्य** देश तथा **लिकटेंस्टाइन** और **द होली सी** शामिल हैं।
- **संशोधन की आवश्यकता क्यों है:** विगत वर्षों में इबोला वायरस से लेकर कोविड-19 जैसी महामारियों से प्राप्त अनुभवों के कारण दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है।

प्रमुख संशोधनों पर एक नज़र

- इसके तहत **महामारी आपातकाल (Pandemic Emergency)** को एक ऐसे **संक्रामक रोग** के रूप में परिभाषित किया गया है, जो **"व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित"** है या जिसका जोखिम बहुत अधिक है। साथ ही, इतना संक्रामक हो गया है या हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता उस पर अप्रभावी हो गई है या हो सकती है।

- इसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को महत्त्व देने के लिए एक **समन्वयकारी वित्तीय तंत्र** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR)** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक **राज्य (देश) पक्षकार समिति** के गठन का प्रावधान किया गया है।
- अलग-अलग देशों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए **राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण** के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

7.5.10. WHO ने पहला निवेश राउंड शुरू किया (WHO Launches its First Investment Round)

पहले निवेश राउंड की शुरुआत **77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)** में की गई है।

- विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली एक संस्था है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम थी: **ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल।**
- **'हेल्थ फॉर ऑल'** एक अवधारणा के रूप में **WHO के अल्मा-अता घोषणा-पत्र (1978)** से विकसित हुई है। इस अवधारणा का उद्देश्य **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** को बढ़ावा देना है।

निवेश राउंड का उद्देश्य **अगले 4 वर्षों (2025-2028) के लिए WHO के मुख्य कार्यों हेतु संसाधन जुटाना** है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

- इसके तहत, **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 7 बिलियन डॉलर** की राशि जुटाई जाएगी।

WHO के वित्त-पोषण के स्रोत

- WHO को **दो मुख्य स्रोतों से वित्त-पोषण** प्राप्त होता है:
  - **मूल्यांकित अंशदान (Assessed contributions):** यह WHO का सदस्य होने के नाते देशों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंशदान है।
    - यह अंशदान **सदस्य देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत** होता है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहमति दी जाती है। इसे **हर दो साल में** मंजूरी दी जाती है।
  - **स्वैच्छिक योगदान:** ऐसे योगदान सदस्यों या अन्य भागीदारों से प्राप्त होता है। यह WHO के संपूर्ण वित्त-पोषण का प्रमुख स्रोत है।
    - इसे **कोर स्वैच्छिक योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान** आदि में वर्गीकृत किया गया है।

WHO के वित्त-पोषण में चुनौतियां:

- मूल्यांकित अंशदान WHO के कुल बजट के केवल **20% को ही वित्त-पोषित** करता है।
- कई देश अंशदान देने की अपनी प्रतिबद्धता नहीं निभाते हैं। जैसे- कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO को दी जा रही फंडिंग निलंबित कर दी थी।

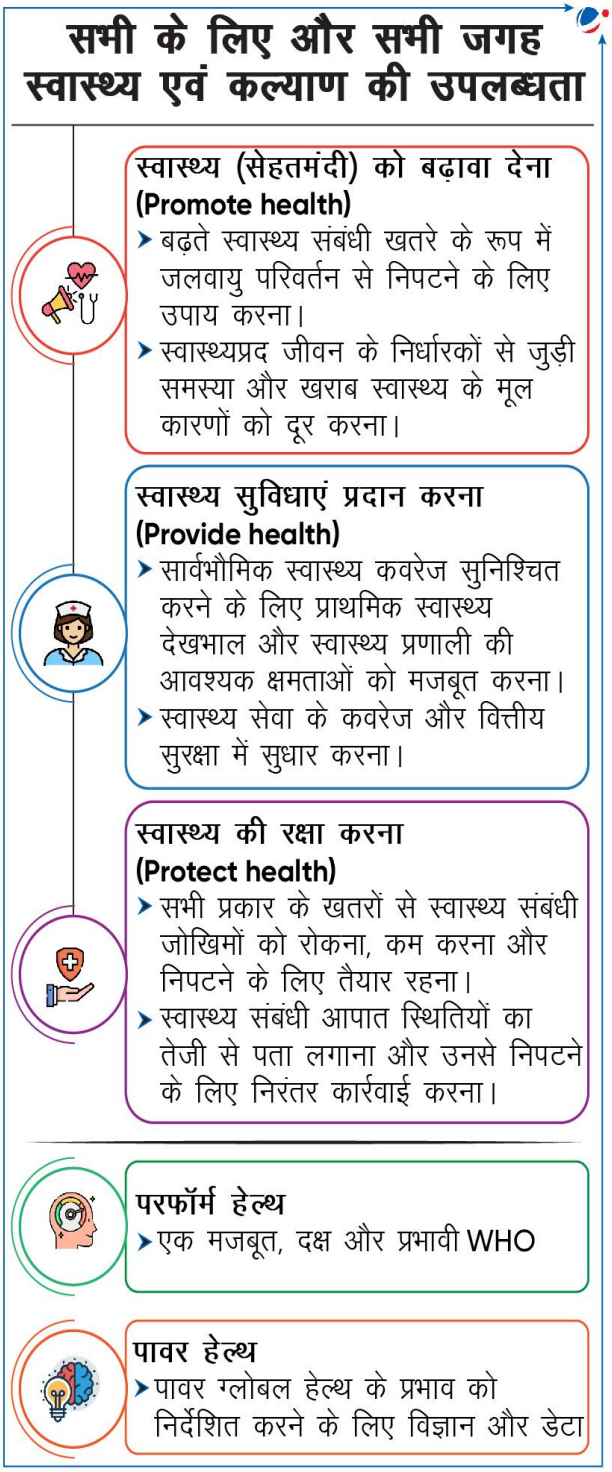

7.5.11. बायोफार्मास्युटिकल एलायंस (Bio-pharmaceutical Alliance)

भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी से प्राप्त अनुभव से सीखते हुए **बायोफार्मास्युटिकल एलायंस** की शुरुआत की है।

- **बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान बायोफार्मास्युटिकल एलायंस** की प्रथम बैठक में इसके गठन की घोषणा की गई है।

एलायंस का महत्त्व

- यह फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रक में भरोसेमंद, सतत और लचीली **आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण** करेगा। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि आवश्यक कच्चे माल और सामग्री के उत्पादन पर कुछ ही देशों का वर्चस्व है।
- यह सदस्य देशों के बीच **जैव-फार्मा नीतियों, विनियमों और अनुसंधान एवं विकास सहायता उपायों में समन्वय** स्थापित करेगा।

7.5.12. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन (Recombinant Proteins)

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है।

रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है?

- ये **रिकॉम्बिनेंट डीएनए (rDNA) द्वारा एन्कोड किए गए संशोधित या हेरफेर किए गए प्रोटीन हैं।** इनका उपयोग **प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाने, जीन अनुक्रमों को संशोधित करने और उपयोगी वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण** के लिए किया जाता है।
  - **rDNA कृत्रिम रूप से बनाया गया डीएनए स्ट्रैंड** है। यह दो या दो से अधिक **डीएनए अणुओं के संयोजन** से बनता है।
  - rDNA तकनीक का उपयोग **अलग-अलग प्रजातियों के डीएनए को संयोजित (या जोड़ने) या स्थानांतरित करने या नए कार्यों वाले जीन्स बनाने** के लिए किया जा सकता है।

रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन

- रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन **बड़े बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया, वायरस या स्तनधारी जीवों की संशोधित कोशिकाओं को विकसित** करके किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में शामिल हैं: **वैक्सीन एंटीजन, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज** आदि।
  - इस प्रोटीन के उत्पादन में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूक्ष्मजीव **यीस्ट पिचिया पास्टोरिस** है। इसे अब **कोमागाटेला फाफी** भी कहा जाता है। यह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए **मेथनॉल** का उपयोग करता है।
  - हालांकि, **मेथनॉल अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक** होता है। इसके लिए सख्त सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होती है।
- इस कारण शोधकर्ताओं ने अब एक **वैकल्पिक सुरक्षित उत्पादन प्रक्रिया विकसित** की है। यह प्रक्रिया **मोनो-सोडियम ग्लूटामेट (MSG) नामक एक सामान्य खाद्य योजक** (Food additive) पर निर्भर करती है।
- **एस्चेरिकिया कोलाइ (ई. कोलाइ)** के आनुवंशिकी लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से पता होने, उसके तेजी से विकास करने और उच्च उत्पादन करने जैसे गुणों के कारण **रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन** उत्पादन के लिए पसंदीदा सूक्ष्मजीवों में से एक है।

7.5.13. जंपिंग जींस (Jumping Genes)

केरल की एक नई पादप प्रजाति **(स्टेलेरिया मैक्किंटॉकिया)** का नाम **बारबरा मैक्किंटॉक** के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि मैक्किंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज के लिए **नोबेल पुरस्कार** जीता था।

जंपिंग जीन के बारे में

- **जंपिंग जीन अर्थात ट्रांसपोज़ेबल तत्व,** डीएनए अनुक्रम होते हैं। ये **जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या "कूद"** सकते हैं। इससे आस-पास के जीन **सक्रिय या निष्क्रिय** हो जाते हैं।

- ये स्वयं की **प्रतिकृति** बना सकते हैं और नए स्थानों पर प्रतियाँ समाविष्ट कर सकते हैं।
- इनकी गतिविधि **आनुवंशिक उत्परिवर्तन** (Genetic mutations) का कारण बन सकती है और **जीनोम विकास** में योगदान कर सकती है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

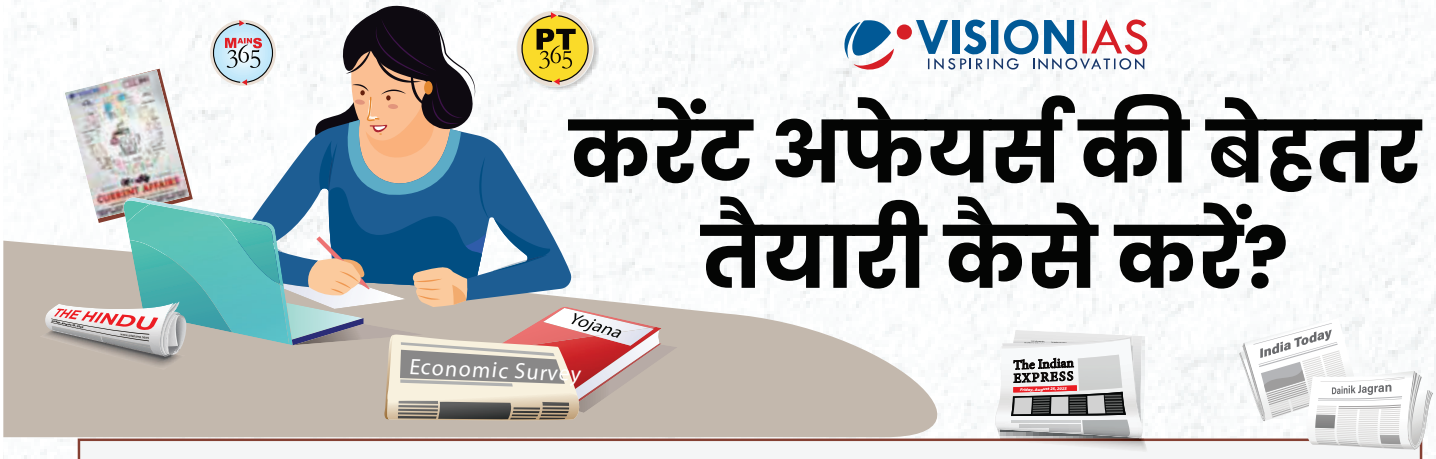

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

8. संस्कृति (Culture)

8.1. देवी अहिल्याबाई होल्कर (Devi Ahilyabai Holkar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 31 मई, 2024 को मालवा राज्य की **होल्कर रानी देवी अहिल्याबाई को उनके 299वें जन्मदिवस** पर याद किया गया।

देवी अहिल्याबाई होल्कर (1725 -1795) के बारे में

- **जन्म:** उनका जन्म **1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंडी गाँव** में हुआ था।
- **पिता का नाम:** मनकोजी राव शिंदे।
- **पति का नाम:** खंडेराव होल्कर।
- **ससुर का नाम:** मल्हार राव होल्कर (होल्कर वंश के संस्थापक)।
  - वे **पेशवा बाजी राव** के एक अधिकारी थे। उन्हें **चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लिए मालवा में तैनात** किया गया था।
- **मालवा की रानी:** वे अपने पति की मृत्यु के बाद मालवा की शासिका बनी थी। उनके पति **1754 में कुंभेर के युद्ध** में मारे गए थे।
  - उन्होंने अपने दत्तक पुत्र **तुकोजी राव होल्कर** को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था।
  - उन्होंने **मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को होल्कर वंश की राजधानी** के रूप में स्थापित किया था।

प्रमुख योगदान

- **मंदिरों का पुनर्निर्माण:** उन्होंने प्रसिद्ध **सोमनाथ मंदिर** (भगवान शिव को समर्पित) का पुनर्निर्माण करवाया था और उसके संरक्षण के लिए कार्य किया था। इसके अलावा, उन्होंने **काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर** आदि मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया था।
  - उन्होंने **उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर** का भी पुनर्निर्माण करवाया था। यह मंदिर पवित्र **गंगा नदी के पश्चिमी तट** पर स्थित है और यह भी शिव के **बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक** है।
  - अरब सागर के किनारे गुजरात तट पर स्थित **सोमनाथ मंदिर को पहला ज्योतिर्लिंग** माना जाता है।
    - सोमनाथ मंदिर पर **महमूद गजनवी** (1024 ई.) ने हमला किया था। इसके बाद इस पर **दिल्ली के सुल्तानों** (1297 ई. और 1394 ई.) तथा **औरंगजेब** (1706 ई.) ने भी हमला किया था।
- **कला को संरक्षण:** उन्होंने **संस्कृत विद्वान खुशाली राम और मराठी कवि मोरोपंत तथा शाहीर अनंतफंदी** को अपने दरबार में संरक्षण दिया था।
  - **मोरोपंत:** उन्होंने 'रामायण और महाभारत पर राजनीतिक टीका', 'पुराणों पर आधारित कई आख्यान' तथा 'आर्यभट्ट' और 'केकावती' जैसी रचनाएं लिखीं थी।
  - **शाहीर अनंतफंदी:** वे **लावणी और पोवाडा** की रचना के लिए जाने जाते थे।
- **सामाजिक विकास:** उन्होंने **महिलाओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह** के लिए कार्य किया था तथा सती प्रथा एवं अस्पृश्यता जैसी **कुप्रथाओं का विरोध** किया था।
  - उन्होंने **भील और गोंड जनजातियों** तथा निचली जातियों को भी **मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास** किया था।
- **आर्थिक:** उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू की थी। उनके साम्राज्य में **महेश्वर और इंदौर व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख केंद्र** बन गए थे।
  - उन्होंने **महेश्वर में बुनाई उद्योग** को भी बढ़ावा दिया था।
  - ज्ञातव्य है कि **महेश्वर के "साड़ी और वस्त्र उत्पादों"** को हस्तशिल्प के मामले में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिया गया है।

होल्कर राजवंश के बारे में

- **मराठा संघ:** होल्कर राजवंश मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मराठा संघ, शक्तिशाली मराठा राजवंशों का एक गठबंधन था। इसके अन्य प्रमुख राजवंशों में शामिल थे: **नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया।**

- **तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध:** होल्कर राजवंश के शासक **मल्हार राव द्वितीय (1811 से 1833)** ने तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-1819) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
    - **महिदपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद 1818 में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर** किए गए। इस संधि के तहत **होल्कर और अंग्रेजों के बीच संबंधों को निर्धारित** किया गया था।

8.2. नालंदा विश्वविद्यालय (Nalanda University)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री ने राजगीर (बिहार) में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन** किया है। **नए नालंदा विश्वविद्यालय को "अलग-अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र"** के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

नए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में

- आधुनिक **नालंदा विश्वविद्यालय एक 'नेट जीरो ग्रीन कैंपस'** है। इसमें **कमल सागर तालाब** के रूप में प्रसिद्ध 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला जल निकाय, एक ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र और उन्नत जल उपचार सुविधाएं शामिल हैं।
- यह नया परिसर **प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों** के निकट स्थित है।
    - **कुतुबुद्दीन ऐबक** के एक तुर्की सेनापति **बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट** कर दिया था।
    - 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, **सर फ्रांसिस बुकानन** द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी और इसकी रिपोर्ट तैयार की थी।
    - 20वीं शताब्दी में **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा इसकी व्यवस्थित खुदाई** की गई, जिसके कारण **इसके पुनरुद्धार को लेकर फिर से रुचि जागृत हुई।**
- इस परियोजना में **ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और वियतनाम सहित 17 भागीदार देश** शामिल हैं।

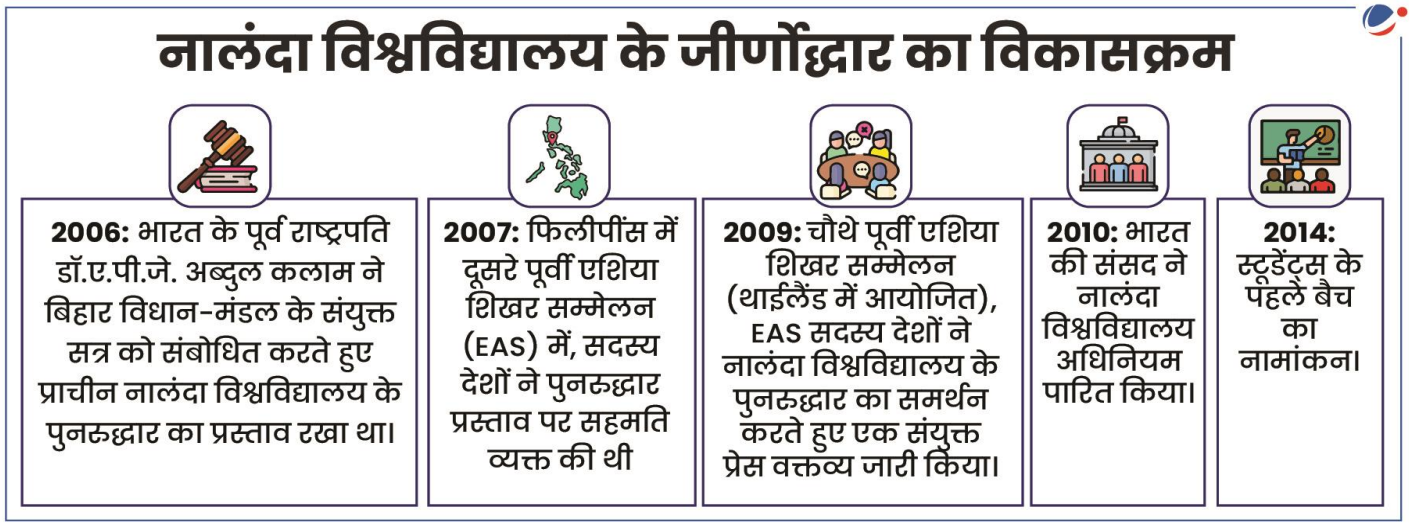

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में

- **विश्व का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय:** इसे 5वीं शताब्दी ई. में **कुमारगुप्त प्रथम** ने निर्मित करवाया था। यह **12वीं शताब्दी ई. तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र** बना रहा था।
- **संरक्षक:** इसे **कन्नौज के राजा हर्षवर्धन (7वीं शताब्दी ई.), पाल शासकों (8वीं-12वीं शताब्दी ई.)** आदि सहित अलग-अलग शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था।
    - ऐसा कहा जाता है कि **सम्राट अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य को चढ़ावा** दिया था और वहां एक मंदिर बनवाया था।
- **महत्वपूर्ण व्यक्तित्व**
    - **पाली** भाषा में रचित **बौद्ध साहित्यों** के अनुसार, **महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा** की थी।

- महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य **सारिपुत्र और मोग्गलान** भी नालंदा से ही थे।
- जैन ग्रंथों के अनुसार **महावीर वर्धमान** ने नालंदा में **चौदह वर्षा ऋतुएँ** बिताई थीं।

- **नालंदा के प्रमुख शिक्षक**
  - **आर्यभट्ट:** प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने **नालंदा में ही अध्ययन और अध्यापन** किया था।
  - **नागार्जुन:** बौद्ध **महायान** शाखा के एक दार्शनिक थे।
  - **दिङ्नाग:** वे **तर्कशास्त्र दर्शन** के संस्थापक थे।
  - **धर्मपाल:** एक **ब्राह्मण** विद्वान थे।
  - **अभयकरगुप्त:** वे एक प्रसिद्ध **तांत्रिक साधक** थे, जो एक साथ **महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला मठों** के मठाधीश रहे थे।
  - **नरोपा:** वे **तिब्बती परंपरा की तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे, और 1049 से 1057 के दौरान नालंदा के मठाधीश** रहे थे।
- **नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री:**
  - नालंदा ने **चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया** के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था।
  - 7वीं शताब्दी ई. में, **चीनी विद्वान इ-त्सिंग और जुआन-जांग (ह्वेनसांग)** नालंदा आए थे। नालंदा को तब **नाला** कहा जाता था।
    - **जुआन-जांग** ने योग के सर्वोच्च प्राधिकारी **कुलपति शीलभद्र** के अधीन नालंदा में **योगशास्त्र का अध्ययन** किया था।
    - जुआन-जांग अपने साथ **सैकड़ों धर्मग्रंथ भी वापस** ले गया था, जिनका बाद में **चीनी भाषा में अनुवाद** किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** नालंदा महाविहार को **2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था।

नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता और पाठ्यक्रम

- नालंदा विश्वविद्यालय ने **विश्व के विविध हिस्सों से विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित** किया था।
- विश्वविद्यालय में **पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश** होता था। इसके लिए **प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा प्रवेश परीक्षाएं** आयोजित की जाती थीं। प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा आयोजित कठोर मौखिक प्रवेश परीक्षा को **उत्तीर्ण न कर पाने वालों को प्रवेश देने से इंकार** कर दिया जाता था।
- हालांकि, नालंदा से **शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कोई डिग्री प्रदान नहीं** की जाती थी और न ही अध्ययन की कोई विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती थी।
- **अध्ययन के ऐसे शिक्षालय** थे, जहां छात्रों को संलाप द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता था, इसके अलावा वाद-विवाद के शिक्षालय भी थे।
- इस विश्वविद्यालय ने **'चर्चा और तर्क के मध्यकालीन केंद्र'** की उपाधि प्राप्त की थी।
- नालंदा में **वेदों, तीन बौद्ध सिद्धांतों (थेरवाद, महायान और वज्रयान), ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला** की शिक्षा दी जाती थी।
- विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप से **"धर्म गुंज" या "सत्य का शिखर"** कहा जाता था। इस 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थीं।

नालंदा की स्थापत्य संबंधी विशेषताएं

- **उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष:** उत्खनन के दौरान कई स्तूप, मठ, छात्रावास, सीढ़ियां, ध्यान कक्ष, व्याख्यान कक्ष और अन्य संरचनाएं प्राप्त की गई हैं।
- **संरचना और निर्माण-योजना:**
  - यह इमारत प्राचीन **कुषाण स्थापत्य शैली** में निर्मित है, जिसमें **एक आंगन के चारों ओर पंक्ति में कक्षों** का निर्माण किया गया है।
  - इसका निर्माण **उत्तर-दक्षिण दिशा में एक अक्षीय योजना** के तहत किया गया था।
  - संरचनात्मक अवशेषों में **विहार** (आवासीय सह शैक्षणिक भवन) और **चैत्य** (उपासना स्थल) शामिल हैं।
  - इसकी अनूठी विशेषताओं में **पंचकोणीय आकृति वाले चैत्यों का उद्भव और उनका मुख्यधारा में आना शामिल है, जो पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले स्तूपों की जगह ले लेते हैं** और स्थानीय बौद्ध मंदिरों को भी प्रभावित करते हैं।

- **स्थापत्यकला संबंधी महत्त्व:**
  - नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित **सबसे पहले नियोजित विश्वविद्यालय** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - इसकी कला स्थानीय प्रथाओं के साथ-साथ उपमहाद्वीप के प्रमुख कला केंद्रों की विशेषताओं को विषयगत और प्रतीकात्मक रूप से आत्मसात करने की प्रक्रिया को दर्शाती है।
  - **नालंदा की स्टुको प्लास्टर विधि** ने थाईलैंड की निर्माण विधियों को प्रभावित किया था। इसकी **धातु कला ने** विद्वानों के जरिए **मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत** को प्रभावित किया था।
  - इसकी स्टुको प्लास्टर विधि तथा पत्थर और धातु कला में **प्रतीकात्मक विशेषताएं भी दिखाई** देती हैं, जो बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव तथा महायान से वज्रयान की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती हैं।

नालंदा महाविहार की मूर्तिकला शैली

- **उत्पत्ति:** स्टुको, पत्थर और कांसे से तैयार की गई नालंदा की मूर्तिकला, **सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला** से विकसित हुई थी।
  - **मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण** आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद से ही देखने को मिलता है।
- **संश्लेषण:** नौवीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला शैली, विहार निर्माण की स्थानीय परंपराओं और मध्य भारतीय शैलियों के मिश्रण ने **मूर्तिकला की विशिष्ट नालंदा शैली** को जन्म दिया।
  - नालंदा में सारनाथ शैली के अनुरूप न होने वाली विविध **ब्राह्मणवादी मूर्तियां** भी पाई गई हैं।

नालंदा मूर्तिकला शैली

- **पाषाण निर्मित**
  - **चेहरे के हाव-भाव की विशेषताएं,** शरीर के गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषताएं।
  - **सटीक तरीके से बनाई गई मूर्तियों** में अस्त-व्यस्त लोगों के चित्रण के सीमित प्रभाव के साथ **लोगों की व्यवस्थित उपस्थिति** का चित्रण किया गया है।
  - मूर्तियां आमतौर पर उभार में सपाट नहीं होती थीं, बल्कि उन्हें **त्रि-आयामी रूपों में चित्रित** किया जाता था।
  - **मूर्तियों के पीछे की पट्टिकाएं विस्तृत और सुन्दर अलंकरण से युक्त** होती थी।
- **धातु निर्मित**
  - **समय अवधि: नालंदा कांस्य कला शैली**, **7वीं और 8वीं शताब्दी** से लेकर लगभग **12वीं शताब्दी के बीच पाल शासकों के युग की धातु की बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा** है।
  - **संश्लेषण:** नालंदा कला की पाषाण से निर्मित मूर्तियों की तरह, **कांस्य निर्मित मूर्तियां भी आरंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्तकालीन कला शैलियों पर बहुत अधिक निर्भर थीं।**
  - **प्रारंभिक चरण:** नालंदा की मूर्तियों में आरंभ में **महायान पंथ के बौद्ध देवताओं जैसे खड़े बुद्ध, मंजुश्री कुमार जैसे बोधिसत्व, कमल पर बैठे अवलोकितेश्वर और नागार्जुन** को दर्शाया जाता था।
  - **उत्तरवर्ती चरण: 11वीं और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में,** जब नालंदा एक महत्वपूर्ण **तांत्रिक केंद्र** के रूप में उभरा, तो इसकी मूर्तिकला शैलियों की सूची में **वज्रयान शाखा से संबंधित देवताओं जैसे वज्र शारदा (सरस्वती का एक रूप) खसर्पण, अवलोकितेश्वर** आदि की मूर्तियों का वर्चस्व स्थापित हो गया।

निष्कर्ष

"नालंदा 21वीं सदी में एशियाई पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसे सभ्यतागत संवाद और अंतर-धार्मिक समझ का केंद्र बनना चाहिए, जैसा कि यह कभी था।" संस्कृतियों और आस्थाओं के बीच एक सेतु के रूप में नालंदा की यह प्रस्तुति हमारी परस्पर जुड़ी हुई लेकिन विभाजित दिखने वाली दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।

अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र

तक्षशिला	• यह वर्तमान **उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान** में स्थित था। इसकी खोज पुरातत्वविद् **अलेक्जेंडर कनिंघम** द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। • **1980** में इसे **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। • यहां पर अध्ययन करने वाले विख्यात शिष्यों में व्याकरणविद **पाणिनि** (अष्टाध्यायी के लेखक), चिकित्सक **जीवक** और शासन कला के कुशल प्रतिपादक **चाणक्य** (अर्थशास्त्र के लेखक) शामिल थे।
विक्रमशिला	• यह **बिहार के भागलपुर** के निकट स्थित है। इसकी स्थापना **पाल वंश के राजा धर्मपाल** ने की थी। • **अतीश दीपांकर** (तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं) और **वसुबंधु** विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे थे।
ओदंतपुरी	• यह भी **बिहार** में ही स्थित है। • यह भारत का **दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय** है। ओदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में **पाल शासक गोपाल-प्रथम** ने की थी। कई **तिब्बती** विद्वानों ने यहां से अध्ययन किया था।
नागार्जुनकोंडा	• यह वर्तमान **आंध्र प्रदेश** में स्थित है। • इसका नाम **महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन** के नाम पर रखा गया था। नागार्जुन को **"शून्यवाद सिद्धांत" का प्रतिपादक** माना जाता है।
अन्य	• **वल्लभी** (गुजरात) • **जगदल** (अब बांग्लादेश में)

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. श्री जगन्नाथ मंदिर (Shree Jagannath Temple)

ओडिशा के **श्री जगन्नाथ मंदिर** के चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं।

श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में

- यह मंदिर **ओडिशा के पुरी** में स्थित है और इसे **व्हाइट पैगोड़ा** भी कहा जाता है।
- यह मंदिर **भगवान जगन्नाथ** (भगवान विष्णु के अवतार), उनकी बहन **देवी सुभद्रा** और बड़े भाई **भगवान बलभद्र** (पवित्र त्रिदेव) को समर्पित है।
- इसका निर्माण **गंग राजवंश के शासक अनंतवर्मन चोडगंग देव** ने करवाया था।
- यह भारत के **चार धामों** में से एक है। **अन्य तीन धाम हैं-** द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम।
- **स्थापत्य कला शैली:** कलिंग स्थापत्य कला।
  - इसके चार घटक या हिस्से हैं- **विमान या देउल (गर्भगृह), जगमोहन, नटमंडप और भोगमंडप।**
  - मंदिर की स्थापत्य शैली **दो प्रकार की मंदिर संरचनाओं का संयोजन है** अर्थात्- **रेखा और पिधा (या पीढ़ा)।**

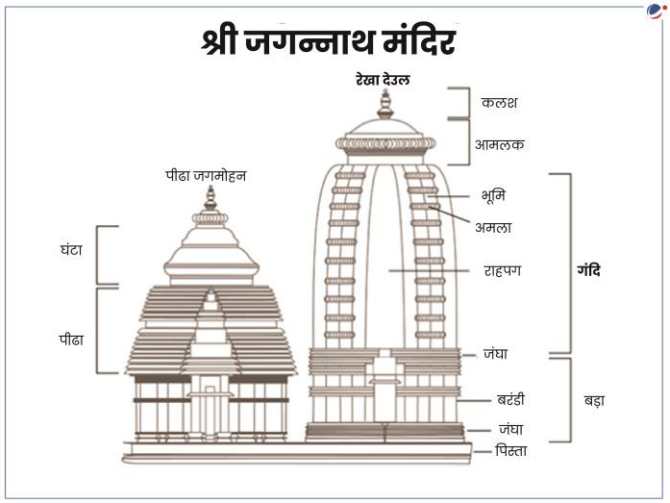

8.3.2. ज्योतिर्मठ या जोशीमठ (Jyotirmath or Joshimath)

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के **चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोश्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम** करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम के नाम पर इस तहसील को यह नाम दिया गया है।

ज्योतिर्मठ के बारे में

- यह **8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य** द्वारा देश भर में स्थापित **चार प्रमुख मठों में से एक** है। आदि शंकराचार्य ने **अद्वैत वेदांत दर्शन** के प्रसार के उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की थी।
- ऐसा माना जाता है कि **आदि शंकराचार्य** ने ज्योतिर्मठ में **अमर कल्पवृक्ष** नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी।
- इस स्थान को **भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन निवास** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह **नंदा देवी चोटी** पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक आधार शिविर है।

8.3.3. स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda)

हाल ही में प्रधान मंत्री ने कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में **विवेकानन्द रॉक मेमोरियल** और इसके नजदीक अवस्थित **शिलाओं पर उत्कीर्ण तिरुवल्लुवर प्रतिमा** स्थल की यात्रा की।

विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में

- इसका निर्माण 1970 में किया गया था। यह माना जाता है कि यह वही जगह है जहां **स्वामी विवेकानंद ने एक बार ध्यान किया था।**
- यह जगह लैकाडिव सागर से घिरी हुई है। यहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं।
- यह भी माना जाता है कि यह वह शिला है जहां **देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना** की थी।

स्वामी विवेकानंद (1863-1902)

- **प्रारंभिक जीवन:**
- **जन्म:** स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था।
- उनकी जयंती को **राष्ट्रीय युवा दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- **अभिभावक**
    - **पिता :** विश्वनाथ दत्त
    - **माता :** भुवनेश्वरी देवी
    - **आध्यात्मिक गुरु:** श्री रामकृष्ण
    - **प्रमुख शिष्या:** मार्गरेट नोबल (सिस्टर निवेदिता)

योगदान और विरासत

- **वेदांत दर्शन का प्रचार:** उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। इसमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों दर्शन सम्मिलित हैं।
- **शिकागो विश्व धर्म संसद:** 1893 में इस धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वे बाद में "ईश्वरीय अधिकार-प्राप्त वक्ता" और "पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत" के रूप में लोकप्रिय हुए।
- **रामकृष्ण मिशन:** इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। यह मिशन कई तरह के सामाजिक कार्यों- अस्पताल, स्कूल, कॉलेज संचालन आदि में संलग्न है।
- **वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना:** 1893 में, शिकागो धर्म संसद में जाते समय, उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई थी। उन्होंने जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। IISC की स्थापना 1909 में बैंगलोर में हुई थी।

8.3.4. बाविकोंडा मठ (Bavikonda Monastery)

हाल के वर्षों में बजट की कमी के चलते, बाविकोंडा स्थल पर रख-रखाव और मरम्मत कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ।

- यह **स्वदेश दर्शन योजना** के तहत 'आंध्र प्रदेश में शालिहुंडम-थोटलकोंडा-बाविकोंडा-बोज्जनकोंडा-अमरावती-अनूपू' **बौद्ध सर्किट का हिस्सा** है।
    - देश में **संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में स्वदेश दर्शन** योजना आरंभ की थी।
- **बाविकोंडा मठ के बारे में**
    - बाविकोंडा **आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम** के पास स्थित है।
    - 'बाविकोंडा' नाम का मतलब **कुओं की पहाड़ी** है। पहले इस स्थान पर कई कुएं थे जहां वर्षा का जल जमा होता था।
    - बाविकोंडा मठ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है।
        - इसमें एक थेरवाद (हीनयान बौद्ध धर्म) बौद्ध परिसर है जिसमें **महास्तूप, आचार्य विहार, चैत्य गृह, बुद्ध पद मंच और मन्नत स्तूप** जैसी संरचनाएं निर्मित हैं।

8.3.5. कोझिकोड: भारत का पहला 'सिटी ऑफ लिटरेचर' (Kozhikode: India's First 'City of Literature')

केरल का कोझिकोड औपचारिक रूप से यूनेस्को की 'सिटी ऑफ लिटरेचर' सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना।

'सिटी ऑफ लिटरेचर' सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल **23 जून को कोझिकोड में 'सिटी ऑफ लिटरेचर' दिवस** मनाने की घोषणा की है।

- गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में, यूनेस्को ने कोझिकोड को **भारत का पहला यूनेस्को 'सिटी ऑफ लिटरेचर'** घोषित किया था। इस शहर को **यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) की साहित्यिक श्रेणी** में रखा गया था।

कोझिकोड के बारे में

- **अवस्थिति:** कोझिकोड या कालीकट शहर **मालाबार तट** पर स्थित है।
    - माना जाता है कि **"कैलिको"** शब्द की उत्पत्ति **कालीकट** से हुई है। **'कैलिको' हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र** को कहा जाता है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) के बारे में

शुरुआत: इसे **2004** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिन्होंने **रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम** बनाया है।

शामिल किए गए शहर: दुनिया भर के **350 शहर** इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।

शहरों को सात रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है:
ये सात श्रेणियां हैं– शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक–कला (गैस्ट्रोनॉमी), साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत।

महत्त्व: UCCN दर्जा प्राप्त होने पर शहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

UCCN में शामिल अन्य भारतीय शहर:
सिटी ऑफ़ म्यूजिक (ग्वालियर, चेन्नई व वाराणसी); **सिटी ऑफ़ फिल्म** (मुंबई); **सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी** (हैदराबाद) तथा **सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स** (जयपुर एवं श्रीनगर)

- **कोझिकोड का इतिहास:**
    - **शासक:** मध्यकाल में इस पर **समूतिरियों यानी जमोरिनों** का शासन था।
    - **मसालों का शहर:** यह शहर **यहूदियों, अरबों, फोनेशियन और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च एवं इलायची** जैसे मसालों के व्यापार में शामिल रहा है।
    - **आने वाले विदेशी यात्री:**

- **रेहला के लेखक इब्नबतूता** ने 14वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी।
- पुर्तगाली नाविक **वास्को डी गामा और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक** ने 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी।

- **कोझिकोड का वर्तमान में महत्त्व:**
  - यह शहर केरल में साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। यहां **500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक** मौजूद हैं।
  - इस शहर में साहित्य के अध्ययन की समृद्ध परंपरा भी मौजूद है।
  - **2012** में इस शहर को **"मूर्तियों का शहर" (शिल्प-नगरम)** का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा इस शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थित विविध स्थापत्य-मूर्तिकलाओं के कारण दिया गया था।

8.3.6. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी {World Craft City (WCC)}

वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने **श्रीनगर को 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी'** के रूप में मान्यता दी है।

- **इस मान्यता से श्रीनगर को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:**
  - हथकरघा और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा;
  - पर्यटन क्षेत्रक को लाभ होगा;
  - अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा;
  - अधिक निवेश और वित्त-पोषण मिलेगा।
- इस काउंसिल की स्थापना **1964** में शिल्पियों को सशक्त बनाने और विश्व स्तर पर शिल्प विरासत की सुरक्षा के लिए की गई थी।

वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (WCC) के बारे में

- वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पहल की शुरुआत **2014 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल-इंटरनेशनल** ने की थी।
- इसका उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, दुनिया भर में **क्राफ्ट सिटीज का एक गतिशील नेटवर्क स्थापित** करना है।
- यह दुनिया भर में **सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय अधिकारियों, शिल्पकारों एवं समुदायों की भूमिका** को मान्यता प्रदान करती है।

8.3.7. यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, 2023 (UNESCO'S Prix Versailles Award)

भारत का **सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय,** 'स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय', **यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय पुरस्कार** के लिए चुना गया।

यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार

- **पुरस्कार के बारे में:** यूनेस्को **2015 से प्रतिवर्ष** यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया जाता है।
- **श्रेणियां:** इस पुरस्कार को **24 वैश्विक टाइटल्स** में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें **हवाई अड्डे, परिसर, यात्री स्टेशन, खेल, संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल और रेस्तरां** शामिल हैं।
- **परियोजना का विनिर्देश:** परियोजनाएं **अभिनव, रचनात्मक, स्थानीय विरासत को दर्शाने वाली, पारिस्थितिक रूप से कुशल** और सामाजिक संपर्क और भागीदारी को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए।
  - पुरस्कार की **आधिकारिक सूची में शामिल स्थापत्य** इंटेलीजेंट सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। साथ ही, ये स्थापत्य परियोजनाएं **पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों** को भी ध्यान में रखती हैं।
- **पुरस्कार का महत्त्व:** पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य **लिविंग परिवेश (Living environment) को खूबसूरत और बेहतर बनाने** की प्राथमिक भूमिका का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।
- **अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय परियोजनाएं:** दिसंबर 2023 में **केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु (कर्नाटक)** को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्साय से सम्मानित किया गया। साथ ही इसे 'दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों' में से एक के रूप में भी नामित किया गया।

स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय के बारे में

- **स्थापना: 2001 के गुजरात भूकंप पीड़ितों की याद में** निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में किया गया था।
  - 2001 के गुजरात में आए **भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 थी,** जिसका **केंद्र भुज** था।
- **स्थान:** यह स्मारक भुजियो डूंगर पहाड़ी (गुजरात) पर स्थित है, जहां पर भुजियो किला भी स्थित है, जिसे रोआ गोडजी ने 1723

में भुज की रक्षा के लिए बनवाया था। किले का नाम भुजंग नाग, सर्प मंदिर के नाम पर रखा गया है।

- **मियावाकी वन:** दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी वनों में से एक वन इस संग्रहालय में स्थित है।
- जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति में तेजी से विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए **आस-पास विभिन्न प्रकार के देशज वृक्ष लगाए जाते हैं।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

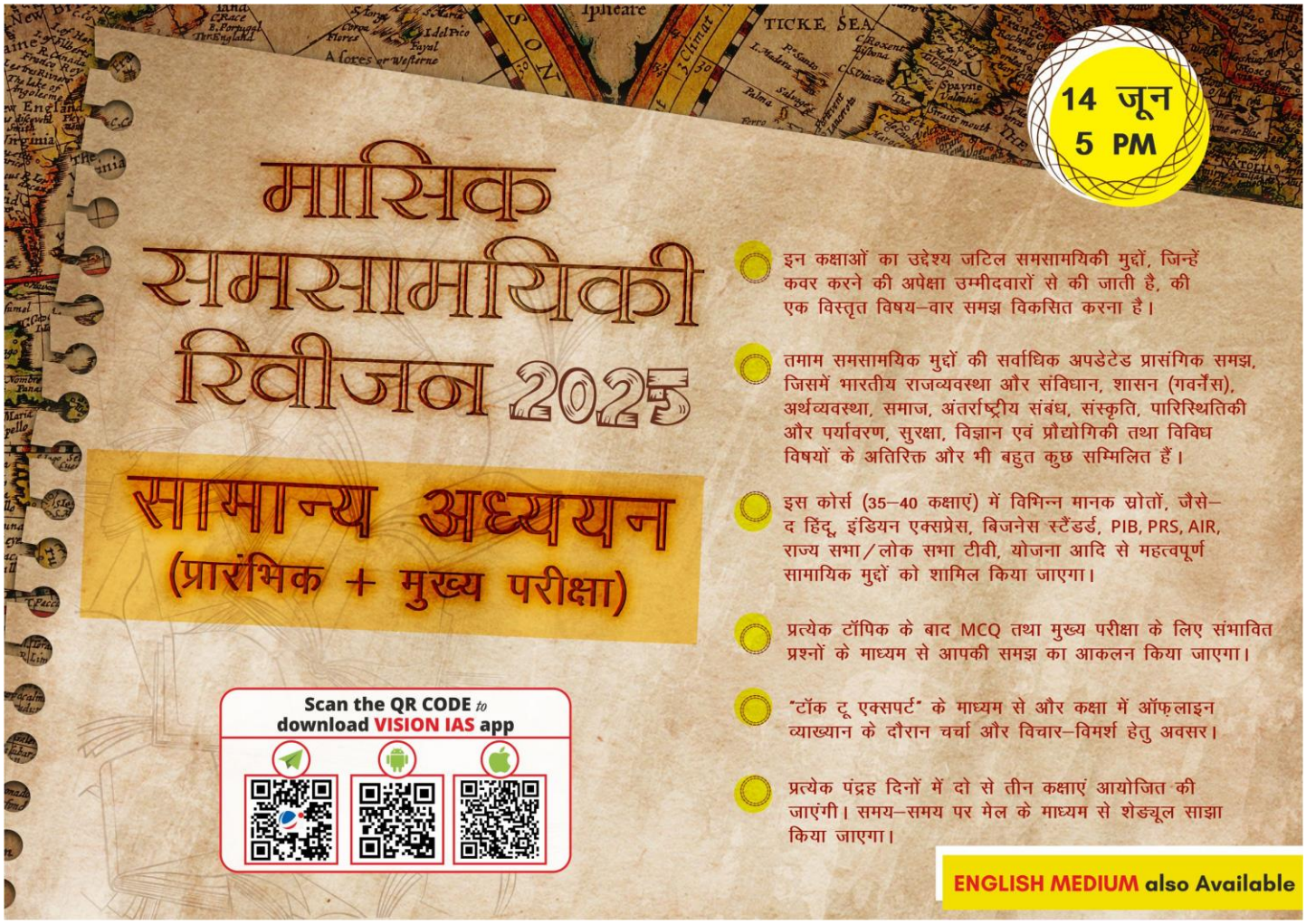

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता (Ethics of Whistleblowing)

प्रस्तावना

हाल ही में, जूलियन असांजे को विकीलीक्स जासूसी मामले में अमेरिकी न्यायालय ने बरी कर दिया है। विकीलीक्स इंटरनेट पर **व्हिसलब्लोअर प्लेटफ़ॉर्म** के रूप में कार्य करता है। एडवर्ड स्नोडेन से लेकर सत्येंद्र दुबे तक, कई व्हिसलब्लोअर्स ने अपने विवेक के अनुसार काम किया, लेकिन क्या उनके कार्य हमेशा नैतिक रहे हैं?

व्हिसलब्लोइंग क्या है?

- **परिभाषा:** किसी कंपनी या सरकार में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में किसी भी गलत कृत्य की **जानकारी को जनता या किसी उच्च अधिकारी के समक्ष प्रकट करना व्हिसलब्लोइंग कहलाता** है।
    - व्हिसलब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो ऐसे गलत या अनैतिक कार्य की रिपोर्ट/खुलासा करता है। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय शणमुगम मंजूनाथ और अन्य।
- **व्हिसलब्लोअर्स/ व्हिसलब्लोइंग के प्रकार-**
    - **आंतरिक:** इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे **मानव संसाधन प्रमुख (HR Head) या CEO को कदाचार, धोखाधड़ी या अनुशासनहीनता की रिपोर्ट करना** शामिल होता है।
    - **बाहरी:** इसमें संगठन के बाहर के लोगों, जैसे- **मीडिया, उच्च सरकारी अधिकारियों या पुलिस को गलत कामों की रिपोर्ट करना** शामिल है।
- **हितधारक और उनके हित**

हितधारक	हित
व्हिसलब्लोअर	गलत काम या कदाचार को उजागर करना और प्रतिशोध से खुद को बचाना।
नागरिक/ समाज	सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी तक पहुँच।
सरकार	राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पारदर्शिता के साथ संतुलित करना।
संगठन	अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, यदि संभव हो तो रिपोर्ट की गई समस्याओं का आंतरिक रूप से समाधान करना, आदि।
विनियामक निकाय	कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
मीडिया हित	प्रसारण किए जाने योग्य आरोपों पर रिपोर्टिंग करना और स्रोतों की रक्षा करना।
पक्ष लेने वाले समूह/ NGO हित	पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा व्हिसलब्लोअर्स का समर्थन करना।

व्हिसलब्लोइंग में शामिल नैतिक दुविधाएँ

- **व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा:** गलत कृत्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरों पर विचार करते हुए सरकार की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने में एक संतुलन स्थापित करना जरूरी है।
- **मीडिया की ज़िम्मेदारी बनाम नैतिक सूचना प्रबंधन:** मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि **वह लोगों को सरकार की कार्रवाई के बारे में बताए,** जबकि ख़तरनाक या संवेदनशील जानकारी को ज़िम्मेदाराना तरीके से संरक्षित रखे।
    - 'सूचना संबंधी नैतिकता' (Information Ethics) व्हिसलब्लोइंग से उत्पन्न होने वाली **जानकारी के सृजन, संग्रह, गठन, पहुँच और उपयोग से उत्पन्न नैतिक मुद्दों** से जुड़ी है।

- **जनता का सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी:** सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार और कुछ मामलों में गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी के बीच संतुलन होना चाहिए।
- **निष्ठा दर्शाने का कर्तव्य बनाम नैतिक दायित्व:** नियोक्ता के प्रति कर्मचारी के कर्तव्य और गलत कृत्यों की रिपोर्ट करने के उनके नैतिक दायित्व के बीच टकराव हो सकता है।
- **सुरक्षा बनाम जवाबदेही:** व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध से बचाने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में नैतिक रूप से विचार किया जाए।

> ह्यूमैनिटीज हमें आलोचना और असहमति के महत्त्व की शिक्षा देती है, जो व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब कोई संगठन केवल साथ देने और सहमत रहने की संस्कृति को बढ़ावा देता है तथा व्हिसलब्लोवर्स को हतोत्साहित करता है, तो बुरे परिणाम होते हैं और व्यवसाय तबाह हो सकते हैं।
>
> — **मार्था सी. नुसबौम**

भारत में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए कानून

- **व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम, 2014:** यह भारत में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया प्राथमिक कानून है। यह सार्वजनिक हित में सूचनाओं का खुलासे करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 177):** इसमें सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- **सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) विनियमन, 2015:** सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को व्हिसलब्लोअर नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया है।
- **भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु दिशा-निर्देश:** IRDAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में इसकी विनियमित कंपनियों को **'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी'** स्थापित करने की सलाह दी गई है।
- **निजी क्षेत्रक और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटीकरण योजना:** यह RBI की एक योजना है, जिसके तहत बैंकों को व्हिसलब्लोअर नीति/ सतर्कता तंत्र बनाना अनिवार्य होता है।

सरकारी गुप्त सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून/ नियम

- **आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923:** यह जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 11:** यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक सूचना के संचार से संबंधित है।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1):** यह ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से छूट देता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

आगे की राह

- **मौजूदा कानूनों को मजबूत बनाना और उन्हें लागू करना:** व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम, 2014 को प्रभावी ढंग से मजबूत बनाकर लागू करना चाहिए तथा मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक को संरक्षण प्रदान करना:** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों को कवर करने वाले व्यापक कानून विकसित करना चाहिए और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए **कॉर्पोरेट नीतियों को प्रोत्साहित करना** चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए और अन्य देशों में भी व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा से संबंधित वैश्विक पहलों में सहभागिता करनी चाहिए।

- **मीडिया का संरक्षण**: व्हिसलब्लोअर्स के साथ काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत बनाना चाहिए और व्हिसलब्लोअर्स से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **सूचना और गोपनीयता तक पहुँच को संतुलित करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गोपनीयता बनाए रखते हुए जनता के लिए बाधारहित तरीके से सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

केस स्टडी

लोक निर्माण विभाग में काम करने वाला एक ईमानदार और समर्पित सिविल सेवक को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में बड़ी अनियमितताओं का पता चलता है। आगे की जाँच में, उन्होंने पाया कि अन्य अधिकारियों का स्थानीय ठेकेदारों के साथ गठजोड़ है, जो निर्माण के लिए घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं। निर्माण पूरा होने पर, सड़क का उपयोग सेना द्वारा किया जाएगा। यह आपातकाल के समय सैनिकों की आवाजाही को सुगम बनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देगी। हालांकि, अनियमितताओं के बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने या मीडिया में उजागर करने से परियोजना में देरी होगी और उसे संबंधित हितधारकों से प्रतिशोध का खतरा हो सकता है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए।
- मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए और सिविल सेवक के लिए उपलब्ध विकल्पों की उनके गुणों और दोषों के साथ चर्चा कीजिए।

9.2. सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी (Frauds in Civil Services Examination)

प्रस्तावना

हाल ही में, कुछ सिविल सेवकों पर प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में प्रवेश करने के लिए जाली प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे हैं। साथ ही, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए ChatGPT का उपयोग किया है। ऐसे मुद्दे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और बेईमानी के बढ़ते मामलों की ओर संकेत करते हैं।

हितधारक	भूमिका/ हित
भर्ती एजेंसियां (जैसे- UPSC)	निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा, जनता के बीच विश्वास की कमी, संवैधानिक दायित्व।
आम जनता	चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता, योग्यता पर विश्वास आदि।
सरकार	लगातार बढ़ती बेईमानी के कारण सार्वजनिक सेवाओं में जनता का भरोसा कम हो गया है। यह राष्ट्र और समाज के व्यापक विकास के लिए हानिकारक है।
सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी	• सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने के दौरान सिविल सेवा के मानकों को बनाए रखेंगे। • इन मूल्यों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और **पी.सी. होता समिति** द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। • इन मूल्यों में **सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता एवं उत्कृष्टता** शामिल हैं।

इसमें शामिल नैतिक मुद्दे

- **सामाजिक न्याय के लिए हानिकारक:** जाली प्रमाणपत्रों के उपयोग से सकारात्मक कार्यों की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इससे सामाजिक न्याय के उद्देश्य को ठेस पहुँच सकती है।
- **प्रशासनिक निहितार्थ:** सिविल सेवाओं में अनैतिक अभ्यर्थियों के प्रवेश से भ्रष्टाचार और बेईमानी, अकुशल नौकरशाही, सत्ता का दुरुपयोग और आचरण संबंधी नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
- **कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश (Categorical Imperative) और कर्तव्यशास्त्र के विरुद्ध:** इमैनुअल कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए लागू हो सकते हैं।
- **उपयोगितावाद (Utilitarianism) का उल्लंघन:** उपयोगितावाद के तहत, किसी कार्य की नैतिकता केवल उसके परिणामों के आकलन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। चूँकि **धोखाधड़ी/ सत्ता का दुरुपयोग** बड़े पैमाने पर समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसा करना अनैतिक है।
- **चरित्र के बिना ज्ञान:** धोखाधड़ी और सत्ता का दुरुपयोग **सात सामाजिक पापों** में से एक **(यानी चरित्र के बिना ज्ञान)** है।

सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए किए गए उपाय

- **नीति-शास्त्र प्रश्न पत्र की शुरूआत:** नीति-शास्त्र प्रश्न पत्र को 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में एक फ़िल्टर के रूप में पेश किया गया था। यह प्रश्न पत्र उम्मीदवारों की नैतिक क्षमता का मूल्यांकन करता है।
- **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकते हुए UPSC, SSC जैसी लोक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है।
- **धोखाधड़ी को रोकने के लिए UPSC द्वारा डिजिटल तकनीकों का उपयोग:**
  - UPSC **आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, फेशियल रिकॉग्निशन** का उपयोग करने की योजना बना रही है।
  - **गलत पहचान की आशंका वाले मामलों की जाँच** के लिए AI का उपयोग करके CCTV निगरानी की जा सकती है।

आगे की राह

- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, शिक्षण की शुरुआत से ही **छात्रों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता और आत्म-सम्मान जैसे मूल्यों** को विकसित किया जाना चाहिए।
- **परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार:**
  - अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके **सत्यापन की प्रक्रियाएँ कठोर** होनी चाहिए।
  - परीक्षा में कदाचार को रोकने, योग्यता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए नैतिकता पर आधारित कठोर उपाय अपनाए जाने चाहिए।
  - होता समिति के अनुसार, सिविल सेवक प्रतिनियुक्ति के दौरान **सत्ता के दुरुपयोग को रोकने** के लिए चयन हेतु **योग्यता और नेतृत्व परीक्षण** शुरू किए जा सकते हैं।
  - **तकनीक आधारित समाधान:** अवैध उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रगति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार करने और उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है।
- **संशोधित आचरण नियम:** नियमों की नियमित तौर पर समीक्षा करके उन्हें अपडेट करने से उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना:** ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा अधिनियम लोक सेवा मूल्यों का एक सेट निर्धारित करता है। ऑस्ट्रेलिया के लोक सेवा आयुक्त को अधिकृत किया गया है, ताकि वे मूल्यों के समावेश और पालन का मूल्यांकन कर सकें।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए

हाल ही में एक राज्य के शिक्षा सचिव को राज्य लोक सेवा परीक्षा में घोर अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं। आगे की जाँच से पता चलता है कि परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कुछ अभ्यर्थियों के बीच साँठगाँठ है, जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया है। यह परीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य में विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थी की भर्ती करती है। राज्य के प्रशासन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालांकि, इस घोटाले को जनता या उच्च अधिकारियों के सामने उजागर करने से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है और लोक सेवा आयोग की छवि खराब हो सकती है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए।
- मामले में शामिल नैतिक मुद्दों और शिक्षा सचिव द्वारा किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

मैं धोखे से जीतने की अपेक्षा, सम्मान के साथ हारना पसंद करूंगा।

— सोफोक्लीज़

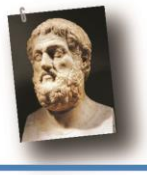

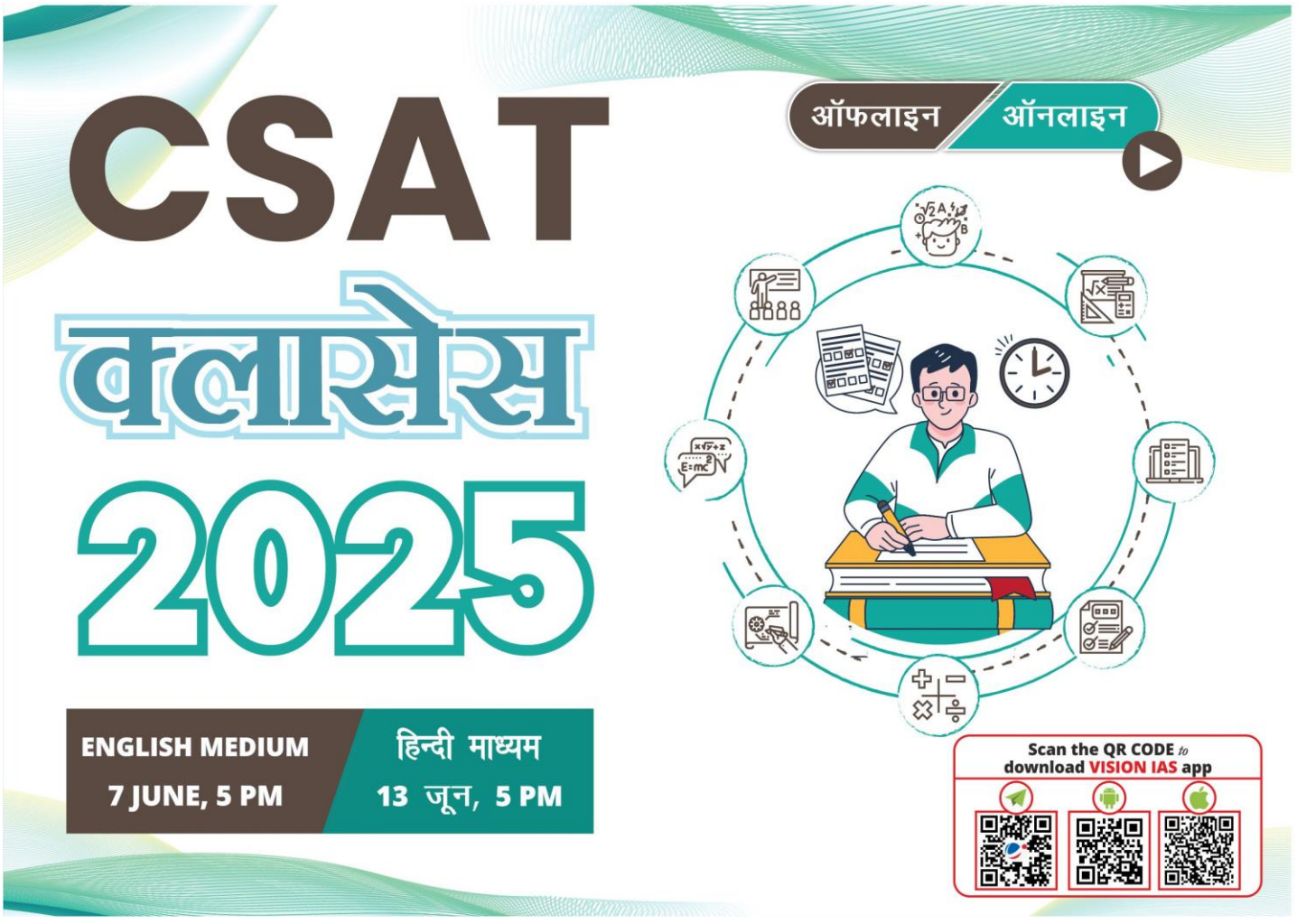

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का और विस्तार करने तथा **3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी घर बनाने का निर्णय लिया** है।

मापदंड	PMAY-शहरी	PMAY-ग्रामीण
उद्देश्य	• पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम-आय समूह (MIG) श्रेणियों के बीच **शहरी आवास की कमी को दूर करना**।	• **2024 तक** सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ **पक्का घर उपलब्ध कराना**।
प्रकार	• CLSS वर्टिकल (सेंट्रल सेक्टर) को छोड़कर मिशन को **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया गया है।	• **केंद्र प्रायोजित योजना**
नोडल मंत्रालय	• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)	• ग्रामीण विकास मंत्रालय
किस वर्ष शुरू किया गया	• **2015**	• **2016**

लाभार्थी	• **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):** वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये तक।
	  ○ सभी चारों वर्टिकल के लिए पात्र।
	• **निम्न आय वर्ग (LIG):** वार्षिक घरेलू आय 3-6 लाख रुपये तक।
	  ○ केवल CLSS के अंतर्गत पात्र।
	• **मध्यम आय समूह (MIG):** वार्षिक घरेलू आय 6-18 लाख रुपये तक।
	  ○ केवल CLSS के अंतर्गत पात्र।
	• लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी भाग में स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
		• यह सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों में आवास विहीन मापदंडों का उपयोग करके और उसके बाद ग्राम सभा एवं अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के अधीन अंतिम आवास+ सूची से लाभार्थियों का चयन करता है।
		• **भूमिहीन लाभार्थी:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य जगह से भूमि प्रदान की जाए।

महिला सशक्तीकरण	• यह अनिवार्य किया गया है कि परिवार की महिला मुखिया ही घर की मालिक या सह-मालिक होगी।	• यह अनिवार्य किया गया है कि परिवार की महिला मुखिया ही घर की मालिक या सह-मालिक होगी।
विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ	• **लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण:** भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान @ 1.5 लाख प्रति घर। • **साझेदारी में किफायती आवास:** भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान @ 1.5 लाख प्रति घर। • **इन-सीटू स्लम पुनर्विकास:** भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान @ 1.0 लाख प्रति घर। • **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना:** आवास ऋण पर 2.67 लाख तक का लाभ • राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इस मिशन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली आवास परियोजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन (U), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सौर मिशन आदि जैसी **प्रासंगिक योजनाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना होगा।**	• **मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये** और पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में **1.30 लाख रुपये** की यूनिट सहायता का प्रावधान है। • घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता के अतिरिक्त **मनरेगा के तहत 90/95 व्यक्ति दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान किया गया** है। यह राशि लगभग **18,000/- रुपये** है। • स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के लिए भी **सहायता (12,000/- रुपये) का प्रावधान किया** गया है। • PMAY-G परिवारों को अन्य संबंधित योजनाओं के साथ

		मिलकर **पानी, LPG** और **बिजली कनेक्शन** भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
कवरेज	• सभी वैधानिक नगर एवं अधिसूचित नियोजन क्षेत्र शामिल हैं।	• पूरे देश में
उपलब्धियां	• 83.67 लाख घरों का निर्माण किया गया	• 2.62 करोड़ घरों का निर्माण किया गया
सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से मॉनिटरिंग	• प्रत्येक घर/ परियोजना की निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए **PMAY-U डैशबोर्ड** और **पांच-चरणीय जियो-टैगिंग।**	• **आवास सॉफ्ट (AwaasSoft):** द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी), PMAY-G में ई-गवर्नेंस की सुविधा के लिए ट्रांजेक्शनल वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म। • **आवास ऐप (AwaasApp):** अवास ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग घर के निर्माण की रियल टाइम, साक्ष्य-आधारित प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है। ऐप के माध्यम से घर के निर्माण की हर स्टेज की तस्वीर ली जाती है और उस तस्वीर में तारीख, समय और स्थान की जानकारी जुड़ी होती है। इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि निर्माण किस गति से हो रहा है और क्या कोई देरी हो रही है।
वित्त-पोषण	• सार्वजनिक व्यय **(40%)** और लाभार्थी अंशदान सहित निजी निवेश **(60%)**।	• मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य **60:40** के अनुपात में व्यय साझा करते हैं। • **पूर्वोत्तर राज्यों,** दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) एवं जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में केंद्र और राज्य **90:10 के अनुपात** में व्यय साझा करते हैं। • अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र **100%** लागत वहन करता है।
शिकायत निवारण तंत्र	• मिशन के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और शहर दोनों स्तरों पर इसकी स्थापना की जाएगी।	• प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्थापित। • प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारियों को त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए, **शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर** समस्याओं का समाधान करना होगा।
अन्य	• **किफायती किराए के आवास परिसर (ARHCs),** PMAY-शहरी के तहत शुरू की गई एक उप-योजना है। इसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों/ गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी प्रदान करना है। • **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज- इंडिया (GHTC-इंडिया)** का उद्देश्य भारत के आवास निर्माण क्षेत्र के लिये विश्व भर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों की पहचान करना तथा उन्हें मुख्यधारा में लाना है ताकि देश में तीव्र गति से, टिकाऊ एवं आपदा प्रतिरोधी घरों का निर्माण किया जा सके।	• **PMAY-G के पर्यवरण अनुकूल आवास के लिए दिशा-निर्देश:** इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके हरित व स्थानीय रूप से अनुकूलित आवास डिजाइनों को बढ़ावा देना है। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने एवं लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी हासिल करने में सहायता मिलेगी।

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

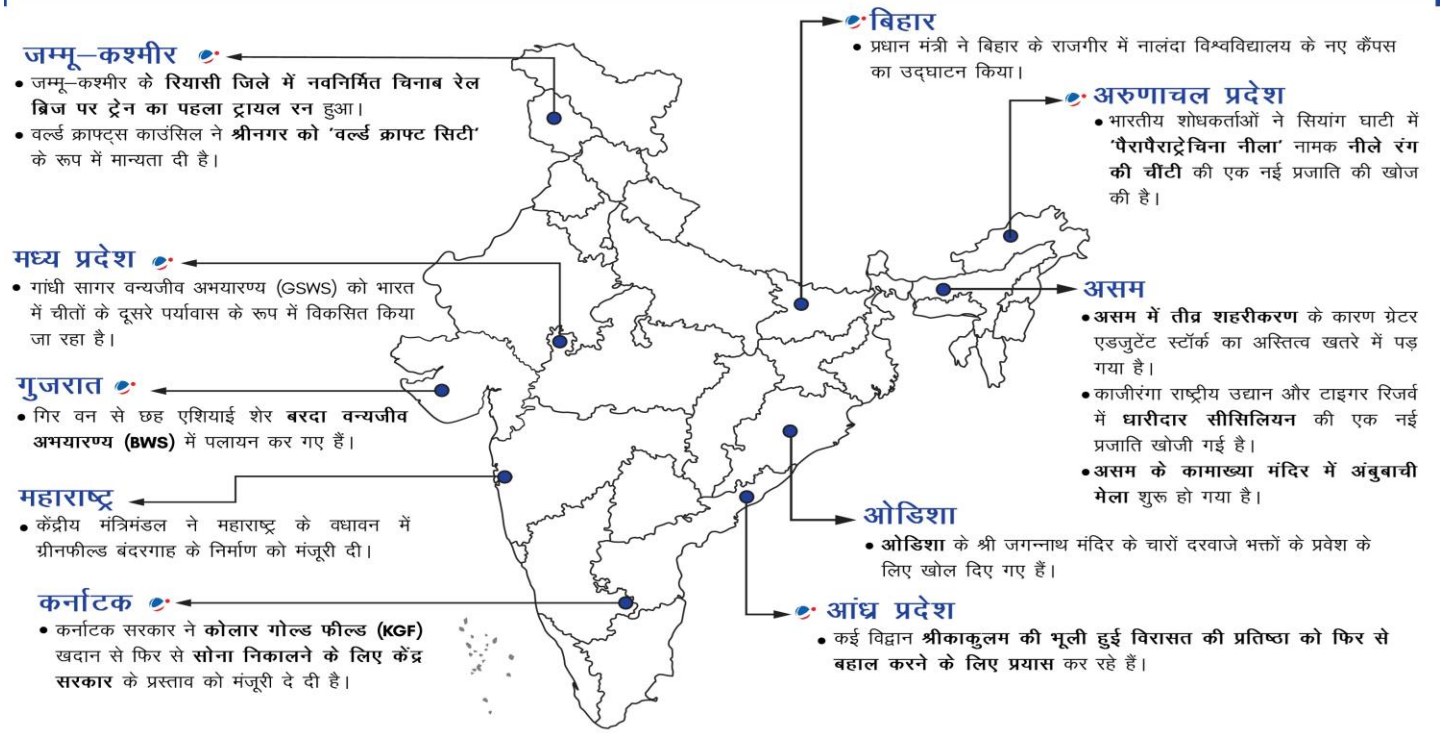

जम्मू–कश्मीर
- जम्मू–कश्मीर के **रियासी जिले में नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन** हुआ।
- वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने **श्रीनगर को 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी'** के रूप में मान्यता दी है।

बिहार
- प्रधान मंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया।

अरुणाचल प्रदेश
- भारतीय शोधकर्ताओं ने सियांग घाटी में **'पैरापैराट्रेचिना नीला'** नामक **नीले रंग की चींटी** की एक नई प्रजाति की खोज की है।

मध्य प्रदेश
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (GSWS) को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है।

असम
- **असम में तीव्र शहरीकरण** के कारण ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में **धारीदार सीसिलियन** की एक नई प्रजाति खोजी गई है।
- **असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला** शुरू हो गया है।

गुजरात
- गिर वन से छह एशियाई शेर **बरदा वन्यजीव अभयारण्य (BWS)** में पलायन कर गए हैं।

महाराष्ट्र
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी।

ओडिशा
- **ओडिशा** के श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं।

कर्नाटक
- कर्नाटक सरकार ने **कोलार गोल्ड फील्ड (KGF)** खदान से फिर से **सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार** के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

आंध्र प्रदेश
- कई विद्वान **श्रीकाकुलम की भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास** कर रहे हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

आइसलैंड
दिसंबर 2023 से दक्षिण–पश्चिमी आइसलैंड में सुंधनुकागिगर ज्वालामुखी में पांचवीं बार उद्गार हुआ।

डेनमार्क
डेनमार्क ने **2030 से पशुधन क्षेत्रक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने** का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का **पहला देश** बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि डेनमार्क एक **प्रमुख पोर्क और डेयरी उत्पाद निर्यातक** देश है।

नॉर्ड स्ट्रीम
एक नए अध्ययन में इस बात की संभावना प्रकट की गई है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीक होने के कारण **बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है।**

इराक
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद **2003** में स्थापित **इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMI)** को समाप्त करने की मंजूरी दी।

अबू मूसा द्वीप
विवादित अबू मूसा द्वीप और दो अन्य द्वीपों (ग्रेटर टुन्ब एवं लेसर टुन्ब) पर **ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन व संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत** को तलब किया।

स्लोवेनिया
स्लोवेनिया **फिलिस्तीन को मान्यता** देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है।

थाईलैंड
थाईलैंड की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

फूनान टेक्नो कैनाल
हाल ही में, **कंबोडिया** ने फूनान टेक्नो कैनाल पर शीघ्र कार्य शुरू करने की घोषणा की है।

मेक्सिको
क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की **पहली महिला राष्ट्रपति** चुनी गईं।

माउंट कनलाओन
फिलीपींस में माउंट कनलाओन में उद्गार होने से ठंडा लावा सड़कों पर बह निकला।

पनामा
पनामा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण **गार्डी सुगदुब द्वीप** पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है।

मलावी
मलावी के उप–राष्ट्रपति की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे जिस विमान से यात्रा कर रहे थे, वह **चिकनगावा** पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

मरकरी आइलैंड
18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में "मरकरी आइलैंड" के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था।

नैट्रॉन झील
जलवायु परिवर्तन का असर **तंजानिया** की नैट्रॉन झील पर पड़ रहा है।

मलेशिया
मलेशिया में मल्लाह का काम (Seafaring) करने वाली स्थानिक जनजाति बाजाऊ के सैकड़ों लोगों को सबा (मलेशियाई बोर्नियो) में उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। सबा में तेजी से शहरीकरण के कारण, बाजाऊ समुदाय को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 संत कबीर दास (1398–1518)	• प्रधान मंत्री ने **संत कबीर दास** की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। • **संत कबीर दास (1398–1518) के बारे में** ▸ **प्रारंभिक जीवन** ▫ ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक **हिंदू परिवार** में हुआ था, लेकिन उनका **पालन–पोषण एक गरीब मुस्लिम जुलाहा** परिवार में हुआ था। ▫ उन्हें **भक्ति का मार्ग संभवतः उनके गुरु रामानंद ने दिखाया** था। ▫ उनका संबंध **निर्गुण (निराकार रूप में ईश्वर) भक्ति परंपरा** से था। ▸ **साहित्यिक कृतियां:** उनके पद तीन ग्रंथों यथा– **बीजक (कबीरपंथ), ग्रंथावली (दादू पंथ) और आदि ग्रंथ साहिब** में संकलित हैं। ▸ **भाषाएं:** संत भाषा (निर्गुण कवियों की भाषा); और उलटबांसी (शब्द का उल्टा अर्थ निकलना)।	**सामाजिक आलोचना और असहमति** • उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक रीति–रिवाजों और मौजूदा मूल्यों, विशेष रूप से जाति और धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना करने वाले दोहे शामिल हैं। • उनकी कविताओं में असहमति की भूमिका को राजनीतिक और नैतिक मूल्य के रूप में दर्शाया गया है, जो सामाजिक जीवन में परिष्कृत मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं।
 राणा पूंजा भील	**राणा पूंजा भील** • राणा पूंजा **भील जनजाति** के एक नेता थे। • वे **16वीं सदी में मेवाड़ के शासक रहे महाराणा प्रताप** के समकालीन थे। • **प्रमुख योगदान:** ▸ उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था तथा **महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुई हल्दीघाटी की लड़ाई (1576)** में मुगलों को आगे बढ़ने से रोका था। ▫ महाराणा प्रताप ने उन्हें **"राणा"** की उपाधि प्रदान की थी।	**बहादुरी और वफादारी** • उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। मुगलों के आक्रमण का प्रभावी ढंग से विरोध किया। • उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर महाराणा प्रताप के प्रति अटूट वफादारी दिखाई।
 राघोजी भांगरे (1805–1848)	हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राघोजी भांगरे की शहादत को याद किया। • **राघोजी भांगरे के बारे में** ▸ वे एक **आदिवासी नेता** थे। उनका जन्म वर्तमान **महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवगांव नामक गांव** में हुआ था। ▸ वे **कोली समुदाय** से संबंधित थे। ▸ उनके पिता का नाम **रामजी राव भांगरे** था। रामजी राव ने भी **ब्रिटिश शासन का विरोध** किया था। हालांकि, बाद में **रामजी राव भांगरे** को सेलुलर जेल में फांसी दे दी गई थी।	**प्रतिरोध और साहस** • उन्होंने शोषक साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अभियान चलाकर तथा अपने समुदाय के अधिकारों के लिए खड़े होकर औपनिवेशिक उत्पीड़न का कड़ा विरोध दिखाया।

	• **प्रमुख योगदानः** ▸ राघोजी भांगरे ने **शोषणकारी साहूकारों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संचालित अभियान** का नेतृत्व किया था। ▸ उन्होंने उत्पीड़क **ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोली समुदाय का नेतृत्व** किया था। ▸ अंततः **1847 में ब्रिटिश शासन ने उन्हें पकड़** लिया और बाद में फांसी दे दी।	
 भगवान बिरसा मुंडा (1875–1900)	स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। **भगवान बिरसा मुंडा के बारे में** • उनका जन्म **छोटा नागपुर पठार क्षेत्र (झारखंड) के खूंटी जिले के उलिहातू** में मुंडा जनजाति में हुआ था। • उन्हें **'धरती आबा'** के नाम से भी जाना जाता है। **योगदानः** • उन्होंने धार्मिक रूपांतरण रोकने के लिए **बिरसाइत** नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की थी तथा **प्रार्थना के महत्त्व पर जोर** दिया था। साथ ही, **शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने पर बल** दिया था। • उन्होंने **स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ 'उलगुलान (महान विद्रोह)'** नामक आंदोलन शुरू किया था। ▸ इसके परिणामस्वरूप, **'छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908)'** पारित किया गया था। इसके तहत **जनजातीय लोगों से गैर–जनजातीय लोगों को भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित** कर दिया गया था। **विरासत** • इनकी **जयंती (15 नवंबर) को जनजातीय गौरव दिवस** के रूप में मनाया जाता है।	**न्याय और अनुकुलनशीलता** • वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।
 नारायण मल्हार जोशी (एन.एम. जोशी) (1879 –1955)	हाल ही में, नारायण मल्हार जोशी की जयंती मनाई गई है। **एन.एम. जोशी (नाना साहब जोशी) के बारे में** • वे **महाराष्ट्र** में जन्मे एक **ट्रेड यूनियनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी** थे। **प्रमुख योगदान** • उन्होंने 1919 में आयोजित **पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। • उन्होंने **1911 में सोशल सर्विस लीग** की स्थापना की। ▸ उन्होंने **1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस** की सह–स्थापना की थी और **बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन** की स्थापना में मदद की थी। ▸ वे **बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस समिति, पीपुल्स वॉलंटियर ब्रिगेड और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी** के प्रमुख सदस्य भी थे। • उन्होंने **भारत में गठित रॉयल कमीशन ऑन लेबर** में अपना कार्यात्मक योगदान दिया था। इस कमीशन के समक्ष उन्होंने भारतीय श्रमिकों की स्थिति को वर्णित किया था।	**सशक्तीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी** • उन्होंने मजदूरों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा न्याय की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाया। • उनका उद्देश्य सामाजिक स्थितियों में सुधार करना तथा श्रमिक वर्ग की सहायता करना था।

श्री तारकनाथ दास (15 जून 1884 से 22 दिसंबर 1958)

15 जून को **श्री तारकनाथ दास** की जयंती मनाई जाएगी।

श्री तारकनाथ दास के बारे में

- इनका जन्म **पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले** में हुआ था। वे एक **पत्रकार, शिक्षक, लोकोपकारी व्यक्ति और क्रांतिकारी** थे।

योगदानः

- **1903** में वे एक क्रांतिकारी संगठन **अनुशीलन समिति** में शामिल हो गए थे।
  - अनुशीलन समिति की स्थापना **कोलकाता में सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा** द्वारा की गई थी।
- उन्होंने **संयुक्त राज्य अमेरिका** में ब्रिटिश विरोधी अखबार **'फ्री हिंदुस्तान'** का प्रकाशन शुरू किया था।
- **1913 में वे गदर आंदोलन** से जुड़ गए थे।
- **1917 में उन्हें भारत–जर्मन षडयंत्र** मामले में फंसाया गया था।
- शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए **1935 में तारकनाथ दास फाउंडेशन** की स्थापना की गई थी।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रवाद

- उनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दुनियाभर के लोगों से जोड़ने की अटूट क्षमता थी।
- उनमें भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया।

रासबिहारी बोस (1886–1945)

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस को उनकी जयंती (25 मई) पर याद किया गया।

रासबिहारी बोस के बारे में

- बोस का जन्म वर्तमान **पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले** में हुआ था।
- वे **1789 की फ्रांसीसी क्रांति** से अत्यधिक प्रभावित थे।

प्रमुख योगदान

- वे **मोतीलाल रॉय** के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारियों के समूह **'युगांतर'** के सक्रिय सदस्य थे।
- उन्होंने **पंजाब और संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य किया था।
- वे **दिल्ली षड्यंत्र केस (वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला), 1912** में सम्मिलित थे।
- उन्होंने **टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग (1942)** की स्थापना की थी।
- **गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज** (भारतीय राष्ट्रीय सेना) के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

देशभक्ति और एकता

- भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी और आज़ाद हिंद फ़ौज के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के जरिए स्पष्ट होती है।
- उन्होंने क्रांतिकारियों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को प्रभावी तरीके से कम कर दिया। साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए विभिन्न समूहों में एकता और सहयोग बार भी बल दिया।

शहीद रामप्रसाद बिस्मिल (1897–1927)

हाल ही में, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई।

रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में

प्रारंभिक जीवन

- इनका जन्म **उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले** में हुआ था।

योगदान

- युवावस्था में ही वे **आर्य समाज युवा संघ** में शामिल हो गए थे और **स्वामी दयानंद** की शिक्षाओं का प्रचार–प्रसार करने लगे थे।
- **मैनपुरी षड्यंत्र (1918)** के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था, इसलिए उन पर मुक़दमा चलाया गया था।
  - इस षड्यंत्र में उन्होंने **'देशवासियों के नाम संदेश'** शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और इसे अपनी कविता **'मैनपुरी की प्रतिज्ञा'** के साथ लोगों के बीच वितरित किया था।
- **1924** में सचिन्द्रनाथ सान्याल, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और योगेश चन्द्र चटर्जी ने मिलकर **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** की स्थापना की थी।
- वे **'काकोरी कांड'** को अंजाम देने वाले मुख्य क्रांतिकारी थे।

नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प

- उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आवाज को मजबूत करने के लिए युवाओं को संगठित किया और उनकी संघर्ष करने की क्षमता को आकार देने के लिए संगठन की स्थापना की।
- उन्होंने न केवल अंग्रेजों से हथियार लूटने की बेहद जोखिमपूर्ण साजिश में भाग लिया, बल्कि अत्यधिक यातना और जान से मारने की धमकियों के आगे न झुकते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

सुकुमार सेन (1898–1963)

हाल ही में, सुकुमार सेन के जीवन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है।

सुकुमार सेन के बारे में

- वे **भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त** थे। उन्होंने **1950 से 1958 तक** भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था।

योगदान

- उन्होंने **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर भारत के प्रथम **दो लोक सभा चुनाव (1952 एवं 1957) और राज्यों के विधान सभा चुनाव** आयोजित कराए थे।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुकुमार सेन के नेतृत्व में कई नवीन उपाय प्रस्तुत किए गए थे। जैसे– **एक मतदाता द्वारा बार–बार मत देकर चुनाव में हेरफेर करने को रोकने के लिए अमिट स्याही** का उपयोग।
- उन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष** के रूप में भी कार्य किया था।
- **पुरस्कार और सम्मान:** पद्म भूषण (1954)

सत्यनिष्ठा और नवाचार

- उन्होंने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित किया, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कायम रखा।
- मतदाताओं की गलत पहचान को रोकने के लिए अमिट स्याही की शुरूआत जैसी कई नवीन तकनीकों को लागू किया, जिससे चुनाव प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक स्थापित हुए।

सुचेता कृपलानी (1908–1974)

25 जून को सुचेता कृपलानी की जयंती पर देशवासियों ने उन्हें याद किया। वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में किसी प्रदेश की **पहली महिला मुख्य मंत्री थीं।**

- **वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थीं।**

सुचेता कृपलानी के बारे में

- उनका जन्म **हरियाणा के अंबाला जिले** में हुआ था। वे एक **भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी** थीं।
- वे उन **15 प्रतिष्ठित महिलाओं** में से एक थीं, जो संविधान सभा की संविधान प्रारूप समीति का हिस्सा थीं।

प्रमुख योगदान

- वे **1940 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक सदस्य** थीं।
- उन्होंने **भारत छोड़ो आंदोलन में भाग** लिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होकर कार्य किया था।
- उन्होंने कई **राहत गतिविधियों** में भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए– 1934 में बिहार में भूकंप, 1946 में नोआखाली दंगे आदि।
- **वे कई प्रतिनिधि–मंडलों का हिस्सा थीं, जैसे**– तुर्की के लिए संसदीय प्रतिनिधि–मंडल (1954); अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1961), संयुक्त राष्ट्र महासभा (1949), आदि के लिए प्रतिनिधि–मंडल।

अनुकूलनशीलता और सहानुभूति

- उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा गिरफ्तारी से बचते हुए भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।
- भूकंप और दंगों के दौरान राहत गतिविधियों में अपनी भागीदारी के जरिए गहरी करुणा का भाव प्रदर्शित किया, आपदाओं से प्रभावित लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी।

श्री लक्ष्मण सतपथी (1916–2001)

हाल ही में लक्ष्मण सतपथी की जयंती मनाई गई।

श्री लक्ष्मण सतपथी के बारे में

- इनका जन्म ब्रिटिशकालीन भारत में **सोनपुर रियासत (वर्तमान ओडिशा)** में हुआ था।

योगदानः

- ये **सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन** के अग्रणी नेताओं में से एक थे।
  - **गांधीजी के असहयोग के आह्वान से प्रेरित** होकर, इन्होंने और इनके भाई राम सतपथी ने सोनपुर रियासत के शासक के खिलाफ आवाज उठाई थी।
- इन्होंने भूमिगत गतिविधियां शुरू की थीं। इन गतिविधियों ने **भारत छोड़ो आंदोलन (1942)** के दौरान गंभीर रूप ले लिया था।
- इन्होंने अन्य प्रजामंडल नेताओं के साथ मिलकर **सोनपुर के ओडिशा में विलय (जनवरी, 1948)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता

- उन्होंने सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व करके और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया, भारत की स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रयास किया।
- सोनपुर के ओडिशा के साथ सफलतापूर्ण विलय में मजबूत नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अपने समुदाय को संगठित और प्रोत्साहित किया।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
22 अगस्त | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

/VisionIAS_UPSC

vision_ias_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची